लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 60
Date 5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 48, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 25, मंगलवार, 4 अप्रैल, 1989/14 चैत्र, 1911 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 471; 473 से 475, और 477, से 480	...	...	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	20—234
*तारांकित प्रश्न संख्या : 476, 481 से 487 और 489 से 491	...	...	20—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4555 से 4646, 4648 से 4683 और 4685 से 4774	...	...	27—234
महान्यायवादी को सभा में बुलाये जाने के बारे में प्रस्ताव	...	...	234—254
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	255—258
प्राक्कलन समिति	...	...	259
68वां और 69वां प्रतिवेदन			

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से धनराशि निकालने के बारे में वक्तव्य	...	...	259
श्री संतोष मोहन देब	...	...	259
चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) विधेयक	...	...	259
पुरःस्थापित			
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	260—263
(एक) चतरा, बिहार में एक आयुध कारखाना खोले जाने की आवश्यकता			
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	...	...	260
(दो) नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ (असम) के लिए तथा डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा बहाल किए जाने तथा डिब्रूगढ़ से लीलाबाड़ी हवाई अड्डे को वायुदूत सेवा द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता			
श्री वांगफा लोवांग	...	...	261
(तीन) फैजाबाद शहर (उत्तर प्रदेश) में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता			
श्री निर्मल खत्री	...	...	261
(चार) उत्तर बिहार में पहलेजा घाट पर एक रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता			
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	...	...	261—262
(पांच) फॉस्फैटिक उर्वरक संयंत्र की चारों इकाइयों को निर्बाध रूप से चलाये जाने के लिए फॉस्फैटिक अम्ल का पर्याप्त मात्रा में आयात किए जाने की आवश्यकता			
श्री लक्ष्मण मलिक	...	...	262
(छः) कानपुर (उत्तर प्रदेश) में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता			
श्री जगदीश अवस्थी	...	...	262

(सात) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री हन्नान मोल्लाह 263

(आठ) आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव 263

केन्द्र-राज्य संबंध आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ... ... 263—349

श्री पी० कुलनदईवेलू ... ... 264—272

प्रो० नारायण चन्द पराशर ... ... 272—278

श्री पी० सेलवेन्द्रन ... ... 278—282

श्री शरद दिघे ... ... 282—287

श्री के० एस० राव ... ... 287—292

श्री हेत राम ... ... 292—295

श्री वाई० एस० महाजन ... ... 295—298

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... ... 298—301

श्री चरनजीत सिंह वालिया ... ... 301—303

श्री गिरधारी लाल व्यास ... ... 303—306

श्री एन० टोम्बी सिंह ... ... 306—309

श्री अमर राय प्रधान ... ... 309—311

डा० दिग्विजय सिंह ... ... 311—314

श्री राम सिंह यादव ... ... 314—319

श्री एन० सुन्दर राज ... ... 319—323

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया ... ... 323—326

श्री विजय एन० पाटिल ... ... 326—328

विषय पृष्ठ

श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	328—332
श्री हरीश रावत	...	...	332—335
डा० दत्ता सामंत	...	...	335—338
श्री महाबीर प्रसाद यादव	...	...	338—340
श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव	...	...	340—343
श्रीं श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	...	344—346
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	...	346—349

लोक सभा

मंगलवार, 4 अप्रैल, 1989/14 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लघु क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना

[अनुवाद]

*471. श्री पी० पेंचालैया :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लघु क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। लघु क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य-विधि को सरल बनाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित क्षेत्रों में लघु औद्योगिक उपक्रमों के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों/स्वीकृतियों हेतु कार्य-विधि को सरल बनाया गया है :—

(क) उत्पाद कानून।

(ख) वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण की मंजूरी।

(ग) श्रमिक कानून।

(घ) पंजीकरण के प्रपत्र।

(ङ) प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से अनुमति।

श्री पी० पेंचालैया : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बड़े उद्योगों की स्थापना पर अनावश्यक बल दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में केवल कुछ ही क्षेत्रों का विकास हो रहा है। जबकि अन्य कई क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। इससे प्रादेशिक असंतुलन पैदा हो रहा है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के लघु उद्योगों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए हैं।

श्री एम० अरुणाचलम : लघु उद्योगों के विकास का संबंध मूलत: राज्य सरकारों से है तथा केन्द्र सरकार उनके कार्यक्रमों के लिए सहायता दे रही है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों से बात करें।

श्री पी० पेंचालैया : जो छोटे उद्यमी नौएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में लघु इकाइयों की स्थापना करना चाहते हैं उन्हें लघु उद्योगों की स्थापना के लिये आवश्यक प्रमाण-पत्र लेने में बहुत कठिनाई होती है। जिसके फलस्वरूप ये प्रमाण-पत्र पाने में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि नौएडा तथा ऐसे अन्य प्राधिकरणों में इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? ताकि उद्यमियों को रियायतों का फायदा मिल सके।

श्री एम० अरुणाचलम : लघु उद्योगों की स्थापना का पंजीकरण मुख्यत: राज्य के उद्योग निदेशक ही करते हैं ··· (व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : वह दिल्ली की बात कर रहे हैं दिल्ली में यह काम आपका है।

श्री एम० अरुणाचलम : नौएडा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियंत्रण में है। नौएडा के चेयरमैन बनाए गये हैं।

डा० दत्ता सामंत : यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण समस्या है। देश में 12 लाख लघु उद्योग हैं, इनमें से करीब 10 प्रतिशत अर्थात 1.2 लाख उद्योग बन्द कर दिए गये हैं और 10 से 15 प्रतिशत तक उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं। यह देखना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इससे प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिले। लघु उद्योगों के लिए विपणन एक महत्त्वपूर्ण मसला है। अत: कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बनाना जरूरी है। सरकार ने पुन: रिलायंस जैसे बड़े औद्योगिक घरानों को प्रोत्साहन दिया है। वे 1000 करोड़ रुपए तक मूल्य का उत्पादन कर रहे हैं। लघु उद्योगों की क्या स्थिति है। वे अपने उद्योग चलाने में सक्षम नहीं हैं। अत: सरकार को समाजवाद की भावना और निर्धन व्यक्तियों को लघु उद्योग स्थापित करने में, सहायता करने पर विचार करना होगा··· (व्यवधान) माननीय मंत्री श्री साठे जी जानते हैं कि महाराष्ट्र में 9000 लघु उद्योग बन्द हो गये हैं। लघु उद्योगपतियों अथवा स्नातकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार विपणन के सम्बन्ध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएगी ? लघु उद्योगपति बड़े औद्योगिक घरानों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते। अत: सरकार को यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालने की बजाय कुछ ऐसी प्रक्रिया बनानी होगी और उसे कड़ाई से लागू करना होगा। (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 480 भी इसी विषय से सम्बन्धित है। क्या आप उसे इसी में जोड़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं।

[हिन्दी]

आप लेट हो गये हैं और गाड़ी निकल गई है। आप प्लेटफार्म पर टिकट लेकर खड़े रह गये।

प्रो० मधु दण्डवते : जैसे रिपोर्ट को करने में देरी हुई ऐसी ही इसमें हुई है ।

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : महोदय देश भर में 16 लाख लघु उद्योग हैं न कि 12 लाख, जैसा कि श्री दत्ता सामन्त जी ने कहा··· (व्यवधान)

डा० दत्ता सामंत : 1.5 लाख उद्योग बन्द कर दिए गए थे··· (व्यवधान)

श्री जे० वेंगल राव : कुछ रुग्ण उद्योग भी हैं । एक राष्ट्रीय इक्विटी कोष बनाया गया है । यह आई०बी०आई० से संबद्ध है । रुग्ण उद्योगों को पुन: शुरू करने के लिए आई०डी०बी०आई० राष्ट्रीय इक्विटी कोष में से 75,000 रुपए तक वित्त देगा । इस तरह इन्हें पुन: चलाने की योजनाएं चल रही हैं ।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, उत्तर में यह बताया गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य विधि को सरल बनाना एक सतत प्रक्रिया है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान यहां उठाये गये एक विशेष मुद्दे, लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों की रुग्णता, की ओर दिलाना चाहता हूं । केरल में 60% से भी अधिक लघु उद्योग पहले ही से रुग्ण हैं और इसके कई कारण हैं । यद्यपि सरकार ने कई पैकेज योजनाएं शुरू की हैं, किन्तु लघु उद्योगों की सहायता करने वाला कोई नहीं है, जिससे कि उन्हें लाभ मिल सके । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन इकाइयों की सहायता के लिये केन्द्र सरकार के मार्गनिर्देशन में ठीक अध्ययन किया जाएगा जिससे इन्हें ये लाभ प्राप्त हो सकें तथा उन उद्योगों को बन्द किया जाये जो लाभप्रद नहीं हैं ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औद्योगिक राजसहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी जिसे कि केन्द्र सरकार द्वारा हाल में देना बन्द कर दिया गया था और इससे कई उद्योगों के लिए परेशानी पैदा हो गई है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उद्योगों के लिए राज सहायता दी जाएगी जैसा कि 6 महीने पहले किया जा रहा था ?

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, लघु उद्योगों के फायदे के लिए 835 उद्योग आरक्षित हैं । बड़े औद्योगिक घरानों को इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए··· (व्यवधान)

श्री अताउर्रहमान : बहु-राष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही हैं··· (व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त : बहु-राष्ट्रीय कंपनियां छोटे उद्योग शुरू कर रही हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न का उत्तर दीजिए । यह मत देखिए कि उन्होंने क्या कहा है ।

श्री जे० वेंगल राव : हम बड़े उद्योगों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं । इकाइयों के रुग्ण होने के कई कारण हैं, जैसे कि धनराशि को दूसरे कार्यों में लगाना । इन उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए हमने राष्ट्रीय इक्विटी कोष बनाया है । इस कोष पर आई०डी०बी०आई० का नियंत्रण है । हमने रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ।

श्री ए० चार्ल्स : उन्होंने राजसहायता संबंधी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री जे० वेंगल राव : कोई राजसहायता नहीं दी गई है । राजसहायता देना 30 सितम्बर 1988 से बन्द कर दिया गया था ।

असम में तेल शोधक कारखाने

[हिन्दी]

*473. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया† :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असम में एक और तेल शोधक कारखाना स्थापित करने तथा मौजूदा तेल शोधक कारखानों का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह 15 अगस्त, 1985 को हुए असम समझौते के अनुसरण में किया जा रहा है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) असम समझौते के अनुसरण में सरकार ने असम में दो मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता की एक रिफाइनरी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय किया है तथा वहां पर अतिरिक्त कच्चा तेल उपलब्ध होने पर इसकी क्षमता को 3 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था होगी। वर्तमान तेल कम्पनी की एक सहायक के रूप में रिफाइनरी स्थापित करने के लिए हाल ही में सहमति व्यक्त की गई है। इसमें राज्य सरकार की भी कुछ पूंजी में भागीदारी होगी। इस समय असम में वर्तमान रिफाइनरियों की क्षमता में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मंत्री जी ने उत्तर में यह जानकारी दी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है किन्तु कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। क्या मंत्री महोदय इस संबंध में उठाए गए प्रभावशाली उपायों की जानकारी सदन को देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : हमने सभी प्रभावशाली उपाय किए हैं। मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि सबसे पहले यह सुझाव था कि यह तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में होना चाहिए। यह असम समझौते में कहा गया था। जब कोई भी पार्टी सामने नहीं आई तो हमने इसे सार्वजनिक क्षेत्र में खोलने का निश्चय किया। फिर असम के मुख्य मंत्री, दूसरे अनेक मंत्री तथा जनता के कुछ प्रतिनिधि मुझसे मिले और उन्होंने सुझाव दिया कि यह संयुक्त क्षेत्र में होना चाहिए। हमने यह भी स्वीकार किया। अब हम यह कम्पनी स्थापित करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं और व्यवहार्यता रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और पी० आई० बी० के पास जा रहे हैं। किन्तु अभी दो बातें रहती हैं। सबसे पहले मैं असम सरकार को यह सलाह दूंगा कि वार्षिक योजना में धनराशि का आबंटन करें और ऐसी स्थिति बनाएं जिसके द्वारा तेल शोधक कारखाने की ओर तेल जाए। यदि तेल शोधक कारखाने में तेल नहीं जाता है तो तेल शोधक कारखाने को चलाने की समस्या उत्पन्न होगी। उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया है। मुझे आशा है कि उन्हें पैसा मिलेगा और वे उचित वातावरण बनाएंगे। हमें स्वयं इस तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में

रुचि है क्योंकि हम कच्चे तेल के उत्पादन को अगले पांच वर्षों में 55 लाख टन से लगभग 90 लाख तक बढ़ाना चाहते हैं।

श्री जसवंत सिंह रामूवालिया : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आयोजित पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी की बैठक में जहां श्री एच० के० खां और श्री एस० पी० वाही भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय तेल उत्पादन में 85 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए वचनबद्ध है। एक ओर तो आप यह चाहते हैं कि आप देशी स्रोतों के द्वारा तेल उत्पादन में 85 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए वचनबद्ध हैं और दूसरी ओर जब असम सरकार ने आपसे कहा कि तेल शोधक कारखाने के निर्माण के लिए एक नई कम्पनी बनाएं तो आपने यह उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। वास्तव में वे लक्ष्य को दुगना करने के लिए आपसे सहयोग कर रहे थे। अब आप कहते हैं कि आप इसे इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आपने यह हरियाणा में करनाल में नहीं दिया। करनाल के दावे और असम के दावे में बहुत अन्तर है। जहां असम में तेल के भण्डार हैं, हरियाणा में तेल के भण्डार नहीं हैं। आप असम सरकार के दावे को इस प्रकार क्यों लेते हैं?

श्री ब्रह्म दत्त : मुझे लगता है कि माननीय सदस्य के मित्रों ने इन्हें उचित ढंग से जानकारी नहीं दी है। हमने कभी भी इसे अस्वीकार नहीं किया है। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में होना था। यदि कोई निजी पार्टी वहां तेल शोधक कारखाना स्थापित करने नहीं आई तो यह मेरा दोष नहीं है। फिर मैंने इसको सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव किया। असम सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि असम सरकार को इसे किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ सम्बद्ध करना चाहिए। हमने यह भी स्वीकार किया है। किन्तु मूल शर्तें यही हैं कि असम सरकार को पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें हमसे नहीं कहना चाहिए कि हम उनका अंश भी दें और इसके अतिरिक्त ऐसा वातावरण होना चाहिए कि तेल बराबर मिलता रहे। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है और हम उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं।

जहां तक करनाल का संबंध है, इसका महत्व नहीं है कि तेल का स्रोत कहां पर है। बम्बई हाई में तेल का स्रोत है किन्तु हम बम्बई हाई में तेल शोधक कारखाना नहीं बना सकते। करनाल तेल शोधक कारखाना इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि माननीय सदय के राज्य में भी बहुत मांग है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को पूरा करने के लिए, पाइपलाइन के द्वारा कच्चे तेल की ढुलाई आसान है। हम कांडला-भटिंडा पाइप लाइन बिछा रहे हैं और करनाल तेल शोधक कारखाने के लिए भी दूसरी लाइन बिछा रहे हैं। अतः यह उपभोक्ता दृष्टिकोण भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं समझता हूं कि अपना पूरक प्रश्न पूछने से पूर्व मुझे स्पष्ट रूप से अपनी बात व्यक्त करनी चाहिए। मंत्री महोदय सही नहीं कह रहे हैं, अब वे कहते हैं कि असम समझौते में तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाना था। असम समझौते में ऐसी कोई बात नहीं है कि तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में होगा। किन्तु इस बात को छोड़कर उन्होंने कहा है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि तेल शोधक कारखाने को बराबर तेल मिलता रहे। यह प्रश्न तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के पश्चात उठेगा। साढ़े तीन वर्ष का समय पहले ही बीत चुका है। मैं पूछना चाहता हूं कि सहायक तेल कारखाना स्थापित करने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं और किस समय तक वे काम आरम्भ करेंगे और तेल शोधक कारखाना कब तक तैयार होगा।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि असम समझौते में क्या था। मैं उद्धरण देता हूं : "असम के औद्योगिक तथा शैक्षिक विकास को और तेज करने के लिए, भारत सरकार ने असम में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करना स्वीकार किया था। सरकार संस्थागत तथा बैंक वित्त के रूप में हर संभव सहायता देगी ताकि निजी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में सहायता हो।" इसमें यह शब्द हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : आप सम्भवत: गृह मंत्री के वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं। असम समझौते में यह बात नहीं है किन्तु गृह मंत्री ने बाद में एक वक्तव्य दिया था। आप असम समझौते से उद्धरण नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैंने अच्छी तरह से असम समझौता पढ़ा है।

श्री ब्रह्म दत्त : किन्तु अब यह असंगत है। मान लीजिए कि यह निजी क्षेत्र में नहीं आता है, मैंने स्वयं इसका प्रस्ताव किया और मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्राप्त भी की कि इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाएं। फिर मुख्य मंत्री तथा असम के हमारे सभी माननीय सदस्य मुझसे मिले और फिर हमने उस मांग को भी स्वीकार किया। हमने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना मान लिया। अब हम सभी समरूप उपाय कर रहे हैं। अब हम व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, कम्पनी तैयार करने आदि के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अत: तेल तैयार होते ही हम तेल साफ करने के लिए तैयार होना चाहते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : आपको एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

श्री ब्रह्म दत्त : मैं समझता हूं कि कोई भी तेल शोधक कारखाना तैयार करने में चार वर्ष से कम समय नहीं लगेगा।

श्री वांगफा लोवांग : महोदय, इस समय अरुणाचल से कच्चा तेल डिगबोई में असम के तेल शोधक कारखाने में भेजा जाता है। अब एक योजना है जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बदले अरुणाचल से डिगबोई तक कच्चा तेल पाइप लाइन द्वारा ले जाया जाएगा। आज अरुणाचल प्रदेश की ओर से वहां तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की उचित मांग की गई है। अरुणाचल एक अत्यन्त पिछड़ा राज्य है और वहां बेरोजगारी तथा अन्य समस्याएं हैं। अत: इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार अरुणाचल प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थापित करेगी और पाइप लाइन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश से असम में डिगबोई तक कच्चा तेल ले जाना बन्द करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा : "कृपया इस उद्योग को एक राष्ट्रीय उद्योग मानिए। यह क्षेत्रीय उद्योग नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल हमारे लिए एक प्रत्याशित क्षेत्र है। किन्तु हम प्रथम चरण पर हैं। हमने उत्पाद आरम्भ किया है। यदि ऐसा समय आता है जब उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो और यदि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि इतने समय में उत्पादन इतना हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से ऐसे किसी भी स्थान पर तेल शोधक कारखाने लगाएंगे जहां इसकी सम्भावनाएं अधिक हों क्योंकि तेल शोधक क्षमता में वृद्धि की जानी आवश्यक है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका संयुक्त क्षेत्र या निजी क्षेत्र के साथ तेल शोधक कारखानों का अनुभव ठीक रहा है क्योंकि कुछ समय पूर्व निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ तेलशोधक कारखानें स्थापित करने में अधिक रुचि ली जा रही थी। उदाहरण के लिए, करनाल और मंगलूर में वे सरकार से बहुत दिनों तक अनुरोध करते रहे और वे

इस परियोजना में हिस्सेदार बनने के लिए अत्यधिक इच्छुक थे। मुझे बताया गया है यह मंत्री महोदय ही बताएंगे कि जहां तक मंगलूर तेल शोधक कारखाने में निजी क्षेत्र के साझेदार का सम्बन्ध है, उनका उत्साह कम हो गया है और अब वह इसके प्रति इतने इच्छुक नहीं रहे हैं तथा इस स्थिति में सरकार को दूसरे साझेदार की तलाश करनी है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह काम नये सिरे से करना पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या करनाल और मंगलूर तेलशोधक कारखाने में भी निजी क्षेत्र के साझेदार के सम्बन्ध में वे उतनी ही रुचि ले रहे हैं जो वे इस परियोजना के आरम्भ में ले रहे थे या क्या उनका उत्साह भी ठंडा पड़ गया है। यदि उनका उत्साह ठण्डा पड़ रहा है तो सरकार इसका क्या उपाय सोच रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त : जहां तक मुझे जानकारी है, उनका उत्साह जरा भी ठण्डा नहीं पड़ा है। वे तेलशोधक कारखाने लगाने में और हमारे साथ सहयोग करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। हमने विशेष रूप से मंगलूर तेलशोधक कारखाने के बारे में उनसे संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा था और हमें पिछले सप्ताह ही यह रिपोर्ट मिल गई है तथा इसकी जांच की जा रही है। साथ ही हमने आधारभूत ढांचे की स्थापना के लिए सभी कदम उठाए हैं ताकि वास्तव में निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। हमने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और पुनर्वास का कार्य हो रहा है। हमने कर्नाटक सरकार से बिजली देने के लिए कहा है और इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने यह पूछा था कि क्या निजी क्षेत्र इस परियोजना में पहले जितनी ही रुचि ले रहा है।

श्री ब्रह्म दत्त : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री भद्रेश्वरी तांती।

श्री पराग चालिहा : महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री भद्रेश्वरी तांती।

श्री पराग चालिहा : महोदय, वे प्रतिदिन खड़े होते हैं और उन्हें बोलने की अनुमति दे दी जाती है। किन्तु मैं बहुत अधिक समय के बाद बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं...

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री पराग चालिहा : महोदय, आप हम पर कृपालु नहीं हैं। मैं प्रश्न करने के लिए बहुत इच्छुक हूं। किन्तु लगता है आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। लगता है कि आप उन लोगों की उपेक्षा करते हैं जो रुचि लेते हैं। (व्यवधान) मुझे इस प्रकार के रुख से नाराजगी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है; नाराजगी रखिए।

श्री पराग चालिहा : लगता है आप केवल उन लोगों का अधिक ध्यान रखते हैं जो हर रोज हाथ खड़े करते हैं। आप हमें कभी भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं देते। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : वह पैट्रोलियम उत्पाद का व्यापार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अवसर दिया था। इस तरह तो वृद्ध व्यक्ति भी उत्तेजित हो सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइए नहीं ।

श्री पराग चालिहा : मैं ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तब आप सदन से बाहर जा सकते हैं।

श्री पराग चालिहा : ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूं ।

[तत्पश्चात श्री पराग चालिहा सभा भवन से बाहर चले गये]

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह दुर्व्यवहार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह दुर्व्यवहार से भी अधिक है ।

श्री भद्रेश्वर तांती : वह सदन में बोलते ही नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस तरह अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लकवा ताप विद्युत केन्द्र को गैस की सप्लाई

*474. श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग लकवा ताप विद्युत केन्द्र को गैस की सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की अतिरिक्त सप्लाई के लिए अधिक मूल्य की मांग कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या असम सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सस्ती दर पर अतिरिक्त गैस की सप्लाई के लिए अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने 1987 में प्राकृतिक गैस की कीमतें निर्धारित की थी। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एक हजार रुपये प्रति हजार घन मीटर की कीमत निर्धारित की गई थी। इसमें रायल्टी, कर, शुल्क और अन्य सांविधिक शुल्क आदि शामिल नहीं हैं। असम सरकार ने राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए रियायती कीमतों के लिए अनुरोध किया था। असम राज्य बिजली बोर्ड को प्राकृतिक गैस की सप्लाई में 500 रुपए प्रति हजार घन मीटर की अधिकतम छूट दी गई थी।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, मुझे माननीय मंत्री महोदय के उत्तर पर आश्चर्य हो रहा है। मैं मानता हूं कि मेरे प्रश्न के भाग (क) का उनका उत्तर ठीक है। किन्तु जहां तक भाग (ख), (ग) और (घ) के उनके उत्तर का सम्बन्ध है, वह मुख्य मुद्दे से हट गये हैं। महोदय, मेरे प्रश्न के भाग

(ख), (ग) और (घ) इस प्रकार थे :

"(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग गैस की अतिरिक्त सप्लाई के लिए अधिक मूल्य की मांग कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या असम सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सस्ती दर पर अतिरिक्त गैस की सप्लाई के लिए अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया ?

आप मेरे प्रश्न के आधार पर कोई उत्तर नहीं पाएंगे।

उत्तर इस प्रकार दिया गया है :

"सरकार ने वर्ष 1987 में प्राकृतिक गैस की कीमतें निर्धारित की थी।"

किन्तु प्रश्न यह है कि क्या असम सरकार ने लकवा ताप विद्युत केन्द्र को रियायती आधार पर गैस की सप्लाई के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। इसलिए मैं, मंत्री महोदय से अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय मैं अपने उत्तर में पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि असम सरकार ने राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए रियायती कीमतों का अनुरोध किया था और हमने अधिकतम अनुज्ञेय रियायत दी है।

श्री महेश्वर तांती : महोदय, अपना दूसरा पूरक प्रश्न करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि गैस राष्ट्रीय उत्पाद है जो असम में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और प्रतिदिन करोड़ों रुपयों की गैस जलाकर नष्ट की जाती है परन्तु भारत सरकार द्वारा इसका उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया। (व्यवधान) यह असम सरकार के अधीन नहीं है, यह भारत सरकार, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन है। किन्तु यह असम की भूमि पर है।

महोदय, भारत सरकार असम को देश का अभिन्न हिस्सा नहीं मान रही है इसीलिए वहां यह उपेक्षापूर्ण रुख और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और यदि गैस का उचित उपयोग किया जाता तो वहां बहुत से उद्योग होते और रोजगार की बहुत सी समस्याएं हल की जा सकती थीं, किन्तु उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण इसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : अब आप अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं।

श्री महेश्वर तांती : और इसके जिम्मेदार आप हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लकवा विद्युत ताप केन्द्र के लिए सप्लाई की जाने वाली गैस की निर्धारित मात्रा जानना चाहूंगा।

दूसरे, जब भारत सरकार इसकी सप्लाई कर रही है तो असम सरकार से गैस की ऊंची कीमत मांगने के क्या कारण हैं ? रियायती दर पर गैस सप्लाई करने के निर्णय को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ऊंची दर पर गैस की सप्लाई नहीं करनी चाहिए। इस समय दी जाने वाली गैस रियायती दर पर नहीं दी जा रही है। इसकी सप्लाई युक्तियुक्त और रियायती दर पर की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त : महोदय, मैं पहले ही यह निवेदन कर चुका हूं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिक कीमतों की मांग नहीं कर रहा है। अधिकतम अनुमत्य रियायत दी जा रही है। स्थिति बिलकुल विपरीत है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग प्रतिदिन 4.5 लाख घन मीटर की सप्लाई के लिए वचनबद्ध है जबकि प्रतिदिन केवल 2.7 लाख घन मीटर गैस निकाली जा रही है। ओ०आई०एल० प्रतिदिन 8 लाख घन मीटर की सप्लाई करने के लिए वचनबद्ध है जबकि 4 लाख घन मीटर गैस ही निकाली जा रही है। इससे अतिरिक्त, हमारी 26 करोड़ रु० की भुगतान राशि बकाया है। परन्तु फिर भी गैस जलाने में भारी कमी हुई है।

श्री मुतालरहमान : 30 वर्षों के बाद।

श्री ब्रह्म दत्त : नहीं, नहीं, महोदय यह हमारा दोष नहीं है। वे हमारी वचनबद्धता के अनुसार गैस नहीं ले जा रहे हैं। और हमने 7.06 लाख घन मीटर के लिए वायदा किया है और हम पहले ही असम के सभी गैस स्रोतों को जोड़ने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और धनराशि जुटाने के बारे में आगे कार्यवाही कर चुके हैं और फिर उनसे सहायक पाइप लाइन बिछाने के लिए अनुरोध भी कर चुके हैं। मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य हमारे ऊपर यह आरोप क्यों लगाते हैं कि हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उन्हें भारत का एक अभिन्न अंग नहीं मान रहे हैं। आप भारत का एक प्रतिष्ठित अंग हैं।

श्री मक्केश्वर तांती : क्या आप परियोजना को आरम्भ करने जा रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त : वह पहले ही तैयार हो रही है। वित्तीय व्यवस्था के लिए हमने विश्व बैंक से अनुरोध किया है। हम एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने में भी असम सरकार की सहायता कर रहे हैं।

श्री हरेन भूमिज : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा है कि असम राज्य बिजली बोर्ड को की जाने वाली प्राकृतिक गैस की सम्पूर्ण सप्लाई में 500 रु० प्रति 1000 घनमीटर की अधिकतम छूट है। इसके अतिरिक्त, असम राज्य में लकवा परियोजना, नामरूप ताप परियोजना और इसके साथ ही हजारों चाय-बागान इस प्राकृतिक गैस के उपभोक्ता हैं। यह भी एक वास्तविकता है कि असम राज्य के तेल क्षेत्र में दिन-रात प्राकृतिक गैस जलाई जा रही है।

क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह अनुरोध कर सकता हूं कि क्या वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार इन परियोजनाओं और इन उद्योगों को असम राज्य सरकार की इच्छानुसार अधिकतक रियायती मूल्य पर प्राकृतिक गैस सप्लाई करने का प्रयास करेगी।

श्री ब्रह्म दत्त : असम के बारे में मैं पहले ही यह उल्लेख कर चुका हूं कि उन्होंने और आगे छूट देने का सुझाव नहीं दिया है। अधिकतम अनुमत्य छूट पहले ही दी जा चुकी है। वास्तव में, चाय बागान कम्पनियों ने इन मूल्यों का स्वागत किया है। केवल एक चाय कम्पनी ने इस मामले को न्यायालय में उठाया है। गैस का उपयोग करने का सर्वोत्तम तरीका यह होगा कि 'डाउनस्ट्रीम' उद्योगों को शीघ्रता से स्थापित किया जाए और इस प्रक्रिया में हम उनकी सहायता कर रहे हैं।

विद्युत संयंत्र उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव में प्रशिक्षण

*475. श्री बनवारी लाल पुरोहित† :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का विद्युत संयंत्र उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव में विकासशील देशों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रशिक्षण भारतीय कार्मिकों को भी दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) नेपाल से पांच व्यक्तियों को 4 सप्ताह की अवधि के लिए टरबाइनों और जनरेटरों के संचालन और अनुरक्षण में प्रशिक्षित किया गया था। मलेशिया, इण्डोनेशिया, गुयाना, जाम्बिया और स्वीजिरलैंड जैसे विकासशील देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण में सहायता देने का प्रस्ताव भेजा गया है।

(ख) और (ग) बी०एच०ई०एल० द्वारा भारत में लाभप्रदताओं और उद्योगों के कार्मिकों को सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 1988-89 के दौरान बी०एच०-ई०एल० के विभिन्न एककों में लगभग 300 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण का लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों के अनुरोध पर विशेषज्ञ विभिन्न कार्यस्थलों पर बातचीत/सुपरिचित कराने के लिए भेजे जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पूरे भेल ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज में कर्मचारियों और मजदूरों की कुल कितनी संख्या है और 1988 में कितने विदेश के लोगों को ट्रेनिंग दी। नेपाल के बारे में आपने बताया कि 5 लोगो को ट्रेंड किया है, लेकिन कुल कितने बाहर के लोगों को आपने ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के नार्म्स क्या है। क्या जिन देशों को आप एक्सपोर्ट करते हैं, वहीं के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं या किसी और एग्रीमेंट के तहत ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : हमने केवल उन लोगों को ही प्रशिक्षण दिया है जो बी०एच०ई०एल० के उपकरण खरीद रहे हैं। हम अन्य लोगों को प्रशिक्षण नहीं देंगे। जैसा कि मैंने उत्तर के भाग (क) में कहा है, हम नेपाल के 4-5 लोगों को पहले प्रशिक्षण दे चुके हैं। हमने मलेशिया और अन्य देशों को भी यह सुविधा देने की पेशकश की है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि भेल ग्रुप में कर्मचारियों और वर्कर्स की कुल स्ट्रेंग्थ कितनी है, इसका जवाब नहीं आया। यह तो इनको मालूम होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, सम्पूर्ण भारत में बी०एच०ई०एल० के कर्मचारियों की कुल संख्या 75,000 है जिनमें 63,000 श्रमिक हैं और 12,000 अभियन्ता और अधिकारी हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह दिया है कि करीब-करीब 80 हजार लोग वहां पर काम करते हैं और तकरीबन तीन सौ लोगों ने ट्रेनिंग का फायदा उठाया है। विदेशों की बात तो आप बाद में सोचिए लेकिन अपने यहां के जो लोग हैं उनकी संख्या करीब दो हजार होनी चाहिए जिनको ट्रेनिंग दी जा सके। क्या आप इसका स्कोप बढ़ाने पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : वे इस प्रश्न से गुमराह हुए हैं और उनका पूरक प्रश्न ठीक नहीं है।

हम बिजली बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बी०एच०ई०एल० के हमारे कर्मचारी पहले से ही प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं।

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों की प्रसारण क्षमता

[हिन्दी]

*477. श्री हरीश रावत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कम शक्ति वाले कुछ आकाशवाणी केन्द्रों की प्रसारण क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में चार केन्द्रों पर आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने की सातवीं योजना की अनुमोदित स्कीमें आगामी तीन वर्षों में पूरी किए जाने का कार्यक्रम है। शक्ति बढ़ाने के सम्बन्ध में तथा प्रत्येक परियोजना पर होने वाला अनुमानित व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	केन्द्र	से	तक	अनुमानित व्यय (लाख रु०)
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद "क"	1 कि०वा०मी०वे०	20 कि०वा०मी०वे०	162.02

1	2	3	4	5
2.	लखनऊ (विविध भारती)	1 कि०वा०मी०वे०	10 कि०वा०मी०वे०	111.55
3.	वाराणसी	10 कि०वा०मी०वे०	100 कि०वा०मी०वे०	159.50
4.	लखनऊ	10 कि०वा०शा०वे०	50 कि०वा०शा०वे०	254.74

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, माननीय कृष्ण कुमार जी की मैं इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे यह देखकर तकलीफ हुई कि जो सीनियर मिनिस्टर हैं वे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और यहां मौजूद हैं, उसके बावजूद हाऊस में प्रश्न का उत्तर देने के लिए मौजूद नहीं रहते हैं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। आप इस बारे में चिन्ता मत कीजिए। वे नियमों के अनुसार उत्तर देने के लिए बाधित हैं।

श्री हरीश रावत : मैं यह जानता हूं कि वे एक सक्षम व्यक्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में इस प्रकार प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस तरफ से कोई भी मंत्री किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। उन्हें ऐसा अधिकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री हरीश रावत : जब वरिष्ठ मंत्री यहां दिल्ली में उपस्थित हैं तो वे यहां प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपस्थित क्यों नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यहां यह मुद्दा नहीं है। वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे औचित्य का उल्लेख कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : बिलकुल।

श्री हरीश रावत : तकनीकी रूप से यह उचित भी हो सकता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, यू० पी० में कई ऐसे लो पावर आकाशवाणी के ट्रांसमीटर हैं जिनका प्रसारण पांच किलोमीटर के रेडियस से बाहर नहीं सुना जा सकता जैसे आगरा और अल्मोड़ा के अन्दर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे ट्रांसमीटर्स को अपग्रेड करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे ट्रांसमीटर्स को अपग्रेड किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मेरे वरिष्ठ मंत्री अपरिहार्य रूप से व्यस्त हैं। इसीलिए वे यहां नहीं आ सके। सातवीं योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 10 नये ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं। हमने मुख्य प्रश्न में यह उत्तर दिया है कि चार ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाई जा रही है। माननीय सदस्य ने

जिस विशेष ट्रांसमीटर का उल्लेख किया है उसकी शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : यू० पी० में कुछ ऐरियाज ऐसे हैं जहां आकाशवाणी के प्रसारण सुने ही नहीं जाते हैं, बल्कि जो चीन के प्रसारण हैं वह सुने जाते हैं। ऐसे ऐरियाज के लिए जहां प्रसारण आकाशवाणी के नहीं सुने जाते, आप क्या नये ट्रांसमीटर लगाने जा रहे है या इसकी कोई योजना है और है तो कितने ट्रांसमीटर यू० पी० में लगाए जाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, यदि मैं और आगे कहूं तो बात यह है कि अलमोड़ा और आगरा में तकनीकी कारणों से शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकी। वर्तमान रेडियो स्टेशन उत्तर प्रदेश के 87 प्रतिशत भू-क्षेत्र और 96 प्रतिशत जनसंख्या के लिए पर्याप्त है। जब सातवीं योजना के कार्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद, अर्थात 4 रेडियो स्टेशनों की शक्ति को बढ़ाने और 10 नये रेडियो स्टेशन स्थापित कर लिए जाने के बाद इसका प्रसारण क्षेत्र बढ़कर 93 प्रतिशत भू-क्षेत्र और 98 प्रतिशत जनसंख्या हो जाएगा। यह सच है कि कुछ बाहरी प्रसारण भारत में सुनाई देते हैं। परन्तु यह एक बिलकुल अलग प्रश्न है। बाहरी प्रसारणों की निगरानी करने और हमारे सीमान्त क्षेत्रों में प्रसारण जाल को शक्तिशाली बनाने और बाहरी प्रसारण के माध्यम से हमारे देश के विरुद्ध प्रतिकूल प्रचार का सामना करने के लिए हमारी एक व्यापक योजना है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, कलकत्ता की प्रसारण प्रणाली सबसे कमजोर प्रणालियों में से एक है। हमारे सीमान्त जिलों में कलकत्ता से आकाशवाणी का प्रसारण नहीं सुना जा सकता। इसका प्रसारण समय बंगला देश रेडियो से है और बंगला देश रेडियो का प्रसारण कलकत्ता के प्रसारण की तुलना में अधिक साफ सुनाई देता है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली से प्रसारित किए जाने वाले समाचारों में कलकत्ता के समाचार कभी भी प्रसारित नहीं किये जाते हैं। यह वास्तविकता है कि कलकत्ता एक ऐसा बड़ा शहर है जिसकी प्रसारण प्रणाली बहुत कमजोर है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रसारण प्रणाली में सुधार करेंगे ताकि हम लोग समाचार सुन सकें।

प्रो० मधु दंडवते : पश्चिम बंगाल में सरकार बदले जाने के बाद ही ऐसा सम्भव है। (**व्यवधान**)

श्री एस० कृष्ण कुमार : इस समय कलकत्ता में दो ट्रांसमीटर स्थापित हैं—एक 2.5 किलोवाट का मध्यम शक्ति का ट्रांसमीटर है जिसे बढ़ाकर 10 किलोवाट मीडियम ट्रांसमीटर बनाया जाएगा। ऐसा पहले ही किया जा चुका है। दूसरे, 50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर उसे 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर बनाया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : कब ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : सातवीं योजना अवधि के पूरा होने से पहले ऐसा किया जाएगा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, विभिन्न ट्रांसमीटरों के प्रभाव क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं। यह एक तकनीकी विवशता है। यह आवश्यक नहीं है कि भारत में प्रत्येक जगह प्रत्येक प्रसारण सुनाई दे। ऐसा सम्भव नहीं है।

श्री सोमनाथ रथ : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उड़ीसा के गंजम

जिले में बरहामपुर स्थान पर एक कम शक्ति का आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने जा रही है। महोदय, बरहामपुर गंजम जिले की बाहरी सीमा पर स्थित है। इसके एक ओर महासागर है तथा दूसरी ओर कुछ और समस्याएं हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस केन्द्र को बरहामपुर में स्थापित करने के बजाय इसे आस्का में, जो कि उड़ीसा के मध्य में स्थित है, स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ताकि इस आकाशवाणी केन्द्र का लाभ सभी जिलों को मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि ऐसा सम्भव है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल ही ऐसा है जैसा आपका होगा।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि आकाशवाणी के नये अतिरिक्त आधारभूत ढांचों के स्थान के बारे में वर्तमान आधारभूत ढांचों और प्रसारण तथा ऐसे क्षेत्रों, जिनमें प्रसारण नहीं पहुंचता के बारे में ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ही निर्णय लिया गया है। मुझे विश्वास है कि सदस्य महोदय जिस स्थान का उल्लेख कर रहे हैं, उसका निर्णय भी इसी प्रकार किया गया है। फिर भी हमें माननीय सदस्य की किसी विशेष शिकायत की जांच करने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि स्थान परिवर्तन से सम्पूर्ण प्रसारण नेट वर्क और सिगनलों की उपलब्धता में सुधार होता है, तो उनके सुझावों का स्वागत है।

श्री बृजमोहन महन्ती : भुवनेश्वर के बारे में एक समस्या है। यदि आप दिल्ली दूरदर्शन खोलते हैं तो आप ढाका का प्रसारण देख सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। परन्तु यह वास्तविकता है। यह बहुत अफसोस की बात है कि जब भी आप दूरदर्शन खोलते हैं तो आप ढाका तो देख सकते हैं, दिल्ली नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जा सकती है ?

प्रो० मधु दंडवते : जब भी हम टी० वी० खोलते हैं हमें प्रधान मंत्री महोदय दिखाई देते हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, टेलिविजन अथवा प्रसारण सिगनल अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन नहीं करते। परन्तु सीमा प्रसारण प्रणाली और सीमा टेलीकास्ट को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी एक व्यापक योजना अवश्य है। और हमारे सीमांत क्षेत्रों में तीन योजना समूहों के माध्यम से टी० वी० ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने के लिए सातवीं योजना में 100 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च की जा रही है। आवश्यक उपकरणों के विस्तार के अलावा हमारे बाह्य/विदेशी प्रसारण में सुधार करने के लिए भी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है ताकि पड़ोसी देशों के किसी भी प्रचार का प्रभावशाली ढंग से उत्तर दिया जा सके।

विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग

*478. श्री चिंतामणि जेना :

क्या उद्योग मंत्री विदेशी ट्रेड मार्क के बारे में 30 अगस्त, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 416 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी बाजार में विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग के विनियमन सम्बन्धी नीति की समीक्षा पूरी कर ली है और इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) इस संबंध में वर्तमान नीति क्या है; और

(ग) भारतीय ब्रांड नामों का विकास करने तथा इनके उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) घरेलू बाजार में वस्तुओं की बिक्री हेतु विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग के विनियमन संबंधी नीति के सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार की यह नीति है कि घरेलू बाजार में बिक्री हेतु उत्पादों पर विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग को बढ़ावा न दिया जाए। विदेशी सहयोगों की स्वीकृति देते समय, इस आशय की एक मानक शर्त लगाई जाती है कि आन्तरिक बिक्री हेतु उत्पादों पर विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि अपने देश में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर विदेशी ट्रेड मार्क या नाम का प्रयोग न किये जाने के संबंध में सरकार के निर्देश के बावजूद, मुख्य रूप से इस देश में उपयोग में लाये जाने वाली वस्तुओं पर प्रत्येक दिन हम नये विदेशी मार्का देखते हैं। इसका क्या कारण है ? और इस विदेशी ब्रांड नामों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? कृपया आप देखेंगे कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का खंड 28 (1) (ग) इस प्रकार के विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता है, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ सम्मिलित हो। इस प्रकार के लाभ का क्या अर्थ है जब विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के बावजूद सरकार इस पर रोक लगाने पर ध्यान नहीं दे रही है ? क्या यह विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन नहीं है ? अतः क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि सरकार का अब क्या इरादा है और क्या वह इसे रोकने के लिए इस तरह का कोई विधेयक लाने के लिए सोच रही है अथवा इसे रोकने के लिए कोई निर्देश देने की बात सोच रही है ?

श्री एम० अरुणाचलम : वर्तमान ट्रेड-मार्क और वाणिज्य कानून, 1958 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह ट्रेड-मार्क के प्रस्तावित उपभोक्ता के निबंधन को अस्वीकार करने के लिए ट्रेड मार्क के रजिस्ट्रार को निर्देश दें। विदेशी ट्रेड नामों सहित किसी भी ट्रेड मार्क का प्रयोग करने से हम मना नहीं कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून के अन्तर्गत विदेशी ट्रेड मार्क के प्रयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होती है यदि इस प्रकार के प्रयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ शामिल हो। अन्यथा इस प्रकार का प्रावधान कानून में नहीं है।

श्री चिन्तामणि जेना : मेरे प्रश्न के भाग 'ग' में मैंने पूछा था कि भारतीय ब्रांड नामों का विकास करने और इनके उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है। माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं उस का उत्तर चाहता हूं। इसके अतिरिक्त 30 अगस्त, 1988 को माननीय मंत्री श्री वेंगल राव जी ने श्री आनन्द पाठक और श्री इन्द्रजीत गुप्त को तारांकित प्रश्न संख्या 416 का उत्तर देते वक्त स्पष्ट रूप से कहा था जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

"अब हम लोग इस सत्र में विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग को रोकने के लिए एक विधेयक लाने के लिए बाध्य हैं। 8 या 9 महीने व्यतीत हो जाने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? मैं सरकार

हूं कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः मैं माननीय मंत्री से इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि कब इस विधेयक को लाया जायेगा, इसे सत्र में इस लाया जायेगा अथवा नहीं, और यदि नहीं, तो इसे कब लाया जायेगा।

श्री एम० अरुणाचलम : यह एक जटिल विषय है। हम विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन पूरा हो जाने के पश्चात् हम कोई कदम उठायेंगे।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : विदेश ट्रेड नामों से सम्बन्धित प्रश्न पर इस सभा में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग का अर्थ विदेशी सहयोग भी है। इस सभा में बार-बार हमें यह आश्वासन दिया गया है कि सरकार विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगी और सरकार उन क्षेत्रों में जहां स्वदेशी तकनीक उपलब्ध है। विदेशी तकनीक के सहयोग की अनुमति भी नहीं देगी।

आज यह हो रहा है कि उन क्षेत्रों में जहां हमारी स्वदेशी तकनीक अपनायी गयी है उदाहरण के तौर पर टमाटर चटनी इत्यादि में हम विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग कर रहे हैं और सहयोग ले रहे हैं। इससे हमारा राजस्व कम होता है और हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की हानि होती है। इसके अलावा हमारे यह उद्योगों को भी यह नुकसान पहुंचाता है। अतः मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया जाये कि जिन क्षेत्रों में हमारी स्वदेशी तकनीक उपलब्ध है, वहां विदेशी तकनीक के लिए लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे और जिन क्षेत्रों में हमें इस तकनीक की आवश्यकता भी है, वहां भी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी कि उत्पादित वस्तु गुणवत्ता में चाहे कैसी भी हो माल बेचने के लिए विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग न किया जाए। इसके शीघ्र नियंत्रण के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : लाइसेंस और आशय पत्र जारी करते समय हम लोग एक शर्त लगा रहे हैं। लेकिन कुछ कम्पनियां अभी भी विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग कर रही हैं। एक कठिनाई यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश "पैन अभिसमय" का सदस्य नहीं है। इस विदेशी ट्रेड मार्क को कार्यान्वित करना बहुत कठिन है। हम सभी वैधानिक पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ऐसे बहुत से मामले हैं जहां सहयोग भी नहीं किया गया है। इस अवस्था में भी औटोमोबाइल, टी० वी०, खाद्य पदार्थों, ड्रिंक्स, सिगरेट आदि जैसे क्षेत्रों के बारे में विदेश में उपलब्ध सामान के सम्बन्ध में प्रेस में बड़े-बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। अतः क्या सरकार यह देखने के लिए कदम उठायेगी कि भारतीय प्रेस और जन सम्पर्क माध्यमों में विज्ञापनों के जरिये यह प्रचार न किया जाए कि इस वस्तु का उत्पादन भारत में नहीं हुआ है?

श्री जे० वेंगल राव : माननीय सदस्य के सुझाव का हम ध्यान रखेंगे।

उड़ीसा की परियोजनाओं को मंजूरी

*479. **श्री बृज मोहन महन्ती**† :

श्री के० प्रधानी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कोई उद्योग स्थापित किया गया है; और

(घ) क्या आठवीं योजना के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) दिनांक 31 मार्च, 1989 को उड़ीसा के लिए आशय पत्र दिये जाने हेतु 11 (ग्यारह) आवेदन प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में थे । इस प्रकार के लम्बित पड़े प्रस्तावों के ब्यौरे तब तक प्रकट नहीं किये जाते जब तक सरकार अन्तिम रूप से उन पर कोई निर्णय नहीं ले लेती। सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि लाइसेंस सम्बन्धी सभी आवेदन जल्दी से जल्दी निपटा दिए जाएं ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार का कोई भी नया उपक्रम स्थापित नहीं किया गया है ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

श्री बृजमोहन महन्ती : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इन लम्बित पड़े प्रस्तावों के ब्यौरे को तब तक प्रकट नहीं किया जाता जब तक कि सरकार उस पर अन्तिम निर्णय न ले ले। मैं इसके लिए आग्रह भी नहीं कर रहा हूं ।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उद्योग मंत्रालय में यह देखने का कोई प्रयास किया गया है कि 7वीं योजना की अवधि में जो आशय पत्र जारी किए गए थे उनसे और निवेश से क्या उड़ीसा में, जो क्षेत्रीय असंतुलन से ग्रस्त है, प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव पड़ा है ।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : 7वीं योजनावधि में उड़ीसा में निवेश में वृद्धि हुई है। बाक्साइट खानों में हमारा निवेश 62.70 करोड़ रु० है। नाल्को में हमारा निवेश 2476.90 करोड़ रु० है । सिलिकन इस्पात परियोजना में यह 186 करोड़ रु० है। राउरकेला के रक्षित विद्युत संयंत्र में यह 209 करोड़ रु० है । और राउरकेला इस्पात कारखाने के चरण 1 के आधुनिकीकरण में यह 415 करोड़ रु० है । इस प्रकार उड़ीसा में अब तक 3000 करोड़ रु० से भी अधिक लगे हुए हैं ।

श्री ब्रज मोहन महन्ती : माननीय मंत्री सभी बातों को छिपाना चाहते हैं । नाल्को 1980 की एक परियोजना है। यह छठी योजना में ही स्वीकृत की गयी थी। मेरा प्रश्न सातवीं योजना से सम्बन्धित है । चाहे यह जो कुछ भी हो, क्या मैं जान सकता हूं कि आशय पत्र जारी करते वक्त और निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन करते वक्त क्या राज्य के पिछड़ेपन और क्षेत्रीय असंतुलन को ध्यान में

रखा जाता है, ? यदि हां तो उसका ब्यौरा दिया जाये ।

श्री जे० वेंगल राव : सातवीं योजना में हम लोगों ने ∠195.7 करोड़ रु० उड़ीसा में निवेश किया है ।

श्री के० प्रधानी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि लाइसेंस जारी किये जाने के लिए लम्बित पड़े प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा देना उचित नहीं है । महोदय, मेरे क्षेत्र में बहुत बड़े इलाके में मक्के की पैदावार होती है लेकिन स्टार्च के कारखाने के अभाव में इसकी बिक्री में नुकसान हो रहा है । उमरकोट में एक स्टार्च कारखाना शुरू करने के लिए एक गैर-सरकारी उद्योगपति को लाइसेंस दिया गया था लेकिन इस उद्योग की स्थापना के लिए वह कोई कदम नहीं उठा रहा है । क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या वह इस कारखाने के शीघ्र लगाने के लिए इस लाइसेंस का उपयोग कर सकता है अथवा उसके लाइसेंस को रद्द किया जायेगा ताकि दूसरे आवेदक द्वारा इस उद्योग की स्थापना की जा सके ?

श्री जे० वेंगल राव : इस मुद्दे पर हम विचार कर सकते हैं ।

लघु उद्योगों की समस्याएं

*480 श्री पी० एम० सईद† :

श्री नारायण चौबे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में लघु उद्योगों की समस्याओं के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ द्वारा किये गये अध्ययन के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) यह अध्ययन लघु उद्योगों की विपणन समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित कराता है । सर्वेक्षण के परिणामों से यह पता चलता है कि विपणन की समस्या उन वस्तुओं के लिए अधिक है जो सीधे लघु उद्योग एककों द्वारा बेची जाती हैं तथा उन वस्तुओं में कम है जो अनुषंगी वस्तुओं के रूप में या दूसरी विपणन कम्पनियों द्वारा बेची जाती हैं । अध्ययन में बतायी गयी विपणन समस्याओं के कारणों में निम्नलिखित कारण सम्मिलित हैं – लघु उद्योगों के पास संसाधनों की कमी होना, उत्पादन की सभी किस्में दे पाने में तथा व्यापार की प्रतियोगी शर्तों को पूरा कर पाने में असमर्थ होना, मांग की कमी और प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदय हो जाना आदि । इसमें यह भी कहा गया है कि छोटे उद्यमियों को बाजार का अन्दाज होना चाहिए और उन्हें अपनी बाजार नीति तय करने में सक्षम होना चाहिए; किन्तु उनके छोटे आकार को देखते हुए, जिससे विपणन की समस्या बढ़ती है, इस बात को काफी बल मिलता है कि

लघु उद्योग एककों को निरन्तर सहायता और संरक्षण मिलता रहना चाहिए।

विपणन एक उद्यमीय कार्य हैं और छोटे एकक विपणन का कार्य अपने बल बूते पर करते आ रहे हैं। किन्तु सरकार, लघु उद्योगों को सहायता देने संबंधी अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए, लघु उद्योग क्षेत्र को निम्नलिखित माध्यमों से विपणन सहायता दे रही है—केन्द्रीय सरकार भण्डार खरीद कार्यक्रम, अनुषंगी और उप-ठेकेदारी सम्बन्धों के कार्यक्रम, क्रेता-विक्रेता बैठकें, प्रदर्शनियों के कार्यक्रम, केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण और दुर्लभ/आयातित कच्चा माल दिलाने में सहायता करना। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य लघु उद्योग विकास निगमों द्वारा भी विपणना सहायता दी जाती है।

श्री पी० एम० सईद : भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर ने एक सर्वेक्षण किया है जिसमें उन्होंने लघु उद्योग के मामले को स्पष्ट किया है और कहा है कि विशेष रूप से विपणन क्षेत्र में इन उद्योगों को बहुत कठिनाई होती है। अतः उन्होंने अनेक सुझाव दिए हैं। सर्वेक्षण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि विपणन की समस्या उन वस्तुओं के मामले अधिक है जिनका विपणन लघु उद्योग इकाइयों द्वारा सीधे किया जाता है और उन उत्पादों के सम्बन्ध में यह समस्या कम है जिन्हें सहायक सामग्री के रूप में अथवा अन्य विपणन कम्पनियों द्वारा बेचा जाता है। वे यह भी कहते हैं कि उनके पास संसाधनों की कमी है और वे पूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं और न ही व्यापार की प्रतियोगितापूर्ण शर्तों पर चल सकते हैं।

महोदय, हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना की है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस एजेंसी द्वारा किया गया सर्वेक्षण सरकार द्वारा स्वीकृत है अथवा क्या वे सर्वेक्षण के निष्कर्षों से सहमत हैं। यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार क्या विशेष उपाय करने की सोचती है?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगलराव) : भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर द्वारा देश के 16 लाख लघु उद्योगों में से केवल 2000 इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया है। 2000 इकाइयों में से उन्हें मात्र 204 इकाइयों से उत्तर मिले। जिन उद्योगों का उन्होंने सर्वेक्षण किया है उनमें से 15 प्रतिशत उद्योगों ने कहा है विपणन की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने रुग्णता के सम्बन्ध में कुछ कहा है। हम कार्यवाही कर रहे हैं। यह सरकार के लिए एक आदेश नहीं है। यह सरकार को दिया गया एक अभ्यावेदन है और हम इन सभी मुद्दों पर विचार कर रहे हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत के उत्पादन पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की लागत

[अनुवाद]

***476 श्री विष्णु मोदी** :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विभिन्न क्षेत्रीय बोर्डों के साथ हुए टैरिफ संबंधी समझौतों में विनिर्दिष्ट विद्युत उत्पादन लागत की तुलना में विद्युत उत्पादन पर बहुत अधिक धनराशि

खर्च कर रहा है; और

(ख) क्या विद्युत उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति टैरिफ में वृद्धि करके की जा रही है; यदि नहीं, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 200 मेगावाट के यूनिटों के विद्युत उत्पादन की लागत के आधार पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के बीच वर्तमान टैरिफ सम्बन्धी समझौतों में निगम द्वारा 500 मेगावाट के यूनिटों को पूरा कर लिए जाने के पश्चात् संशोधन अपेक्षित होगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित बिजली बोर्डों को प्रस्ताव भेजे हैं।

उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास

*481. श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना दस्तावेज में स्वदेशी उद्योग में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, ताकि उत्पादों के उत्तम किस्म के डिजाइन तैयार किये जा सकें और अधिक उत्पादन करके मूल्य में कमी की जा सके;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेजर, ब्लेड और ड्राई बैटरी सैल जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के बेहतर किस्म के न होने और न ही उनका मूल्य कम होने के क्या कारण हैं और सम्बन्ध में यदि उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार का मूल्यांकन यह है कि कलाई घड़ियों, रेजर, ब्लेडों, ड्राई बैटरी सैलों इत्यादि जैसे विशिष्ट उद्योगों में प्रौद्योगिकी विकास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न नीति विषयक पैकेजों से सम्बन्धित उद्योग अपने उत्पादों की गुणवत्ता में एक उपयुक्त उत्कृष्ट स्तर पाने में सक्षम हुए हैं।

विदेशी पूंजी निवेश

*482. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या उद्योग मंत्री विदेशी निवेश के बारे में 7 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1527 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में देश में अलग-

अलग कितना विदेशी पूंजी-निवेश वास्तव में किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और प्रत्येक वर्ष इनके लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) क्या सरकार स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1986, 1987 और 1988 में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग की कुल संख्या और जिन विदेशी सहयोगों के लिए विदेशी निवेश अंतर्ग्रस्त था, की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत विदेशी सहयोगों की कुल संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें विदेशी निवेश अंतर्ग्रस्त था	स्वीकृत विदेशी निवेश (रुपये लाख में)
1986	957	240	10695.15
1987	853	242	10770.57
1988	926	282	23975.75

वास्तविक निवेश आंकड़े केवल 1987 तक की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। भारत में वर्ष 1987 में किया गया वास्तविक अतिरिक्त निवेश (अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) 3864 लाख रु० है। विदेशी सहयोग की स्वीकृति और परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन के बीच सामान्यतया एक समय-अन्तराल रहता है। स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरी करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार/विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों का होता है।

निस्तापित पेट्रोलियम कोक का उत्पादन

*483. श्री मदन पांडे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन तेल शोधक कारखानों में निस्तापित पेट्रोलियम कोक का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) निस्तापित पेट्रोलियम कोक की विद्यमान उत्पादन क्षमता कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) बरौनी और बोंगाईगांव रिफाइनरियां निम्नलिखित मात्रा में निस्तापित पेट्रोलियम कोक (सी०पी०सी०) का उत्पादन कर रही हैं :—

	उत्पादन क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	वास्तविक उत्पादन (टन)		
		1985-86	1986-87	1987-88
बरौनी रिफाइनरी	45,000	32,300	32,200	32,900
बोंगाईगांव रिफाइनरी	52,500	12,550	7,136	15,281

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा शस्त्रों का निर्माण आरम्भ करना

*484. श्री एच० ए० डोरा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का शस्त्रों का निर्माण आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) बी०एच०ई०एल० ने, अपने विविधी-करण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में रक्षा से सम्बन्धित वस्तुओं जैसे फील्ड गन, इलेक्ट्रानिक उप-करण आदि के निर्माण की योजना बनाई है।

पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु सप्लाई निगम द्वारा उत्तर कोरिया से सीमेंट की खरीद

*485. श्री विजय कुमार मिश्र :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु सप्लाई निगम द्वारा निविदा नियमों का उल्लंघन करके वर्ष 1984 में उत्तर कोरिया से की गई 30 करोड़ रुपए की सीमेंट की खरीद के बारे में इस निगम के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत इस सौदे के बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सचिव, पब्लिक इन्टरेस्ट लिटीगेशन लीगल एण्ड सर्विसेज सोसाइटी (पिल्लास) की ओर से एक शिकायत मिली थी जिसमें वेस्ट बंगाल एसेन्शल कमाडिटीज सप्लाई कार्पोरेशन (डब्ल्यू०बी०ई०सी०एस०सी०) द्वारा उत्तर कोरिया से आयात किये गये सीमेंट सम्बन्धी सौदे की जांच करने का अनुरोध किया गया था।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय का एनफोर्समेंट निदेशालय इस शिकायत की जांच कर रहा है। अत: अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि उक्त सौदे में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

पश्चिम बंगाल में ड्रिलिंग कार्य

*486. श्री गदाधर साहा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बीरभूम और बर्दवान जिलों के कई स्थानों पर तेल और गैस की खोज हेतु ड्रिलिंग कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने ड्रिलिंग प्लेटफार्म कार्यरत हैं; और

(ग) इस ड्रिलिंग कार्य के अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) इस समय पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में तीन रिग ड्रिलिंग का कार्य कर रहे हैं। इनमें से दो ड्रिलिंग वैल अर्थात् पलासी-1 और मैंबबर-1 वर्धवान जिले में हैं। बीरभूम जिले में कोई ड्रिलिंग नहीं की जा रही है।

(ग) इस खोजी ड्रिलिंग के परिणाम ड्रिलिंग के पूरा होने और उत्पादन के परीक्षण के बाद ही पता चल सकेंगे।

बिजली की कटौती के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी

*487. श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कटौती के कारण देश में औद्योगिक उत्पादन में बहुत कमी आई है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार का राज्यों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) औद्योगिक उत्पादन कई पहलुओं पर निर्भर करता है जैसे : कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद की मांग, औद्योगिक सम्बन्ध, उपस्करों की जबरन-बंदी, प्रबंध कौशल आदि। इस कारण यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन में केवल बिजली की कमी के कारण कितनी हानि हुई है।

(ख) देश में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जैसे : नई क्षमता को जल्दी चालू करना, विद्यमान ताप विद्युत क्षमता से बिजली का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाना, चालू की गई यूनिटों का शीघ्र स्थिरीकरण, विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाना, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना, ऊर्जा संरक्षण एवं मांग प्रबन्ध उपायों को क्रियान्वित करना, और अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में कोयले की चोरी

*489. डा० सुधीर राय :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी होने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण अनुमानत: कितना नुकसान हुआ है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कोयले की चोरी के सरकार के ध्यान में आए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) वैगनों, स्टाकयार्डों, डिपों, आदि से कोयले की चोरी के छुटपुट प्रयास दुराचारी व्यक्तियों तथा समाज-विरोधी तत्वों द्वारा किए जाते हैं।

(ख) कोयले की चोरी से हुई हानि का सही अनुमान लगाया जाना बहुत कठिन है, लेकिन कोयले की चोरी की घटनाएं समान रूप से नहीं होती हैं। पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान चोरी हुए कोयले की निम्नलिखित मात्रा में वसूली की गई : –

वर्ष	मात्रा (मि० टन में)	कीमत (लाख रु० में)
1987	7,053	19.61
1988	8,227	23.86
1989 (25-3-89 तक)	2,303	7.83

(ग) वर्ष 1987 की अवधि से कोयले की हुई चोरी की घटनाएं तथा इस संबंध में पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	कोयले की चोरी की घटनाएं	पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या
1987	812	209
1988	1019	133
1989 (25-3-89 तक)	116	35

(घ) राज्य सरकार के प्राधिकारियों के समन्वय से कोयले की चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। इस संबंध में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—(1) इन क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखना और कम्पनी के सुरक्षा बलों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा गश्त तेज किया जाना, (2) पुलिस तथा जिला प्राधिकारियों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए

रखना, (3) सामरिक स्थलों पर निरीक्षण चौकियों की स्थापना करना।

कोयला खान क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई

[हिन्दी]

*490. श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या कालोनियों में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए टैंकरों द्वारा भी पेयजल की सप्लाई की जाती है;

(ग) यदि हां, तो टैंकरों द्वारा पेयजल की सप्लाई करने पर कोल इंडिया लि० द्वारा प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(घ) नलों के माध्यम से नियमित रूप से जल सप्लाई करने पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ङ) वहां पर टैंकरों द्वारा पेयजल की सप्लाई करने के स्थान पर पेयजल की स्थायी व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) एकीकृत जलपूर्ति योजनाओं, गहरे ट्यूबवेलों, पम्पों तथा खुले कुओं के माध्यम से पेयजल की नियमित रूप से आपूर्ति किए जाने के लिए विभिन्न कोयला कम्पनियों में व्यवस्था विद्यमान है।

(ख) जी, हां। अत्यधिक गर्मी की अवधि के दौरान जब नियमित पद्धति के अन्तर्गत जलापूर्ति अस्त-व्यस्त हो जाती है अथवा जल की अधिक मांग होती है तो कभी-कभी जल आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए टैंकरों से जल की सप्लाई की जाती है।

(ग) कोल इंडिया लि० की कम्पनियों ने वर्ष 1988-89 के दौरान टैंकरों से जल की आपूर्ति किए जाने पर लगभग 37 लाख रुपये की राशि व्यय की।

(घ) समस्त कर्मचारियों को तथा कोयला क्षेत्रों में कर्मचारियों के परिवारों को नियमित रूप से नलकों के माध्यम से जलापूर्ति की सुविधा प्रदान किए जाने पर लगभग 65 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

(ङ) जलापूर्ति की स्थिति में सुधार लाए जाने के लिए कोयला कम्पनियों द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं : (1) नई जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से विस्थापित जल संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करना, (2) राज्य सरकारों के अभिकरणों की संयत जलापूर्ति योजनाओं में भागीदारी करना, (3) गहरी बोर होल पद्धति को अपनाना तथा अधिक खुले ट्यूबवेलों की खुदाई करना।

फ्रांसीसी उद्योगों द्वारा गैस क्षेत्र को सहायता

[अनुवाद]

*491. श्री शांति लाल पटेल :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी उद्योगों ने गैस क्षेत्र में पूंजी निवेश करने में गहरी रुचि प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) प्राकृतिक गैस से सम्बद्ध विभिन्न परियोजनाओं में कार्य करने के लिए कुछ फ्रांसीसी कम्पनियों ने रुचि दिखाई है। इन पेशकशों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकनों के आधार पर उन कम्पनियों में से कुछ को प्राकृतिक गैस से संबद्ध विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में परामर्शदात्री, उपकरणों की सप्लाई और निर्माण कार्यों से संबंधित ठेके दिए गए हैं।

महानगरों में केबल टेलीविजन का इस्तेमाल

[हिन्दी]

4555. श्री एस० डी० सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में कैटाविजन (केबल टेलीविजन) का प्रयोग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है;

(ख) इस कार्य में लगी प्राइवेट कम्पनियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) सरकार ने इन कम्पनियों से कितनी धनराशि अर्जित की है और ऐसा करने का आधार क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ये कम्पनियां डिस्क एंटेना का इस्तेमाल करके यूरोपीय टेलीविजन संस्कृति आयात करने का प्रयास कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं

[अनुवाद]

4556. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से गैस उत्पादन संबंधी और अधिक सुविधाओं को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जी० ए० आई० एल०) को हस्तांतरित करने का फैसला किया है;

(ख) यदि नहीं, तो हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइप लाइन परियोजना के पूरा हो जाने पर जी० ए० आई० एल० कैसे बनी रह सकती है;

(ग) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की भविष्य संबंधी योजना क्या है और क्या इसके कार्य-क्षेत्र का विविधीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड इस धनराशि को कैसे जुटाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) पर विभिन्न चरणों में प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग, विपणन और परिवहन की जिम्मेदारी डालने का प्रस्ताव है। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड पहले ही एच० बी० जे० पाइप लाइन परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है तथा पाइप लाइन मार्ग में विभिन्न उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई कर रहा है। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नई स्कीमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है। इस समय यह 297 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मध्य प्रदेश के विजयपुर में एक एल० पी० जी० निकालने का संयंत्र बनाने का काम कर रहा है। इस संयंत्र का अधिकांश भाग वित्त पोषण गेल के आन्तरिक संसाधनों के सृजन द्वारा किया जाएगा।

भोपाल गैस दुर्घटना से पीड़ित लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों में संशोधन

4557. प्रो० मधु दंडवते :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस दुर्घटना से पीड़ित लोगों के संगठनों द्वारा इस बात की जोरदार मांग की जा रही है कि भोपाल गैस दुर्घटना से पीड़ित लोगों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन किए जाने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्यवाही) अधिनियम, 1985 की वैधता को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुछ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं की सुनवाई इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष पीठ द्वारा की जा रही है और मामला न्यायाधीन है।

महाराष्ट्र में एस० टी० डी० सुविधा

4558. श्री गुरुदास कामत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में वर्ष 1989 के दौरान किन-किन शहरों और कस्बों में एस० टी० डी० की सुविधा दी जाएगी ।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : 1989 की शेष अवधि में निम्नलिखित शहरों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किये जाने की योजना है ?

अलीबाग, भिवंडी, वर्धा, इचुलकरंजी, लातूर ।

दिल्ली टेलीफोंस में टेलीफोन काल मिलने की सफलता दर

4559. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना के समय दिल्ली टेलीफोंस विभाग के अन्तर्गत टेलीफोन काल मिलने की अनुमानित सफलता दर क्या थी;

(ख) क्या टेलीफोन काल मिलने की सफलता दर में अब वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली टेलीफोंस विभाग के अन्तर्गत टेलीफोन काल मिलने की वर्तमान सफलता दर का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मार्च, 1986 महीने में स्थानीय नेटवर्क की काल कम्प्लीशन दर 79.1 प्रतिशत थी;

(ख) जी, हां ।

(ग) फरवरी, 1989 महीने के दौरान काल कम्प्लीशन दर 96.9 प्रतिशत थी और इस सुधार के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) दिल्ली के नेटवर्क में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का शुरू किया जाना;

(2) आकलन में गाजियाबाद और फरीदाबाद नेटवर्क के लिए की जाने वाली तथा वहां से दिल्ली के लिए की जाने वाली कालों को शामिल न करना,

सामूहिक आवास समितियों की कालोनियों का विद्युतीकरण

4560. कुमारी ममता बनर्जी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पाकेट चार, पीतमपुरा दिल्ली में जिन आवास समितियों को ऋण दिए थे, उन्होंने इन समितियों के आवास कम्प्लैक्सों के विद्युतीकरण के लिए अपेक्षित धनराशि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में जमा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान इन कालोनियों में विद्युतीकरण का काम

कब तक पूरा कर देगा;

(ग) क्या इन आवास कम्पलैक्सों के लिए, विशेषरूप से जबकि मकान कब्जा देने के लिए तैयार हैं विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने तक अस्थायी बिजली कनेक्शन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो व्यक्तिगत सामूहिक आवास समितियों/व्यक्तिगत फ्लैट मालिकों को इस संबंध में क्या औपचारिकताएं पूरी करनी हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों के प्रत्येक कालोनियों की विद्युतीकरण की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वे कालोनियां कितना भुगतान करती हैं। डेसू प्रीतमपुरा में कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के 25 कालोनियों के विद्युतीकरण की स्कीम पहले ही बना चुका है और उन कालोनियों द्वारा आवश्यक भुगतान कर दिए जाने पर उन स्कीमों को क्रियान्वित के लिए जारी कर दिया। इस प्रकार की 19 कालोनियों से सम्बन्धित विद्युतीकरण का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और आशा है कि 4 कालोनियों के विद्युतीकरण का कार्य जुलाई, 1989 तक पूरा कर लिया जाएगा। शेष दो कालोनियों के विद्युतीकरण का कार्य दिसम्बर, 1989 तक प्रगतिशील रूप से पूरा किए जाने के लिए यथासमय हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि निर्विवाद स्थल उपलब्ध हो जाए और दूसरी शर्तें आदि पूरी कर ली जाएं।

(ग) और (घ) सामान्य सेवा लाइन (कामन सर्विस लाइन) के माध्यम से अस्थायी कनेक्शन की सुविधा, जो संबंधित सोसायटी द्वारा दी जाएगी और अनुरक्षित की जाएगी, उस कालोनी तक भी पहुंचाई जा सकती है जिनके विद्युतीकरण की स्कीम को सामान्य वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाने और डेसू के मध्य के विद्यमान मुख्य लाइन से भार के तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित कर देने के बाद सम्बन्धित सोसायटी के विशिष्ट अनुरोध पर कार्यान्वयन के लिए पहले ही जारी किया जा चुका है।

टेलीफोन सलाहकार बोर्डों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व

4561. **श्री एन० डेनिस :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में टेलीफोन सलाहकार बोर्डों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) रिक्त स्थान सीमित होने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को टेलीफोन सलाहकार समितियों मे अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तथापि, ऐसे व्यक्तियों को प्रेस, चिकित्सा व्यवसाय, कानूनी व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग तथा सामाजिक कार्यकर्ता आदि के रूप में नामित किया जा सकता है।

प्लास्टिक और प्लास्टिक से निर्मित सामान का उत्पादन

4562. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्लास्टिक और प्लास्टिक से निर्मित सामान के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) ऐसे कितने एकक प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं जो लाभप्रद आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का प्लास्टिक और प्लास्टिक से निर्मित सामान के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उद्यमियों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) प्लास्टिक के कच्चे माल के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमताएं स्वीकृत की गई हैं और वे स्थापित की जा रही हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार महाराष्ट्र गैस क्रेकर कम्पलेक्स यांत्रिक रूप से 1909 में पूरा होना है, इसके चालू होने से प्लास्टिक के कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता लगभग दूनी हो जायेगी। इसी प्रकार गुजरात राज्य के हाजिरा में एक क्रेकर काम्पलेक्स स्थापित करने के लिये आशय पत्र जारी किया गया है, इस काम्पलेक्स में भी विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के कच्चे माल का उत्पादन होगा।

इस बीच प्लास्टिक के कच्चे माल की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है जिसकी ओजीएल के आधार पर अनुमति दी जाती है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई गणना नहीं की गई है। ऐसी जानकारी इस मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं की जाती है फिर भी प्लास्टिक के कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में वृद्धि और इसके साथ ही उनकी अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कुछ प्लास्टिक प्रोसेसिंग एककों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा बताया जाता है।

(ग) लघु एककों और पिछड़े क्षेत्रों आदि में उद्योगों की स्थापना के लिए जिन प्रोत्साहनों की अनुमति है वे प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रोसेस्ड माल उद्योगों को भी उपलब्ध हैं।

ताप विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन में वृद्धि

4563. श्री मुरलीधर माने :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप विद्युत केन्द्रों के आधुनिकीकरण के पश्चात प्रत्येक केन्द्र में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी; और

(ख) विद्युत योजनाओं के कार्यान्वयन पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) आशा की जाती है कि ताप विद्युत केन्द्रों से सम्बन्धित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हो जाने पर प्रति वर्ष करीब 7000 मिलियन यूनिट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने लगेगा। कार्यक्रम की स्वीकृत लागत 1083.26 करोड़ रुपये है, जिसमें 455.09 करोड़ रुपये केन्द्रीय ऋण सहायता तथा

628.17 करोड़ रुपये राज्य योजना/स्वयं के संसाधन के अधीन है। प्रत्याशित अतिरिक्त बिजली के उत्पादन एवं स्वीकृत लागत का राज्यवार प्रति वर्ष ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	ता० वि० केन्द्र का नाम	नवीकरण एवं आधु-निकीकरण कार्यक्रम के पूरा होने पर संभावित वार्षिक (मि०यू०)	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम की स्वीकृत अनुमानित लागत		
			केन्द्रीय ऋण सहायता के अंतर्गत (लाख रु०)	राज्य योजना/ स्वयं के संसाधनों के अन्तर्गत	जोड़ (लाख रु०)
1	2	3	4	5	6
1.	बदरपुर	373	—	2870.60	2870.60
2.	इन्द्रप्रस्थ	213	2451.00	2929.95	5380.95
3.	फरीदाबाद	134	2300.00	2000.00	4300.00
4.	पानीपत	116	872.00	1183.00	2055.00
5.	भटिंडा	250	2366.00	2035.70	4401.70
6.	पनकी	172	2514.00	951.00	3465.00
7.	ओबरा	1150	3870.00	2700.00	6570.00
8.	हरदुआगंज	518	3655.00	4640.00	8295.00
9.	कोरबा	122	400.00	1314.06	1714.06
10.	अमरकंटक	69	55.03	989.95	1044.98
11.	सतपुड़ा	283	1772.74	2212.40	3985.14
12.	गांधीनगर	99	1111.87	809.60	1921.47
13.	धुवरान	122	692.79	1255.90	1948 69
14.	उकई	122	621.13	2766.69	3387.82
15.	कोराडी	152	1942.00	1387.80	3329.80
16.	नासिक	85	721.00	126.00	847.00
17.	भूसावल	12	79.78	8.72	88.50

1	2	3	4	5	6
18.	कसराव	31	217.00	42.75	259.75
19.	कोठागुडम	685	3240.57	4811.00	8051.57
20.	रामगुंडम "बी"	—	—	297.00	297.00
21.	एन्नौर	380	3016.78	3064.70	9081.48
22.	तूतीकोरिन	515	592.25	120.51	712.76
23.	नेवेली	61	—	4970.78	4970.78
24.	तलचेर	145	2451.66	1163.84	3615.50
25.	चन्द्रपुर(डी०वी०सी०)	205	1953.00	4810.00	6763.00
26	बोकारो(डी०वी०सी०)	42	1088.00	184.00	1272.00
27.	दुर्गापुर(डी०वी०सी०)	49	226.00	609.20	835.20
28.	पतरातू	175	813.00	3449.00	4262.00
29.	बरौनी	56	1273.35	672.65	1946.00
30.	कारबीगहिया	14	494.58	23.42	518.00
31.	संतालडीह	185	1188.67	1003.33	2192.00
32.	बन्डेल	125	1118.15	2462.85	3581.00
33.	डी०पी०एल०	205	2166.00	1386.00	3552.00
34.	नामरूप	135	246.00	564.00	810.00
	जोड़ :	7000	45509.35	62816.40	108325.75

आंध्र प्रदेश में नये ताप बिजली घर की स्थापना

4564. श्री सी० सम्बु :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक नया ताप बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में बिजली की मांग पूरी करने हेतु रामागुंडम ताप बिजली घर में कितना विद्युत उत्पादन होता है ?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख)

आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र० सं०	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का वर्तमान कार्यक्रम
केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	रामगुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-6	500	1990-91
राज्य क्षेत्र			
1.	विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 यूनिट 3 और 4	2×210	1989-90
2.	विजश्वरम गैस टर्बाइन में संयुक्त साइकल ताप विद्युत केन्द्र, यूनिट—1 और 2	2×33	1989-90
	स्टीम टर्बाइन यूनिट —1	1×33	1990-91
3.	रायलसीमा (मद्दानुर) ताप विद्युत केन्द्र, यूनिट 1 और 2	2×210	अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) 1100 मेगावाट की क्षमता में से 295 मेगावाट आन्ध्र प्रदेश को आबंटित है जो कि इस समय रामगुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र में वाणिज्यिक प्रचालन में है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा बिहार में अखबारों को विज्ञापन देना

[हिन्दी]

4565. **श्री सरफराज अहमद :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने बिहार में पटना से प्रकाशित होने वाले कुछ दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1987 से फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान इनके लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1987 से फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान पटना से प्रकाशित समाचार

पत्रों को 47,84,754/- रुपये के विज्ञापन दिए गये थे ।

विभागेत्तर शाखा डाकपालों का वेतन

[अनुवाद]

4566. डा० ए० के० पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेत्तर कर्मचारियों (विभागेत्तर शाखा डाकपालों के अतिरिक्त) तथा विभागेत्तर शाखा डाकपालों के वेतन निर्धारित करने में कोई असमानता है;

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के विभागेत्तर कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने के लिए किन-किन मूल बातों को ध्यान में रखा गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के मूल भत्ते कार्यभार के एकरूप सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को सभी श्रेणियों (अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के अलावा) का कार्यभार नियमित कर्मचारियों द्वारा किये गये उसी तरह के कार्यों के लिए लागू मानदण्डों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के कार्यभार का निर्धारण प्वाइंट प्रणाली के आधार पर किया जाता है ।

विज्ञान सम्बन्धी घटना प्रकाशित करने वाले समाचारपत्रों को विज्ञापन तथा अखबारी कागज उपलब्ध कराना

4567. श्री जगन्नाथ पटनायक :

श्री आर० एम० भोये :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान सम्बन्धी घटनाओं को प्रकाशित करने के लिए उपलब्ध कराये गये स्थान, गैर-राजनीतिक समस्याओं सम्बन्धी विद्वानों के विचारों और मानव के परम्परागत उच्च आदर्शों को दर्शाने के आधार पर समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन और अखबारी कागज का कोटा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बुद्धिजीवियों का कोई सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन और अखबारी कागज, सरकार की विज्ञापन नीति और अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार रिलीज किए जाते हैं न कि समाचारपत्रों और पत्रिकाओं द्वारा विभिन्न

विषयों के लिए उपलब्ध किए गए स्थान के आधार पर।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन से प्राप्त प्राकृतिक गैस का विद्युत उत्पादन में प्रयोग

4568. **श्री टी० बाल गौड** :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृष्णा-गोदावरी बेसिन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का विद्युत उत्पादन में प्रयोग करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय मे विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) नरसापुर-रजोले में एक 3 × 33 मे०वा० का गैस आधारित (कृष्णा-गोदावरी बेसिन से प्राप्त गैस पर आधारित) विद्युत संयंत्र को फरवरी 1988 में स्वीकृति दी गयी थी उसके बाद आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (आ० प्र० रा० वि० बोर्ड) ने इस विद्युत संयंत्र को काकूर के निकट विजेश्वरम में स्थापित करने के प्रस्ताव की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) को सूचना दी। विजेश्वरम में गैस टर्बाइन संयंत्र स्थापित किये जाने की स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से फरवरी, 1989 में स्वीकृति दे दी गई थी। तदनुसार परियोजना को पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति मार्च, 1989 में दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने काकीनाडा में कृष्णा-गोदावरी बेसिन से प्राप्त गैस पर आधारित 800 मे० वा० की क्षमता का गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया है। आ० प्र० रा० वि० बोर्ड ने के० वि० प्रा० को विजेश्वरम में 3 × 90/100 मे० वा० की क्षमता की गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजी है। विद्युत की आवश्यकताओं और गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही इन प्रस्तावों पर आगे कार्यवाही की जा सकती है।

तेल कम्पनियों द्वारा "वेस्ट हीट पावर प्लांट" की स्थापना

4569. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तेल कम्पनियों ने वेस्ट हीट पावर प्लांट स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने भी इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो आयल इंडिया लिमिटेड ने "वेस्ट हीट पावर प्लांट" कहां-कहां स्थापित किये गये हैं;

(ङ) क्या ऐसा कोई "वेस्ट हीट पावर प्लांट" चालू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) वेस्ट हीट से उत्पन्न स्टीम को कुछ हद तक बिजली बनाने के लिए कोचीन और मद्रास रिफाइनरियों में प्रयोग किया जा रहा है। आयल इंडिया लिमिटेड ने दुलियाजान, असम में 7.5 मेगावाट का एक वेस्ट हीट रिकवरी संयंत्र स्थापित किया है। यहां पर वर्तमान ओ० आई० एल० के दुलियाजान कैप्टिव पावर प्लांट के 14.45 मेगावाट गैस टर्बाइनों से निकली गैसों का बिना किसी अतिरिक्त ईंधन के लिये प्रयोग किया जा रहा है। इसको जनवरी 1989 में चालू किया गया और यह सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

विभागेतर व्यवस्था लागू करना

4570. श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभागेत्तर व्यवस्था कैसे कहां और किस उद्देश्य हेतु प्रारम्भ की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विभागेत्तर व्यवस्था को समाप्त करने तथा विभागेतर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के बारे में ठाकुर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1988 को शहरी क्षेत्रों में कितने विभागेतर कर्मचारी कार्य कर रहे थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1806 से पहले से शुरू की गई अतिरिक्त विभागीय प्रणाली देश के उन विभिन्न भागों में सीमित डाक परियात के प्रबंध के लिए प्रारम्भ की गई थी जहां नियमित विभागीय डाकघर स्थापित करने का औचित्य नहीं बनता।

(ख) और (ग) ठाकुर समिति की यह सिफारिश आमतौर पर स्वीकार कर ली गई है कि शहरी क्षेत्रों में कोई अतिरिक्त विभागीय एजेंट नियुक्त नहीं करना चाहिए। तथापि, प्रेस छंटाई कार्यालयों में अतिरिक्त विभागीय सार्टरों की नियुक्ति की जा रही है। क्योंकि उसकी लागत प्रेस के मालिकों से वसूल की जाती है। यह भी प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों और उन छोटे कस्बों में, अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट, अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक और अतिरिक्त विभागीय पैकरों की नियुक्ति करना जारी रखा जाए जहां संबंधित श्रेणियों के नियमित विभागीय कर्मचारियों का औचित्य नहीं बनता है। समिति ने अतिरिक्त विभागीय प्रणाली को मौजूदा ढांचे में जारी रखने की सिफारिश की है तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित विभागीय कर्मचारी बनाने की सिफारिश नहीं की।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

1988-89 के दौरान स्थापित किए गए आकाशवाणी केन्द्र

4571. श्री मोहन भाई पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कितने आकाशवाणी केन्द्र खोले जाने थे;

(ख) इस वर्ष के दौरान कितने नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए गए; और

(ग) इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1988-89 के दौरान 25 नये रेडियो स्टेशनों को पूरा किए जाने की योजना थी।

(ख) और (ग) 1988-89 के दौरान, क्योंझर (उड़ीसा), आगरा (उत्तर प्रदेश), कोट्टागुडम (आंध्र प्रदेश) में नए रेडियो स्टेशन तथा नागपुर में राष्ट्रीय चैनल का 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर चालू किया गया।

नरोरा में कम शक्ति वाला दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर

4572. **श्री रेणुपद दास :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नरोरा स्थित नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना कर्मचारी यूनियन से नरोरा में एक कम शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) नरोरा परियोजना क्षेत्र पीतमपुरा (दिल्ली) के 2×10 किलोवाट दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र के किनारे पर पड़ता है। इस क्षेत्र में सेवा को सुदृढ़ करना, दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का कार्य निष्पादन

4573. **श्री आर० एम० भोये :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को इसकी स्थापना से लेकर अब तक लाखों रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि के ऋण लिए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा फिल्म वित्तपोषण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सम्पूर्ण दृष्टिकोण तथा नीति में परिवर्तन लाने तथा इसकी प्रबंध व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 को छोड़कर, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अपने स्थापनाकाल से अपने वार्षिक लेखों में लाभ दर्शाया है। संलग्न विवरण में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

(ग) 90.00 लाख रुपये भारत सरकार से तथा 192.33 लाख रुपये "मोशन पिक्चर एक्स-पोर्ट एसोसियेशन आफ अमेरिका" से।

(घ) ऐसे किसी पुनर्निर्धारण/व्यवस्था को सुचारू करने का कोई विचार नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का 1980-81 से 1987-88 तक लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(रुपये लाखों में)

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
कर से पूर्व लाभ	6.60	(—) 1.22	61.88	62.87	92.64	108.98	78.09	81.46
कर के बाद लाभ	4.58	(—) 1.22	51.19	8.86	17.15	47.78	58.25	71.46

उड़ीसा में क्योंझरगढ़ में टेलीफोन प्रणाली

4574. श्री हरिहर सोरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्योंझर गढ़ उड़ीसा में टेलीफोन लाइनें अक्सर खराब रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) टेलीफोन लाइनों के बेहतर रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) क्योंझरगढ़ उड़ीसा की टेलीफोन सेवाएं सामान्यतया सन्तोषजनक हैं। तथापि प्रणाली में आगे और सुधार की दृष्टि से किए गए मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :—

(एक) टेलीफोन उपकरणों की जांच की जाती है और जब कभी उनमें दोष पाए जाते हैं, उन्हें बदल दिया जाता है।

(दो) आन्तरिक उपकरण तथा बाह्य संयंत्र की नियमित जांच की जाती है और उनमें पाए गए दोष तत्परता से दूर किए जाते हैं।

नेत्रहीनों को टेलीफोन बूथ

4575. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली द्वारा नेत्रहीनों को टेलीफोन बूथ (सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र) आवंटित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आवंटन की प्रतीक्षा सूची में नेत्रहीनों की संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सार्वजनिक टेलीफोन घर के आवंटन के लिए प्रतीक्षा सूची मे दर्ज नेत्रहीनों की सूची

1. कृष्ण स्वरूप
   ब्लाइन्ड वेलफेयर इंडस्ट्रीयल इन्सटीच्यूट
   कालकाजी, दिल्ली

2. जगदीश प्रसाद
   343 मदनगीर, नई दिल्ली

3. जे० के० अरोड़ा
1227, कश्मीरी गेट
हैप्पी स्कूल के सामने
दिल्ली-6

4. भगवान सिंह हंस
345, हकीकत नगर,
दिल्ली

5. राजिन्द्र कुमार ओबरा
9915, गली पराठे वाली
नवाब गंज आजाद सार्किट,
दिल्ली

6. दयाल राय
एफ-1/51 डी० डी० ए० फ्लैट पहली मंजिल
नन्द नगरी, दिल्ली

7. विजय कुमार
गली नं० 13 प्रेम नगर,
नई दिल्ली

8. हरवंश लाल
बी-55 करम पुरा,
नई दिल्ली

9. विदर्दी चन्द
40, पुराना नंगल,
दिल्ली कैंट,
दिल्ली

पटपड़गंज, दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को औद्योगिक प्लाटों का आबंटन

[हिन्दी]

4576. श्री राम रतन राम :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के उद्योग निदेशालय द्वारा पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित किये जाने वाले प्लाटों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों से कितने आवेदन प्राप्त हुए और

इन प्लाटों के आवंटन में अधिकाधिक कितना समय लिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सामान्य श्रेणी के आवेदकों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्लाट रियायती दर पर दिये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार इस योजना में पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में प्लाटों के आवंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से लगभग 680 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवंटन की कार्यविधि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आवंटन ड्रा द्वारा किए जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) सभी सफल आवेदकों को एक समान शर्तों पर प्लाटों के आवंटन की पेशकश की जाएगी। पूर्व-निर्धारित दरों पर प्रिमियम लिया जाएगा और किसी श्रेणी अथवा वर्ग के आवेदकों को और रियायत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्माण विहार, दिल्ली में डाकघर

[अनुवाद]

4577. श्री कमल नाथ :

क्या संचार मन्त्री निर्माण विहार, दिल्ली में डाकघर खोलने के बारे में 29 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण विहार दिल्ली में डाकखाना खोलने के बारे में शहरी क्षेत्रों में डाकखाना खोलने सम्बन्धी निर्धारित मानदंड अब पूरे हो गये है क्योंकि इस क्षेत्र की जनसंख्या में भारी वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वहां डाकखाना खोलने में बिलम्ब के क्या कारण हैं, जबकि डाकखाने के लिए अपेक्षित स्थान पहले से उपलब्ध है; और

(ग) यह डाकघर वहां कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विलम्ब इस कारण हुआ क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डाकघर के लिए दिए गए स्थान हेतु उन्हें देय भुगतान पर पेनल ब्याज का दावा किया था। इस मामले का संतोषजनक हल निकाल लिया गया है और डाकघर ने 31.3.1989 से काम करना शुरू कर दिया है।

अनुसूचित जातियों के लोगों को पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेन्सियों का आवंटन

4578. डा० बी० एल० शैलेश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय तेल निगम द्वारा पेट्रोल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र और कितने रसोई गैस डीलरशिप आबंटित की जायेगी;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के लोगों को पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस डीलरशिपों का आबंटन उनके लिए निर्धारित कोटे के अनुसार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस डीलरशिपों का आबंटन अनुसूचित जातियों के लोगों को निर्धारित कोटे के अनुसार किये जायें और इस मामले में जो कमी रह गई है, उसे पूरा किया जाए ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1980-81 से 1987-88 तक की वार्षिक विपणन योजनाओं के अधीन दिए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिपें तथा 1980-81 की वार्षिक विपणन योजना से 1988-89 तक की वार्षिक विपणन योजना के अधीन दिए गए एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :—

खुदरा बिक्री केन्द्र	=1167
एल०पी०जी० वितरण केन्द्र	=1076

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलाटमेंट में आरक्षण को लागू किए जाने से तेल उद्योग की वार्षिक विपणन योजनाओं में इस श्रेणी के लिए अपेक्षित आबंटन की व्यवस्था की गई है ।

(ग) उपर्युक्त में से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी गई संख्या इस प्रकार है :—

खुदरा बिक्री केन्द्र	234
एल० पी० जी० वितरण केन्द्र	215

(घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए किराए और गारन्टी की शर्तें

4579. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजनावधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पी०सी०ओ०) खोलने के लिए दूरसंचार विभाग के किराये और गारंटी सम्बन्धी शर्तों को सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष वार, उन जिलावार, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनसे सम्बन्धित शर्तें राज्य सरकार को सूचित की गई थीं;

(ग) जिलावार उन स्थानों के नाम क्या हैं, जिनके बारे में राज्य सरकार ने किराया और

गारन्टी शर्तें देने के बारे में सहमति दे दी थी और बाद में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को मंजूरी दे दी गई तथा ऐसे प्रत्येक मामले में मंजूरी की तारीख और रकम का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र अब तक स्थापित कर दिये गये हैं; और

(ङ) जिलावार, ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां शेष सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(ख) उन सार्वजनिक टेलीफोन घरों के जिलावार और वर्ष-वार नाम नीचे दिए गए हैं जिनके बारे में पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को किराये और गारंटी की शर्तें कोट की गई थीं :

जिला कांगड़ा

1984-85

1. सारा डोगरी
2. बाड़ी
3. सुद्दन बारगन
4. गहलियां
5. ठाकुरद्वारा
6. मसाल
7. लोहारा
8. कैरवां
9. कोसरी
5. वनी
6. कन्द्रोड़ी
7. हरेर
8. मंगवाल
9. लहरू
10 गग्गलखोली
11. नौरा
12. सपेल
13. हरसी

1985-86

1. नहलियां
2. गगदोही
3. नियार
4. शाकरी

1986-87

1. आलोह
2 डोल खरियाना
3. बावली
4. बहुही

5. पलेटी
6. लगियाना
7. नम्बरोल
8. मेहला
9. सिगवा
10. रेमेड़ा
11. तरेई
12. कोहाला
13. मुमडा
14. जलाग
15. मन्त्रोड़ा
16. हारलेड़ा

1987-88

1. मलियाना
2. मुहाल
3. पोयेसा
4. जम्बल
5. स्वालखाड
6. वेह
7. अम्बलेला
8 साकरी
9. भलेटा
10. धोडा भालन
11. उपरलिखोटी
12. नानदेर
13. कूना

14 दुहक
15. ताम्बेर
16. हरेर
17. रामून
18. धनोटू
19. खाबली
20. रीत
21. धान्डोल
22. महलपट
23. नोहूरा
24. सान्सल
25. कन्वराल
26. सपेर
27. चांदपुर
28. सलेहरा

1988-89

1. सिल
2. कान्डी
3. सियोरपियान
4. हरसार
5. डाकवान
6. अम्बरेता
7. मक्याल
8. दोल
9. करनघाट
10 कमलेहर
11. राजोल

12. संसाई

13. बघूयर

जिला ऊना

1984-85

1. वलोह

2. कठियारी

3. पूर्बीपुर

4. अरलू

1985-86

1. दनगोह

2. दमन्वरी

3. कटनिहर

4. भलून

5. ताम्मेरा

6. मैरी

1986-87

1. भद्रकाली

2. कूरियाला

3. बडेवा

4. दुगलहर

5. रायपुर

1987-88

1. सकोरी

2. मदनपुर बसोली

3. पोलीहित

4. चकसरिया

5. नगरायण

1988-89

1. प्रनोह

2. सोहीन

जिला बिलासपुर

1984-85

1. ऋषिकेश

2. कसावर

3. घानीपाखर

4. पनोह

1985-86

1. बरथरान

2. करलोटी

3. रौरासेक्टर

4. लगियार

5. लाखनपुर

6. रानीकोटला

1986-87

1. नखलेहरा

2. तलबारा

3. कोठी

4. समोह

5. जब्लू

6. पन्तेहर

7. निचलीबखड़

8. अमरपुर

1987-88

1. तलियाना
2. चौषा
3. बेहराजाटन
4. सालौम
5. कपारा
6. तांवोल
7. पैगन
8. तांबोल
9. हरलोग

1988-89

1. छरोल
2. डीयष
3. मेहरीकठाला (नलटी)
4. सोल्धा

जिला चम्बा

1984-85

1. होली

1985-86

1. मसकन्द

1986-87

शून्य

1987-88

1. टुण्डा
2. चकलू
3 माने
4. दुर्गेठी
5. गरोला

1988-89

1. राजनगर
2. दरभल्ला
3. भदेल
4. रायपुर
5. छतरारी
6. यादमुख
7. कोटी

जिला हमीरपुर

1984-85

1. तारक बाई
2. बदहेरा
3. महारल
4. भिरा

1985-86

1. कोट
2. डिग्रीकालेज हमीरपुर
3. लगबैंस
4. करारा
5. उखली
6. सौर
7. उहल
8. लुदर महादेव

9. बहिना

10. बधानी

1986-87

1. बोरू

2. लाहर

1987-88

1. टिप्पीर

2. नगरोटा गंजियाना

3. बूंबलू

4. अमरोह

1988-89

1. धानगोटा

2. बारीफरनोट

3. हरसावर

4. उटपुर

5. हरता

जिला मण्डी

1984-85

1. कोटखामर

2. थोने

3. गोलं

4. तरोह

1985-86

1. भवरवार

2. खालू

1986-87

1. डाल

2. उपरलीबहली

3. कोट

4. गहार

5. शेरी

6. बममैद

7. तलाई

8. मेरा मसीब

9. मराठू

1987-88

1. पिंगला

2. दराहल

3. पनोली

4. गुरूकोठा

5. खद्दर

1988-89

1. बैगरोटू

2. टिकरू

3. मटरू

4. मठेर

5. उरला

6. चौक

7. तलेली

8. गेहरा

9. वालू

10. थरन
11. रोहण्डा
12. शेरीकोठी
13. गोलवा
14. खादियार धारा
15. तिल्ली
16. पंजालग
17. दुल्लाह
18. काठों
19. बरसू
20. तालीऊर
21. बरोहल
22. बलाग
23. झांगी
24. बरोटी
25. दरबार
26. तरोहला
27. गढ़बासं
28. कमलाफोट
29. सिद्धपुर
30. मझवार
31. मंडप
32. चंवानीरा
33. बल्हटिक्कर
34. कपाही
35. झंदरू कलां
36. कलेन्हरू

जिला कुल्लू

1984-85

1. कलीथ

1985-86

शून्य

1986-87

1. फिज्जल
2. डोभी
3. भंडरोली
4. गोठीकोन
5. लारेल केला
6. करोडसू

1987-88

1. साही
2. जीवी
3. भोटी
4. गूशागी
5. चन्नोर
6. हर्ला

1988-89

1. शेरी
2. मोहल

जिला शिमला

1984-85

1. खोलीघाट
2. कियरकोटी

1985-86

शून्य

1986-87

1. देवती

(ग) उन सार्वजनिक टेलीफोन घरों के जिलावार नाम तथा प्रत्येक मामले में मंजूरी की तारीख और रकम का ब्यौरा नीचे दिए गए हैं जिनके बारे में राज्य सरकार ने किराया और गारंटी की शर्तें स्वीकार कर ली है और जिनकी मंजूरी दी जा चुकी है।

क्रम सं०	पी० सी० ओ० का नाम	मंजूरी की तारीख	राशि
1	2	3	4
जिला कांगड़ा			
1.	हरनेरा	27-4-87	1200.00
2.	सपायल	15-1-87	750.00
3.	नौरा	3-2-87	750.00
4.	मझेरा	2-6-87	750.00
5.	चांदपुर	7-3-88	750.00
6.	कियरवान	25-1-85	1650.00
7.	हरसी	26-2-86	1050.00
8.	कोसरी	4-12-84	2350.00
9.	जलग	6-2-87	750.00
10.	लगमंलियाना	15-1-88	750.00
11.	घनोटू	29-6-87	750 00
12.	हरेर	27-10-88	750 00
13.	सलेहरा	16-10-87	750.00
14.	मागोन	14-2-85	2100.00
15.	लगरू	26-8-85	2250.00
16	कंडराल	19-1-88	900.00
जिला हमीरपुर			
1.	लुदर महादेव	24-11-86	750.00
2.	बहिना	8-5-86	750.00
3.	बधानी	18-3-85	750.00
4.	अमरोह	30-8-88	2040.00

1	2	3	4
5.	बोरू	20-6-88	750.00
6	पपलियार	8-3-85	950.00
7.	घनेर	14-8-85	1950.00
जिला ऊना			
1.	अरलो	23-3-88	1650.00
2.	मदनपुर बसोली	18-8-88	750.00
3.	नबरायन	18-8-88	750.00
4.	चकसारी	18-8-88	750.00
5.	बथल	5-5-84	1050.00
6.	बधरी	30-8-84	4647.00
जिला बिलासपुर			
1.	पंजगायन	25-1-88	750.00
2.	अमरपुर	15-1-88	900.00
5.	बम्बोल	12-2-88	750.00
4.	सलवार	3-10-85	9620.00
5.	हरलोग	14-4-88	1950.00
6.	कपरा	6-9-88	450.00
7.	सालोन	6-9-88	750.00
जिला चंबा			
1.	सुर्गती	23-3-88	5193.00
2.	गंरोला	23-3-88	13907.00
जिला मण्डी			
1.	खद्दर	1-6-88	750.00
2.	पंजालग	30-3-88	750.00
3.	सुलाह	31-8-88	3600.00
4.	मसेहर	26-5-88	2700.00

1	2	3	4
5.	चौक	8-7-88	750.00
6.	तलाई	1-7-88	1950.00
7.	मेरा मसीद	17-6-88	750.00
8.	बालू	1-7-88	750.00
9.	घरन	30-3-87	1050.00
10.	रोहन्डा	27- -88	750.00
11.	तिल्ली	20-10-87	750.00
12.	गुरूकोठा	19-2-86	2750.00
13.	गेहरा	17-11-88	750.00
14.	सिधयानी	11-9-86	1350.00
15.	कामन	18-2-86	1350.00
16.	कलखस	4-9-85	750.00
17.	उटपुर	25-3-85	750.00
18.	गादल	28-12-84	750.00
19.	घबन	13-9-85	1950.00
20.	सर्वबार	26-3-85	1450.00
21.	कांटीनदी	30-9-85	1950.00
22.	मारी	31-3-84	11453.00
23.	दुबल	19-1-85	17665.00
24.	लंगना	9-1-85	27542.00
जिला कुल्लू			
1.	मोहल	5-8-88	750.00
जिला शिमला			
1.	दीयतली	17-1-86	25582 00
2.	खोलीघाट	26-11-85	25500.00
3.	कियरकोठी	28-1-86	12600-00

(घ) उन स्थानों के नाम जहां सार्वजनिक टेलीफोन घर संस्थापित किए गए हैं।

जिला कांगड़ा

1. हरनेरा
2. नौरा
3. चौंधपुर
4. कियरवान
5. हरसी
6. कोसरी
7. आलम
8. सलेहरा
9. मांझी
10. मंझेड़ा
11. धनोटू

जिला हमीरपुर

1. बहिना
2. पथलियार
3. धनेर

जिला उना

1. बाथरी
2. थथल

जिला बिलासपुर

1. पंजगायन

जिला चंबा : शून्य

जिला शिमला

1. देवथी
2. खोलीघाट
3. कियरकोठी

जिला मन्डी

1. बद्दर
2. पंजालग
3. तुलाह
4. रोहन्डा
5. तिहली
6. गुरूकोठा
7. सिधियानी
8. कामंद
9. कलखर
10 उटपुर
11. गगल
12. धवन
13. सरद्वार
14. कांटीनदी
15. मारी
16. बुबल
17. लंगना

जिला कुल्लू : शून्य

(ङ) उन स्थानों के नाम जहां सार्वजनिक टेलीफोन घर संस्थापित किए आएंगे।

जिला कांगड़ा

1. सपैल

2. लगभलियाना

3. हरेर

4. लगरू

5. कंडराल

जिला हमीरपुर

1. लुदर महादेव

2. बेघानी

3. अमरोह

4. बोरू

जिला उना

1. अरलू

2. मदनपुर बसौली

3. नगरायन

4. चकसरिया

जिला बिलासपुर

1. अमरपुर

2. तंबोल

3. सलबार

4. हरलोग

5. कपरा

6. सालोल

जिला चंबा

1. दुर्गंधी

2. गरोला

जिला शिमला : शून्य

जिला मण्डी

1. मतेहर

2. चौक

3. तलाई

4. गेरा मसीव

5. बालू

6. धरन

7. गेहरा

जिला कुल्लू

1. मोहल

कर्नाटक में लम्बी दूरी के टेलीफोन लगाना

4580. श्री एच० बी० रामुलु :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के उन स्थानों के जिलावार नाम क्या हैं जहां अगले दो वर्षों के दौरान लम्बी दूरी के टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उन स्थानों के जिलावार नाम क्या हैं जहां वर्ष 1988-89 के दौरान ऐसे टेलीफोन लगाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कर्नाटक के उन स्थानों के

नाम जहां आगामी दो वर्षों के दौरान लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने का प्रस्ताव है, संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं। ये तकनीकी व्यवहार्यता और उपस्कर उपलब्ध होने पर ही खोले जाएंगे।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

जिला : कोलार : 1989-90

तिम्मामपल्ली, बिल्लूर, हुनमानाहल्ली, बडामकानास, बडामकानाहल्ली, कोदिकाल, कथरी-गुप्पे, कुरुबुरु, डोडाकुरुकोड, हमपासंन्द्रा, चत्रकोडिहल्ली, वन्ताहल्ली, वबी, गुट्टाहल्ली, सीगा-हल्ली और कोठरापेड।

1990-91

सापूपल्ली, पड्डापल्ली, नल्लागुट्टापल्ली, कादिरंगापल्ली, उगरांनामापल्ली, दुदुकुला, येर्रा मारेनहल्ली, वैयुन्दलाहल्ली, कोरलापारथी, चोपकुंटाहल्ली, मदनाहल्ली, तिरुनासी, तोरना-हल्ली, कोलालेरी, श्रीसनाहल्ली, डोड्डातेक्कल्ली और तलकायलवेता।

जिला : हसन : 1989-90

लालनकेरा, कारागडा, गोडामेरे, उग्रानी, मेला औदू, संकनहल्ली, डोड्डाकदानुर, डोड्डाहल्ली, मूवालहीप्पे, वेदरक्का, मुदलामिप्पे, कुरुबल्लूर और कादूमेन एस्टेट।

1990-91

हारीहल्ली, यागाती, कमारागट्ट, कानसादराहल्ली, कानिके, वालाघाट्टा, मैल्लाक्कीहल्ली और भोगानाहल्ली।

जिला : कोडागु : 1989-90

गालीबीडू, माथोकलू, वेतोली और बेल्लूर।

1990-91

भम्मू, कोंजिला, किग्गालू, बेथकापडी, केदामुल्लूर और करकटामेरी।

जिला : शिमोगा : 1989-90

दोनावागट्टा, अन्तारागंगे, हिरियूर, कोगालूर, डोड्डावीगेर, इंडोमती, हारोनाहल्ली, चिन्नो-कट्टे, सूलाबूडु, गोवारुक, शिरावन्ते, गोवधामपुरा, तुमारी, मारावल्ली, होसुर, हारोगोप्पा, कोनागावल्ली, कोम्मानालू, वीरानाहल्ली, तालूर, उडरी।

1990-91

बनडीगुड्डा, मारावनहल्ली, मालाहिल्ड, मादेनहल्ली, माथीकाई, कारीमाने, वेलूर, कन्नूरिम्न, चिक्कामत्तूर, तिमकापुरा, पुप्पूर, तावमन्दी और मुकीवा।

जिला : माण्ड्या : 1989-90

मादापुरा, गानीगेरे, हित्तनाहल्ली, अंकुशापुर, कारदाहल्ली, वेतादमाहल्ली और जक्कानाहल्ली।

1990-91

प्लेनाहल्ली, तिधानपुरा, तिरुमालापरा और होंगाहल्ली।

जिला चित्र दुर्ग : 1989-90

मल्लाप्पनाहल्ली और थम्मानाहल्ली।

1990-91

नारीकुण्टे, पगाडला, वाण्डे, डोड्डाचेकुर, दयादिगुण्टी, कुरुमाराधिकेरे, हुतचावनाहल्ली, गुलया, हिन्दासाकटेटे, मेगासान्द्रा, तेरेहल्ली, हुछानागिपुरा, केलागोट, सिदैनाकोट और चिक्कोवनाहल्ली।

जिला : दक्षिण कन्नड़ : 1989-90

हेरूर।

1990-91

शिमिला और मनीला।

जिला : उत्तर कन्नड़ : 1989-90

वेलावातगी, अलकोड, आनेलवायल, शिवाल्ली, बासू, अनागोद और कायेली।

1990-91

किंतरे, कावलवाड, देवल्ली, कलकेरे, मैनाल्ली, गोडलाविल, शिरालगी, हेवरे, कोवनापड्डे, आदनल्ली, काम्पली, ताराहल्ली, हिरियाल और कालची।

जिला : मैसूर : 1989-90

होमाराछहल्ली, वाचगावपनहल्ली, डोप्पायरनागुप्पे, अलालाहल्ली, कोलाविगा और गोवडाहल्ली।

जिला : तुमकुर : 1989-90

तिरथापुरा तीर्थपुरा, हण्डीगनाडू, गोपालपुरा, आवेराहल्ली, अंकासान्द्रा, यालदाबागी, रागला-हल्ली, सोरकुण्टे, तोरेमाविना हल्ली।

1990-91

मनचालादोरी, कोण्दली, वीरागोंडालू, नागलाला, सेती-बीडू, कल्लानायकनाहल्ली, वेबातूर, जाजुरायाहल्ली, श्रीरंगपुरा, कीयाथागनायेरलू, कीयाथागनाहल्ली, नागलापुरा, सासलूकुण्टे, बिरुपासमूद्र, कारेमदनाहल्ली, साकादादू, चिक्कायराह्मरा, होम्मेनहल्ली और हुलगेहल्ली।

जिला : रायचूर : 1989-90

हीरेबुद्दकूर, चिकबुदूर, कारेगुड, मुव्वारागी, गनधाल, बुद्दीनी, मलादकाल, रामबुरग, कीयादिगेरे, मारलानहल्ली, मासलापुर, हुलिहैदेर, वेंकटगिरि, कुम्पापल्ली, लेउगेरा, कोवलूर, मुद्देनूर, नीलोगाल, तालूगेरी, गोवदूर, नागारहल, आशिहाल, नागालापू, जनेकाल, कोरवी, काडलूर, जेगारकाल, सागमकुण्टे, बीजानीरा, हेग्गादिन्दी, रागलपारवी, ववारली, चिक्कन-कोप्पा, सिरूर, संगनहल और चिक्कमीयागेर और वान्दी।

1990-91

जरवानी, हीरेराई कुप्पी, खानापुर, तैमीहाल, बोम्मानाहल्ली, आलकोब, नानादिन्नी, हेसण्दी, एचानहल, मर्रलानहल्ली, अजाकलकुम्पी, जीराल कालगुडी, मेंदीनाल कलां, मन्नेर हाल, तेक्कालादी, नावलहल्ली, होनाहल्ली, हुनकुण्टी, तीर्थावाबी, कमाल दिन्नी, अदापुर, देसाई, बोगावुर, कलामगेर, अतनूर, जम्बलदिन्नी, सुनकानूर, चिक्कोटनकाल, याप्पल दिन्नी, पोतवाल, मंजारला, लीन गनखानबोद्दी, नड्डीगाड्डीमालपुर, गदारथागी, कानूर, तिप्पन-हल्ली, रामाथानपाल, कारदचेल्लामी, कालमांगी, मादसिरवार, बारेसुरगन, हूबा, कल्लूर और मन्दालहेरी।

जिला : बेल्लारी : 1989-90

रुपानगुडी, नेनेपुर, कोलूर, हालाकुण्डी, नागतिवासापुर, मंगलम, अराकनाहल, कुण्वोर, मावी-हल्ली, रागीमा, सालवा, सानापुरा, देवसमुद्र, सुग्गिनाहल्ली, मोराहा, कायनाहल्ली, रामदुर्ग, आलूर, तूलाहल्ली, विट्ठलापुर, बागेवडी, रावीहाल, रारव, मुपतनूर और जालूर।

1990-91

सिनदीगेरी, वेलागाल, संजीवारायन, मकारब्बी, नीचापुर, पुलीकट्टी, अमालपुरा, वेल्लीगट्टा, गोण्डेरोम्मानल, चिराघगुण्ड, वीनथुमारगुड्डी, मण्णापुर, सोवलादाहल्ली, हाकण्डी, वन्नागोला, वरदापुरा और कोवाल।

जिला : बेलगाम : 1989-90

हाण्डागांव, येउवाड, बुगतियालूर, कानापुर, नागरागली, लिंगनमल्ली, सिनदोगी, हांडीगोड, अवरोडी।

1990-91

किट्टागर।

जिला : गुलबर्गा : 1989-90

वेलूरगी, वण्डेरवाड, आलंगा, रुदरावाडी, मुदादगा, अयनापुर, सलेवीरानाहल्ली, हेब्बल, अबराद, कलहनगेरा, हलचर, गरगापल्ली, कुनुएदा, चिमनाल, हलगेरा, कादमबरर्व, वेन-देम्बली, देवापुर, येदाहल्ली, कोल्लूर, आजलापुर।

1990-91

जेवारगी, चिनाममेरा, सोवलेश्वर, जिदगा, इक्कालबी, कमनाहल्ली, सलगार, धरमसागर,

पसतापुर, चिनतापल्ली, मंगलगी, हुदागिलहुस्ती, मीनागजी, जामीवूर, वलवनदग्गी, सोआन, येलवार, सायखेड, डेसांगी, काचापुर, मेगेनगेर, उदगी, वोमदेपल्ली, कालखाम, गुण्डाहल्ली, मादेवरी और राजापुर।

जिला : बेंगलूर : 1989-90

सीकोटे, मेनसीगनहल्ली, आलूरख, डुड्डनहल्ली, कोंगट्टा, गोल्लाहल्ली, होसाहल्ली, नेहागट्टा, मोटेगोण्डानहल्ली।

1990-91

केमलीगानहल्ली, चुडाहल्ली, लक्केनहल्लो, होरकयाथानहल्ली, कीलानचा, डोड्डाबुलकेरे।

जिला : बीदर : 1989-90

मासीमादु, सोनाला, अम्बेसागनीं।

1990-91

चिकलियुदगेर, उजेन, जम्वागी, वालखाडी, छदमनाली।

जिला : बीजापुर : 1989-90

लयादागुण्डी, नीराबुदिहाल, वेब्वल्ली, नैनेगाली, दोनूर, होम्मूतागी, गुनादाल, कोरटी, तुमवागी, कोडागनूर, इंगालगेरी, विज्जूर और उद्दूर।

1990-91

जालगेर, तक्काकाहाकी, कोजागी, कामागी, देवरागेन्नूर, पाडगी,गज्जीहाल, चिक्कडापुर, उमराज, तड्डेवाडी, वतनपुर, अरासानल, कोक्कू, दण्डल, होनाल्ली।

जिला : धारवाड़ : 1989-90

अलालगेरी, आरावलगी, उप्पानसी, चेन्नाली, गाडलगेरी, हिरिवेनदीगेरी।

1990-91

मुधुर, मरेवाड, वेलहोड, मसानाछट्टी, हीरेकागी, आशापुर, कचानी, मेवुण्डी, होरोगेरी, विदाराहल्ली, हीरेकोप, होतनाहल्ली और डोड्डूर।

जिला : चिकमगलूर : 1989-90

हीराम्बी, देवदाना, आलमपुरा, मालौर, बल्लीगानूर, चावलमाने, कानावूर, कक्काची, वेलनाहल्ली और अमडआपुरा।

1990-91

ओदिमचन्नाहल्ली, नागराहल्ली, हिरियुर, चिक्कवेतनूर, हीरागड्डे, तानुडी, कोनाजी, करकेश्वर, मीगा, रशिश्रींगुपुरा और चिगाडे।

विवरण-2

वर्ष 1988-89 के दौरान 23-3-1989 तक संस्थापित किए जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन घरों के नाम नीचे दिए गए हैं :

जिला गुलबर्गा :

किम्मतगी, कानापुर, येलगाड, नाडेपल्ली, नन्दीवुर, कोनकल, इब्राहिमपुर, हब्बल, हात्तीगुडेर, कुकुण्डा, बंक्कलगा, हुलगेरा, अस्टगी, कडाबूर, माधवार, हॉटपेट, केरोलो, अन्नूरी और मंगल।

जिला हासन :

अडागूर, बागेवालू, अरकेरे, डिण्डीगुर, कल्याडी, जम्मनहाली, हेब आले, डोननकाटे, सिंगमहाली, डोनीगल, डोडाकुन्चा, मालागेरे, मत्तानविले।

जिला कोलार :

हुलीमंगला, होसकोटे, सुलेकुण्टे, डोनीमडगू, जटावाड़ा, मुडीमडगू।

जिला माण्डया :

बोलनहाली, नीलेमान, माइगोनाहाली, नारायणपुरा, सोनकटानूर, रागीमुदनहाली, डालावेकोडीहाली, कोदूकोटनहाली और भीमनहाली।

जिला मैसूर :

मारचल्ली, आनन्दूर, एन० बेलातुर, मेटीकुप्पे, पाडवकोटे, माटाकेरे, चिक्काबीचनहाली, मालियूर।

जिला उत्तर केनरा :

अम्बूर, हर्षेकाट्टा, ओनीकेरी, कॉलीगर, पराहनी, येडाल्ली, शिवाली, नामाबस्तीकेरी, बजूर, कंचनहाली, थोडगली।

जिला रायचूर :

माबिनभावी, मातलडिन्नी, सान्तेकल्लूर, गज्जलगट्टा, मरचाताल और हीरेबंगल।

जिला शिमोगा :

मेलिनाबेसिज, कन्नागी, चन्द्रागुटी, तावरकेड़े, अरबारसगट्टा, कागीनाली, गुडावी, बारान्दूर, उल्लूर हिट्ला, नितूर, सिग्गा, मारुतिपुरा, हरीश, होसाबेले, हरिद्रावती और येवीगिलेमान।

जिला बेलगाम :

कोट, अब्बीहल, सिडनाल, इस्लामपुर एवं किलेगांव।

जिला बेल्लारी :

नीलाकुण्ड, तारानगर, याल्प-कग्गलू, ओलडाकुडगी, अल्बूर, धर्मसागर, बोमागट्टा, पूजारीहाली, हीरेकल, हुडम, येडीहाली, डी० काग्गलू, तिमलापुरा, बिन्बरी, कट्टेबेलूर, मेतरी।

जिला बिदर :

तल्वाड, चन्दोरी, माडाकट्टी।

जिला बीजापुर :

मन्नूर, तोनाश्याल, अलबाल, इंगलगी, माडावाल, हेरुर, घुलकेड, हडलासांग, हीरेसंगनगुट्टी, बोडनयक्कशडिन्नी और कुन्तनकुंकेरी।

जिला चिकमंगलूर :

सिन्दीगेरे, चिकाहनगल, कालकेरे, ईश्वरहाली, बेगर हलमातुर, नरसीपुरा और बन्नूर।

जिला चित्रदुर्गा :

चित्राहाली, टेकलबत्ती, अत्तीमागे, सोमागुड्डा, चिकागोण्डनहाली, कुरुवरहाली, गुरुसिद्दापुरा, नरगलहाली, गोरासमुद्र, तिम्मानायकनकोटे।

जिला कुर्ग :

कडंगा, पराने, संनापुलिकोट।

जिला धारवाड़ :

अरेकुरहाटी, बानगिट्टीमुडीहाल, हरलापुर, सूलीकट्टी।

जिला तुमकुर :

कमलापुर, तेरीयूर, सन्तमातूर और हुसेनपुरा।

जिला : उत्तरी केनरा :

नेल्लूरकन्मेज, सर्वे, पलताडी और अवार्स।

जिला बेंगलूर :

लक्ष्मीपुरा, बन्नीकुप्पे और चक्राभावी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अकुशल मजदूरों को स्थायी आधार पर रोजगार

4581. **श्री आर० जीवरत्नम :**

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एककों में ऐसे अकुशल मजदूरों की संख्या कितनी है जिनकी सेवाएं 45 दिन तक निरंतर सेवा करने के पश्चात समाप्त कर दी जाती हैं तथा उन्हें दोबारा नियुक्त किया जाता है;

(ख) क्या इन मजदूरों को स्थायी आधार पर नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फूलबनी, उड़ीसा में पालिएस्टर, फाइबर संयंत्र

4582. श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितने पालिएस्टर फाइबर संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त राज्य के फूलबनी जिले में एक पालिएस्टर फाइबर संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) फिलहाल पोलिएस्टर स्टेपल, फाइबर के निर्माण के लिए उड़ीसा के ढेनकनाल जिले में एक इकाई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए रोजगार योजना का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

4583. श्री चन्द्र किशोर पाठक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार योजना पूरे बिहार में लागू की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) योजना के आरम्भ हो जाने के पश्चात 1983-84 से बिहार में बैंकों द्वारा 31 मार्च, 1988 तक 89997 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना

4584. श्री भरत सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगलोई से ढांसा बरास्ता नजफगढ़, नांगलोई से टिकरी बोर्डर, बवाना से नरेला,

समयपुर से नरेला बरास्ता बवाना और मंगोलपुर कला से ओचन्दी बोर्डर बरास्ता कंझावला सड़कों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इन सड़कों पर स्ट्रीट लाइट कब तक लगा दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) डेसू सम्बन्धित विभाग के विशिष्ट अनुरोध पर स्ट्रीट लाइट प्रदान करता है। डेसू सार्वजनिक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन के समक्ष भुगतान के लिए 4649450/- रुपये की संशोधित अनुमान को पहले ही प्रस्तुत कर चुका है, यह भुगतान डेसू द्वारा अप्रैल, 1988 में नांगलोई बरास्ता टिकरी बोर्डर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर बेहतर प्रकार की स्ट्रीट लाइट प्रदान किए जाने के लिए है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभी तक डेसू को भुगतान नहीं किया है। कार्य को पूरा करने की सामान्य अवधि आवश्यक भुगतान प्राप्त कर लेने एवं कार्य-आदेश के जारी हो जाने की तारीख से 6 महीने होती है। डेसू को सार्वजनिक निर्माण विभाग या किसी अन्य अभिकरण से उद्धृत सड़कों में से किसी भी सड़क पर स्ट्रीट लाइट देने सम्बन्धी कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है।

नई कम्पनियों की स्थापना के लिए लाइसेंस

[अनुवाद]

4585. **श्री विजय एन० पाटिल** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 से 1988 के दौरान विदेशी सहयोग से नई कम्पनियों की स्थापना के लिए कितने लाइसेंस दिये गये;

(ख) वर्ष 1987 में प्राप्त आवेदनों पर पिछले 6 महीनों के भीतर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कितने लाइसेंस प्रदान किये गये हैं;

(ग) कितने मामलों में तो आवेदन वर्ष 1986 से पूर्व किया गया था और जो दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं; और

(घ) लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित मामलों के लम्बित पड़े रहने के सम्बन्ध में क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य वर्ष 1986 से 1988 के दौरान स्वीकृत विदेशी सहयोगों के बारे में सूचना जानना चाहते हैं। सरकार ने वर्ष 1986, 987 तथा 1988 के दौरान विदेशी सहयोगों के क्रमश: 857, 853 तथा 926 प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं। भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के बारे में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के नाम, विनिर्माण की वस्तु तथा सहयोग के स्वरूप को दर्शाते हुये स्वीकृत किये गये सभी विदेशी सहयोगों के ब्यौरे अपने मासिक न्यूज लैटर के अनुपूरक के रूप में मासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ख) वर्ष 1988 के दौरान, औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा विचार किये जाने के लिये विदेशी सहयोग के लिये 823 आवेदन प्राप्त हुये थे। 823 आवेदनों में से 758 आवेदनों को वर्ष के दौरान निपटा दिया गया था। विदेशी सहयोग सम्बन्धी आवेदनों को तीव्रता से निपटाने के लिये सभी प्रयास किए जाते हैं।

(ग) 1986 से पहले किये गये प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव विदेशी निवेश बोर्ड के विचारार्थ लम्बित नहीं पड़ा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ

4586. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान ही पेंशन और अन्य लाभ देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिये संघीय सरकार के कर्मचारियों के समान पेंशन सम्बन्धी लाभ दिये जाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

त्रावणकोर हाउस केरल सरकार को सौंपना

4587. **प्रो० के०वी० थामस :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने त्रावणकोर हाउस, नई दिल्ली को खाली करके केरल सरकार को सौंप दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक सौंपा जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के कार्यालय ने केरल सरकार को त्रावणकोर हाउस अभी तक हस्तांतरित नहीं किया है।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को आबंटित नये परिसर में पार्टीशन एवं अन्य सिविल कार्य करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्राक्कलनों के आधार पर उक्त कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। पार्टीशन,

फिक्सचर, रोशनी आदि से सम्बन्धित कार्य पूर्ण होने पर जब वह कब्जा लेने योग्य हो जाएगा, तो आयोग नये परिसर में स्थानान्तरित हो जाएगा।

असम को लाइसेंस जारी करना

4588. **श्री अब्दुल हमीद :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान असम में मध्यम श्रेणी के और बड़े उद्योगों के लिए असम सरकार को कुल कितने लाइसेंस जारी किए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत असम में एककों की स्थापना करने के लिए 1987-88 तथा 1988-89 (फरवरी, 1989 तक) 2 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान आशय पत्रों की मंजूरी के लिए 33 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 11 आशय पत्र मंजूर किए गए हैं, 17 अस्वीकृत कर दिए गए हैं/अन्यथा निपटा दिए गए हैं तथा 5 (पांच) आशय पत्र प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

बिहार के मधुपुर और गोड्डा में स्व-चालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

4589. **श्री सलाउद्दीन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के मधुपुर और गोड्डा में स्व-चालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर ये एक्सचेंज कब स्थापित किए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) गोड्डा के टेलीफोन एक्सचेंज को 1989-90 के दौरान और मधुपुर को 8वीं योजना अवधि के दौरान आटोमैटिक बनाए जाने की योजना है।

केरल के पिछड़े जिलों में निवेश

4590. **श्री के० कुन्जम्बु :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल में पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए राजसहायता और अन्य रियायतों के रूप में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : राज्य में केन्द्र द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित किए गए जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के

लिए 1985-86 से 1987-88 के वित्तीय वर्षों के दौरान केरल सरकार को 7.79 करोड़ रु० की धन-राशि की केन्द्रीय निवेश राजसहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की गई है।

ट्रैक्टरों के मूल्य

4591. **श्री बी०बी० रमैया :**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 20-25 एच०पी० क्षमता वाले ट्रैक्टर का अनुमानित मूल्य कितना है;

(ख) क्या यह मध्यमवर्गीय किसान की क्रय क्षमता के भीतर है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे ट्रैक्टरों के मूल्य में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यह मध्यमवर्गीय किसान की क्रय क्षमता के अनुकूल हो सके ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.2.89 को आकार तथा माडल पर आधारित 20-25 एच०पी० रेंज के एक ट्रैक्टर का अनुमानित एक्स-फैक्ट्री मूल्य 70070/- रुपये तथा 84,700/- रुपये के बीच है।

(ख) और (ग) सरकार का कृषि ट्रैक्टरों पर मूल्य नियन्त्रण नहीं है। मूल्य निविष्टियों की लागत तथा बाजार शक्तियों की परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। किसानों को ट्रैक्टरों की खरीद के लिए धन जुटाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, भूमि विकास बैंकों सहकारी बैंकों तथा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से ऋण की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, विद्यमान निर्माता अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर किसी भी क्षमता वाले ट्रैक्टरों का उत्पादन कर सकते हैं। मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए ट्रैक्टर उद्योग में पर्याप्त प्रतियोगिता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 1800 सी०सी० इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान कर दी है।

विद्युत उत्पादन

4592. **श्री के० मोहनदास :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय हो रहे कुल विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें विद्युत की कमी है, उनकी मांग क्या है तथा कमी वाले राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना अगले पृष्ठ पर दी गई है :

स्रोत	ऊर्जा उत्पादन (मि० यू०) (अप्रैल, 1988—फरवरी, 1989)
ताप विद्युत	142058
न्यूक्लीय	5548
जल विद्युत	52979
जोड़	200585

(ख) अप्रैल, 1988 से फरवरी, 1989 के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, कम निर्माणावधि वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना और फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई की व्यवस्था करना।

विवरण

अप्रैल, 88 फरवरी, 1989 के दौरान वास्तविक विद्युत सप्लाई स्थिति

(आंकड़े मि० यू० निवल में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	436	436	0	0.0
दिल्ली	6531	6487	44	0.7
हरियाणा	6408	6179	229	3.6
हिमाचल प्रदेश	1043	1037	6	0.6
जम्मू और कश्मीर	2510	1990	520	20.7
एन०एफ०एफ० सहित पंजाब	12304	12098	206	1.7
राजस्थान	8477	8272	205	2.4
उत्तर प्रदेश	22050	19680	2370	10.7
जोड़ (उ० क्षेत्र)	59759	56179	3580	6.0

1	2	3	4	5
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	17014	16799	215	1.3
मध्य प्रदेश	13470	12983	487	3.6
महाराष्ट्र	29365	28486	879	3.0
गोवा	486	486	0	0.0
जोड़ (प० क्षेत्र)	60335	58754	1518	2.6
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	16151	14552	1599	9.9
कर्नाटक	14695	10712	3983	27.1
केरल	6020	5281	739	12.3
तमिलनाडु	17365	16274	1091	6.3
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	54231	46819	7412	13.7
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	5155	4731	424	8.2
डी०वी०सी०	6540	5687	853	13.0
उड़ीसा	6550	5358	1192	18.2
पश्चिमी बंगाल	7890	7336	554	7.0
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	26135	23112	3023	11.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	2251	2174	77	3.4
अखिल भारत	202711	187039	15673	7.7

पटपड़गंज हाउसिंग कम्प्लेक्स दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

4593. **श्री राम प्यारे पनिका :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटपड़गंज क्षेत्र में को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में सोसायटी-वार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली में पटपड़गंज को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज कम्प्लेक्स में टेलीफोन कनेक्शन

देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यहां के निवासियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस समय यह क्षेत्र लक्ष्मीनगर टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत आता है। 1.3.89 की स्थिति के अनुसार निपटाई गई प्रतीक्षा सूची नीचे दी गई है :

ओ वाई टी-सामान्य	2.9.88
ओ वाई टी-विशेष	2.9.88
गैर-ओ वाई टी-एस एस	16.9.88
गैर-ओ वाई टी-विशेष	13.9.88
गैर-ओ वाई टी-सामान्य	5.2.85

(ग) आशा है कि 30.9.1986 तक की गैर-ओ वाई टी सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची अप्रैल, 1990 तक निपटा दी जाएगी। शेष आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर प्रदान किए जायेंगे।

विवरण

पटपड़गंज के ग्रुप हाउसिंग काम्प्लेक्स में सोसाइटी-वार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या

सोसायटी का नाम			प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या
1			2
निर्माण सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी			34
पटपड़गंज ग्रुप हाउसिंग काम्प्लेक्स की अन्य सोसायटियां			
1. कम्पास को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी			01
2. मौर्य	"	"	03
3. विकल्प	"	"	01
4. बाटला	"	"	05
5. ध्रुव	"	"	128
6. आनन्दलोक	"	"	24
7. नव निर्माण	"	"	01

1			2
8. मानस विहार	ग्रुप हाउसिंग सोसायटी		01
9. ककतिया	"	"	03
10. कल्लाल	"	"	10
11. सेल हाउसिंग	"	"	02
12. देश बंधु	"	"	23
13. ऑक्सफोर्ड	"	"	06
14. इंजीनियर्स	"	"	19
15. सारा	"	"	40
16. तक्षशिला	"	"	49
17. नागार्जुन	"	"	11
18. मिथिला	"	"	03
19. डिलक्स	"	"	07
20. न्यू यंग	"	"	01
21. बालको	"	"	09
22. परिवार	"	"	02
23. नव क्रांति	"	"	01
24. लिंक हाउस	"	"	01
25. राजधानी	"	"	02
26. फार्मोटिकल	"	"	11
27. कृपाल	"	"	04
28. न्यू किरन	"	"	01
29. औद्योगिक कर्मचारी	"	"	05
30. शिक्षा	"	"	04
31. फैण्ड्स	"	"	21
32. दूर समाचार	"	"	01
33. ओखला	"	"	01

1			2
34. जन सेवा	ग्रुप हाउसिंग सोसायटी		01
35. चेतना	"	"	06
36. गौरव	"	"	01
37. आदर्श	"	"	3
38. एजी सी आर	"	"	1
39. श्रीगणेश	"	"	10
40. न्यू सूर्य किरण	"	"	10
41. दिल्ली	"	"	48
42. नवभारत टाइम्स	"	"	7
43. मयूरध्वज	"	"	8
44. हिमालय	"	"	5
45. पैराडाइज	"	"	8
46. शिवाजी	"	"	1
47. कम्पनी लॉ	"	"	12
48. एन० डी० एम० सी०	"	"	1
49. एकता विहार	"	"	36
50. न्यू दिल्ली	"	"	2
51. एवरेस्ट हिमालय	"	"	4
52. हिमवर्षा	"	"	1
53. बी आर सी	"	"	1
54. सम्राट	"	"	5
55. मिलन विहार	"	"	3
56. जनरल	"	"	1
57. दिल्ली गवर्नमेंट आफिसर्स	"	"	1
58. गोल्डन	"	"	6
59. हिण्डॉन	"	"	1

1			2
60. वन्दना	ग्रुप हाउसिंग सोसायटी		1
61. इरुना को-आपरेटिव	"	"	8
62. एवरेस्ट	"	"	1
63. रोजवुड	"	"	1
64. मॉड	"	"	1
65. जागृति	"	"	1
66. शुभ्रम्	"	"	1
67. आम्रपाली	"	"	2
68. प्रिंस	"	"	8
69. प्रनाद्य विकास	"	"	1
70. अदिती	"	"	5
71. मित्र द्वीप	"	"	3
72. वाटर पावर इंजीनियर	"	"	2
73. हिन्दुस्तान टाइम्स	"	"	2
74. दिल्ली पुलिस	"	"	2
75. कीर्ति	"	"	1
76. बम्बू	"	"	3
77. जय लक्ष्मी	"	"	8
78. पुर्वसा	"	"	6
79. फाइम होम्स	"	"	4
80. प्रीविन्स	"	"	1
81. आइ एफ एस	"	"	22
82. नव नीति	"	"	1
83. डी पी ई	"	"	1
84. एच आई बी मित्र	"	"	1
85. अमरज्योति	"	"	2

1			2
86. मून लाइट	ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी		3
87. शिवानी	"	"	2
88. साउथ दिल्ली टीचर्स	"	"	3
89. विदेश	"	"	2
90. एस० आर० एम०	"	"	1
91. निधि	"	"	[illegible]
92. रीट्रीट	"	"	
93. सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स	"	"	
94. अग्रसेन	"	"	[illegible]
95. नव कुंज	"	"	3
96. अरुणा को-आपरेटिव	"	"	1
97. आदित्य वर्धन	"	"	1
98. स्पोर्ट्स को-आपरेटिव	"	"	1
99. नवकला	"	"	1
100. इंडियन नेवल इम्प्लाइज	"	"	1
101. सेन्ट्रल वेयर	"	"	1
102. नाकला	"	"	1
103. एसोसियेटिड कम्पनीज	"	"	4
104. रिटायर एण्ड रिटाइरिंग गवर्नमेंट ई०	"	"	[illegible]
105. पावर इंजीनियर्स	"	"	1
106. दीपा	"	"	2
107. अब्दुल फजल	"	"	1
108. दिल्ली प्रशासन अधिकारी	"	"	1
109. उत्तरांचल	"	"	7
110. नील कण्ठ	"	"	1
111. मानव शक्ति	"	"	2

1		2
112. वेद जनक	ग्रुप हाउसिंग सोसायटी	3
113. दूरदर्शन	" "	1
114. ओवर सीज	" "	2
115. नीना	" "	1
116. कैपीटल	" "	1
117. आशीर्वाद	" "	1
118. प्रर्वतीय विकास	" "	1
119. दि उना	" "	1
120. नायर	" "	1
121. प्रशान्त	" "	1
122. विद्युत	" "	1
123. निगम	" "	1
124. कानून	" "	1
125. इन्द्रप्रस्थ	" "	1
126. कालीनूर	" "	1
	कुल योग	743

नोट : विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या में उन व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने उन पतों पर टेलीफोन प्रदान करने के लिए अपने-अपने नाम दर्ज करवाए हैं जो उपर्युक्त हाउसिंग सोसायटी के काम्प्लैक्स में पड़ते हैं और साथ ही इनमें ऐसे आवेदक भी हैं जो सोसायटी ने स्वयं के नाम से दर्ज कराए हैं ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ड्रिलिंग कार्य के लिए धनराशि का आबंटन

4594. श्री पी० कुलनदाईवेलु :

श्री दौलतसिंह जी जडेजा :

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सभी नदियों के बेसिनों में तेल

और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए किन-किन नदियों के बेसिनों का चयन किया गया है;

(ग) वर्ष 1986 से वर्ष-वार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) अब तक हुई उपलब्धि का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तलछटी बेसिनों में खोज के लिए ओ०एन०जी०सी० को और अधिक धनराशि आबंटित करने का सरकार का प्रस्ताव है । उपरी असम, असम-अराकन, कैम्बे, बम्बई-अपतट, कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन से हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए नियमित रूप से कम किया जा रहा है ।

(ग) 1986-87 से खोजी ड्रिलिंग के लिए ओ०एन०जी०सी० द्वारा खर्च की गई राशि इस प्रकार है : —

(करोड़ रुपये)

	1986-87	1987-88
खर्च :	419.83	452.22

(घ) 1986 से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में की गई ड्रिलिंग से 39 स्थानों पर हाइड्रोकार्बनों के होने का पता लगा है ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अधिनियम और नियमों तथा विनियमों की पुस्तिका का प्रकाशन

[हिन्दी]

4595. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने कर्मचारियों से सम्बन्धित अधिनियमों और नियमों तथा विनियमों की कोई पुस्तिका प्रकाशित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुस्तिका को केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आयोग को भविष्य में ऐसी पुस्तिकाओं को अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित करने का निदेश देगी ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, संशोधित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम तथा नियमों के हिन्दी रूपांतर की पुस्तिका को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

प्राकृतिक गैस का जलाया जाना

[अनुवाद]

4596. श्री बी० विजय रामा राव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पन्न होने वाली गैस प्राकृतिक और उससे बनी अन्य प्रकार की गैसें, गैस भरने के लिए संपीडन सुविधाओं के अभाव के कारण अब भी बड़ी मात्रा में जला दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो खुदरा उपभोक्ता मूल्यों के अनुसार अब तक कितने मूल्य की गैस जला दी गई;

(ग) गैस जलाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या वनों के कटाव को रोकने के लिए इस गैस को ग्रामीण क्षेत्रों में नाम मात्र के मूल्य पर बेचने हेतु प्रबन्ध किए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पिछले चार वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन और जलना (फ्लेअरिंग) इस प्रकार रहा :

वर्ष	उत्पादन	फ्लेअरिंग	(मिलियन घन मीटर प्रतिदिन) जलाई गई गैस का प्रतिशत
1984-85	19.8	8.36	42%
1985-86	22.2	8.54	38%
1986-87	27.0	7.40	28%
1987-88	31.3	9.38	30%

गैस को जलाये जाने के मुख्य कारण ये हैं :

(1) उपभोक्ताओं द्वारा वचनबद्ध मात्रा में गैस न ले पाना;

(2) गैस के परिवहन के लिए उत्पादन और संपीड़न सुविधाओं में मेल न होना;

(ख) 1987-88 में लगभग 3423 मिलियन घन मीटर गैस जलाई गई। 500 रुपये प्रति एक हजार घन मीटर की न्यूनतम कीमत के आधार पर इस गैस का सांकेतिक मूल्य 171.15 करोड़ रुपये बैठता है।

(ग) फ्लेअरिंग को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(1) संपीडन सुविधाओं को बढ़ाया गया है और इन्हें और बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(2) फालबैक उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि जब नियमित उपभोक्ता गैस न लें तो उन्हें ये गैस दी जा सके। फालबैक उपभोक्ताओं के लिए गैस की मूल कीमत में 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है;

(ग) वचनबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा कम या देरी से गैस लेने के कारण शेष गैस के लिए और उपभोक्ता बनाये गये हैं;

(घ) विभिन्न परियोजनाओं को प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जाती है और यह इसके इष्टतम उपयोग के लिए तकनीकी आर्थिक कारणों को ध्यान में रखते हुए इसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। उत्तर-पूर्व में तथा उन क्षेत्रों में जहां ये भण्डार विकास के स्तर पर है रियायती कीमतें निर्धारित की गई हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों की ओर बकाया धनराशि

4597. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य विद्युत बोर्डों के क्या नाम हैं जिनकी ओर केन्द्रीय उपक्रमों की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

4598. **श्री राजकुमार राय :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली द्वारा कितने टेलीफोन कनैक्शन जारी किये गये और इस समय एक्सचेंज-वार कितने आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं; और

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदकों को टेलीफोन कनैक्शन दिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	दिये गये टेलीफोन कनैक्शन
1986-87	76683
1987-88	78527
1988-89 (1.3.89 तक)	42658

1.3.89 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान नए टेलीफोन कनैक्शन निम्नलिखित सीमा तक प्रदान किए जाने की उम्मीद है।

1989-90	40,000
1990-91	50,000
1991-92	60,000

विवरण

1.3.1989 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या

एक्सचेंज	ओवाईटी सामान्य	ओवाईटी विशेष	गैर-ओवाईटी एस एस	गैरव-ओवाईटी विशेष	गैर-ओवाईटी सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
जनपथ (31, 34, 35)	—	—	—	—	484	484
जोरबाग (61, 62, 69)	341	159	61	74	4637	5272
किदवई भवन (331, 332)	838	428	7	46	1763	3082
राजपथ (38)	206	546	—	70	1070	1892
लोधी रोड (पी आ रएक्स-36)	—	57	3	1	90	151
सेना भवन (301)	70	182	21	8	490	771
अलीपुर (7202)	—	—	—	—	37	37
बादली (729)	155	5	—	106	1363	1629

1	2	3	4	5	6	7
तीस हजारी (23, 251, 252, 291, 292)	22	3	—	—	7111	7136
नरेला (7282)	34	15	1	32	668	750
शक्ति नगर (74, 711, 712, 721, 722)	1205	7	—	317	30463	31992
रोहिणी (727)	—	—	—	—	5014	5014
दिल्ली गेट (26 27)	357	8	11	73	7614	8053
ईदगाह (5 , 52, 77, 73)	290	20	—	99	12021	12530
लक्ष्मी नगर (22[illegible], 220, 224)	548	74	22	181	21650	22475
शाहदरा (228)	859	67	1	812	9217	10956
चाणक्यपुरी (60, 67, 687)	848	667	152	384	7363	9414
हौज खास (65, 66, 686)	1301	357	126	434	9708	11926
नेहरू प्लेस (641, 643, 644, 646)	2215	351	23	168	17638	20395
ओखला (63, 683, 684)	131	20	5	44	3872	4072
दिल्ली कैंट (39, 5452)	69	55	36	38	1097	1295
जनकपुरी (55, 549)	943	230	132	503	9559	11367

1	2	3	4	5	6	7
करोल बाग (58, 571, 572, 573)	198	3	6	22	10771	110000
नजफगढ़ (5456)	37	16	—	4	815	872
नांगलोई (547)	237	1	1	98	2527	2860
राजौरी गार्डन (50, 53, 59, 541, 543, 545)	3605	396	209	1492	35173	40875
						1226300

टेलीफोन एक्सचेंजों में कम्प्यूटरों का प्रयोग

[अनुवाद]

4599. श्री हुसैन दलवाई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कुछ इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों में कम्प्यूटर से टेलीफोन काल रिकार्ड किए जाते हैं;

(ख) यह प्रणाली किस हद तक सफल रही है; और

(ग) इस समय यह सुविधा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य जिन एक्सचेंजों में कम्प्यूटर के जरिए किया जाता है उन सभी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में टेलीफोन कॉलों को रिकार्ड करने के लिए कम्प्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) यह प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ग) यह सुविधा सभी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में उपलब्ध है।

राज्यों में गैस पर आधारित परियोजनाओं की स्थापना करना

4600. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने-अपने राज्यों में गैस परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों से विभिन्न प्रयोजनों यथा उर्वरक, विद्युत, स्पांज आयरन परियोजनाओं, औद्योगिक और घरेलू ईंधनों के लिए गैस की सप्लाई के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं के लिए गैस का आबंटन गैस की उपलब्धता और गैस के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता की दृष्टि से तकनीकी आर्थिक आधार पर किया जाता है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आठवीं योजना में अनुसंधान और विकास सम्बन्धी गतिविधियां

4601. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का आठवीं योजना के दौरान अनुसंधान और विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने का विचार है; और

(ख यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का अपने अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से आठवीं योजना के दौरान हाइड्रोकार्बनों की खोज तथा उसे निकालने तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों से सम्बन्धित क्षेत्रों में 2000 से अधिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं/कार्यों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है। ओ० एन०जी०सी० भूमिगत कोल गेसिफिकेशन के सम्बन्ध में भी अपनी अनुसंधान गतिविधियां जारी रखेगा।

लघु उद्योग एककों की स्थापना

4602. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कितने लघु उद्योग एकक स्थापित किए गए हैं;

(ख) इस वर्ष के दौरान लघु उद्योग एककों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) यह वृद्धि गत तीन वर्षों की वृद्धि की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, लघु उद्योग विकास संगठन के क्षेत्राधिकार में आने वाले दिसम्बर, 1987 के अन्त तक पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की संख्या लगभग 10.48 लाख थी।

(ख) और (ग) 1987 में लघु उद्योग विकास संगठन के क्षेत्राधिकार में आने वाले पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत 9.5 प्रतिशत था जबकि वर्ष 1984, 1985 1986 में यह वृद्धि दर क्रमश: 10.2 प्रतिशत, 12.9 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत रहा।

सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना के लिए धनराशि

4603. **डा० दिग्विजय सिंह :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल बजट राशि में से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के लिए कितने प्रतिशत धन राशि आवंटित की जाती है;

(ख) इसमें से वर्ष 1988-89 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) सौर ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना के लिए इस वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1988-89 के कुल योजना नियतन में से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के लिए नियतन की प्रतिशतता केवल 0.27 प्रतिशत आती है।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के लिए, केन्द्रीय क्षेत्र में 105.00 करोड़, रुपये की राशि नियत की गई है जबकि राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए तदनुरूपी राशि क्रमश: 28.92 करोड़ एवं 1.06 करोड़ रुपये है।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान, सौर विद्युत स्टेशनों के लिए अलग से कोई राशि नियत नहीं की गई थी। फिर भी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने, अपने सौर प्रकाश वोल्टीय कार्यक्रम जिनके लिए 1988-89 में केन्द्रीय क्षेत्र में 9.50 करोड़ रुपये का नियतन किया गया था के अन्तर्गत प्रकाश आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों की व्यवस्था के लिए कार्यक्रम आरम्भ किये हैं।

काहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना, बिहार के लिए भूमि का अधिग्रहण

[हिन्दी]

4604. **श्रीमती मनोरमा सिंह** :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में काहलगांव सुपर विद्युत परियोजना में भागलपुर जिले में कितने लोग नियुक्त किये गये हैं और इस समय बिहार के कुल कितने लोग वहां कार्य कर रहे हैं;

(ख) एन० टी० पी० सी० द्वारा इस परियोजना के लिए कितने लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई है और क्या उनमें से प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या अधिगृहीत भूमि का पूरा भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बिहार और भागलपुर जिले के उन व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 206 और 109 है जिन्हें कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना में नियुक्त किया गया है।

(ख) परियोजना के लिए लगभग 2600 व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। विस्थापित परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने की सम्भावनाएं, परियोजना की सीमित रोजगार क्षमता और भूमि बेदखलों में उपयुक्त कुशल कार्मिक उपलब्ध न हो पाने के कारण, प्रतिबन्धित है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्य सरकार के

साथ भूमि अधिग्रहण की लागत के रूप में जमा किये गये 10.99 करोड़ रुपयों में से लगभग 9 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश में भारतीय सीमेंट निगम के एककों द्वारा सहायक उद्योग कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4605. **श्री महेन्द्र सिंह :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भारतीय सीमेंट निगम के विभिन्न एककों द्वारा सहायक उद्योग कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग मूल रूप से एक प्रक्रिया उद्योग है जिसे चूने के पत्थर, जिप्सम, कोयला आदि जैसी मुख्य अन्तर्वस्तुओं की सप्लाई के लिए सहायक उद्योगों से सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां तक फालतू हिस्से-पुर्जों की आवश्यकता का सम्बन्ध है, देश में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। सीमेंट को जूट, सिन्थेटिक से तैयार या यूनियन थैलों में भरा जाता है। इस प्रकार के थैलों को बनाने की पर्याप्त क्षमता देश में उपलब्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया का सहायक उद्योग लगाने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

मध्य प्रदेश के लिए बनाई गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना

[अनुवाद]

4606. **श्री प्रताप भानु शर्मा :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने वर्ष 1988-89 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के कुछ नये प्रस्ताव ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अब तक उनमें से कितनी योजनाएं मंजूर की हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम को 402 स्कीमें प्रस्तुत की हैं।

(ग) 29-3-1989 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 1988-89 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 209 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की गई हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मकान निर्माण ऋण मंजूर करने की शर्तें

4607. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ता पैटर्न को लागू करते हैं और जिन्होंने मकान निर्माण ऋण मंजूर करने की शर्तों सहित अपनी विभिन्न ऋण योजनाओं/नियमों को संशोधित किया है और उन्हें सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुरूप कर दिया है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के क्या नाम हैं जिन्होंने सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप अपने मकान निर्माण ऋण मंजूर करने संबंधी नियमों/शर्तों को अभी तक संशोधित/उदार नहीं बनाया है और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकारी महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले 68 सरकारी उद्यमों में से जिन 57 उद्यमों ने जानकारी भेजी है, उनमें 17 उद्यमों ने सूचित किया है कि उनके यहां भवन निर्माण ऋण की कोई योजना नहीं है। 29 उद्यमों ने यह रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अपने भवन निर्माण ऋण योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया है। चार उद्यमों ने अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य प्राधिकरणों से लिए गए भवन निर्माण ऋण के सम्बन्ध में ब्याज इमदाद योजना अपनाई है। सात सरकारी उद्यमों ने यह सूचित किया है कि उनके द्वारा बनाई गई भवन-निर्माण ऋण योजना को आशोधित किया गया है और उन्होंने अपने कर्मचारियों को स्वीकार्य ऋण की सीमा बढ़ा दी है।

तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की सम्भावनाएं

4608. **श्री कादम्बुर एम०|आर० जनार्दनन :**

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की अच्छी संभावनाएं हैं;

(ख) किन-किन अन्य राज्यों में पनबिजली के प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा पवन ऊर्जा की अच्छी संभावनाएं हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपलब्ध पवन ऊर्जा से अधिक बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु किसी विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है;

(घ) क्या इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने में तमिलनाडु को कोई प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी हां। वर्तमान सूचना के अनुसार, गुजरात राज्य में भी पवन ऊर्जा की अच्छी सम्भावना है और महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश में इसकी कुछ सम्भावनाएं हैं। पवन ऊर्जा सम्भावना का अधिक सुनिश्चित अनुमान लगाने के लिए, 17 राज्यों/संघ प्रशासित क्षेत्रों में विस्तृत जांच प्रगति पर है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, जल पम्पन बैट्री चार्जिंग एवं विद्युत उत्पादन सहित एक विस्तृत आधार पर पवन ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। देश के विभिन्न भागों में 2300 से भी अधिक जल पम्पन पवन चक्कियों की स्थापना की जा चुकी है। 6.85 मेगावाट समेकित क्षमता वाली पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है जिन्होंने अब तक संबंधित राज्य बिजली

घरों को 155 लाख यूनिट से भी अधिक विद्युत प्रदान की है। यदि अपेक्षाकृत अधिक राशि उपलब्ध की जाय तो और अधिक पवन विद्युत एकक लगाये जा सकते हैं।

(घ) तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की अच्छी सम्भावना के कारण, इस क्षेत्र में, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग से प्राप्त वित्तीय सहायता द्वारा कई बड़ी परियोजनाओं को प्रायोजित किया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में अहमदनगर में नए डाकघर खोलना

4609. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नये डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो नये डाकघर किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है और ये कब तक खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) पिम्पल गांव, नकविंडा, इवारा और सोमसाड डाडगांव ग्रामों के लिए डाकघर मंजूर कर दिए गए हैं। इनके खोलने की तारीखों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बंगलौर में टेलीफोन के किराया प्रभार में संशोधन

4610. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में स्थानीय टेलीफोन प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप बंगलौर टेलीफोन प्रणाली से संबंधित ओ० वाई० टी० तथा गैर-ओ० वाई० टी० सामान्य अथवा विशेष टेलीफोन कनेक्शनों के किराया प्रभार में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी हां। बेंगलूर टेलीफोन प्रणाली की क्षमता 11-2-89 को 1 लाख लाइनों से अधिक हो गई। अतः 12-2-1989 से बेंगलूर में चालू टेलीफोन कनेक्शन के किराया प्रभारों में भारतीय तार नियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संशोधन किया गया।

गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

4611. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी; और

(ख) इस सम्बन्ध में वास्तविक रूप में कितनी सफलता मिली और आवंटित धनराशि की तुलना में इस पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है ।

विवरण-1

एक. गुजरात में अब तक सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थापित किए गए हैं :

क्रम सं०	स्थान का नाम/एक्सचेंज	प्रकार	क्षमता
1	2	3	4
1.	मेहसाना	पी आर एक्स/ए	3000
2.	"	"	1000 (विस्तार)
3.	पोरबन्दर	"	3000
4.	"	"	1000 (विस्तार)
5.	गांधीनगर	"	3000
6.	"	"	1000 (विस्तार)
7.	गांधीधाम	"	1000 (विस्तार)
8.	"	"	1000 (विस्तार)
9.	वेरावाल	"	1000 (विस्तार)
10.	कोडीनार	एम ई ए एक्स	400 "
11.	"	"	100 (विस्तार)
12.	रास	128 पोर्ट सीडॉट	85 (विस्तार)
13.	संदेशन	"	85 (विस्तार)
14.	बलिसाना	128 पोर्ट सीडॉट	85 (विस्नार)
15.	चित्ताल	"	85
16.	लिलीयामोटा	"	85
17.	धीलवास	"	85
18.	अहमदाबाद-रेलवेपुरा	ई-10बी	10,000

1	2	3	4
19.	अहमदाबाद नारंगपुरा	ई-10बी	8,000
20.	" "	"	1000 (विस्तार)
21.	" 39 यूनिट-II	"	5000
22.	" बेतवा आर एल यू	"	3000
23.	" " "	"	1000 (विस्तार)
24.	" नारंगपुरा	"	1000 (विस्तार)
25.	" रेलवेपुरा	"	1000 (विस्तार)
26.	"-39 यूनिट-II	"	3000 (विस्तार)
27.	" नारंगपुरा	"	1000 (विस्तार)
28.	" राजकोट आर एल यू	"	2000
29.	सूरत " "	"	4000

II. शेष योजना अवधि के दौरान अर्थात् 1989-90 में गुजरात में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है :—

क्रम सं०	स्थान का नाम/एक्सचेंज	प्रकार	क्षमता
1	2	3	4
1.	कवादिया कालोनी	512 पोर्ट आई एल टी (देशी)	380
2.	भानवाद	—वही—	380
3.	गधोदा	—वही—	380
4.	पालाज	—वही—	380
5.	बालासीनूर	—वही—	380
6.	राजूला	—वही—	380
7.	वानकबोरी	128 पोर्ट सी-डाट	85
8.	डुंगर	—वही—	85
9.	कुनकावेव	—वही—	85
10.	वेषोदीया	एन ई ए एक्स	500
11.	पालीताना	—वही—	700

1	2	3	4
12.	पांदी	एन ई ए एक्स	400
13.	अंबाजी	—वही—	600
14.	हाजीरा (केवास)	—वही—	600
15.	ओखा	ई एस ए एक्स पाम	190
16.	उदवादा	—वही—	190
17.	कंजारी	—वही—	190
18.	मटर	—वही—	190
19.	छलाला	—वही—	190
20.	दामनगर	—वही—	190
21.	वाठीया	—वही—	190
22.	नरदीपुर	—वही—	190
23.	कनोवार	—वही—	190
24.	सूरत	ई-10 बी	500 (विस्तार)
25.	राजकोट	—वही—	500 (विस्तार)

उपर्युक्त के अतिरिक्त 15 सीडाट आर० ए० एक्स० और 26 यूनिट मिनी आई० एल० टी० 64 पोर्ट के संस्थापन की भी योजना है।

III. सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के लिए 73.71 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। इसकी तुलना में इस अवधि में लगभग 56,000 लाइनें चालू करने के लिए 76.81 करोड़ रुपये खर्च किये गये। पांचवें वर्ष अर्थात् 1989-90 के लिए निधि आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-2

वर्षवार उपलब्धि और उस पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

वर्ष	क्षमता (लाइनों की संख्या)	राशि (करोड़ रुपयों में)	
		आवंटित	खर्च की गई राशि
1	2	3	4
1985-86	16,000	19.19	17.86
1986-87	12,000	13.67	18.52

1	2	3	4
1987-88	2,400	2.62	1.89
1988-89	25,610	37.83	38.56
1989-90	10,000	आबंटित किया जाना है।	—

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की शिकायतें

[हिन्दी]

4612. श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र में "ड्रिलिंग प्लेटफार्म"

4613. श्री जितेन्द्र सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र में कितने "ड्रिलिंग प्लेटफार्म" हैं;

(ख) क्या ये सभी ड्रिलिंग प्लेटफार्म अग्नि शमन उपकरणों से सुसज्जित हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) बम्बई हाई क्षेत्र में 83 प्लेटफार्म हैं जहां कुएं खोदे गए हैं। इसमें से 78 कुओं में अग्नि शमन सुविधाएं उपलब्ध हैं। पांच नये प्लेटफार्म अस्थायी डैकों पर काम कर रहे हैं तथा यहां किसी भी आपातकालीन समय में पाइप लाइनों से कुएं का सम्बन्ध विच्छेद और बन्द करने के लिए स्वचालित प्रणालियां हैं। सूचना के अनुसार अस्थायी डैकों को बदलकर स्थायी डैकों में परिवर्तित किया जाएगा। जहां अग्नि शमन की पूरी सुविधाएं होंगी।

इसके अतिरिक्त 9 प्रोसेस काम्पलैक्स हैं जो अग्नि शमन सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित हैं।

केरल राज्य नारियल जटा निगम को नारियल जटा बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाना

[अनुवाद]

4614. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य नारियल जटा निगम और सहकारी नारियल जटा संघ को नव गठित नारियल जटा बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं को नारियल जटा बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केरल राज्य नारियल जटा निगम और सहकारी नारियल जटा संघ को हाल में गठित नारियल जटा बोर्ड में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) नारियल जटा बोर्ड का पुनर्गठन नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 और नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के उपबन्धों के अनुसार किया गया था। अधिनियम तथा नियम में निर्दिष्ट श्रेणियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। निजी सदस्यों का चयन इन नियमों के अनुसार किया गया है। ऐसा करते समय, केरल सहित विभिन्न नारियल जटा उत्पादक राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 23 सदस्य हैं। इसके 3 सदस्य संसद द्वारा चुने जाते हैं, 5 विभिन्न राज्य सरकारों, जिसमें केरल राज्य भी सम्मिलित है, का प्रतिनिधित्व करते हैं और 3 केन्द्रीय सरकारी विभागों/संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य 12 सदस्यों में से 5 केरल राज्य के हैं।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को विश्व बैंक से सहायता

4615. श्री मुरलीधर माने :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को इसकी विद्युत परियोजनाओं हेतु अतीत में विश्व बैंक से सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कुछ नई विद्युत परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की तेरह परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

प्राप्त की गई है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) फरक्का सु० ता० वि० परियोजना चरण-तीन (1×500 मेगावाट) तथा विंध्याचल सु० ता० वि० परियोजना चरण-एक (6× . 10 मेगावाट) के अतिरिक्त पारेषण प्रणाली को विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक के एक शिष्टमण्डल ने जनवरी-फरवरी, 1989 में इन परियोजनाओं का मूल्यांकन भी किया था।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	विदेशी सहायता का स्रोत	ऋण सहायता की राशि	ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	सिंगरौली ता० वि० प० (चरण-I)	आई० डी० ए०	150 मिलियन अमरीकी डालर	01.04.77
2.	सिंगरौली सु० ता० वि० प० (चरण-II)	आई० डी० ए०	300 मिलियन अमरीकी डालर	05.06.80
3.	कोरबा ता० वि० प० (चरण-I)	आई० डी० ए०	200 मिलियन अमरीकी डालर	12.05.78
4.	कोरबा सु० ता० वि० प० (चरण-II)	आई० डी० ए०	325.6 मिलियन एस० डी० आर०	04.02.82
5.	रामगुंडम ता० वि० प० (चरण-I)	आई० डी० ए०	200 मिलियन अमरीकी डालर	02.02.79
		आई० बी०आर० डी०	50 मिलियन अमरीकी डालर	02.02.79
6.	रामगुंडम सु०ता० वि० प० (चरण-दो)	आई०बी०आर०डी०	300 मिलियन अमरीकी डालर	06.01.82
7.	फरक्का ता० वि० प० (चरण I)	आई० डी० ए०	225 मिलियन अमरीकी डालर	11 07.80
		आई०बी०आर०डी०	25 मिलियन अमरीकी डालर	11.07.80
8.	फरक्का सु० ता० वि० प० (चरण-दो)	आई०बी०आर०डी०	300.8 मिलियन अमरीकी डालर	29.06.84
9.	केन्द्रीय विद्युत पारेषण लाइनें	आई०बी०आर०डी०	250.7 मिलियन अमरीकी डालर	08.06.83

1	2	3	4	5
10.	रिहन्द पारेषण लाइनें	आई०बी०आर०डी०	250 मिलियन अमरीकी डालर	16.09.85
11.	तलचेर सु० ता० वि० परि०	आई०बी०आर०डी०	375 मिलियन अमरीकी डालर	21.12.87
12.	गैस आधारित संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना (अन्टा, औरैया और कवास)	आई०बी०आर०डी०	485 मिलियन अमरीकी डालर	27.10.86
13.	राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना	आई०बी०आर०डी०	425 मिलियन अमरीकी डालर	21.12.87

आई० डी० ए०=अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन

आई० बी० आर० डी०=अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक।

उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के दूसरे सिलेण्डर का आवन्टन

4616. **श्री बी० कृष्ण राव :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस का दूसरा सिलेण्डर जारी करना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस का दूसरा सिलेंडर जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) वितरकों को इस बात के निर्देश हैं कि वे देश में उपभोक्ता की इच्छानुसार दो सिलिंडरों वाले कनैक्शन जारी करें। फिर भी एल० पी० जी० की सप्लाई अथवा उत्पादन सम्बन्धी रुकावटों के कारण उत्पन्न बैकलाग के समय दो सिलिंडरों वाले कनैक्शनों का जारी किया जाना अस्थायी तौर पर तब तक के लिए रोक दिया जाता है, जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाए।

आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में एस० टी० डी० सुविधाएं

4617. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है जिनमें

एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) अनन्तपुर जिले के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सभी एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुरम जिले के उन एक्सचेंजों के नाम इस प्रकार हैं, जहां एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई है।

अनन्तपुर, गुंटकल, पामीदी, तादपत्री, हिन्दूपुर।

(ख) अनन्तपुर जिले के धारवरम टेलीफोन एक्सचेंज में वर्ष 1989-90 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ग) संसाधनों के सीमित होने के कारण अनन्तपुर जिले के अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों में फिलहाल एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पनचक्कियों तथा सौर ऊर्जा के विकास हेतु सहायता

[हिन्दी]

4618. **श्री शान्ति धारीवाल** :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने पनचक्कियों तथा सौर ऊर्जा के विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो देश में इन स्रोतों के माध्यम से इस समय कितनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या ऊर्जा के ये स्रोत लाभप्रद साबित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग को समय-समय पर पनचक्कियों (लघु तथा सूक्ष्म पनबिजली) तथा सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए केन्द्रीय सहायता को बढ़ाने हेतु अनुरोध प्राप्त होते हैं। यह विभाग वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सहायता प्रदान करता है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से पैदा की गई/बचत की गई विद्युत में 1986 में स्थापित पवन फार्मों से 155 लाख यूनिट बिजली, सौर ऊर्जा से लगभग 312 मिलियन किलोवाट घंटा सहित लगभग 5700 मिलियन किलोवाट घंटा प्रति वर्ष के बराबर ऊर्जा शामिल है। उन्नत चूल्हों के कार्यक्रम के अन्तर्गत, यह अनुमान है कि प्रति वर्ष 42 लाख टन जलावन लकड़ी की बचत की जा रही है। चूंकि इन स्रोतों से पहले ही उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ हो रहा है। इसलिए ये

प्रशंसनीय स्रोत सिद्ध हुए हैं। पिछले कार्यनिष्पादन, मांग और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर राज्यों को वार्षिक रूप से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रमों का आगे विस्तारण तथा केन्द्रीय सहा-यता उपलब्ध किए जाने वाले आर्थिक संसाधनों पर निर्भर होगी।

त्रिवेन्द्रम, केरल में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए लम्बित पड़े आवेदन-पत्र

[अनुवाद]

4619. श्री ए० चार्ल्स :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार त्रिवेन्द्रम, केरल में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में एक्सचेंजवार कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान कितने टेलीफोन कनैक्शन दिए जाने हैं; और

(ग) टेलीफोन कनैक्शन के शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) त्रिवेन्द्रम (केरल) में 31-12-1988 को वहां के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों के आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :—

एक्सचेंज का नाम	31-12-88 को प्रतीक्षा सूची
क्रासवार	3257
कैथमुक्कू	4278
श्रीकरीम	1329

(ख) ये तीनों एक्सचेंज अपनी 95% क्षमता से ऊपर तक काम कर रहे हैं। अतः 1989-90 के दौरान एक मुश्त टेलीफोन कनैक्शन दे पाना सम्भव न होगा।

(ग) 1989-90 के लिए ई० वी० एक्सचेंजों की 20,000 लाइनें प्रदान की गई हैं जिनके आठवीं योजना अवधि के शुरू में चालू होने की उम्मीद है। इन एक्सचेंजों के चालू हो जाने के पश्चात् कनैक्शन दिए जाएंगे।

राजस्थान में तेल की खोज के लिए डेजर्ट रिगों का प्रयोग

[हिन्दी]

4620. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के क्षेत्र में की गई उपलब्धि का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान के पश्चिम रेगिस्तान क्षेत्रों में उपयुक्त डेजर्ट ड्रिलिंग रिगों की सप्लाई न किए जाने के कारण वहां पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के कार्य में धीमी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो ड्रिलिंग कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए अपेक्षित संख्या में रिग उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1-1-1986 से 31-12-88 तक की अवधि के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हाइड्रो कार्बनों की खोज संबंधी उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

कम्पनी	स्थानों की संख्या
ओ० एन० जी० सी०	37
ओ० आई० एल०	8

1-1-1985 से 1-1-1988 की अवधि के दौरान इन कम्पनियों द्वारा तेल और गैस के बराबर तेल के भूमिगत भंडारों में की गई वृद्धि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मिलियन टन)

	1985	1986	1987
ओ० एन० जी० सी०	112.64	298.54	411.69
ओ० आई० एल०	39.55	27.22	38.74

(ख) और (ग) राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए आवश्यक विशेष प्रकार के रिग के कारण खोज कार्यों में कोई देरी नहीं हुई है।

केरल में भारी उद्योग स्थापित करना

[अनुवाद]

4621. प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केरल में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अधीन कोई भारी उद्योग स्थापित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या राज्य में कोई नया भारी केन्द्रीय उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) केरल स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रमों और उनके पंजीकृत कार्यालयों में से केवल एक अर्थात् हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० नामक केन्द्रीय सरकारी उपक्रम छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस राज्य में स्थापित किया गया है।

डिमांड ट्रंक सेवा शुरू करना

4672. श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली ने किन-किन शहरों के लिए डिमांड ट्रंक सेवा आरंभ की है; और

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली की योजना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य किन शहरों को डिमांड ट्रंक सेवा से दिल्ली के साथ जोड़ने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1989-90 के लिए योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

जिन शहरों के लिए दिल्ली से मांग ट्रंक सेवा शुरू की गई है उनके नाम नीचे दिए गये हैं :—

क्रम सं०	स्टेशन	कोड	क्रम सं०	स्टेशन	कोड
1	2	3	4	5	6
1.	अबोहर	1579	14.	बीकानेर	1534
2.	अगरतला	1592	15.	भिवानी	1574
3.	एजवाल	1593	16.	भोपाल	1530
4.	आगरा	1563	17.	बम्बई	150
5.	अहमदाबाद	1598	18.	बुलन्दशहर	1567
6.	अलीगढ़	1531	19.	कलकत्ता	151
7.	इलाहाबाद	1564	20.	चण्डीगढ़	1570
8.	अम्बाला	1575	21.	देहरादून	1565
9.	अमृतसर	1578	22.	एर्नाकुलम	1535
10.	बंगलूर	1597	23.	फरीदाबाद	1571
11.	बरेली	1531	24.	गंगटोक	1592
12.	बड़ौदा	1598	25.	गुड़गांव	1572
13.	भटिंडा	1579	26.	गुवाहाटी	1590

1 2	3	4 5	6
27. ग्वालियर	1563	53. पटियाला	1579
28. हापुड़	1533	54. पटना	1591
29. हिसार	1573	55. पुणे	1535
30. हैदराबाद	1599	56. पंजिम	1599
31. इम्फाल	1592	57. पठानकोट	1576
32. ईटानगर	1583	58. रायबरेली	1567
33. जगाधरी	1575	59. रांची	1536
34. जयपुर	1594	60. रेवाड़ी	1572
35. जालंधर	1581	61. रोहतक	1573
36. जम्मू तवी	1580	62. रुड़की	1568
37. जोधपुर	1594	63. सहारनपुर	1568
38 कानपुर	1561	64. शिलांग	1590
39. भुवनेश्वर	1591	65. सिलीगुड़ी	1536
40. करनाल	1532	66. शिमला	1576
41. कोटा	1594	67 सिरसा	1574
42. कोहिमा	1593	68. सोनीपत	1532
43. लखनऊ	1560	69. श्री गंगानगर	1534
44. लुधियाना	1577	70. श्रीनगर	1580
45. मद्रास	152	71. त्रिवेन्द्रम	1597
46. मथुरा	1533	72. उदयपुर	1534
47. मेरठ	1562	73. वाराणसी	1564
48. मोदीनगर	1566	74. गांधीनगर	
49. मुरादाबाद	1566		
50. मसूरी	1565	स्पीड ट्रंक सेवा	
51. मुजफ्फर नगर	1568	1. इंदौर	1596
52. पानीपत	1532	2. नागपुर	1595

केरल में एस० टी० डी० सुविधा

4623. श्री टी० बशीर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एस० टी०डी० सुविधा प्राप्त टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ख) किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों को एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा कब आरम्भ की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केरल के 94 टेलीफोन एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) केरल के निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंजों में मार्च, 1990 तक एस०टी०डी० सुविधा प्रदान किये जाने की योजना है।

चेल्लारी, हरिपद, काराटगोद (जिला मुख्यालय) के कॅंजिरापल्ली, कुन्नामंगलम, कोनडोट्टई, कान्नियपुरम, काडस्सनकाडवू, कोथट्टुकुलम, मावेलीकारा, मंजेश्वर, मंदूर, मुलाकुनाथिकावु, पंचांडी, प्रपप्पनगाडी, पोनकुन्नाम, कुलांडी, उप्पला, वड़नवकनचेरी, वलप्पाड।

पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की एजेन्सियों और पेट्रोल पम्पों का आबंटन

4624. डा० फूलरेणु गुहा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986, 1987 और वर्ष 1988 के दौरान पश्चिम बंगाल में कितनी रसोई गैस की एजेंसियों और कितने पेट्रोल पम्प आबंटित किये गये ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान पश्चिम बंगाल में अलाट किये गये एल०पी०जी० वितरण केन्द्रों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपों की संख्या इस प्रकार है :—

	एल० पी० जी० वितरण केन्द्र	खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपें
1986	20	22
1987	7	11
1988	23	19

पंजाब में ऊर्जा के स्रोतों का विकास

4625. श्री कमल चौधरी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान आज तक पंजाब में ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या पंजाब में खर्च की गई धनराशि यहां की जनसंख्या और ऊर्जा की मांग की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पंजाब में ऊर्जा के विकास के लिये और अधिक धनराशि देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अनुमान है कि 7वीं योजना (1985—89) के प्रथम चार वर्षों के दौरान पंजाब में विद्युत क्षेत्र के विकास पर संभावित परिव्यय की राशि 1578 करोड़ रुपये होगी।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिये निधि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा उनकी "वार्षिक योजना" में इस बात को ध्यान में रखकर की जाती है कि राज्य उस क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता देता है और संसाधन की उपलब्धता कितनी है। 1989-90 के लिये क्षेत्रवार धनराशि का निर्धारण करते समय पंजाब द्वारा विद्युत क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई और इसके लिये राज्य के 789 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना में से 317.52 करोड़ रुपये आवंटित किया गया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों को औद्योगिक लाइसेंस

4626. **श्री हेत राम** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंस सभी पात्र आवेदकों को उदारता से दिए जाते हैं। इसके अलावा अनेक वस्तुएं पूर्णतः लाइसेंसमुक्त है, तथा स्थापना स्थल के आधार पर 15 करोड़ रु० व 50 करोड़ रु० तक अधिकांश, अन्य वस्तुओं के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अतः आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

एस० टी० डी० कनेक्शन कालों पर टेलीफोन उपभोक्ताओं को सुविधाएं

4627. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली ने उपभोक्ता दिवस मनाते हुए टेलीफोन उपभोक्ताओं को एस०टी०डी० टेलीफोन कालों पर कुछ सुविधाएं देना आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली से बाहर के उपभोक्ताओं को भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी हां। कुछ डिजीटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों (ई-10 बी) में प्रायोगिक आधार पर एक एस०टी०डी०/आई०एस०डी० काल नियंत्रण सुविधा चालू की गई है। इस प्रणाली के जरिए उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार चुने गये कोड को डायल करके एस०टी०डी०/आई०एस०डी० काल सुविधा अपनी इच्छानुसार एक्टीवेट/डी-एक्टीवेट कर सकता है।

(ग) और (घ) दिल्ली से बाहर के कुछ ई-10 बी एक्सचेंजों में यह सुविधा भी प्रायोगिक आधार पर चालू की गई है। इस प्रयोग के सफल होने के बाद धीरे-धीरे इसका विस्तार करके इसे सभी ई-10 बी एक्सचेंजों में चालू कर दिया जाएगा।

जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शन

4628. श्रीमती प्रभावती गुप्ता :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से गत तीन माह में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये;

(ख) जनपथ एक्सचेंज में प्रत्येक श्रेणी में किस-किस तारीख तक कनेक्शन दे दिये गये हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची को कब तक पूरा किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पछले महीनों (1-12-88 से 28-2-89 तक) के दौरान जनपथ एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची में से 318 टेलीफोन कनेक्शन दिए गये।

(ख) जनपथ एक्सचेंज में जिस तारीख तक विभिन्न श्रेणियों की प्रतीक्षा सूची निपटाई गई, वह इस प्रकार है :—

ओ वाई टी-विशेष	16-3-89
ओ वाई टी-सामान्य	16-3-89
गैर-ओ वाई टी-एस एस	06-3-89
गैर-ओ वाई टी-विशेष	06-3-89
गैर-ओ वाई टी-सामान्य	13-3-89

(ग) नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची उत्तरोत्तर निपटाई जाएगी।

पनबिजली परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होना

4629. **श्री के० राममूर्ति :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनबिजली परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनकी मूल लागत में वृद्धि किन-किन कारणों से हुई है; और

(ग) लागत में हुई वृद्धि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सामान्यतया, निर्माणावधि के दौरान सामान्य मूल्य-वृद्धि होने, परियोजना के कार्यान्वयन में देर होने, भू-वैज्ञानिक कारणों से डिजाइन में परिवर्तन किये जाने, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आने आदि जैसे विभिन्न कारणों से पन बिजली परियोजना के मूल लागत अनुमानों में वृद्धि हुई है।

(ग) पन विद्युत परियोजनाओं के लागत वृद्धि को कम करने के लिये किए जा रहे उपायों में से कुछ हैं :—

निर्माण के दौरान परियोजना को नियमित रूप से मानीटर करना; बड़े उपस्कर सप्लाई कर्ताओं, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, परियोजना प्राधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के साथ अवधिक बैठकें करने के द्वारा बेहतर समन्वय; और समय-समय पर पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल का दौरा किया जाना।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए लम्बित पड़े आवेदन-पत्र

4630. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की शहर-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के अन्य शहरों में टेलीफोन कनेक्शन मिलने में बम्बई की अपेक्षा अधिक समय लगता है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के लिए उचित विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) एक्सचेंज-वार जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकास कार्यक्रम बना लिया गया है। ये संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

विवरण-1

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	किस्म	31-12-1988 की स्थिति के अनुसार टेलीफोनों की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
जिला अहमद नगर			
1.	अहमदनगर	एक्सचेंजों का ग्रुप	2100
2.	कोपरगांव	एम ए एक्स-2	199
3.	राहुरी	सी बी एम	41
4.	सागंभनेर	सी बी एम	290
5.	श्रीरामपुर	एम ए एक्स-2	303
जिला अकोला			
6.	अकोला	एम ए एक्स-1	2135
7.	अकोट	सी बी एम	16
8.	बालापुर	सी बी एन एम	1
9.	कारंजा	सी बी एम	22
10.	मुर्तिजापुर	सी बी एन एम	13
11.	मंगरूलपीर	सी बी एन एम	8
12.	पतूर	एम ए एक्स-3	शून्य
13.	तेलहाड़ा	सी बी एन एम	7
14.	वाशिम	सी बी एम	21
जिला अमरावती			
15.	अचलपुर	सी बी एम	156
16.	अमरावती	एम एक्स-1	2369

1	2	3	4
17.	बाड़नेरा	एम एक्स-3	114
18.	अंजनगर	सी बी एन एम	17
19.	चंदूर बाजार	सी बी एन एम	2
20.	चंदूर रेलवे	सी बी एन एम	2
21.	धमन गांव	सी बी एन एम	56
22.	चिक्खलदारा	एम ए एक्स-3	शून्य
23.	दरियापुर	सी बी एन एम	43
24.	मोर्शी	सी बी एन एम	23
25.	सेंदूरजंगघाट	एम ए एक्स-3	12
26.	वरूड़	सी बी एन एम	32
जिला औरंगाबाद			
27.	औरंगाबाद	एक्सचेंजों का ग्रुप	6089
28.	गंगापुर	एम ए एक्स-3	23
29.	कन्नाड़	सी बी एन एम	44
30.	खुलताबाद	एम ए एक्स-3	28
31.	वीजापुर	सी बी एन एम	27
जिला भंडारा			
32.	भंडारा	एम ए एक्स-2	311
33.	वर्धी	एम ए एक्स-3	5
34.	गोंडिया	एम ए एक्स-2	657
35.	मोहड़ी	एम ए एक्स-3	11
36.	पौनी (बी एच वी)	एम ए एक्स-3	5
37.	तुभसर	एम ए एक्स-2	111
38.	तिरोड़ा	सी बी एन एम	11
जिला बीड़			
39.	अम्बेजोगाई	सी बी एम	68

1	2	3	4
40.	पराली-बैजनाथ	सी बी एम	78
41.	अस्थी	सी बी एन एम	2
42.	जीड़	एम ए एक्स-2	341
43.	गेवरई	सी बी एन एम	32
44.	धरूड़	एम ए एक्स-3	6
45.	मंजलेगांव	सी बी एन एम	36
जिला बुलढाना			
46.	बुलढाना	एम ए एक्स-2	262
47.	चीखली	सी बी एन एम	29
48.	वियोल गांव राजा	सी बी एन एम	10
49.	जलगांव जमोड़	सी बी एन एम	—
50.	अल्कापुर	सी बी एन एम	63
51.	मेहकर	सी बी एन एम	16
52.	नंदूरा	सी बी एन एम	29
53.	शेहगांव	सी बी एन एम	16
54.	खमगांव	एम ए एक्स-2	233
जिला चन्द्रापुर			
55.	चन्दरापुर	एक्सचेंजों का ग्रुप	969
56.	रजूरा	सी बी एन एम	19
57.	वडोरा	सी बी एन एम	17
जिला धुलिया			
58.	धूले	एम ए एक्स-1	1487
59.	नवापुर	सी बी एन एम	35
60.	नंदूरबाड़	एम ए एक्स-2	201
61.	दोधाईचा	सी बी एम	10
62.	शिरपुर	सी बी एम	16

1	2	3	4
63.	शहाड़ा	सी बी एम	69
64.	तलोड़ा	सी बी एन एम	12
जिला गढ़चिरौली			
65.	देसाई गंज	सी बी एन एम	4
जिला जलगांव			
66.	अमल गांव	एम ए एक्स-3	2
67.	भूसावल	एम ए एक्स-2	435
68.	बमनगांव	सी बी एन एम	2
69.	चालीसगांव	सी बी एम	296
70.	चोपड़ा	सी बी एम	6
71.	धरमगांव	सी बी एन एम	3
72.	इरनंडूल	सी बी एन एम	14
73.	जलगांव	एम ए एक्स-1	2250
74.	पचोड़ा	सी बी एम	70
75.	परोला	सी बी एन एम	25
76.	सावदाफैजपुर	सी बी एन एम	44
77.	खेड़	सी बी एन एम	27
78.	यावनी	सी बी एन एम	10
जिला जालना			
79.	अम्बड़	सी बी एन एम	2
80.	भोकरड़न	एम ए एक्स-3	2
81.	जालना	एम ए एक्स-2	236
82.	परतूर	सी बी एन एम	5
जिला कोल्हापुर			
83.	गांधीनगलाज	सी बी एम	37
84.	वड़गांव	सी बी एन एम	17

1	2	3	4
85.	कोल्हापुर	एक्सचेंजों का ग्रुप	4521
86.	इच्छलकरंजी	एम ए एक्स-2	2374
87.	कागल	सी बी एन एम	9
88.	मरगूड़	सी बी एन एम	5
89.	पन्हाला	एम ए एक्स-2	17
90.	मल्कापुर	सी बी एन एम	1
91.	जयसिंहपुर	एम ए एक्स-2	250
92.	कुरंडवाडी	सी बी एन एम	12
जिला लतूर			
93.	लतूर	एम ए एक्स-2	936
94.	अहमदपुर	सी बी एन एम	14
95.	कौसा	एम ए एक्स-3	10
96.	निलंगा	सी बी एन एम	—
97.	उद्गीर	सी बी एम	249
जिला नागपुर			
98.	कतोल	सी बी एन एम	18
99.	कलमेश्वर	एम ए एक्स-3	52
100.	मोहप्पा	एम ए एक्स-3	3
101.	नागपुर	एक्सचेंजों का ग्रुप	16567
102.	मोवाड़	एम ए एक्स-3	1
103.	नारखेड़	सी बी एन एम	7
104.	पीनी (आर एच टी)	एम ए एक्स-3	7
105.	रामटेक	सी बी एन एम	12
106.	साओनेर	सी बी एन एम	2
107.	उमरेड़	सी बी एन एम	15
जिला नानदेड़			
108.	नानदेड़	एम ए एक्स-2	2340

1	2	3	4
109.	मुडखेड	एम ए एक्स-3	1
110.	मुखेड	सी बी एन एम	14
111.	बिल्लोली	एम ए एक्स-3	4
112.	धर्माबाद	सी बी एन एम	7
113.	कुंडलवाड़ी	एम ए एक्स-3	—
114.	किनवात	सी बी एन एम	5
115.	ऊमारी	एम ए एक्स-3	11
116.	मुकारमबाद	एम ए एक्स-3	1
117.	नंदगांव	सी बी एन एम	9
118.	कंधार	सी बी एन एम	—
जिला नासिक			
119.	चंदवाड़	सी बी एन एम	4
120.	इगतपुरी	सी बी एन एम	20
121.	मालेगांव	सी बी एम	977
122.	रावलगांव	एम ए एक्स-3	शून्य
123.	मनमाड	एन ई ए एक्स	66
124.	नंदगांव	सी बी एन एम	4
125.	ओजर	सी बी एम	10
126.	त्रिम्बक	एम ए एक्स-3	5
127.	नासिक	एक्सचेंजों का ग्रुप	5703
128.	लासलगांव	सी बी एम	2
129.	सिन्नर	सी बी एम	64
130.	सतना	सी बी एम	21
131.	यांला	सी बी एम	26
ओसमानाबाद जिला			
132.	भूम	सी बी एन एम	16
133.	कल्लाम	सी बी एन एम	25

1	2	3	4
134.	मुरूम	एम ए एक्स-3	24
135.	उमेरगा	सी बी एन एम	75
136.	ओसमानाबाद	एम ए एक्स-2	146
137.	पारंडा	सी बी एन एम	4
138.	नलदुर्ग	एम ए एक्स-3	4
139.	तुईजापुर	सी बी एन एम	1
परभनी जिला			
140.	कालमनूरी	सी बी एन एम	1
141.	जेनतूर	सी बी एन एम	15
142.	बसमतनगर	सी बी एन एम	17
143.	गंगाखेड़	सी बी एन एम	—
144.	सोनपेथ	एम ए एक्स-3	1
145.	हिंगोली	सी बी एम	8
146.	मनवत	सी बी एन एम	15
147.	पाथीरी	एम ए एक्स-3	5
148.	सेलू	सी बी एम	30
149.	परभनी	सी बी एम	482
150.	पुरना	एम ए एक्स-3	5
जिला पुणे			
151.	बारामती	एम ए एक्स-2	310
152.	मेर	सी बी एन एम	5
153.	दोंड	सी बी एन एम	100
154.	देहूररोड	एम ए एक्स-2	160
155.	पुणे	एक्सचेंजों का ग्रुप	37445
156.	इंदापुर	सी बी एन एम	44
जिला पुणे			
157.	जुन्नार	सी बी एन एम	94

1	2	3	4
158.	लोनावाला	एम ए एक्स-2	687
159.	तालेगांव	एम ए एक्स-2	222
160.	जेजीरी	एम ए एक्स-3	36
161.	नीरा	सी बी एन एम	14
162.	ससवाद	सी बी एन एम	44
163.	कादस	एम ए एक्स-3	5
164.	अल्नडी	एम ए एक्स-2	52
165.	गोंडल	सी बी एन एम	81
जिला रायगढ़			
166.	अलीबाय	सी बी एम	133
167.	रायनगन्डा	एम ए एक्स-3	16
168.	करजात	सी बी एन एम	76
169.	मेराल	सी बी एन एम	33
170.	मथेरन	सी बी एन एम	13
171.	खोपोली	एम ए एक्स-3	168
172.	महाद	सी बी एम	126
173.	गोरेगांव	सी बी एन एम	4
174.	मेहसला	एम ए एक्स-3	22
175.	पतालगंगा	एम ए एक्स-2	63
176.	पेन	सी बी एन एम	63
177.	रोहा	एन ई ए एक्स	35
178.	श्रीवर्धन	सी बी एन एम	23
जिला रत्नागिरि			
179.	अलोरे	एम ए एक्स-3	शून्य
180.	चिपलून	सी बी एम	279
181.	दमोल	एम ए एक्स-3	13
182.	डपोली	सी बी एम	37

1	2	3	4
183.	हरनई	एम ए एक्स-3	41
184.	वनेड़	एम सी बी	63
185.	रत्नागिरि	एम ए एक्स-2	481
जिला सांगली			
186.	वीटा	सी बी एम	148
187.	मीराज	एम ए एक्स-2	1010
188.	सांगली	एम ए एक्स-1	1863
189.	किर्लोस्करवाड़ी	सी बी एन एम	106
190.	तासगांव	सी बी एन एम	65
191.	अस्ता	सी बी एन एम	36
192.	इस्लामपुर	सी बी एम	82
जिला सतारा			
193.	कोरेगांव	एम ए एक्स-2	102
194.	रहिमतपुर	एम ए एक्स-3	25
195.	कराड़	एम ए एक्स-2	765
196.	म्हासवाड़	एम ए एक्स-3	19
197.	महाबलेश्वर	एम ए एक्स-2	68
198.	पंचगणी	एम ए एक्स-2	77
199.	फल्तान	एम ए एक्स-2	201
200.	सतारा	एक्सचेंजों का ग्रुप	1382
201.	वई	सी बी एम	108
जिला सिंधु दुर्ग			
202.	कंकावली	सी बी एन एम	45
203.	मलवान	सी बी एन एम	27
204.	राजापुर	सी बी एन एम	27
205.	सावंतवाड़ी	सी बी एम	117

1	2	3	4
206.	वेंगुर्ला	सी बी एन एम	9
जिला शोलापुर			
207.	अक्कालकोट	एम ए एक्स-2	32
208.	दुधानी	एम ए एक्स-3	—
209.	मैनदर्गी	एम ए एक्स-2	1
210.	बर्सी	एम ए एक्स-2	339
211.	कुरडूवाड़ी	एम ए एक्स-2	27
212.	मंगलवाड़ा	सी बी एन एम	4
213.	पंढारपुर	सी बी एम	85
214.	कर्मला	सी बी एन एम	9
215.	संगोला	सी बी एन एम	45
216.	शोलापुर	एम ए एक्स-1	2715
जिला थाना			
217.	वस्सीन	सी बी एम	2258
218.	नालासोपरा	सी बी एम	445
219.	बीरर	एम ए एक्स-2	467
220.	भयान्डर	एम ए एक्स-2	3187
221.	भिवन्डी	एम ए एक्स-2	4067
222.	थानु	एम ए एक्स-2	195
223.	जवाहर	सी बी एन एम	39
224.	डोम्बीवली	एम ए एक्स-2	4164
225.	कल्याण	एम ए एक्स-1	2203
226.	पालघर	सी बी एम	407
227.	शाहपुर	सी बी एन एम	58
228.	अम्बरनाथ	एम ए एक्स-2	729
229.	कुमगांव	सी बी एन एम	387

1	2	3	4
230.	उल्हासनगर	एम ए एक्स-1	6258
231.	बापा	सी बी एन एम	33
जिला वर्धा			
232.	आर्वी	सी बी एम	17
233.	दियोली	सी बी एम	शून्य
234.	पुलगांव	सी बी एन एम	14
235.	निनगनघाट	सी बी एम	57
236.	सिन्दी	एम ए एक्स-3	—
237.	वर्धा	एम ए एक्स-2	580
जिला यवतमाल			
238.	धारवाह	सी बी एन एम	—
239.	दिगरस	सी बी एन एम	5
240	घटन्जी	सी बी एन एम	6
241.	पन्धरवबाहा	सी बी एन एम	8
242.	पूसाद	सी बी एम	56
243.	उभेरखेड	सी बी एन एम	6
244.	वानी	सी बी एम	59
245.	यवतमाल	एम ए एक्स-2	626
246.	बम्बई	एक्सचेंजों का ग्रुप	206959
247.	न्यू बम्बई	"	8669
248.	पुणे (जिला)	"	41208

विवरण-2

सातवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार एक्सचेंज उपस्कर तथा उससे संबंधित स्टोरों के सही समय पर उपलब्ध होने पर औसत पंजीकृत मांग को 1990 तक निपटाये जाने का प्रस्ताव इस प्रकार है :

क्र० सं०	यूनिट	जिस तारीख तक औसत पंजीकृत मांग पूरी की जानी है
1	2	3
1.	महानगर टेलीफोन जिला	30-9-1986
2.	बड़ा टेलीफोन जिला	30-9-1986

1	2	3
3.	छोटा टेलीफोन जिला	1-4-1987
4.	शेष स्थान	
	(क) एम ए एक्स-1 (2000 लाइनों से अधिक बड़ा एक्सचेंज)	1-4-1987
	(ख) एम ए एक्स-2 (200 से 2000 लाइनों के बीच मध्यम एक्सचेंज)	1-4-1988
	(ग) एम ए एक्स-3 (200 लाइनों से कम छोटे एक्सचेंज)	1-4-1990

संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

4631. श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत में आयोजित "फ्रांस महोत्सव" के अवसर पर दोनों देशों के बीच संयुक्त क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है और फ्रांस द्वारा कितना पूंजीनिवेश किया जायेगा; और

(ग) उक्त समझौते के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) भारत सरकार (बायो-टेक्नालॉजी विभाग), भारत के इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन (आई०पी०सी०एल०) और फ्रांस के इंस्टीट्यूट मेरिएक्स (आई०एम०) की समान भागीदारी से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की स्थापनार्थ कंपनी के तीनों प्रमोटरों के प्रतिनिधियों द्वारा नई दिल्ली में 1 फरवरी, 1989 को एक संयुक्त उद्यम के समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। कंपनी में इन तीनों प्रमोटरों और आम जनता के लोगों के लिए प्रत्येक का 25 प्रतिशत शेयर होगा। इस समझौते के अन्तर्गत फ्रांस आई०पी०बी० चौपायों (क्वैड्रूपल) (डी०पी०टी०पी०) मीजल वैक्सीन और रैबीज वैक्सीन के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करेगा। इस परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन करने हेतु आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गयीं हैं।

नए कोयला डिवीजन खोलना

[अनुवाद]

4632. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ नए कोयला डिवीजन खोलने के लिए हाल ही में प्रशासनिक निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने कोयला डिवीजन खोलने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने, विशेष रूप से उड़ीसा के लिए एक कोयला डिवीजन स्थापित करने का निर्णय भी लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कोयला डिवीजन स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य के कोयला क्षेत्रों में एक मुख्य महाप्रबन्धक, ग्रेड ई-9 की प्रभारी के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों के लिए परिचालन तथा योजना की जिम्मेदारी के साथ निदेशक (तकनीकी) का एक पद सृजित किए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय सम्बलपुर में अवस्थित रहेगा।

औद्योगिक रुग्णता

4633. **श्री सोमनाथ रथ** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सम्बलपुर, ब्रह्मपुर, कटक, भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

4634. **डा० कृपा सिंधु भोई** :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 को सम्बलपुर, ब्रह्मपुर, कटक, भुवनेश्वर, तथा राउरकेला शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में थे;

(ख) प्रतीक्षा सूची के कनेक्शनों को शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दिसम्बर, 1989 तक इन शहरों में कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 31.12.1988 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :—

(i) सम्बलपुर	171
(ii) बेरहामपुर	556
(iii) कटक	2216
(iv) भुवनेश्वर	2566
(v) राउरकेला	125

(ख) प्रतीक्षा सूची को क्रमशः निपटाने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों का उपयुक्त सीमा तक विस्तार किया जा रहा है।

(ग) दिसम्बर, 1989 तक सम्बलपुर में 580, बरहामपुर में 570, कटक में 2700, भुवनेश्वर में 4000 और राउरकेला में 600 नए टेलीफोन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

इंटरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श

4635. **श्रीमती डी० के० भंडारी :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इन्टरनेशनल चेंबर आफ कामर्स के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकासशील देशों के बहुपक्षीय व्यापारिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) मि० फाल्कनर, जो शीघ्र ही इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स के महासचिव के पद का कार्य भार ग्रहण करने वाले हैं, भारत आए और उन्होंने उद्योग, वित्त तथा वाणिज्य मंत्रियों से शिष्टाचार के रूप में भेंट की। बहु-पक्षीय, व्यापारिक मुद्दों पर कोई औपचारिक विचार-विमर्श नहीं हुआ।

रसोई गैस की कमी

4636. **श्री एम० रघुमा रड्डी :**

श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रसोई गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रसोई गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) रसोई गैस की कमी कब तक समाप्त कर दी जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) देश के अनेक भागों में हाल ही में एल०पी०जी० रिफिलों की सप्लाई में अस्थायी रूप से बैकलाग उत्पन्न हो गया था जो परिवहन औद्योगिक सम्बन्धों, अन्य परिचालन सम्बन्धी रुकावटों के अतिरिक्त एल०पी०जी० की बल्क उपलब्धता में कमी होने के कारण था। पहले से ही किए गए उपायों के फल-स्वरूप स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। देश में एल०पी०जी० के उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और यथा सम्भव आयात के द्वारा भी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। उप-भोक्ताओं को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तेल उद्योग द्वारा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र

4637. **श्री मद्दूम श्रीरामर्मूति** :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लगभग 3000 मेगावाट की संचित क्षमता वाले गैस पर आधा-रित बिजली संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा येरूगर्वलंका में प्रस्तावित संयंत्र का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और उसके आगे तक 3303.5 मे०वा० की संचित क्षमता की गैस-आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं को चालू करने हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) येरूगुवईलंका में 14.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 3×3 मे०वा० के चल गैस टर्बाइन सेंट्स स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने प्रस्ताव को वापिस ले लिया।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का वास्तविक/संभावित कार्यक्रम
1	2	3	4
	एक केन्द्रीय क्षेत्र :		
	क—एन०टी०पी०सी०		
1.	अंटा संयुक्त साइकल परियोजना (राजस्थान)	3×88 जी०टी+ 1×149 एस०टी०	पहली और दूसरी जी० टी० यूनिटों को क्रमश: जनवरी, 1989 और मार्च, 1989 में चालू किया गया था। तीसरे जी०टी० यूनिट और एस०टी० यूनिट को 1989-90 के दौरान चालू की जाने की संभावना है।
2.	औरैया संयुक्त साइकल परियोजना (उत्तर प्रदेश)	4×112 जी०टी० + 2×100 एस० टी०	प्रथम जी०टी० यूनिट को मार्च, 1989 में चालू किया गया था। अन्य जी०टी० यूनिटों को 1989-90 में चालू किए जाने की संभावना है। प्रथम एस०टी० यूनिट को मार्च, 1990 में और दूसरे यूनिट को जुलाई, 1990 में चालू किए जाने की आशा है।
3.	कवास गैस आधारित संयुक्त साइकल परियोजना (गुजरात)	4×100 जी०टी०+ 2×100 एस०टी०	अभी तैयार नहीं किया गया है।
	ख—दामोदर घाटी निगम		
4.	मैथोन गैस टर्बाइन परियोजना (बिहार)	3×30	सभी यूनिटों को मार्च, 1989 में चालू कर दिया गया था।
	ग—उत्तर पूर्वी परिषद		
5.	बारामूरा गैस टर्बाइन परियोजना (त्रिपुरा)	1×6.5	1989-90 में चालू किए जाने की संभावना है।
	घ—उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लि०		
6.	कठलगुड़ी गैस आधारित संयुक्त साइकल परियोजना (असम)	6×30 जी०टी०+ 3×30 एस०टी०	अभी तैयार नहीं किया गया है।

1	2	3	4
दो---राज्य क्षेत्र			
1.	डेसू गैस टर्बाइन (दिल्ली)	6×30	सभी यूनिट 1986-87 में चालू कर दिए गए थे।
2.	पम्पोर में गैस टर्बाइन परियोजना (जम्मू व कश्मीर)	3×25	पहले यूनिट को मार्च, 1989 में समकालित किया जा चुका है। अन्य यूनिटों को 1989-90 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है।
3.	रामगढ़ गैस टर्बाइन परियोजना (राजस्थान)	3	अभी तैयार नहीं किया गया है।
4.	उरन गैस टर्बाइन परियोजना (महाराष्ट्र)	4×108 जी०टी०	जी०टी० यूनिटों को 1985-86 में चालू किया गया था।
5.	उरन अपशिष्ट ऊष्मा (महाराष्ट्र)	2×120 एस०टी०	अभी तैयार नहीं किया गया है।
6.	विजेश्वरम संयुक्त साइकल ताप विद्युत केन्द्र (आन्ध्र प्रदेश)	2×33 जी०टी+ 1×33 एस०टी०	जी०टी० यूनिटों को 1989-90 में और एस० टी० निट को 1990-91 में चालू किए जाने की संभावना है।
7.	बेसिन ब्रिज गैस टर्बाइन परियोजना (तमिलनाडु)	4×30	अभी तैयार नहीं किया गया है।
8.	लकवा गैस टर्बाइन परियोजना (असम)	1×15 जी०टी०	अक्तूबर, 1986 में चालू की गई।
9.	लकवा गैस टर्बाइन परियोजना सोपान-दो (असम)	3×20	1990-91 में चालू किए जाने की संभावना है।
10.	लकवा अप-शिष्ट ऊष्मा परियोजना (असम)	22	अभी तैयार नहीं किया गया है।
11.	रोखिया गैस टर्बाइन परियोजना (त्रिपुरा)	2×8	1989-90 में चालू किए जाने की संभावना है।
12.	बारामूरा गैस टर्बाइन परियोजना (त्रिपुरा)	2×5	1986-87 में चालू की गई।

भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ित लोगों के उपचार पर खर्च की गई धनराशि

[हिन्दी]

4638. एस० डी० सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ित लोगों के उपचार पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) कितने व्यक्ति और अब तक पूरी तरह ठीक हो जाएंगे; और

(ग) गैस दुर्घटना से पीड़ित लोगों तथा उनके परिवारों के पास आजीविका के क्या साधन उपलब्ध हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पीड़ितों के उपचार के लिए एवं पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) और (ग) पीड़ितों के विस्तृत चिकित्सा दस्तावेज तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इस बीच जिन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है वे ऐसे मामलों से निपटने हेतु स्थापित की गई विशेष सुविधाओं में इलाज करवा रहे हैं।

मृतकों के निकट संबंधियों एवं प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राहत प्रदान की गई है। विधवाओं एवं निराश्रितों को मासिक पेंशन दी जा रही है और जिन्हें अब मुफ्त खाद्यान्न भी दिए जा रहे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद पीड़ितों को प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक वर्कशैड स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम (स्टैप-अप) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। 31-3-1989 तक 22,169 परिवारों ने ऐसी सहायता प्राप्त की है। बच्चों एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य एवं पोषाकहार सहायता दी जा रही है। इस प्रकार उन गैस पीड़ितों एवं उनके परिवारों को आजीविका के साधन प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें ऐसी सहायता की जरूरत है।

पेट्रो-रसायन काम्पलेक्सों की स्थापना करना

[अनुवाद]

4639. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान गैस पर आधारित राज्यवार कितने पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित किए जाएंगे;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं में परियोजनावार कितनी पूंजी निवेश करने का

प्रस्ताव किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र के नागोथाणे में गैस पर आधारित एक पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स कार्यान्वित किया जा रहा है। इस काम्पलेक्स की अनुमानित पूंजीगत लागत 1390 करोड़ रुपये है।

विमान टायरों का निर्माण

4640. **श्री एन० डेनिस :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ उत्पादकों को विमान टायरों का निर्माण करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन-सी फर्मों को यह कार्य करने की अनुमति दे दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) रबड़ उत्पादकों को किसी प्रकार के टायरों का विनिर्माण करने की अनुमति देने के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। टायरों का विनिर्माण करने वाली दो कम्पनियों अर्थात् मैं० डनलप इंडिया लि० तथा एम० आर० एफ० लिमिटेड को विमानों के लिए टायरों का विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के स्टोरेज प्वाइंट्स निर्माण कार्य पूरा होना

4641. **श्री एन० डेनिस :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मद्रास कांजीवरम रास्ते पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ऊर्जा भंडारण केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने नेवेली लिग्नाइट निगम की ओर से श्री पैरुम्बुदूर (मद्रास व कांचीपुरम के बीच) 400 के० वी० उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। यह नेवेली लिग्नाइट निगम का प्रतिष्ठान है।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड की बेंजिन परियोजना

4642. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड की बेंजिन परियोजना सफलतापूर्वक चालू हो गई है;

(ख) क्या परियोजना में अतिरिक्त रोजगार का लक्ष्य प्राप्त हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजना में 120 व्यक्तियों को रोजगार देने की परिकल्पना की गई है। इनमें से 51 व्यक्ति पहले ही काम कर रहे हैं। शेष पदों को भरने के लिए भर्ती की जा रही है।

(घ) परियोजना की अनुमोदित लागत 75.8 करोड़ रुपये की है।

नई कारों का निर्माण करने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड को लाइसेंस

4643. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई माडल कारें तथा वाहनों का निर्माण करने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड को वर्ष 1988 अथवा 1989 के दौरान नये लाइसेंस दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा कारों का निर्माण और निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड की विद्यमान लाइसेंस क्षमता के भीतर ही मारुति उद्योग लिमिटेड के 97.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 1000 सी० सी० 3-बाक्स कार के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड के निर्माण और निर्यात लक्ष्य क्रमशः 1,15,.00 और 3,250 वाहन है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

4644. **श्री परसराम भारद्वाज** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए आवंटन में से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार पर 31 जनवरी, 1989 तक कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) प्रत्येक राज्य में, विशेषकर मध्य प्रदेश में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे कितने टेली-फोन हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) प्रांतीय सर्किलों को निधि आवंटित की जानी है जिनका राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के साथ सदा कोई संबंध नहीं रहता है। इसके अलावा कार्यशील सर्किलों को भी निधियाँ आवंटित की जाती हैं जिनका कार्यक्षेत्र प्रान्तीय सर्किल के

क्षेत्र से काफी बड़ा होता है। सातवीं योजना अवधि के दौरान, 31-3-1989 तक दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार पर होने वाला प्रान्तीय सर्किलवार खर्च संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	सर्किल का नाम	सातवीं योजना अवधि में 31-1-89 तक अदा किया गया खर्च	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	363.99	
2.	असम	14.94	
3.	बिहार	72.30	
4.	गुजरात	33?.80	दादर और नगर हवेली
5.	हरियाणा	36.00	सहित
6.	हिमाचल	14.98	
7.	जम्मू व कश्मीर	26.26	
8.	कर्नाटक	290.27	
9.	केरल	237.0[illegible]	लक्षदीप सहित
10.	मध्य प्रदेश	147.51	
11.	×महाराष्ट्र	391.10	गोआ सहित
12.	उत्तर दक्षिण	34.29	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय,
13.	उड़ीसा	53.07	नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा,
14.	पंजाब	154.00 चण्डीगढ़ सहित	मिजोरम सहित
15.	राजस्थान	124.85	
16.	तमिलनाडु सर्किल और मद्रास टेली०	416.08 पांडिचेरी सहित	
17.	उत्तर प्रदेश	205.49	सिक्किम, अण्डमान व
18.	प० बंगाल कलकत्ता टेलीफोन सहित	224.22	निकोबार द्वीपसमूह सहित

1	2	3	4
19.	× दिल्ली	82.85	
		3122.03	

12 कार्यशील सर्किलों को विधियां
आवंटित की गई जिन्हें लम्बी दूरी के संचार
नेटवर्क, दो प्रशिक्षण केन्द्रों, 3 दूरसंचार फैक्ट्रियों और
एक केन्द्रीकृत भंडार संगठन की संस्थापन और अनुरक्षण का काम सौंपा गया है।

671.00

3793.03

विवरण-2

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रति हजार व्यक्ति टेलीफोनों की संख्या (31-1-1989 की स्थिति के अनुसार
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.1
2.	असम	1.7
3.	बिहार	1.2
4.	गुजरात (दादर एण्ड नागर हवेली और दमन एण्ड द्वीव सहित)	10.7
5.	हरियाणा	5.6
6.	हिमाचल प्रदेश	5.8
7.	जम्मू एण्ड काश्मीर	4.2
8.	कर्नाटक	6.8
9.	केरल (लक्षद्वीप एण्ड पांडिचेरी सहित)	7.4
10.	मध्य प्रदेश	2.6
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	13.3
12.	उड़ीसा	1.8

1	2	3
13.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	9.0
14.	राजस्थान	3.5
15.	तमिलनाडु	7.9
16.	उत्तर प्रदेश	2.3
17.	प० बंगाल (सिक्किम एण्ड अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सहित)	5.0
18.	उत्तर दक्षिण राज्य (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा)	3.1

कम्भाम, आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

4645. **श्री सी० सम्बु :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकासम जिला (आंध्र प्रदेश) में कम्भाम कस्बे में दूसरा दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है क्योंकि इसी जिले में ओंगले में विद्यमान कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर आस-पास के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने में सक्षम नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) अंगोले में कार्यरत अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के अलावा, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के भागों को विजयवाड़ा में कार्यरत उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है। सातवीं योजना के अंतर्गत प्रकाशम जिले में एक और दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में दूसरे तेल शोधक कारखाने की स्थापना

4646. **श्री सी० सम्बु :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में दूसरा तेल शोधक कारखाना चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में दूसरी तेल रिफाइनरी स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि आठवीं पंचवर्षीय

योजना के निष्पादन के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है जो देश में नई शोधन क्षमता के सृजन के बारे में, यदि कोई होगी, उचित सिफारिशें करेगा।

पश्चिम बंगाल में सोवियत संघ द्वारा वित्त पोषित ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति

4648. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 1987 मे भारत सोवियत समझौते की शर्तों के अन्तर्गत सोंवित संघ की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाने वाली 840 मे०वा० क्षमता की ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) नवम्बर, 1987 में नई दिल्ली में हुए भारत-सोवियत समझौते के अन्तर्गत सोवियत रूस के प्राधिकारियों ने 840 मे०वा० क्षमता की ताप विद्युत परियोजना के निर्माण के लिये सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। तथापि इस आशय का निर्धारण नहीं किया गया है कि सहायता के रूप में प्राप्त इस ऋण राशि का समुपयोजन पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाने वाली ताप विद्युत परियोजना के लिए ही विशिष्ट रूप से किया जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ क्षमता अधिष्ठापन योजना, क्षेत्र की विद्युत मांग एवं अन्य तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष का पता लगाया जाएगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा केबिलों के आयात के लिए विश्व स्तर पर निविदाएं

4649 श्री सनत कुमार मंडल :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 45 किलो मीटर लंबाई की 220 के०वी० एक्स० एम०पी०ई० केबिलों के आयात के लिये विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा में इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) इन केबिलों को कहां प्रयोग किया जाएगा; और

(घ) उक्त केबिलों की सप्लाई के लिये विदेश की किस कंपनी को ठेका दिया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा 45 कि०मी० लम्बी 220 के०वी० एक्स०एम०पी०ई० केबिल की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। विदेशी मुद्रा के रूप में इसकी अनुमानित लागत 25—30 करोड़ रु० के बीच है।

(ग) 220 के०वी० एक्स०एल०पी०ई० केबिल इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र विस्तार तथा पार्क स्ट्रीट उपकेन्द्र के बीच बिछाई जानी है।

(घ) निविदाओं का मूल्यांकन कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में आर्डर दिए जाने के बारे में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में टेलीफोन सुविधाएं

4650. **श्री टी० बाल गोड़ :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1989-90 में तीन ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की आशा है।

(ख) इस प्रयोजन के लिये अलग से निधियों का आबंटन नहीं किया जाता। सर्किलों के लिए मंजूर की गई एक मुश्त अनुदान राशि से इन कार्यों के लिये निधियां प्रदान की जाती हैं।

गांवों में डाकिया और जनसंख्या का अनुपात

4651. **श्री टी० बाल गोड़ :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गांवों में वर्तमान डाकिया और जनसंख्या का अनुपात कितना है;

(ख) क्या सभी गांवों में इस अनुपात को बनाये रखा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो किन गांवों में निर्धारित अनुपात को नहीं बनाये रखा गया और ऐसे सभी गांवों में निर्धारित अनुपात के अनुसार डाकिए उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सम्पूर्ण देश की जनसंख्या के लिये पोस्टमैन का अनुपात 1 : 1343 है। पोस्टमैन के जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े ग्रामों के लिये अलग से नहीं रखे जाते। पोस्टमैनों के पद से वित्त जनसंख्या के आधार पर मंजूर न करके निपटाये गये परियात के आधार पर मंजूर किये जाते हैं। देश के सम्पूर्ण स्थानों पर पोस्टमैन और जनसंख्या के अनुपात में एकरूपता नहीं दर्शाई जाती।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस ग्रिड तैयार करना

4652. **श्री टी० बाल गोड़ :**

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन में उपलब्ध विपुल गैस भंडार का पूर्ण उपयोग करने के लिए आंध्र प्रदेश में एक गैस ग्रिड तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) विभिन्न उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई करने के लिए नरसापुर से कोव्वुर तक एक पाइप लाइन का निर्माण किया गया है। इस प्रकार का गैस ग्रिड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आवश्यक होने पर अतिरिक्त पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी।

आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा उप-डाकघर खोलना

4653. **श्री टी० बाल गौड़ :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितने नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा उप-डाकघर खोले गये;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989-90 में नलगोंडा जिले में नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा नये उप-डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) नलगोंडा जिले में खोले गये नये सार्वजनिक टेलीफोन घरों और उप-डाकघरों की संख्या नीचे दी जा रही है :

	वर्ष	
	87-88	88-89
1. नए सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	2	शून्य
2. उप डाकघर	शून्य	शून्य

(ख) जी हां।

(ग) तीन सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिये अलग से किसी निधि का आबंटन नहीं किया गया है। सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए निधि सर्किल द्वारा प्रदान किये गये एक मुश्त अनुदान से प्राप्त होती है।

जहां तक उप डाकघरों का प्रश्न है, एक उप डाकघर गंगमवारी गुदम नलगोंडा की श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एस०एल०बी०सी०) कालोनी में 1989-90 में खोला जाना है। 1989-90 के लिए डाक सर्किलों के बजट आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

उड़ीसा में अखबारी कागज उत्पादन कारखाने

4654. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में अखबारी कागज का उत्पादन करने वालें कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वहां कच्चा माल प्रचुर मात्रा में सुलभ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अखबारी कागज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उड़ीसा में अखबारी कागज का उत्पादन करने वाला कारखाना स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस समय उड़ीसा राज्य में कोई भी एकक अखबारी कागज का निर्माण नहीं कर रहा है।

(ख) उड़ीसा राज्य में चार बड़ी मध्यम कागज मिलें हैं जो मुख्यत: वन्य कच्चे माल पर आधारित हैं। उड़ीसा राज्य में अखबारी कागज कारखाने की सहायता के लिये प्रमाणित आधार पर वन्य अथवा अन्य कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) उड़ीसा राज्य में आयातित अखबारी कागज की रद्दी के उपयोग के आधार पर प्रति वर्ष 50,000 मी० टन क्षमता के लिए अखबारी कागज तथा लिखाई व छपाई के कागज का निर्माण करने के वास्ते एक नये उपक्रम की स्थापना करने हेतु एक अनिवासी भारतीय को अप्रैल, 1984 में एक आशय पत्र मंजूर किया गया था। उक्त आशय पत्र अप्रैल, 1986 में समाप्त हो गया।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन-सम्बन्धी समझौते

4655. श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटक कार्य समिति ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन समझौते को शीघ्र अंतिम रूप न दिये जाने पर सीधी कार्यवाही करने तथा अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) इंटक कार्य समिति ने 30-1-1989 को पारित अपने एक प्रस्ताव में सरकार से बिना और अधिक विलम्ब के मजूरी समझौतों को अन्तिम रूप दिये जाने को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र उपाय करने का आह्वान किया है और ऐसा नहीं होने पर इंटक अपने सम्बद्ध संघों को सीधी कार्रवाई करने का आदेश देने के लिए बाध्य हो जाएगी। यह अज्ञात है कि विचारित सीधी कार्रवाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल शामिल है या नहीं।

(ख) सरकार ने मजूरी नीति निर्धारित कर दी है और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धकों और श्रमिकों को द्विपक्षीय रूप से मजूरी नीति के मानदण्डों (प्राचलों) के भीतर मजूरी समझौतों को अंतिम रूप देना पड़ता है। तथापि, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मजूरी समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

कोयला खान मजदूरों की चिकित्सीय जांच

[हिन्दी]

4656. श्री सरफराज अहमद :

श्रीमती मनोरमा सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान मजदूरों की नियमित चिकित्सीय जांच के लिए समुचित प्रबन्ध किए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड की कम्पनियों में 77 अस्पताल जिनमें 4533 बिस्तर हैं तथा 417 औषधालय और 1241 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। इन चिकित्सा अधिकारियों के अलावा 100 चिकित्सा विशेषज्ञ आनकालोजी, ह्रदय रोग चिकित्सा, नेत्र रोग चिकित्सा, आदि जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान (जून, 1988 तक) भूमिगत खानों के 2,52,814 के अधिक कामगारों और भूतल तथा ओपनकास्ट खानों में कार्यरत 51,286 कामगारों की जांच की गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा की योजना

[अनुवाद]

4657. श्री विजय एन० पाटिल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष वर्ष 1988 के दौरान कितने मामले निर्देशित किए गए;

(ख) किन-किन बड़े औद्योगिक घरानों के नाम पिछले पांच वर्षों के दौरान एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को निर्देशित किए गए;

(ग) क्या बहुराष्ट्रिक कम्पनियां अनेक एकाधिपत्य घरानों के सहयोग में एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा की कोई योजना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) शून्य।

(ख) 1-1-1984 से 31-3-1989 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को दो संदर्भ भेजे गए थे। एक संदर्भ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 (3) (ग) के अन्तर्गत ग्लास लाइन्ड उपस्करों के विनिर्माण के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान डोरर-ओलिवर लिमिटेड के आवेदन के बारे में था, तथा दूसरा अधिनियम की धारा 31 (1) के निबंन्धनों के अधीन भारत के सेफ्टी रेजर ब्लेड उद्योग में एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं की व्यापकता से सम्बन्धित था।

मैसर्स हिन्दुस्तान डोरर-ओलिवर लि० से संबंधित मामला बन्द कर दिया गया था क्योंकि आवेदक कम्पनी ने तत्पश्चात आवेदन वापिस ले लिया था। दूसरे मामले में, आयोग बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अर्जीदार-टी-टी ब्लेड्स एण्ड अन्य पक्ष में रोकादेश मंजूर करने के कारण जांच-पड़ताल करने में समर्थ नहीं हो पाया है।

(ग) विदेशी सहयोग से या तो पर्याप्त विस्तार करने या नई इकाइयां स्थापित करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों के प्रस्ताव एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन है। इस बारे में किसी प्रकार की अवहेलना के लिए अधिनियम में अन्तर्विष्ट दण्डात्मक उपबन्ध लागू होते हैं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा कम्पनियों का अधिग्रहण

4658. **श्री विजय एन० पाटिल :**

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा विभिन्न कम्पनियों का अधिग्रहण करने की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां तो बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा वर्ष 1988 के दौरान कितनी कम्पनियों का अधिग्रहण किया गया था;

(ग) क्या यह अधिग्रहण एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अनुसार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कुछ बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा काफी संख्या में कम्पनियों का अधिग्रहण करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 (4) में यथा परिकल्पित "अधिग्रहण" में आवश्यक है कि उपक्रम के किसी भी स्वामी के लिए, जिस पर उक्त अधिनियम के अध्याय-III का भाग "क" लागू होता है, किसी दूसरे उपक्रम के अधिग्रहण को प्रभावी होने से पूर्व, विहित फार्म में आवेदन करके केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त होना अपेक्षित है। 1988 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने ऐसे 25 आवेदनों को अनुमोदित किया।

(घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 (4) और 28 में पहले से ही अधिग्रहण को विनियमित करने हेतु प्रावधान अन्तर्विष्ट हैं तथा अधिनियम की

धारा 46 में इन उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान भी है।

बल्क औषधों का उत्पादन लक्ष्य

4659. **श्री कमला प्रसाद सिंह :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में बल्क औषधों के उत्पादन और उनके विभिन्न मिश्रण तैयार किये जाने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मूल औषधों से विभिन्न औषधियों और मिश्रण तथा साथ ही जीवन रक्षक औषधियां तैयार करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जी, नहीं। अनेक मदों के मामले में उत्पादन में कमी मुख्यतः उतनी मांग न होने के कारण हुई है जितनी पूर्वानुमानित थी।

(घ) अनेक प्रकार की प्रपुंज औषधों और सूत्र योगों के उत्पादन के लिए देश ने प्रौद्योगिकी विकसित कर ली गई है। अनेक औषधों जैसे डैप्सोन, एस्पिरिन, पी० ए० एस० और इसके लवण क्लोरोमफेनिकोल, इबुप्रोफेन, ट्राइमेथोप्रिम आदि का उत्पादन मूल स्तर से किया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

4660. **श्री पी० पेंचालेया :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अयोध्या टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

[हिन्दी]

4661. **श्री निर्मल खत्री :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के टेलीफोन एक्सचेंज को कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में

बदल दिया जाएगा; और

(ख) इसकी प्रस्तावित क्षमता क्या होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1989-90 के दौरान अयोध्या में 200 लाइनों की क्षमता वाले एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के चालू किए जाने की योजना है।

"रामकथा" पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम

[अनुवाद]

4662. श्री निर्मल खत्री :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रामकथा" पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम को अयोध्या में दिखाने का है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) रामचरित मानस पर एक ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम, गीत और नाटक प्रभाग के पास पहले ही उपलब्ध है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम का ब्यौरा रामचरित मानस

1.	आलेख	:	श्री बी० नारायण द्वारा तुलीदास द्वारा रचित "रामचरित मानस" पर आधारित
2.	कार्यक्रम की अवधि	:	2 घंटे 10 मिनट
3.	कार्यक्रम की वषय वस्तु		यह राम जन्म से आरम्भ होता है और राज तिलक पर समाप्त होता है।
4.	कार्यक्रम निष्पादन में भाग लेने वाले कुल कलाकार	:	125 कलाकार
5.	रंगमंचों (प्लेटफार्मों) की संख्या	:	14 संख्या

6.	कार्य निष्पादन के लिए अपेक्षित विद्युत भार	:	3 चरणों में 100 किलोवाट
7.	रंगमंचों, प्रकाश एवं ध्वनि बूथों, नेपथ्यशालाओं (ग्रीन रूम), कार्यशाला एवं भंडारों आदि को बनाने के लिए अपेक्षित क्षेत्र		लगभग 300 वर्ग मीटर

तेल शोधन क्षमता में वृद्धि

[हिन्दी]

4663. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में उत्पादित तेल की शोधन क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान देश में कितने प्रतिशत तेल का शोधन किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान तेल शोधक क्षमता क्या थी और देश में वास्तव में कितने प्रतिशत तेल का शोधन किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। देश में उत्पादित कच्चे तेल की सम्पूर्ण मात्रा को स्वदेशी रिफाइनरियों में साफ करने का प्रस्ताव है;

(ग) और (घ) आगामी वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से करनाल, मंगलौर और असम में क्रमश: 6.00, 3.00 और 2.00 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता की तीन नई ग्रास रूट रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना है।

(ङ) 1-4-1988 को शोधन क्षमता 48.70 मिलियन टन प्रति वर्ष थी जिसमें एच० पी० सी० एल० बम्बई रिफाइनरी में 2 मिलियन टन प्रति वर्ष की स्विंग क्षमता भी शामिल है। वर्ष 1988-89 के दौरान स्वदेशी और आयातित 48.60 मिलियन टन कच्चे तेल को प्रोसेस करके 99.8 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त करने की सम्भावना है।

असम में "टूल रूमों" की स्थापना

[अनुवाद]

4664. श्री मक्केश्वर तांती :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में गुवाहाटी में "टूल रूम" स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस कार्य पर कितनी धन राशि खर्च होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० द्वारा गुवाहाटी स्थित अपने प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र में एक अति लघु औजार कक्ष की स्थापना की जा रही है। इस केन्द्र का भवन लगभग तैयार है और अति लघु औजार कक्ष के लिए संयंत्र व उपकरणों पर लगभग 30 लाख रु० का व्यय किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

4665. श्री मक्केश्वर तांती :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नैफ्था क्रैकिंग सुविधाओं सहित 3 मिलियन टन क्षमता का एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां. तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) असम में 2 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता की एक नई ग्रास रूट रिफाइनरी स्थापित करने के लिये सहमति हुई थी तथा असम में कच्चे तेल के उपलब्ध होने पर इसकी क्षमता को 3 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था होगी।

महानगरों में डाक की छंटनी के लिए कम्प्यूटरीकृत मशीनों का लाया जाना

4666. श्री मक्केश्वर तांती :

श्री गोपाल कृष्ण थोटा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में डाक की छंटनी के लिए उन्नत तकनीक वाली कम्प्यूटरीकृत मशीनें लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी लागत, क्षमता और सप्लाई स्रोत सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, इसकी शुरूआत दक्षिण बम्बई से की जाएगी ।

(ख) डाक आधुनिकीकरण परियोजना में लैटर सार्टिंग मशीन, कोडिंग डेस्क स्टाम्प कैंसिल मशीन और पत्रों तथा थैलों को ले जाने वाली मशीनें होंगी। स्वतः छंटाई की प्रक्रिया दो चरणों में की जानी है जैसे डाक कोडों को पढ़ना और उन्हें बार कोड में बदलना जो कि छंटाई द्वारा पत्र छंटाई मशीन में बार कोड के आधार पर प्रयोग की जाएगी। कोडिंग प्रचालन द्वारा प्रति घंटे 2000 से 3000 वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा अंतिम छंटाई 30,000 मदें प्रति घंटे की दर से करने की आशा है। कुल परियोजना की लागत सीमा शुल्क सहित 16.91 करोड़ हो सकती है। मशीनरी का आयात किया जाना है और विश्वव्यापी निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद आपूर्ति के स्रोत निश्चित किए जाएंगे ।

गुवाहाटी में नए टेलीफोन कनेक्शन

4667. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुवाहाटी में वर्तमान दूरसंचार प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ग) कितने व्यक्ति प्रतिक्षा सूची में हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 28-2-89 की स्थिति के अनुसार गुवाहाटी एक छोटा टेलीफोन जिला है जिसमें (i) 1000 लाइनों का एम०ए०एक्स० एक्सचेंज है जिसमें 8071 डाइरेक्ट एक्सचेंज लाइनें (डी०ई०एल०) और (ii) 2500 लाइनों का एक एम०ए०एक्स०-II एक्सचेंज है जिसमें 2148 सीधी एक्सचेंज लाइनें हैं। इसमें 500 लाइनों का एक इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज भी है। यह नगर राष्ट्रीय संचारण नेटवर्क के साथ पूर्णरूपेण जुड़ा हुआ है और यहां से सीधे तौर पर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय डायल सुविधा उपलब्ध है। तार परियात के लिए यहां तक एक केन्द्रीय तारघर तथा दो विभागीय तारघर हैं।

(ख) गुवाहाटी में 1987-88 के दौरान 462 और 1988-89 में (28-2-89 तक) 237 नये टेलीफोन कनेक्शन दिए गए ।

(ग) 28-2-89 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 6102 आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

राजस्थान में विद्युत परियोजनाएं

4668. **श्री विष्णु मोदी :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में राजस्थान को अत्यधिक बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में कुछ विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे देगी?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) भारत के 13वें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, आठवीं योजनावधि के अंत में राजस्थान को लगभग 41% व्यस्ततम-कालीन कमी और लगभग 35% ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

(ख) और (ग) राजस्थान में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	नाम	क्षमता (मे०वा०)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	जवाई मिनी (ज०वि०)	4×0.6	के०वि०प्रा० की कुछ टिप्पणियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.	कोटा पम्पड स्टोरेज (जल विद्युत)	2×100	—वही—
3.	सूरतगढ़ (ता० विद्युत)	2×210	कोयला लिंकेज को अभी सुनिश्चित किया जाना है।
4.	धौलपुर (ता० विद्युत)	2×210	पर्यावरण और वन मंत्रालय ने परियोजना-स्थल को मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि इससे पर्यावरण तथा ताज महल पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा वैकल्पिक स्थल का चयन किया जाना है और संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
5.	चित्तौड़गढ़ (ता० विद्युत)	2×210	जल तथा अन्य निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा और अन्वेषण-कार्य किए जाने हैं।
6.	मंडलगढ़ (ता० विद्युत)	3×210	
7.	राहूघाट (ज० विद्युत)	4×40	अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान किया जाना है।
8.	जाखम (ज० विद्युत)	1×5.5	परियोजना प्राधिकारियों से कुछ अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
9.	माउंट आबू बहुद्देशीय (जल विद्युत)	2×5	एक बहुद्देशीय परियोजना होने के कारण स्कीम को पहले जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। के०वि०प्रा० की कुछ टिप्पणियों के सम्बन्ध में उत्तर की प्रतीक्षा है।

अपेक्षित सूचना/संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हो जाने, इंधन का लिंकेज सुनिश्चित हो जाने अथवा अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान हो जाने, जैसा भी मामला हो, के बाद ही स्कीमों का के०वि० प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा सकता है।

अल्मोड़ा जिले में टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

4669. श्री हरीश रावत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र हैं;

(ख) क्या अधिकांश सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की एक दूसरे से दूरी 10 किलोमीटर से भी अधिक है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस जिले में और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का विचार है?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में इस समय 27 टेलीफोन एक्सचेंज, 48 सार्वजनिक टेलीफोन घर और लम्बी दूरी के 53 सार्वजनिक टेलीफोन हैं।

(ख) जी हां, लम्बी दूरी के अधिकांश सार्वजनिक टेलीफोनों के बीच की दूरी एक-दूसरे से 10 कि०मी० है।

(ग) जी हां।

(1) विभाग की उदार नीति के फलस्वरूप न्यूनतम दत्त मांग होने पर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे।

(2) वर्ष 1989-90 के दौरान 1 (एक) और 1990-91 के दौरान 32 (बत्तीस) लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है।

किराए के भवनों में डाक और तारघर

[अनुवाद]

4670. श्री चिन्तामणि जेना :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में डाक और तारघर किराए के गैर सरकारी भवनों में चल रहे हैं;

(ख) क्या डाक-तार कार्यालयों द्वारा किराये पर लिए गए भवनों/इमारतों को खाली कराने के अनेक मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं, यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कितने मामले हैं; और

(ग) डाक और तार घरों के लिए देश में विशेष रूप से उड़ीसा में, अपने भवनों का निर्माण करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) डाकघरों के लिए किराए पर लिए गए भवन/परिसरों को खाली कराने के अनेक मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। इनका राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है और दूरसंचार विभाग से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विभागीय भवन बनाने से संबंधित डाक विभाग की वर्तमान नीति संलग्न विवरण-2 मे दी गई है और तारघरों के लिए भवन निर्माण संबंधी दूरसंचार विभाग की नीति संलग्न विवरण-3 में दी गई है।

विवरण-I

डाकघरों के लिए भवनों/परिसरों को खाली कराने से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों की राज्य वार सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम	मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	1
4.	बिहार	25
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	47
7.	हरियाणा	15

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू व कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	23
11.	केरल	7
12.	मध्य प्रदेश	65
13.	महाराष्ट्र	58
14.	मणिपुर	—
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	—
18.	उड़ीसा	5
19.	पंजाब	12
20.	राजस्थान	42
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	51
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	67
25.	पश्चिम बंगाल	6
	कुल :	460×

×अस्थाई

विवरण-2

विभागीय भवनों के निर्माण में डाक विभाग की वर्तमान नीति

विभागीय भवन के निर्माण करते समय परस्पर प्राथमिकता देते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है :—

(1) क्या डाकघर उच्च किराया क्षेत्रों में स्थित है।

(2) बड़े प्रचालन भवन जैसे प्रधान डाकघर, डाक भंडार डिपो, मेल मोटर सेवा गैरेज, कार्य-

शाला इत्यादि तथा बड़े प्रशासकीय कार्यालय जैसे पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय आदि के निर्माण को अति-प्राथमिकता दी जाती है।

(3) छोटे डाकघरों के लिए प्रचालन भवन।

भवन नीति दो प्रतिबन्धों पर निर्भर करती है।

(1) भूमि की उपलब्धता और

(2) निधि की उपलब्धता

उड़ीसा राज्य सहित सम्पूर्ण देश में एक जैसी नीति लागू होती है।

विवरण-3

विभागीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित दूरसंचार विभाग की नीति

निधि की अनुपलब्धता और पूंजी ब्लाक न हो इससे बचने के लिए दिनांक 5-9-85 पत्र सं० 501-10/81/टी०पी०एस०/बी०टी० प्रति संलग्न के जरिए विभागीय एक्सचेंज टेलीग्राफ और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए भवन किराए पर लेने से संबंधित कुछ मार्ग-निर्देश जारी किए गए थे।

तदनुसार, सभी जिला दूरभाष केन्द्र और प्रशासकीय कार्यालय किराए के भवनों में लगाए जायेंगे और इस समय उनके लिए विभागीय भवनों का निर्माण नहीं किया जा सकता।

तथापि, इन मानदंडों में छूट देने के लिए यदि ऐसा महसूस किया जाता है कि किसी भवन का निर्माण किया जाना चाहिए तो ऐसे मामलों में निर्णय अपने कार्य क्षेत्र के अधीन संबंधित सर्किल/टेलीफोन जिलों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं लिया जाना चाहिए। सर्किल अध्यक्षों तथा टेलीफोन जिलों के अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामले इस कार्यालय को (दूरसंचार निदेशालय) भेजे जाने चाहिएं।

सं० 501-10/81-टी पी एस (बीटी)

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 5-9-1985

सेवा में,

सभी दूरसंचार सर्किलों/जिलों के अध्यक्ष।

विषय : विभागीय एक्सचेंजों, तारघरों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए भवनों को किराये पर लेना।

योजना आयोग ने हमारी 12,500 करोड़ रु० की मूल मांग की तुलना में विभाग को 4010 करोड़ रु० आवंटित करना निश्चित किया है। इससे हमारे लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए विविध परिसम्पत्तियां जुटाने की समूची नीति की पुनरीक्षा करना आवश्यक हो गया है। यह आवश्यक

है कि उपलब्ध धनराशि का अधिकतम फायदे के साथ ऐसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिन्हें विभाग स्वयं कर सकता हो। हमें उन सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए जो पट्टे पर या किराये पर प्राप्त की जा सकती हैं। इससे अपर्याप्त पूंजीगत स्रोतों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. विविध विभागीय संस्थापनाओं के लिए भवन एक ऐसी ही परिसंपत्ति/सुविधा है जिसे पट्टे पर या किराये के आधार पर प्राप्त करने में फायदा हो सकता है। तदनुसार, यह निर्णय किया गया है कि सभी एम ए एक्स-II, एम ए एक्स-III, मैनुअल एक्सचेंजों और विभागीय तारघरों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिये उचित किराये/पट्टे पर भवन प्राप्त करने के सभी प्रयास किये जायें। ऐसे भवन निर्माताओं के साथ बातचीत की जाये जो हमारी मांग के अनुसार भवनों का निर्माण करने के लिये तैयार हों और उन भवनों को हमें दीर्घकालीन पट्टे पर लगभग स्थायी रूप से देने के लिए तैयार हों। पट्टे पर लम्बी अवधि के लिये भवन प्राप्त करने के प्रयोजन से एक प्रोत्साहन के रूप में आवधिक पुनरीक्षा और समय-समय पर किराये में वृद्धि के लिये लीज एग्रीमेंट की उचित व्यवस्था की जाये।

3. हालांकि, एम ए एक्स-I संस्थापनाओं के लिये भवन प्राप्त करना कठिन होगा, फिर भी इन मामलों में भी उचित भवन प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जाएं, विशेषकर बड़े शहरों में बहु-मंजलीय कार्यालय/वाणिज्यिक परिसरों में, जहां इस समय बड़े और महानगरीय टेलीफोन जिलों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है।

4. उपर्युक्त निर्णयों को देखते हुए, विभागीय एक्सचेंजों, विभागीय तारघरों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिये भवनों के मामले में कारंवाई करने के लिये सर्किल और जिला अध्यक्षों द्वारा निम्नलिखित मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया किया जाये :—

(1) जहां तक सम्भव हो, सभी एम ए एक्स-II, एम ए एक्स-III और मैनुअल एक्सचेंजों को किराये के भवनों में स्थापित किया जाये और केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां निर्माण कार्य पहले ही चल रहा है या उसमें काफी प्रगति हो गई है, उक्त एक्सचेंजों के लिये, फिलहाल कोई विभागीय भवन न बनवाया जाये।

(2) सभी विभागीय तारघर और प्रशासनिक कार्यालय भी किराये के भवनों में ही रहेंगे और उनके लिए फिलहाल, विभागीय भवन न बनवाए जाएं।

(3) एम ए एक्स-I एक्सचेंजों के मामले में, प्रत्येक शहर में मुख्य एक्सचेंज और संचारण केन्द्र के लिए विभागीय भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। तथापि, बड़े शहरों के मामले में (बड़े और महानगरीय जिले) जहां बड़े बहुमंजलीय/वाणिज्यिक भवन बन रहे हैं, वहां एक्सचेंजों और आर० एल० यू० के लिए उपयुक्त फ्लोर प्राप्त किए जाएं।

भवन किराये पर लेने के लिए समझौता-अनुसूची को उन मानदंडों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए जो इस कार्यालय के निम्नलिखित परिपत्रों में विनिर्दिष्ट किये गये हैं :—

(क) 482-6/81-टी पी एस (बीजी) दि० 28-7-83 (एम ए एक्स-III के लिए)

(ख) 482-3/75-टी पी एस (बीजी) पार्ट दिनांक 11-4-88 (एम ए एक्स-II के लिए)

(ग) 151-11/73 टी पी एल (सीपी) दि० 7-3-74 (विभागीय तारघरों और केन्द्रीय तारघरों के लिए)

(घ) 461-38/77-टी पी एस (बीजी) दि० 13-4-82 (प्रशासनिक भवनों के लिए)

यदि यह महसूस किया जाता है कि किसी भवन का निर्माण किया जाना चाहिए, तो इन मार्ग-निर्देशों में छूट प्राप्त करने के लिए मामले को सर्किल/टेलीफोन जिले के अध्यक्ष को भेजा जाएगा जो सभी मामलों को अपनी शक्तियों के अधीन व्यक्तिगत रूप से निपटाएंगे। जो मामले सर्किल और जिला अध्यक्षों की शक्तियों से बाहर होंगे, वे इस कार्यालय को भेजे जाएंगे।

इसे वित्त शाखा के अनौपचारिक पत्र संख्या 1126-एफ ए-11/85-टी दिनांक 28-8-85 के तहत प्राप्त हुई सहमति के अनुसार जारी किया गया है।

कृपया इस पत्र की पावती उप महानिदेशक (एस) को भेजें।

हस्ताक्षर

(डी० के० संगल)

सदस्य (दूरसंचार विकास)

दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना

4671. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री मोहन भाई पटेल :

श्री हरिहर सोरन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक दूरदर्शन के कितने स्टूडियो कहां-कहां स्थापित किए गए हैं; और

(ख) क्या देश में और अधिक दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस समय दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं निम्नलिखित 18 स्थानों पर उपलब्ध हैं : —

1. अहमदाबाद	10. जयपुर
2. बम्बई	11. जलंधर
3. बंगलौर	12. लखनऊ
4. कटक	13. मद्रास
5. कलकत्ता	14. नागपुर
6. दिल्ली	15. राजकोट
7. गोरखपुर	16. रांची
8. गुवाहाटी	17. श्रीनगर
9. हैदराबाद	18. त्रिवेन्द्रम

(ख) गुवाहाटी. रांची, राजकोट, श्रीनगर, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में कार्यक्रम निर्माण सुविधा बढ़ाने के अलावा निम्नलिखित 30 (तीस स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है :

1. अगरतला
2. आईजोल
3. इलाहाबाद
4. बरेली
5. भोपाल
6. भुवनेश्वर
7. चण्डीगढ़
8. डाल्टनगंज
9. डिब्रूगढ़
10. गंगतोक
11. गुलबर्गा
12. हरियाणा (स्थान नियत किया जाना है)
13. इम्फाल
14. ईटानगर
15. जम्मू
16. कोहिमा
17. मदुरै
18. मुजफ्फरपुर
19. पणजी
20. पटना
21. पांडिचेरी
22. पोर्टब्लेयर
23. पुणे
24. रायपुर
25. शिलांग
26. शिमला
27. सिल्चर
28. सिलिगुड़ी
29. तुरा
30. विजयवाड़ा

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन, आधारभूत सुविधाओं तथा दूरदर्शन की वार्षिक योजनाओं में साधनों के आबंटन पर निर्भर करेगा।

पेट्रोलियम क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की समीक्षा

4672. श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी और यह प्रस्ताव किया गया था कि वर्तमान संस्थानों को मजबूर किया जाए और समीक्षा के परिणामानुसार जिन क्षेत्रों में कमी पाई जाए वहां अधिक प्रयास किये जाएं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में क्या प्रगति की गयी है; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसा कोई सर्वेक्षण किया गया है या आठवीं योजना के दौरान करने का प्रस्ताव है जिससे कि संस्थानों को इस हद तक मजबूत बनाया जा सके ताकि देश पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) अनुसंधान और विकास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और अधिकतर तेल कम्पनियों के अपने आंतरिक अनुसंधान और विकास एकक हैं तथा उनके कार्यक्रमों की उनके प्रबंधकों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

2. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पांच अनुसंधान संस्थान स्थापित किये हैं इनके नाम हैं: केशवदेव मालवीय इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, देहरादून, ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, रिजरवायर अध्ययन संस्थान, अहमदाबाद, इंजीनियरी और सागर विकास संस्थान तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई। वे गोआ में पेट्रोलियम सुरक्षा और पर्यावरण संस्थान भी स्थापित कर रहे हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन का फरीदाबाद में एक अलग से अनुसंधान और विकास केन्द्र है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा आई० बी० पी० कम्पनी ने गुड़गांव के पास हरियाणा में अपने अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित किये हैं।

3. ऐसे अनुसंधान प्रयासों में कमी का पता लगाने के लिए जहां नये प्रयास किये जाने चाहिए या वर्तमान प्रबन्धों को सुदृढ़ किया जाए तथा उचित सिफारिशें करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व महानिदेशक डा० जी० एस० सिद्धू की अध्यक्षता में पेट्रोलियम क्षेत्र में अनुसंधान की सम्भावना का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समिति का दिसम्बर, 1983 में गठन किया गया।

4. समिति की रिपोर्ट पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन की प्रोसेसिंग में सम्बन्धित वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति तथा तेल की खोज और उत्पादन से सम्बन्धित भू-वैज्ञानों की वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति ने विचार किया। दोनों वैज्ञानिक परामर्शदात्री समितियों द्वारा दिये गये सुझावों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने तेल क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अन्य सम्बद्ध एजेंसियों को इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए लिखा है जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था।

5. इसके अतिरिक्त तेल क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा मंत्रालय की दो वैज्ञानिक परामर्शदात्री समितियों अर्थात् हाईड्रोकार्बन की प्रोसेसिंग से सम्बन्धित वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति तथा भू-विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति समय-समय पर करती है तथा तेल कम्पनियों द्वारा इनकी सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाता है।

6. रिफाइनरी प्रोसेस, पेट्रोलियम उत्पादों जिनमें लुब्रिकेंटों और योगज तथा उनका प्रयोग भी शामिल है, के क्षेत्र में भावी आवश्यकताओं, उनकी प्राप्ति, विकास तथा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के बारे में मूल्यांकन करने तथा भण्डारण, कच्चे तेल उत्पादों और गैस की संभाल और उसके परिवहन तथा प्रौद्योगिकियों के आधुनिकीकरण से सम्बद्ध कार्यों के लिए मई, 1987 में एक उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की गई यह केन्द्र निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(क) उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा खोजे गए अन्तर में कार्य के विस्तृत कार्यक्रम बनाएगा तथा वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देगा तथा उनकी प्रगति पर निगरानी रखेगा।

(ख) प्रयोगशालाओं, प्रयोक्त संगठनों और डिजाइन संगठनों के बीच प्रभावी संबंध विकसित करना।

7. देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हालांकि ये प्रयास तेज किए गए हैं, फिर भी पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना निकट भविष्य में सम्भव प्रतीत नहीं होता।

जौनपुर जिला (उत्तर प्रदेश) में डाकघर

4673. श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में डाकघरों की प्रतिशतता सबसे कम और सबसे अधिक है;

(ख) इस दृष्टि से जौनपुर जिला किस श्रेणी में आता है;

(ग) क्या जौनपुर जिले के डाकघरों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन डाकघरों में टेलीफोन सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जौनपुर जिले के 102 डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

(घ) विभाग की नीति प्रत्येक बसे हुए क्षेत्र में 5 कि० मी० के भीतर दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की है। इसके लिए देश को 5 कि० मी० की भुजा वाले षट्भुजाकार क्षेत्रों में बांटा गया है और उसमें प्रमुख ग्राम को तथा उसमें भी ग्राम पंचायत मुख्यालय को उत्तरोत्तर दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिए चुना गया है। यह सुविधा डाकघर अथवा किसी पंसारी की दुकान इत्यादि, जहां भी उपयुक्त हो, दी जा सकती है।

यह नीति जौनपुर जिले के मामले में भी लागू होती है।

कागज उद्योग के लिए वनरोपण

4674. श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग को दीर्घकालीन आधार पर कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए वनरोपण कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के ओंगोले और मरकापुरम आकाशवाणी केन्द्रों के ट्रांसमीटरों की प्रसारण क्षमता बढ़ाना

4675. श्री सी० सुब्बु :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में स्थित ओंगोले और मरकापुरम आकाशवाणी केन्द्रों के ट्रांसमीटरों की प्रसारण क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, जिनकी प्रसारण क्षमता इस समय कम है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस समय आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के आंगोले या मरकापुरम में कोई रेडियो स्टेशन मौजूद नहीं है। तथापि, अनुमोदित सातवीं योजना में मरकापुरम में 2 × 3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटरों, बहु उद्देश्यीय स्टूडियो आदि सहित एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम शामिल है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में पवन विद्युत जेनरेटरों की स्थापना

4676. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या ऊर्जा मंत्री में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोई पवन विद्युत जेनरेटर स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां-कहां स्थापित किया गया है और उनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिमी समुद्रतट पर और अधिक पवन विद्युत जेनरेटर स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पवन से कितने यूनिट बिजली पैदा हो रही है; और

(च) वर्ष 1988 के दौरान पवन विद्युत जेनरेटरों के माध्यम से कुल कितनी बिजली उत्पादित की गई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। केरल के पालघाट जिले में कोट्टामाला में दिसम्बर, 1988 में एक 100 किलोवाट के पवन विद्युत अभित्र की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक के राज्यों में पश्चिमी समुद्र तट के साथ-साथ 3.5 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता कार्यशील है। गुजरात राज्य में एक और लगभग 14 मेगावाट की समेकित क्षमता की स्थापना की जा रही है जिसमें वर्तमान जानकारी के अनुसार पश्चिमी समुद्र तट के साथ-साथ बहुत अच्छी सम्भावना है।

(क) और (ख) इस समय कुल स्थापित पवन फार्म क्षमता 6.85 मेगावाट है। इन परियोजनाओं से 1988 के दौरान सम्बन्धित राज्य बिजलीघरों को लगभग 65 लाख यूनिट विद्युत की आपूर्ति की गई थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्वायत्तता

4677. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्तता प्रदान करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकार की यह नीति है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जवाबदेही के अनुरूप अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को बढ़ी हुई प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी हैं जो सरकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही हैं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के 18 उपक्रमों अर्थात् भारत यंत्र निगम लि०, मारुति उद्योग लि०, भारी इंजीनियरी निगम लि०, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, एच० एम० टी० लि०, राज्य व्यापार निगम लि०, खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०, इंडियन एयर लाइन्स, एयर इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स, भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०, इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०, कोल इंडिया लि०, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० तथा भारतीय तेल निगम लि० को वर्ष 1989-90 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हैं।

बिजली की खपत

4678. श्री शांति लाल पटेल :

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के संदर्भ में राज्य बिजली बोर्डों से कहा गया है कि वे बिजली के व्यर्थ उपयोग को रोकें;

(ख) क्या भारत में बिजली की खपत जापान की तुलना में दुगुनी है; और

(ग) यदि हां, तो बिजली के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। बिजली

के संरक्षण और इसके कुशलतापूर्वक इस्तेमाल के लिए राज्य बिजली बोर्डों को उपाय करने को कहा गया है।

(ख) भारत के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में प्रति यूनिट उत्पादन बिजली उपभोग जापान की तुलना में काफी अधिक है।

(ग) बिजली के कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने संबंधी कार्यक्रम में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है—विशिष्ट ऊर्जा उपभोग में कमी करने के लक्ष्य निर्धारित करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ऊर्जा संबंधी लेखा-परीक्षा करना, जन-जागरण अभियान चलाना, वैद्युत उपकरणों का मानकीकरण करना, ऊर्जा की बचत करने वाले यंत्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना और अकुशल कृषि पम्पसैटों में सुधार करने के लिए प्रदर्शन परियोजनाएं बनाना आदि।

त्रिपुरा में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

4679. **श्री शान्ति लाल पटेल :**

श्री वी० एस० बासवराजू :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ त्रिपुरा में गैस पर आधारित एक विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) त्रिपुरा के बा मूरा में 1×9250 किलोवाट गैस टर्बाइन (तीसरा यूनिट) की सप्लाई तथा सेवाओं के लिए एफ० एफ० 27,644,258/- रु० की राशि हेतु वर्ष 1983-84 के लिए भारत-फ्रेंच प्रोटोकोल के अन्तर्गत त्रिपुरा सरकार और फ्रांस के मैसर्स हिसपानो-सुइजा के बीच एक ठेके पर हस्ताक्षर किए गए हैं इसमें सम अनुपात में सुलभ ऋण और आयात ऋण के मिश्रण की सुविधा का भी प्रावधान है।

हिन्दी के समाचारपत्रों को विज्ञापनों के लिए अंग्रेजी में मुद्रित ठेका फार्मों की सप्लाई

[हिन्दी]

4680. **श्री सलाउद्दीन :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्यों से प्रकाशित हो रहे हिन्दी समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को ठेका फार्मों को प्रश्नावलियां तथा विज्ञापनों के जो आदेश विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पहले हिन्दी में भेजे जाते थे अब अंग्रेजी में भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपबन्धों का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) जो हिन्दी समाचार पत्र/जर्नल पहली बार सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन करते हैं उन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा माध्यम विशिष्ट फार्म/प्रश्नावली हिन्दी में दी जाती है। परन्तु, ठेके के नवीनीकरण के मामलों में अपेक्षित आवेदन फार्म तथा ठेका फार्म, कम्प्यूटरीकरण के कारण अपरिहार्य तकनीकी कारणों से, इस समय केवल अंग्रेजी में ही दिए जा रहे हैं। हिन्दी समाचार पत्रों/जर्नलों के लिए इन दस्तावेजों को भी हिन्दी कम्प्यूटराइज्ड फार्मेट में उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी गई है।

केरल में रसोई गैस की एजेंसियां

[अनुवाद]

4681. श्री के० कुन्हम्बू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितनी एजेंसियां दी गई हैं;

(ग) केरल में इस वर्ष कितनी एजेंसियां आवंटित की जाएंगी; और

(घ) इनमें से कितनी एजेंसियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवंटित की जाएंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) केरल राज्य में वर्तमान में 137 एल० पी० जी० के वितरण केन्द्र हैं जिसमें से 31 केन्द्र अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हैं।

(ग) और (घ) इसके अतिरिक्त, तेल उद्योग ने वर्ष 1988-89 की वार्षिक विपणन योजना में केरल में 47 और अधिक वितरण केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से 11 वितरण केन्द्र अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित हैं।

फार्म रेडियो आफीसरों के लिए पदोन्नति के अवसर

4682. श्री बी० बी० रमैया :

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कार्यक्रमों में फार्म एण्ड हाउस रेडियो सेक्शन कब शुरू किया गया था;

(ख) इस समय इस सेक्शन में कितने फार्म रेडियो आफीसर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे इस संवर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी के कृषि एवं गृह यूनिट पहली बार, 1966 में स्थापित किए गए थे।

(ख) सतहत्तर।

(ग) और (घ) फार्म रेडियो अधिकारी (कृषि एवं गृह) इस समय संयुक्त निदेशक (कृषि एवं गृह) के एक पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। तथापि, प्रस्तावित भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा में फार्म रेडियो अधिकारी संवर्ग को, उनके लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर सुलभ कराने हेतु, कार्यक्रम अधिशाषी संवर्ग में मिलाने का प्रावधान किया गया है।

आकाशवाणी के फार्म रेडियो अधिकारियों के लिए सलेक्शन ग्रेड

4683. श्री बी० बी० रमैया :

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस संवर्ग के कार्यक्रम अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड दिए जाते हैं;

(ख) फार्म रेडियो अधिकारियों और परिवार कल्याण विस्तार अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड न दिए जाने के क्या कारण हैं, और क्योंकि काम की दृष्टि से ये भी अधिकारी ही हैं; और

(ग) ऐसे सभी फार्म रेडियो अधिकारियों और परिवार कल्याण विस्तार अधिकारियों को जिन्होंने अपने ग्रेड में 14 वर्ष की सेवावधि पूरी कर ली है सलेक्शन ग्रेड देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद, आकाशवाणी के कार्यक्रम संवर्ग के सभी गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड भी समाप्त हो गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" की दृष्टि से आकाशवाणी में फार्म रेडियो अधिकारियों तथा विस्तार अधिकारियों के लिए गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड के लाभ देने का प्रश्न नहीं उठता।

पटपड़गंज दिल्ली में नरवाना कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कम्प्लैक्स का विद्युतीकरण

4685. श्री राम प्यारे पनिका :

क्या ऊर्जा मंत्री पटपड़गंज क्षेत्र में नरवाना कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी कम्पलैक्स को बिजली की सप्लाई के बारे में 30 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4243 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वहां आन्तरिक विद्युतीकरण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा शेष विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। तथा इस सोसायटी काम्पलैक्स को कब तक बिजली मिलने लग जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) नरवाना कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग की कालोनी में उप-केन्द्र के निर्माण सहित 85% विद्युतीकरण संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। शेष विद्युतीकरण संबंधी कार्य 30 अप्रैल, 1989 तक पूरे हो जाने की आशा है। तत्पश्चात् संदर्शी उपभोक्ताओं द्वारा सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने पर अस्थायी रूप से बिजली के कनैक्शन प्राप्त किए जा सकेंगे।

पन-बिजली परियोजना हेतु विश्व बैंक से ऋण

4686. श्री पी०एम० सईद :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में एक बड़ी पन-बिजली परियोजना की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कहां स्थापित की जाएगी और इसका अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी होगी और इसमें विद्युत उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) क्या विश्व बैंक ने इसके निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है अथवा ऋण किन शर्तों पर दिया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और शिमला जिले में स्थित 1500 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की नाथपा झाकरी पन-बिजली परियोजना को भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में क्रियान्वयन करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। उत्पादन परियोजना की कुल लागत 1472 करोड़ रुपये है। आशा है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में परियोजना से लाभ प्राप्त होगा। नाथपा झाकरी पन-बिजली परियोजना को 444 मिलियन अमरीकी डालर की राशि से वित्त-पोषित करने के लिए विश्व बैंक सहमत हो गया है। इसके लिए विस्तृत शर्तों सहित एक औपचारिक समझौते को अन्तिम रूप दिया जाना है।

दामोदर घाटी परियोजना द्वारा भेल पहाड़ी बांध का निर्माण

[हिन्दी]

4687. श्री सरफराज अहमद :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने बिहार के गिरीडीह जिले में भेल पहाड़ी बांध के निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) दामोदर घाटी निगम द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसका निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) बालपहाड़ी बांध के लिए विस्तृत परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में दामोदर

घाटी निगम द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र के स्थलाकृति सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य, मृदा अन्वेषण और जल विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन कार्य कर लिए गए हैं। प्रस्तावित बांध से बाढ़, जलप्लावन की क्षमता बढ़ जाएगी, सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए अधिक जल उपलब्ध होगा और 20 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत उत्पादन की इसकी शक्यता भी होगी। भागीदार राज्य, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार जिनको दामोदार घाटी निगम द्वारा परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट भेज दी गई है उन्होंने परियोजना प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है।

विद्युत उत्पादन/सप्लाई की लागत

[अनुवाद]

4688. डा०ए०के० पटेल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन/सप्लाई की औसत लागत क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कृषि कार्यों के लिए बिजली पर राज्यवार औसतन कितना शुल्क वसूल किया जाता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31-3-1989 की स्थिति के अनुसार, विद्युत के उत्पादन/इसकी सप्लाई की अनुमानित औसत लागत और औसत कृषि टैरिफ का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	विद्युत उत्पादन/सप्लाई की औसत लागत (पैसे/यूनिट)	औसत कृषि टैरिफ (5 एच०पी०, 10% भार अनुपात, 272 यूनिट/मास) (पैसे/यूनिट)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	64.52	9.50
2.	बिहार	126.35	36.00
3.	गुजरात	108.63	17.85
4.	हरियाणा	84.56	37.35
5.	हिमाचल प्रदेश	1 9.79	21.94
6.	कर्नाटक	81.74	11.49 (क)
			13.79 (ख)

1	2	3	4
7.	केरल	73.36	15.22
8.	मध्य प्रदेश	90.02	16.00
9.	महाराष्ट्र	91.73	15.32
10.	उड़ीसा	83.25	24.06
11.	पंजाब	98.40	13.50
12.	राजस्थान	92.42	33.00
13.	तमिलनाडु	86.14	11.49
14.	उत्तर प्रदेश	103.69	41.36
15.	पश्चिम बंगाल	123.92	35.00
16.	असम	236.83	50.00
17.	मेघालय	85.96	21.00

टिप्पणी :

(क) कैपेसिटर्स की प्रतिष्ठापना सहित ।

(ख) कैपेसिटर्स की प्रतिष्ठापना के बिना ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने में लुब्रीकेटिंग तेल का उत्पादन

4689. डा० ए० के० पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने के डिजाइन में लुब्रीकेटिंग तेलों के उत्पादन की व्यवस्था की गई थी परन्तु इस प्रयोजन के लिए असम के कच्चे तेल की अनुपयुक्तता के कारण लुब्रीकेटिंग तेलों का उत्पादन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या लुब्रीकेटिंग तेलों का आयात करने के स्थान पर देश में ही इनका उत्पादन किए जाने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में अन्य रिफाइनरियों में भी लुब्रीकेटिंग आयल का उत्पादन किया जा रहा है ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षमता

4690. डा० ए० के० पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाना अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कारखाने में कच्चे तेल का शोधन करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का किस प्रकार उपयोग किए जाने का विचार है;

(ग) क्या बरौनी तेलशोधक कारखाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त उद्यम में किए गए पूंजीनिवेश पर प्राप्त होने वाले लाभ की दर क्या है और तेल शोधन क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। असम के कच्चे तेल की कम उपलब्धता के कारण/उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कच्चे तेल के उत्पादन की भविष्य में बढ़ने की संभावना है और बरौनी रिफाइनरी की प्रौसेसिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल के मिलने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी, हां। 1983 में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस समय (दिसम्बर, 1982 की कीमतों के स्तर पर) प्रस्तावित निवेश पर 17.02 प्रतिशत की प्रतिप्राप्ति की दर का अनुमान लगाया गया था। कच्चे तेल की उपलब्धता को देखते हुए बरौनी रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

गैर-सरकारी आवास कम्पनी द्वारा जमा धनराशि का वापस भुगतान

4691. **डा० ए० के० पटेल :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस गैर-सरकारी आवास कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी है/आरम्भ कर दी गई है, जिसने अनेक लोगों को, उनकी जमा धनराशि को हड़प कर धोखा दिया है, जैसाकि 28 अक्तूबर, 1987 के "सण्डे मेल" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) जमाकर्ताओं की संख्या क्या है, उनके द्वारा कुल कितनी धनराशि जमा की गई है, आज की तारीख तक जमा धनराशि पर कुल कितना ब्याज बनता है, जमा धनराशि की वापसी के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और ब्याज सहित कुल कितनी धनराशि वापस की जानी है और अब तक कितनी धनराशि वापस की गई है; और

(ग) जमाकर्त्ताओं को जमा धनराशि की वापसी के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कम्पनी के अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलिप्त होने और सदस्यों को फ्लैटों का आबंटन लेने के लिए कम्पनी के पास जमा कराई गई धन राशि वापिस न करने के सम्बन्ध में मैसर्स नाहिडको हाउसिंग प्रा० लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह मालूम होने पर कि फर्म एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36क के अर्थ में अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलिप्त हुई है, एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार आयोग ने जांच संस्थित की है और अन्तरिम व्यादेश भी जारी किये हैं जिसके द्वारा फर्म के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं को जारी रखने और उन व्यक्तियों, जिन्होंने योजना का लाभ उठाने के लिए उसके पास धन राशि जमा करायी, के दावों का निपटारा किये

बिना उस सम्पत्ति को बेचने पर आगामी आदेशों तक रोक लगायी है जो नाहिदको विकास योजना में शामिल है।

(ख) और (ग) आयोग में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के अनुसार जमा की गई कुल राशि 13,58,812 रु० हैं। तरेसठ जमाकर्ताओं ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 12ख के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दिए हैं। इन क्षतिपूर्ति के आवेदनों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटाया जायेगा। आयोग एक न्यायिक कल्प निकास होने के नाते एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत समुचित आदेश पारित करने हेतु सक्षम है।

मलयालम फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण

4692. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में गत एक वर्ष में प्रसारित की गई मलयालम फिल्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन फिल्मों का चयन किस आधार पर किया जाता है;

(ग) क्या प्रसारित की जाने वाली फिल्मों की सूची बनाई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सूची तैयार करने के क्या आधार हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय नेटवर्क (रविवार-अपराह्न) पर प्रसारण के लिए केवल उन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों पर विचार करता है जिन्होंने वर्ष का सर्वोत्तम या द्वितीय सर्वोत्तम पुरस्कार (संयुक्त रूप से सभी भाषाओं के लिए) अथवा क्षेत्रीय भाषा की उत्कृष्ट फिल्म का राष्ट्रपति का रजत पदक अथवा राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार अथवा निर्देशक की उत्कृष्ट प्रथम फिल्म के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त किया हो अथवा उसे भारत के किसी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव के भारतीय पेनोरमा भाग में शामिल किया गया है।

देर रात के स्लाट के लिए, सिनेमा की उच्च गरिमा/कलात्मक उत्कृष्टता वाली फिल्मों का चयन किया जाता है। विवरण में उल्लिखित सभी मलयायम फिल्मों का प्रसारण के लिए चयन उपर्युक्त पात्रता मानदण्डों के आधार पर किया गया था।

(ग) और (घ) निर्माता/टी०वी० के अधिकार प्राप्त व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता के मानदण्डों को पूरा करने वाली सभी फिल्मों को, दूरदर्शन के सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र में पूर्वावलोकन तथा ग्रेड "ए" में रखने के बाद दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा प्रसारण के लिए सूची में शामिल किया जाता है। प्रसारण सूची बनाते समय नवीनतम फिल्मों को प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

रविवार अपराह्न स्लाट में 1988 में अब तक प्रसारित की गई मलयालम फीचर फिल्मों की सूची।

1988 में प्रसारित की गई फिल्में	प्रसारण की तारीख
1. कानामाराइयू	3.1.88
2. चिदाम्बरम	27.3.88
3. अक्कारे	8.5.88
4. कट्टाथे किल्लीकूडू	24.7.88
5. पुरुषार्थम्	18.9.88
6. वीना पूवी	20.11.88
वर्ष 1989 के दौरान प्रसारित फिल्में	
1. हरियुमेवम	12.2.89
2. तुलाभारत	26.2.89
वर्ष 1988 के दौरान देर रात स्लाट में प्रसारित की गई मलयालम फिल्मों की सूची।	
1. इनाडू	19.8.88
2. इराकल	30.12.88

कोचीन में दूरसंचार डिवीजन की स्थापना

4693. **श्री वी० एस० विजय राघवन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में दूरसंचार डिवीजन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कालीकट सब-डिवीजन को भी त्रिवेन्द्रम डिवीजन के अन्तर्गत लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षय-रोधी तथा कुष्ठ-रोधी औषधों की कीमतें कम करना

4694. **श्री राज कुमार राय :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षय रोग तथा कुष्ठ के उपचार में प्रयोग की जाने वाली कुछ दवाओं की कीमतें कम की हैं;

(ख) यदि हां, तो कम की गई कीमतों का संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कीमतों में कटौती लागू कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) रिफैम्पिसिन प्रपुंज औषध के मूल्य को 3,000 रु० प्रति किलोग्राम से घटाकर 2,500 रु० प्रति कि० ग्रा० करने के परिणामस्वरूप रिफैम्पिसिन पर आधारित विभिन्न सूत्रयोग पैकों के संशोधित मूल्य निर्धारित किये गये थे। 15 नवम्बर, 1988 को अधिसूचित किये गये संशोधित अधिकतम मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये जाते हैं। राज्य सरकारों एवं राज्य औषध नियंत्रकों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित औषध मूल्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है।

विवरण

क्र० सं०	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	पहले अधिसूचित अधिकतम मूल्य रु०	संशोधित अधिकतम मूल्य रु०
1	2	3	4	5	6
1.	रिफेम्पिसिन केपसुल	150 मिग्राम/केपसुल	4 की बोतल/पत्ता	4.25	3.66
2.	रिफाम्पीसिन केपसुल	150 मिग्राम/केपसुल	12 की बोतल/पत्ता	12.72	10.96
3.	रिफेम्पिसिन केपसुल	150 मिग्राम/केपसुल	100 की बोतल	103.46	88.76
4.	रिफेम्पिसिन केपसुल	300 मिग्राम/केपसुल	4 की बोतल/पत्ता	7.82	6.64
5.	रिफेम्पिसिन केपसुल	300 मिग्राम/केपसुल	100 की बोतल	192.83	148.53
6.	रिफेम्पिसिन केपसुल	450 मिग्राम/केपसुल	3 की बोतल/पत्ता	8.70	7.37
7.	रिफेम्पिसिन केपसुल	450 मिग्राम/केपसुल	4 की बोतल/पत्ता	—	9.78 ×
8.	रिफेम्पिसिन केपसुल	600 मिग्राम/केपसुल	3 की बोतल/पत्ता	—	9.50 ×
9.	रिफेम्पिसिन और	रिफेम्पिसिन 450	3 की बोतल/पत्ता	9.00	7.67

1	2	3	4	5	6
	आइसोनाइज्ड केपसुल	मिग्राम और आइसो-नाइज्ड 300 मिग्राम प्रति केपसुल			
10.	रिफेम्पिसिन और आइसोनाइज्ड केपसुल	रिफेम्पिसिन 450 मिग्राम और आइसो-नाइज्ड 300 मिग्राम/केपसुल	4 की बोतल/पत्ता	12.01	10.24
11.	रिफेम्पिसिन और आइसोनाइज्ड केपसुल	रिफाम्पिसिन 450 मिग्राम साइसोनाइ-ज्ड 300 मिग्राम प्रति केपसुल	10 की बोतल/पत्ता	30.00	25.57

× (पहली बार अधिसूचित किया गया)

नगरों में कार टेलीफोन कनेक्शन देना

4695. श्री हुसैन दलवाई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने दिल्ली में कार टेलीफोन कनेक्शन देना आरम्भ किया था;

(ख) दिल्ली में अब तक कितने कार टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ग) अन्य किन-किन नगरों में कार टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) 77 पहले ही अलाट कर दिए गए हैं।

(ग) बम्बई में सेल्यूलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन प्रणाली संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह मोबाइल टेलीफोन प्रणाली का अद्यतन रूप है। अब तक प्राप्त अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल रेडियो प्रणाली को बाद में देश के अन्य प्रमुख नगरों में शुरू किया जा सकता है।

अत्यधिक राशि के टेलीफोन बिल आने की शिकायतें

4696. श्री हुसैन दलवाई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यधिक राशि के टेलीफोन बिल आने के बारे में टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा अनेक शिकायतें आने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा अधिक राशि के बिलों का पूरा भुगतान करने के पश्चात

ही बिलों में अधिक राशि संबंधी शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस प्रकार के भारी एवं अप्रत्याशित बिलों के मामलों में प्रयोक्ताओं को पिछले पांच-छः महीनों की औसत राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जाए तथा बाद में मामले की जांच-पड़ताल की जाए; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) टेलीफोन-बिल एक्सचेंजों में लगाए गए मीटरों में वास्तविक रूप से रिकार्ड की गई कॉलों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। समूचे देश में जारी किए गए बिलों में से लगभग एक प्रतिशत बिलों के बारे में अधिक राशि के बिल बनाने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :—

(एक) लिपिकीय भूलें अर्थात् परिगणना में त्रुटि, कम्प्यूटरों में गलत ढंग से फीड करना, मीटर-रीडिंग को गलत पढ़ना आदि

(दो) तकनीकी खराबियां, जैसे, मीटर-दोष, सर्किट की दोषपूर्ण परिस्थितियां एस०टी०डी० कॉल मिलाने के बाद लाइन को काटे न जाने पर टेलफोन की हेल्ड-अप कंडीशन आदि

(तीन) उपभोक्ताओं द्वारा अपनी टेलीफोन कॉलों को ठीक से मानीटरी न करने पर उत्पन्न आशंका। लाइनों पर नजर रखने से यह देखा गया है कि प्राप्त शिकायतों में से 80 प्रतिशत शिकायतें तथ्यों पर आधारित नहीं होतीं।

(ख) से (घ) जब अधिक राशि के बिल संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होती है और यदि ऐसी राशि एस० टी० डी० वाले स्टेशनों में पिछले छः द्विमासिक अवधियों के दौरान अधिकतम राशि के बिल 100 प्रतिशत से अधिक और गैर-एस० टी० डी० वाले स्टेशनों में उसके 50 प्रतिशत से अधिक हो तो उपभोक्ता को स्थानीय कॉल प्रभार के लिए एक अलग बिल का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है जिसकी राशि पिछले छः द्विमासिक अवधियों में भेजे गए स्थानीय कॉलों के बिलों की औसत और 10 प्रतिशत अतिरिक्त कॉलों से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष राशि के भुगतान को शिकायत की जांच का निष्कर्ष निकलने तक स्थगित रखा जाता है।

लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना

4697. श्री एम० बी० सिवनाल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

4698. श्री गोपाल कृष्ण थोटा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 800 मेगावाट क्षमता का गैस पर आधारित एक विद्युत संयंत्र (कृष्णा-गोदावरी बेसिन से प्राप्त होने वाली गैस पर आधारित) काकीनाड़ा में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसके संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

आन्ध्र प्रदेश में काडिरी टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलना

4699. श्री गोपाल कृष्ण थोटा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में काडिरी कस्बे में टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलने के काम में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलने और कार्य कब आरम्भ तथा पूरा किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या वहां एस० टी० डी० सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) काडिरी एक्सचेंज को स्वचालित करने की अभी कोई योजना नहीं है। तथापि, इसे आठवीं योजना के दौरान स्वचालित करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(ग) एस० टी० डी० सुविधा स्वचलीकरण के बाद सुलभ की जाएगी बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों के बीच यू० एच० एफ० प्रणाली स्थापित करना

4700. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अल्लेप्पी और पुलिनकुन्नू टेलीफोन एक्सचेंजों के बीच यू० एच० एफ० प्रणाली स्थापित करने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली को चालू वर्ष के दौरान प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) अल्लेप्पी और पुलिनकुन्नू में यू० एच० एफ० प्रणाली 1989-90 के दौरान चालू किए जाने की योजना है।

रसोई गैस के कनैक्शनों और सिलेण्डरों का अनुपात

4701. **श्री दिग्विजय सिंह** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस के कनैक्शनों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) आयातित और भारत में निर्मित गैस सिलिंडरों की संख्या में इसी अवधि में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि रसोई गैस कनैक्शनों के अनुपात में सिलिंडरों की संख्या कम है तो इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल उद्योग द्वारा जारी किये गये नये एल० पी० जी० कनैक्शनों तथा प्राप्त किये गये एल० पी० जी० सिलिंडरों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

वर्ष	जारी किए गए एल० पी० जी० कनैक्शनों की संख्या	प्राप्त किए गए सिलिंडरों की संख्या
1985-86	16.32	41.17 (2.53 के आयात सहित)
1986-87	17.08	36.50
1987-88	14.37	27.26

(ग) तेल उद्योग की एल० पी० जी० सिलिंडरों की आवश्यकताओं को वर्तमान सिलिंडर विनिर्माता एककों के पास उपलब्ध क्षमता से पर्याप्त रूप में पूरा किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार महंगाई भत्ता सूत्र का अनुकरण कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4702. **श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित केन्द्रीय सरकार महंगाई भत्ता सूत्र अपना लिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : उच्चाधिकार वेतन समिति के कार्य क्षेत्र में आने वाले सरकारी क्षेत्र के 68 उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

केन्द्रीय महंगाई भत्ता अपनाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यम

क्रम सं०	उद्यम का नाम
1	2
1. वे उपक्रम जिनमें सभी कर्मचारी केन्द्रीय महंगाई भत्ता पा रहे हैं	
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड
2.	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
3.	दिल्ली परिवहन निगम लि०
4.	एजुकेशन कंसलटैंट्स इण्डिया लि०
5.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०
6.	भारतीय खाद्य निगम लि०
7.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
8.	सांभर साल्ट्स लि०
9.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कं० लि०
10.	अस्पताल परामर्शदायी सेवायें (इंडिया) निगम लि०
11.	इंडियन मेडीसीन्स फार्मेस्यूटिकल्स निगम लि०
12.	इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कं० लि०
13.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०
14.	भारतीय पटसन निगम लि०
15.	महानगर टेलीफोन निगम लि०
16.	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
17.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
18.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०
19.	नेशनल इन्स्ट्रूमैंट्स लि०
20.	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि०
21.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०
22.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०

1	2
23.	नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपो० लि०
24.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०
25.*	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०
26.	रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लि०
27.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
28.	ग्राम विद्युतीकरण निगम लि०
29.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि०
30.*	टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट्स (इंडिया) लि०
31.	विदेश संचार निगम लि०
32.	जल एवं विद्युत परामर्शदायी सेवायें (इंडिया) लि०

2. वे उपक्रम जिनमें केवल कार्यपालक ही केन्द्रीय महंगाई भत्ता पा रहे हैं

33.	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि०
34.	भारत गोल्डमाइन्स लि०
35.**	भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लि०
36.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लि०
37.**	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
38.	भारतीय रुई निगम लि०
39.*	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०
40.**	केन्द्रीय भाण्डागार निगम
41.	इंजीनियर्स इंडिया लि०
42.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
43.**	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०
44.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि०
45.*	मझगांव डाक लि०
46.	खनिज गवेषण निगम लि०
47.**	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी निगम लि०
48.**	मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०

1	2
49.*	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि०
50.**	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
51.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०
52.**	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०
53.**	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि०
54.**	ने० टे० का० (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०
55.**	ने० टे० का० (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०
56.**	ने० टे० का० (गुजरात) लिमिटेड
57.**	ने० टे० का० (मध्य प्रदेश) लि०
58.**	ने० टे० का० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०
59.**	ने० टे० का० (साउथ महाराष्ट्र) लि०
60.**	ने० टे० का० (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि०
61.**	ने० टे० का० (उत्तर प्रदेश) लि०
62.**	ने० टे० का० (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०
63.*	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि०
64.	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
65.**	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
66.*	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि० हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० के चिकित्सा अधिकारी

3. वे उपक्रम जिनमें केवल कार्यपालकेतर कर्मचारी केन्द्रीय महंगाई भत्ता पा रहे हैं

67.	हिन्दुस्तान प्रिफैब लि०
68.	आवास एवं नगर विकास निगम लि०

*कुछ कार्यपालक औद्योगिक महंगाई भत्ता पा रहे हैं।

**कुछ कार्यपालकेतर कर्मचारी भी केन्द्रीय महंगाई भत्ता पा रहे हैं।

कॅरियर सेवा

4703. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई "गैर-सरकारी सन्देश वाहक कम्पनियां" विदेश कूरियर सेवा में शामिल हो गई है जिससे भारतीय डाक विभाग को घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ये कम्पनियां उस राशि का उपयोग कैसे कर रही हैं जो उन्हें विदेशों से वहां की गई ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त होती है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) यह सच है कि प्राइवेट कम्पनियां अन्तर्राष्ट्रीय कूरियर सेवाएं विदेशों में अपने प्रतिपक्षों के सहयोग से चलाती हैं। यह मंत्रालय ऐसी कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखता, ना ही ऐसी कंपनियों के कार्यकरण के विनियमन के लिए भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में ऐसा कोई प्रावधान है, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 27 के अधीन इन कम्पनियों को लाइसेंस मंजूर करता है, 1988 में 9 कम्पनियां विदेशों में अपने प्रतिपक्षों के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय कूरियर सेवाएं चला रही थीं।

(ख) ऐसी कूरियर कम्पनियों द्वारा विदेशों से भेजी गई राशि के बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि कूरियर सेवाओं को चलाने के लिए अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अधीन प्रदान की जाती है।

महानदी बेसिन में तेल की खोज

4704. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि में महानदी बेसिन में तेल की खोज के लिए तट से दूर एवं तट पर किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) तट से दूर तथा तटीय क्षेत्रों में कितनी मात्रा में तेल के भंडारों का पता चला है; और

(ग) निकट भविष्य में उड़ीसा में तेल की खोज करने के लिए विभिन्न तेल कम्पनियों के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सातवीं योजना की अवधि के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड (ओ० आई० एल०) द्वारा उड़ीसा अपतट (उत्तर-पूर्वी समुद्रतट) के चुने हुए इलाकों में किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा इस प्रकार है :—

2-आयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण	:	2820 लाइन किलोमीटर
3-आयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण	:	3343 लाइन किलोमीटर
भू-रसायन सर्वेक्षण	:	6500 लाइन किलोमीटर

इसके अतिरिक्त विदेशी तेल कम्पनी मैसर्स शेवरन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा टैक्साको एक्सप्लोरेशन इंडिया इंक ने उन्हें आवंटित किए गए क्षेत्र में लगभग 495 लाइन किलोमीटर के भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरे किये गये हैं।

(ख) हालांकि हाइड्रोकार्बन के भंडार होने के संकेत मिले है फिर भी ओ० आई० एल० द्वारा की गई ड्रिलिंग से वहां पर अभी तक तेल या गैस की वाणिज्यिक महत्व की कोई प्राप्ति नहीं हुई है।

(ग) ओ० आई० एल० हाइड्रोकार्बन के भावी क्षेत्रों की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन के लिए उत्तर-पूर्वी समुद्रतट के ड्रिलिंग सम्बन्धी और भूकम्पीय आंकड़ों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा है। आंकड़ों की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन के परिणामों पर ही आगे ही खोजी ड्रिलिंग निर्भर करेगी। भूकम्पीय आंकड़ों की प्रोसेसिंग तथा उनके विवेचन के परिणामों के आधार पर उन्हें आवंटित क्षेत्रों में खोजी ड्रिलिंग करने की संभावनाओं पर विदेशी तेल कम्पनी विचार करेगी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत संयंत्र उपकरण क्षमता का उपयोग

4705. श्री विजय एन० पाटिल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, विद्युत संयंत्र उपकरणों के डिजाइन तथा निर्माण के लिए अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न कर पाने संबंधी गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए स्वदेशी विद्युत संयंत्र उपकरणों की भागीदारी में हुई कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने से पहले ही भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अधिक परियोजनाओं का कार्यभार सौंपने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) चालू वर्ष में बी० एच० ई० एल० के विद्युत जनित्रण उपकरण के निर्माण की क्षमता का उपयोग काफी संतोषजनक रहा है। यदि आठवीं योजना परियोजनाओं के लिए पर्याप्त आर्डर मिलते हैं तो क्षमता उपयोग संतोषजनक होगा।

(ग) वर्ष 1988-89 में कुल अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 62.7% बी० एच० ई० एल० सेट तैयार किए गए जबकि वर्ष 1987-88 में 61% ही था।

(घ) आठवीं योजना परियोजनाओं के लिए बी० एच०ई०एल० के क्षमता उपयोग पर सरकार लगातार विचार कर रही है ताकि इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि कम्पनी के पास उपलब्ध निर्माण सुविधाओं का पर्याप्त रूप से उपयोग किया जाता है।

लघु और कुटीर उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई और वित्तीय सहायता प्रदान करना

4706. श्री विजय एन० पाटिल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और कुटीर उद्योग चलाने वाले उद्यमियों ने वित्तीय सहायता और रियायती दरों पर कच्चे माल की सप्लाई जैसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं और सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। सरकार को इस संबंध में समय-समय पर प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त होते हैं।

(ख) और (ग) ग्राम्य तथा लघु उद्योगों को, निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार दी गयी रियायती ब्याज दरों सहित संस्थागत सहायता और बैंक द्वारा वित्त देने में उच्च प्राथमिकता दी गयी है :—

	8-10-1988 से ब्याज की दर (% प्रति वर्ष)
1. मिश्रित ऋण योजना के अन्तर्गत दस्तकारों, ग्राम्य तथा कुटीर उद्योगों को स्वीकृत 25,000 रु० तक मिश्रित ऋण।	
(क) पिछड़े क्षेत्र	10.0
(ख) अन्य क्षेत्र	12.0
2. अल्प-कालिक अग्रिम धन	
(क) 2 लाख तक	12.50 से 14.00
(ख) 2 लाख से अधिक और 25 लाख तक	14.00 से 15.50
(ग) 25 लाख से अधिक	16.00 (न्यूनतम)
3. कम से कम 3 वर्ष के आवधिक ऋण	
(क) पिछड़े क्षेत्र	12.5
(ख) अन्य क्षेत्र	13.5

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा भी उक्त क्षेत्र के मध्यम तथा दीर्घकालिक ऋणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुरूप योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें आई० डी० बी० आई० की साधारण दरों की तुलना में पर्याप्त रियायती दरों पर सहायता उपलब्ध है।

लघु एककों को दुर्लभ तथा नियंत्रित कच्चे माल का आबंटन राज्य स्तर के अभिकरणों के माध्यम से विशेषकर लघु उद्योग विकास निगमों के जरिये किया जाता है। राज्य उद्योग निदेशालय में पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों को कच्चे माल की आपूर्ति करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों का भी प्रबंध होता है। कारीगरों, ग्राम्य तथा कुटीर उद्योगों की सहायता करने और उनके उत्पादों की बिक्री करने में सहायता करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्त दस्तकारों, ग्राम्य तथा कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की खरीदारी तथा आपूर्ति हेतु और/अथवा उनके उत्पादों की बिक्री हेतु राज्य स्तरीय निगमों के अग्रिम राशियों पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर रियायती निर्धारित की गयी है।

मई, 1986 में लघु उद्योग विकास निधि की स्थापना किए जाने से, आई० डी० बी० आई० ने राज्य लघु उद्योग विकास निगमों की संसाधन सहायता देना शुरू कर दिया है ताकि वे अन्य वस्तुओं के साथ-साथ धन दे सकें और कच्चे माल की बिक्री कर सकें। राज्य लघु उद्योग विकास निगमों को

इस प्रकार की सहायता 14% साधारण दर की तुलना में 11.5% की रियायती दर पर दी जाती है।

मध्य प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

4707. श्री प्रताप भानु शर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन तथा सीहोर जिलों के गांवों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की योजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण की क्या स्थिति है;

(घ) क्या शेष गांवों की कुछ योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब मंजूरी दी जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) रायसेन जिले के दो गांवों तथा विदिशा जिले के 11 गांवों को छोड़कर ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा सिहोर (इस जिले में 4 स्कीमें हैं) रायसेन (इसमें 11 कार्यक्रम हैं) और विदिशा (17 स्कीमें हैं) जिलों के लिए शत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है (बताया जाता है कि ये गांव जलमग्न हैं)। तथापि, कुछ स्कीमों को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि स्कीम की अवधि समाप्त हो गई थी। चूंकि म०प्र० वि० बोर्ड द्वारा लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था अत: उन्होंने 1988-89 के दौरान छूटे हुए गांवों को विद्युतीकरण करने के लिए 6 प्रतिस्थापन स्कीमों (जिसमें रायसेन की 4, सिहोर की 1 एवं विदिशा की 1 स्कीम शामिल है) को प्रस्तुत किया। 6 स्कीमों में से रायसेन जिले की 2 स्कीमों को मंजूरी दे दी गई है। यदि व्यवहार्य पायी गईं तो शेष स्कीमों को भी मंजूरी दे दी जाएगी। 28-2-89 की स्थिति के अनुसार, सिहोर, रायसेन एवं विदिशा जिले में क्रमश: 927, 959 और 1021 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराना

4708. श्री श्रीकान्तदत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान दूर संचार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है;

(ख) इस योजनावधि के दौरान एस०टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किन-किन शहरों और नगरों का चयन किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने शहरों और नगरों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराई गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थानीय नेटवर्क में 16 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों को जोड़ना, सभी जिला मुख्यालयों तथा 1000 लाइनों से अधिक की सज्जित क्षमता वाले सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान किए जाने पर विचार किया गया है।

(ग) एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्थानों के लिए एम० एस० डी०/एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई उनकी सूची।

1986-87	पुलिया
मोरेना	कुंडापुर
एटा	बाजपे
मैनपुरी	कोलार
मथुरा	कितुर
तलोद	मारगोवा
सावरकुण्डला	पांवेल
महुआ	कालमबोली
कलोल	नवसेवा
जूनागढ़	भाटपाड़ा
गांधीधाम	पोर्टब्लेयर
बिलीमोरा	सतारा
ढोलका	करद
ध्रंगधरा	अविनासी
विषनगर	बेलाकोयल
सुरेन्दर नगर	मुसिरी
झमखम बलिया	होशपेट
पठानकोट	कोपल
खन्ना	कोठागुडम
कालका	मंचसूर

जौरा
देवास
प्रतापगढ़
अम्बासमुद्रम
टेंकासी
सेंकोटा
शंकरनकोयल
शिवाकासी
कन्याकुमारी
वलिऊर
शिवगंगा
अम्बूर
वनियामवाड़ी
त्रिवेलौर
अनि
मेलीवेश्वरम
कवाली
चंदरपुर
शीवनी
सिवान
मुंगेर
पोरबन्दर
पेरून्दुरई
करैकल
पुडूकोटई
सिरकाली
धनजाउर

पुनालूर
बिझीनजिम
इलोरा
बारमती
वेरावल
हजारीबाग
चिकमंगलूर
कोउर
शंकरीदुर्ग
कोसी
करियामनिक्कम

1987-88

ओरई
पिथौरा गढ़
पौड़ी
उंझा
गोधरा
पालनपुर
कैब
खेड़ा
कपड़वंज
पाटन
सैंथिया
मन्जमगुड़
बेलवाड़ी
हेवागुड़ी
बंगरपेट

चन्नापटनम	धार
चकबलापुर	नागौर
के०जी०एफ०	बिकानेर
गुलावगुड	गुरूदासपुर
हावेरी	फतेहपुर
सतना	तिरूर
बिजनौर	तालीपरम्बा
सिलचर	पायानूर
ग्रेनकेलाल	कांहागोड़
सम्बलपुर	पोनानी
चाइबासा	सुल्तानपुर
सिन्दरी	मानरघाट
हाजीपुर	सीरानूर
भिलाई	लखीमपुरखेरी
भागलपुर	जगराव
सोमानुर	खिमालापट्टी
रूरकी	सिरीबिल्लीपुथूर
सूरजपुर	पोमेरी
कलाडी	कचरायी
करंगानूर	मेलीकुपम
वैकोम	रेवा
अलापुर	रायगढ़
मन्नार	डालटेनगंज
मीनिक्काय	बेतिया
पेरूर	द्वारिका
माला	बांकानेर
अरमूर	उधूपुली

सत्यमंगलम
लूंगलेह
तिनसुकिया
जोरहाट
शीवसागर
नाहरलागन
कुलिथलाई
पपनासम
पथनामथीटा
कायमकुलम
पंडालम
रामचन्द्रपुरम
अन्नापार्थि
टूली
सामलकोट
पेडूपुरम
डोवेलेश्वरम (आई/सी)
रावतपालम
धामतारी
जौनपुर
सोलन
हमीरपुर
बिलासपुर
नदान
खोपोली
तालीचेरी

1988-89

भिन्ड
टुन्डला
इटावा
उझायानी
शिकोहाबाद
दतिया
बांदा
ललितपुर
पेटलद
पलौत
आनन्द/बी०बी०
श्रीरामपुर
मनमाड
धुलिया
जलना
नानदेद
हिरीउर
बिराजपेट
रामनगरम
भटकल
गोनीकोपल
होसंगाबाद
बिजापुर
इटारसी
फरीदकोट

फाजिल्का	गुमीडीपुंडी
वियामोंधावोअर	मधुबनी
बारीपाड़ा	पूर्णिया
बालासोर	बेगुसराय
बेरहामपुर	नवादा
प्रदीप	बरोट
पुरी	तारापुर
अंगूल	लातुर
भद्रक	सिलवासा
छतरपुर	खमगांव
जयपोर	उसमानाबाद
कोरापुट	कोपरगांव
सुनाबेड़ा	बेनगाईगांव
धारापुरन	बामन
कोलानचेरी	अहुवा
टाबपतरी	पानारूटी
श्रीबंयानगर	टिन्डीवनम
पाली	अडूथुरई
धर्मशाला	थिरुवयारी
पेरीथलमन्ना	नेदूपंगद
ओटापालम	बयूवरू
नितेम्बर	चिराला
निलेश्वर	येनम
कोटाकल	अमुदलावलासा
रामनाथपुरम	अंबिकापुर
पलानी	जगदलपुर
भेरियामलाय नगर	भदोही

बस्ती	देवाकोटई
खमरिया	मैलूर
देवघर	पेरुवयूर
गिरिडीह्	शंकरनगर
चिरकुण्डा	मेदेर-गेमटा
घास	कोकुरू
बूंडी	भद्राचलम
कालापर्दी	कुदाल
बल्लम	कुट्टालम
सुन्दरगढ़	माहे
चित्तूर	नंगुनेरी
वकराला	फुलबनी
पद्मन्टा	झारसगुडा
गौरीबिन्दनूर	क्योंझर

आकाशवाणी/दूरदर्शन कर्मचारियों का स्थानांतरण

4709. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यरत बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यरत उन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत 15 से 20 वर्षों के दौरान स्थानांतरित नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, तथा चार वर्ष से अधिक समय से एक केन्द्र विशेष पर कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर कब तक स्थानांतरित किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन में स्टाफ का तबादला, सरकार के तबादला नीति से सम्बन्धित मार्ग-

निर्देशों द्वारा शासित होता है। इन मार्ग निर्देशों के अधीन, समूह "घ" तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का आमतौर पर तबादला नहीं किया जाता है। समूह "ग" अधिकारियों के लिए तबादला आमतौर पर जोन के अन्तर्गत स्टेशनों/केन्द्रों में किया जाता है। ऐसे कर्मचारियों में, इन स्टेशनों/केन्द्रों के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी आते हैं।

अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व वाले अधिकारियों का तबादला स्टेशनों/केन्द्रों की सेवा आवश्यकताओं, संबंधित अधिकारी की विशेषज्ञता और अन्य प्रशासनिक अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर किया जाता है।

बम्बई में स्थानीय काल सुविधा का विस्तार

4710. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली की तरह, बम्बई से न्यू बम्बई, कल्याण, डोम्बीवाली, अम्बरनाथ, भिवांडी, पनवेल और वासाई के लिए स्थानीय काल सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में यह सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जी, नहीं। ये क्षेत्र अलग-अलग स्थानीय निकायों के अन्तर्गत आते हैं। अत: इन स्थानों को जिन टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है उन्हें अलग-अलग प्रणाल माना जाता है। बम्बई तथा इन स्थानों के बीच का कालों के प्रभार इन स्थानों के बीच की दूरी के अनुसार किए जाते हैं।

बम्बई में टेलीफोन व्यवस्था

4711. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बम्बई शहर में टेलीफोन संचार व्यवस्था का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) 1989-90 के दौरान तीन नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने तथा मौजूदा आठ एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने की सम्भावना है।

अहमदनगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

4712. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं में विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) 1989 के दौरान 17 एक्सचेंज चालू करने का प्रस्ताव है। जनवरी, 1989 तक इनमें से 4 एक्सचेंज चालू किए जा चुके हैं।

राज्यों में एस० टी० डी० सुविधा

4713. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष में कुछ और शहरों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अहमदनगर जिले के संगमनेर, कोपरगांव नेवासा, राहुरी, जमखेद और पारनर जैसे विभिन्न केन्द्रों में एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान, संगमनेर, कोपरगांव, नेवासा, राहुरी, जमखेद और पारनेर में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

विवरण

1989-90 के दौरान जिन शहरों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किये जाने की योजना है इनके राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्र० सं०	राज्य का नाम	शहरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27
2.	असम	12
3.	अरुणाचल प्रदेश	10
4.	बिहार	15
5.	गोवा	2

1	2	3
6.	गुजरात	22
7.	हरियाणा	9
8.	हिमाचल प्रदेश	9
9.	जम्मू और कश्मीर	11
10.	कर्नाटक	13
11.	केरल	27
12.	मध्य प्रदेश	22
13.	महाराष्ट्र	21
14.	मणिपुर	7
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	6
18.	उड़ीसा	4
19.	पंजाब	3
20.	राजस्थान	15
21.	सिक्किम	3
22.	तमिलनाडु	17
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	21
25.	पश्चिम बंगाल	9
26.	संघ शासित क्षेत्र	3

अन्ता कम्बाइंड साइकिल गैस पावर प्रोजेक्ट

4714. श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अन्ता कम्बाइन्ड साइकिल गैस पावर प्रोजेक्ट का दूसरा गैस टरबाइन मार्च, 1989 में चालू किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) यूनिट का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है और पूर्ण भार पर प्रचालन के लिए यह सक्षम भी है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों का निर्माण

4715. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के उत्पादन संबंधी अपनी क्षमता में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कितने गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों का निर्माण किया गया है;

(ग) इस संबंध में क्या कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) बी० एच० ई० एल० में गैस पर आधारित बिजली संयंत्रों की प्रति वर्ष लगभग 200 मेगावाट की निर्माण क्षमता पहले ही स्थापित कर ली है। कम्पनी की योजना 1989-90 में 9 गैस पर आधारित टर्बो-जनरेटर सेटों के निर्माण करने की है।

केरल में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा

4716. **प्रो० के० वी० थामस** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से किन-किन देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा उपलब्ध है;

(ख) केरल के किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा उपलब्ध है; और

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केरल से जिन देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा सुलभ है उनके नाम संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ख) केरल में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों से अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग प्रणाली सुविधा सुलभ हैं वे संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

(ग) अगले 3 वर्षों में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों से अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा सुलभ होने की सम्भावना है उनके नाम संलग्न विवरण-3 में दिये गये हैं।

विवरण-1

अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग पर सुलभ देशों की सूची

क्र०सं०	देश	क्र०सं०	देश
1	2	3	4
1.	अलबानिया	25.	बुलगारिया
2.	अलजीरिया	26.	बुर्किना फासो
3.	अंडौरा	27.	बर्मा
4.	अंगोला	28.	बुरुंदी
5.	अंगुयला	29.	केमरून
6.	अंटीगुवा	30.	कनाडा
7.	अर्जेंटीना	31.	कनेरी आइसलैंड
8.	अरूबा	32.	कायमन द्वीप समूह
9.	असैंशन द्वीप समूह	33.	सैंट्रल अफीकन रिपब्लिक
10.	आस्ट्रेलिया	34.	चाड रिपब्लिक
11.	आस्ट्रीया	35.	चीली
12.	आजोरस	36.	क्रिसमस आइसलैंड
13.	बहमाज	37.	कोलम्बीया
14.	बरहीन	38.	कांगो पीपल्स रिपब्लिक
15.	बंगलादेश	39.	कुक आइसलैंड
16.	बारबाडोज	40.	कोस्टा रीका
17.	बेल्जियम	41.	क्यूबा
18.	बेलीजी	42.	साइप्रस
19.	बेनीन	43.	चेकोसलोवाकिया
20.	बारमुडा	44.	डेनमार्क
21.	बोलीविया	45.	बजीबूटी
22.	बोट्स्वाना	46.	डोमीनीकन आइलैंड
23.	ब्राजील	47.	" " रिपब्लिक
24.	बुर्नें		

1	2	3	4
48.	इक्वेडोर	73.	ईरान
49.	मिस्र	74.	इराक
50.	इथोपिया	75.	आयरलैंड
51.	फाकलैंड आइसलैंड	76.	इटली
52.	फीजी	77.	आयवरी कोस्ट
53.	फिनलैंड	78.	जमैका
54.	फ्रांस	79.	जापान
55.	यवन	80.	जोर्डन
56.	गाम्बीया	81.	केन्या
57.	जर्मनी ईस्ट जी०डी०आर०	82.	किरीवातो
58	जर्मनी वेस्ट एफआरजी	83.	कुवैत
59.	घाना	84.	लेबनान
60.	जिब्राल्टर	85.	लेसोथो
61.	ग्रीस	86.	लाइबेरिया
62.	ग्रेनेडा	87.	लीबिया
63.	गुवाडेलूप	88.	लक्जमबर्ग
64.	ग्वैम	89.	मकाओ
65.	गुवाटेमाला	90.	माडेरिया
66.	गुवाना	91.	मालागासी
67.	हैती	92.	मलावी
68.	होंडुरस	93.	मलेशिया
69.	हांगकांग	94.	मालदीव
70.	हंगरी	95.	माली
71.	आइसलैंड	96.	मालटा
72.	इंडोनेशिया	97.	मार्शल आइसलैंड

1 2	3 4
98. मार्टिनी	124. फीलीपिन्स
99. मारीशश	125. पोलैंड
100. मैक्सिको	126. पुर्तगाल
101. माइक्रोनेशिया	127. पुर्तोरिका
102. मोनाको	128. कतार
103. मोन्टसेरट	129. रोमानिया
104. मोरक्को	130. रवान्डा
105. मौजाम्बिक	131. सोमा वेस्ट
106. नामिबिया	132. सेन मेरीनो
107. नोरू	133. साऊदी अरब
108. नेपाल	134. सेनेगल
109. नीदरलैंड	135. सिचलस
110. नीदरलैंड अंटीलेस	136. सियरालियोन
111. न्यूजीलैंड	137. सिंगापुर
112. निकारागुवा	138. सोलोमन आइलैंड
113. नाइजर	139. सोमालिया
114. नाइजीरिया	140. दक्षिण कोरिया
115. नारफमैक आइसलैंड	141. स्पेन
116. नार्वे	142. श्रीलंका
117. ऊ ओमान	143. सेन्ट क्रिस्टोफर
118. पाकिस्तान	144. सेन्ट लूबिया
119. पलाऊ	145. सेन्ट विनसेंट
120. पनामा	146. सूडान
121. पापुआ न्यूगिनी	147. सूरीमाम
122. पैराग्वे	148. स्वाजीलैंड
123. पेरू	149. स्वीडन

1	2	3	4
150.	स्वीटजरलैंड	165.	ऊरूग्वे
151.	सीरिया	166.	वनातु (न्यूहैबराइड्स)
152.	ताइवान	167.	वेनीजुएला
153.	तंजानिया	168.	वर्जीन आइलैंड (वी)
154.	थाईलैंड	169.	यमन अरब रिपब्लिक
155.	टोगोलैस रिपब्लिक	170.	यूगोस्लाविया
156.	टोंगा	171.	जैरे
157.	त्रिनीडाड और टोबाकगो	172.	जाम्बिया
158.	ट्यूनिशिया	173.	जिम्बावे
159.	टर्की	174.	चीन
160.	यू० ए० ई०		गंतव्यों की सूची (अलग दूरसंचार अस्तित्व)
161.	यू० एस० एस० आर०		
162.	यूगान्डा	175.	अलास्का
163.	यूनाइटेड किंगडम	176.	हवाई
164.	यूनाइटेड स्टेट्स	177.	वेटीकन सीटी

विवरण-2

केरल के उन टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची जहां अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा सुलभ है

त्रिवेन्द्रम एक्स-बार, त्रिवेन्द्रम-थैथाम्मक्कू, श्रीकरीयम, क्वीलोन, क्विलोन-चिन्नाक्काडा, कोट्टायम, I, कोट्टायम II, कांजीकुझी, गांधीनगर, एर्णाकुलम I, एर्णाकुलम II, वैस्ट आइलैण्ड, पलारिवत्तम,कोचीन, त्रिपुनिथुरा, उद्यमपेरूर, कालामास्सरी, चित्तूर-कोचीन, गुरुवयूर, चौयाट, कालीकट, कालीकट-वेलायिल, फेरोक, कन्नानूर, वालीपटनम, बदूर, आलाथुर, अल्लेप्पी, अबावे, अंगामाली, आटिंगल, बाडागाड़ा, वालागुडी, चंगनचेरी, चिंगवनम, चेंगानूर, इदिक्की, इरिनजालकुडा, कलादी, कालपेट्टा, कयामकुलम, कावारत्ती, कनहानगड, कोठामंगलम, कोतारकारा, कुण्डरा, पलाई, मालापुरम, मंझेरी, मन्नार, मिनीकॉय, मुवतापुझा, नरिक्कल, नेयततिनकारा, परूर, पठनमथिट्टा, पेयानूर, पेरम्बूर, पोन्नाई, पुनालूर, शेरतलाई, अलगप्पानगर, चेरपू, उल्लूर, त्रिचुर, वालीपरम्बा, तेल्लीचेरी, थोडूपुझा, तिरुर, तिरुवल्ला, वैकोम, माला, पण्डलम, नीलाम्बूर, पेरियनथालम्मन्ना, मन्नारघाट, मुन्नार, नेदुमनगड, बोलनचेरी, नीलेश्वर, ओट्टापलम, शोरनूर, मुलानथुरथी, विजहिनजाम, चित्तूर-पीजीटी, वारकला, चिरक्काकरा, अदूर, पालघाट, ओलावाकोट और कुन्नामकुलम।

विवरण-3

केरल के उन टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची जहां अगले तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा सुलभ होने की सम्भावना है

1. कानसरकोड
2. हरीपद
3. कंजीरापल्ली
4. मवेलीकारा
5. वादकनवेरी
6. क्वीलैंडी
7. कुन्नामंगलम
8. इलायूर
9. चेलारी
10. पन्रापानगडी
11. करूनलपाल्ली
12. वरकला
13. कोनवोती
14. मंजेश्वर
15. उपला
16. चेनगाला
17. अम्बालायेरा
18. त्रिकारपुर
19. पमपादी
20. कानीयापुरम
21. कांडासानकादायू
22. पोनकोनम
23. वालपद
24. मोंदूर
25. कूठतुकुलम
26. मूलानकुन्यायुकामू
27. चेरूवायुर

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपतटीय प्लेटफार्मों के आर्डर

4717. प्रो॰ के॰वी॰ थामस :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय पोत-कारखानों विशेषकर कोचीन शिपयार्ड को अपतटीय प्लेटफार्मों के आर्डर दे रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने प्लेटफार्म आदि बनाने के लिए भारतीय शिपयार्डों अर्थात् मझगांव डाक लिमिटेड और बर्न स्टैंडर्ड लिमिटेड को आर्डर दिए हैं।

मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पास प्लेटफार्म बनाने के लिए आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। तथापि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्राई डाकिंग तथा एक अपतटीय ड्रिलिंग रिगकी मरम्मत के सम्बन्ध में एक कार्यादेश पूरा किया है। ड्राई डाकिंग एक अन्य रिग संबंधी ऐसे ही एक अन्य कार्यादेश को उसके द्वारा पूरा किया जा रहा है।

कर्नाटक में विभागेतर कर्मचारी

4718. श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले विभागेतर कर्मचारी कर्नाटक डाक सर्किल में समूह "घ" संवर्ग में भर्ती हेतु परीक्षा देने के पात्र हैं;

(ख) क्या समूह "घ" संवर्ग में भर्ती करने के लिए वर्ष 1988 में कोई परीक्षा आयोजित की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक परीक्षा लेने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। बशर्ते कि एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्त पदों से 5 गुना हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस स्तर पर कोई विशिष्ट समय नहीं बतलाया जा सकता।

बंगलौर में नीलमंगल और डोडा बल्लपुर में एस॰टी॰डी॰ सुविधा

4719. श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर जिले में नीलमंगल और डोडा बल्लपुर में एस॰टी॰डी॰ सुविधा प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन स्थानों पर एस॰टी॰डी॰ सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) 8वीं योजना अवधि के दौरान इन शहरों पर एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से विचार किया जाएगा, बशर्ते कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

कटक, उड़ीसा में "डिजीटल इलेक्ट्रानिक आटो एक्सचेंज" स्थापित करना

4720. श्री के० प्रधानी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक, उड़ीसा में कोई "डिजिटल इलेक्ट्रानिक ऑटो एक्सचेंज" स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो लोगों को इस ऑटो एक्सचेंज से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होंगी; और

(ग) इस आटो एक्सचेंज पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। उड़ीसा में कटक में एक डिजीटल ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज संस्थापित किया गया है।

(ख) इस डिजीटल ट्रंक आटो एक्सचेंज के जरिए उड़ीसा के लोगों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवाएं सुलभ होंगी।

(ग) लगभग 2.5 करोड़ रुपये।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि० का पूंजी निवेश तथा उत्पादन अनुपात

4721. श्री के० प्रधानी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि० में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों पर पूंजी निवेश तथा उत्पादन के अनुपात का औषध वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य कंपनियों की तुलना में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि० का अनुपात सबसे कम है;

(ग) यदि हां, तो इस अनुपात में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष हुई वृद्धि अथवा कमी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अनुपात में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सौर ऊर्जा से गांवों का विद्युतीकरण

4722. श्री के० प्रधानी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सौर ऊर्जा की सहायता से कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा; और

(ख) सौर ऊर्जा से इन गांवों के विद्युतीकरण के कार्य के निरीक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) उड़ीसा के 206 गांवों में प्रारम्भिक विद्युतीकरण के उपाय के रूप में इन गांवों में सौर प्रकाश वोल्टीय सड़क रोशनी प्रणाली की व्यवस्था की जा चुकी है। सातवीं योजना के दौरान लगभग 200 और गांवों में सौर सड़क रोशनियां। प्रकाशवोल्टीय विद्युत पैक मुहैया किए जाने की आशा है। उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर बिजली द्वारा पम्प चलाने, सामुदायिक टेलीविजन तथा प्रकाश के लिए लगभग 90 सौर विद्युत पैकों की स्थापना की गई है। लुलुंग कीं एक फारेस्ट लॉच में लगभग 25 किलोवाट (पीक) की एक केन्द्रीय कृत सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली की स्थापना की जा रही है।

(ख) अनुरक्षण, व्यक्तियों के प्रशिक्षण सहित सौर ऊर्जा संस्थानों से सम्बन्धित कार्य का पर्यवेक्षण राज्य नोडल एजेंसी नामत: उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी तथा उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड को सौंपा गया है।

कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा

4723. श्री के० प्रधानी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा किन-किन शहरों में विद्यमान है;

(ख) भुवनेश्वर में ऐसी सेवा कब से शुरू की जाएगी;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा अन्य शहरों में उपभोक्ता सेवा केन्द्र और कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन दोष निवारण व्यवस्था शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) देश के जिन शहरों में कंप्यूटरीकृत टेलीफोन डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा प्रचलन में है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं :—

(ख) भुवनेश्वर में लगभग दो वर्ष की अवधि में कंप्यूटरीकृत टेलीफोन डाइरेक्टरी सेवा प्रदान किए जाने की उम्मीद है।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली तथा कुछ अन्य नगरों में ये सेवाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। अन्य नगरों में यह सेवा उत्तरोत्तर प्रदान की जा रही है। यह कार्य आठवीं योजना में उत्तरोत्तर पूर्ण कर लिए जाने की आशा है।

विवरण

देश के उन शहरों के नाम जहां कंप्यूटरीकृत टेलीफोन डाइरेक्टरी सेवा प्रचलन में है इस प्रकार है :—

1. बम्बई
2. नई दिल्ली
3. कलकत्ता
4. मद्रास
5. लखनऊ
6. हैदराबाद
7. डिंडीगुल
8. कोयंबतूर
9. अहमदाबाद
10. अम्बाला
11. बड़ोदरा
12. फरीदाबाद
13. पांडिचेरी
14. विजयवाड़ा
15. त्रिची
16. गाजियाबाद
17. कोल्हापुर

बड़ोदरा में टेलीफोन कनेक्शन

4724. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के अंत तक बड़ोदरा में कितने टेलीफोन कनेक्शनों की मांग होने की संभावना है;

(ख) बड़ोदरा में सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गये और शेष अवधि के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है;

(ग) इसके लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और योजना के अंतिम व

दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(घ) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे;

(ङ) यदि हां, तो बड़ोदरा टेलीफोन द्वारा आरम्भ की जाने वाली विस्तार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सातवीं योजना के अंत अर्थात 31.3 1990 तक बड़ोदरा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए संभावित मांग (चालू कनेक्शन+प्रतीक्षा सूची) लगभग 53,000 तक पहुंच जाने की संभावना है।

(ख) सातवीं योजना के पहले चार वर्षों (1985—89) के दौरान किए गए कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 13,000 है। 1989-90 के दौरान लगभग 7,500 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) सातवीं योजना के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है और 1989-90 के दौरान इस उद्देश्य से व्यय की जाने वाली राशि लगभग 25 करोड़ रुपए है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) बड़ोदरा में टेलीफोन एक्सचेंजों का संस्थापना, कार्यक्रम इस प्रकार है :—

(एक) 1989-90 के दौरान अल्कापुरी में 10,000 लाइनों (मुख्य) के ई-10-बी का संस्थापन।

(दो) 1990-91 के दौरान मक्करपुर में आई०सी०पी० क्रॉस-बार का 6,000 लाइनों में विस्तार।

(तीन) 1990-91 के दौरान पानीगेट मे 4,000 लाइनों का इलेक्ट्रानिक (आर०एल०यू०) एक्सचेंज।

(चार) 1991-92 के दौरान जैल रोड में 5,000 लाइनों (मुख्य) का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज।

(पांच) 1991-92 के दौरान अल्कापुरी में 3500 लाइनों द्वारा विस्तार।

(छः) 1992-93 के दौरान पानीगेट में 5,000 लाइनों का मुख्य इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज।

बड़ोदरा टेलीफोन्स में अधिक धनराशि के टेलीफोन बिल तैयार करना

4725. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में बड़ौदा टेलीफोन्स से आये दिन बहुत अधिक धनराशि के टेलीफोन बिल प्राप्त होने के बारे में उपभोक्ताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु बड़ोदरा टेलीफोन द्वारा जारी किए गए बिलों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए ये शिकायतें असामान्य नहीं समझी गई हैं।

(ख) और (ग) प्राप्त शिकायतों तथा उनके निपटान के किए गए उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) अप्रैल 87 से मार्च 89 तक जारी किये गये बिलों की संख्या···3,51,148

(2) अप्रैल 87 से मार्च 89 तक अधिक राशि के बिलों के बारे में प्राप्त शिकायतें··· 4420

(3) जारी किए गए बिलों की तुलना में शिकायतों का प्रतिशत···1.25%

(4) अब तक निपटायी गई शिकायतों की संख्या 4420.

(5) ऐसी शिकायतों की सं० जिनमें किसी प्रकार की छूट दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया···4281.

(6) अप्रैल, 87 से मार्च, 89 तक ऐसे मामलो की संख्या जिनमें छूट दी गई···139

(7) दी गई छूट की राशि : रु० 4,26,756.

तेल उद्योग के कर्मचारियों को सुरक्षा उपाय अपनाने संबंधी प्रशिक्षण

4726. श्री मुरलीधर माने :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाना पकाने की गैस भरने वाले संयंत्रों की तरह के पेट्रोलियम उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा उपाय अपनाने संबधी प्रशिक्षण देने की एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सरकार ने इस संबंध में कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई है क्योंकि सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अपनी स्कीमें होती हैं।

रक्षित विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन

4727. श्री मुरलीधर माने :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षित विद्युत संयंत्रों का कुल कितना विद्युत उत्पादन रहा;

(ख) क्या इससे विद्युत सप्लाई के मामले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राज्य बिजली बोर्डों पर पड़ा बोझ कुछ कम हुआ है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान इन रक्षित विद्युत संयंत्रों में अनुमानतः कितना विद्युत उत्पादन होगा और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

4728. **श्री मुरलीधर माने :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी वित्तीय सहायता अथवा ऋण से इस समय देश में कौन-कौन सी बिजली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए किस वित्त पोषी एजेन्सी के माध्यम से कितना ऋण प्राप्त हुआ;

(ग) वित्तीय सहायता देने वाली विदेशी कंपनी का नाम क्या है, उसका व्यापार किस प्रकार का है और प्रत्येक परियोजना में उसको कितनी राशि के ठेके मिले; और

(घ) किन-किन नई बिजली परियोजनाओं के लिए विदेशी वित्तीय सहायता अंशतः अथवा पूर्णतः लेने पर विचार किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विदेशी सहायता से क्रियान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) नई विद्युत परियोजनाएं जिनके लिए आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है इन परियोजनाओं में नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, उरी जल विद्युत परियोजना, चमेरा चरण-2 जल विद्युत परियोजना, लारजी जल विद्युत परियोजना, उहल चरण-3 जल विद्युत परियोजना, यमुना नगर ताप विद्युत केन्द्र, दादरी में गैस टर्बाइन परियोजना, रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 पानाम मिनी जल विद्युत परियोजना, फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-3, मुद्दानूर ताप विद्युत केन्द्र, तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र, उत्तर मद्रास ताप विद्युत केन्द्र, कोयना चरण-4 जल विद्युत परियोजना, चन्द्रपुर विस्तार ताप विद्युत केन्द्र, गंधार गैस टर्बाइन परियोजना, बेसिन ब्रिज गैस आधारित परियोजना, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, भवानी कट्टालई जल विद्युत परियोजना आदि शामिल है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	विदेशी सहायता का स्रोत	ऋण की राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	द्वितीय रामगुंडम ता०वि० परियोजना	विश्व बैंक, एफ० आर० जी० के सहयोग से	300 मिलियन अमरीकी डालर 140 मिलियन डी एम	
2.	द्वितीय फरक्का ता० वि० परियोजना	—वही—	300 मिलियन अमरीकी डालर 70 मिलियन डी एम	
3.	चन्द्रपुर ता० वि० परियोजना	विश्व बैंक	300 मिलियन अमरीका डालर	
4.	अंटा, औरैया और कवास में संयुक्त साइकल गैस परियोजना	विश्व बैंक	485 मिलियन अमरीकी डालर	
5.	राष्ट्रीय राजधानी विद्युत सप्लाई परियोजना	विश्व बैंक	485 मिलियन अमरीकी डालर	
6.	तलचेर ता०वि० परियोजना	विश्व बैंक	375 मिलियन अमरीकी डालर	
7.	द्वितीय कोरबा ता० वि० परियोजना	विश्व बैंक, एफ०आर० जी० के सहयोग से	400 मिलियन अमरीकी डालर 190 मिलियन डी एम	
8.	उत्तरी मद्रास ता० वि० परियोजना	एशिया विकास बैंक	150 मिलियन अमरीकी डालर	
9.	ऊंचाहार ता० वि० परियोजना	—वही—	160 मिलियन अमरीकी डालर	
10.	अनपारा "बी" ता० वि० परियोजना (यू पी एस ई बी) (2×500 मेगावाट)	ओ०ई०सी०एफ, जापान	I 24, 100 मिलियन येन II 14, 295 मिलियन येन 38,395 मिलियन येन	

1	2	3	4	5
11.	रायचूर ता०वि०परि० यूनिट-4 (1 × 210 मेगावाट) (कर्नाटक पावर कारपोरेशन)	ओ०ई०सी०एफ०	23,142 मिलिनन येन	
12.	उरण संयुक्त साइकल विद्युत केन्द्र के लिए अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी संयंत्र (यूनिट 1 व 2)	एफ० आर० जी०	198 मिलियन डी एम	समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
13.	रिहन्द सु० ता० वि० केन्द्र-1	यू० के०	171 मिलियन पौण्ड	
14.	विंध्याचल सु०ता०वि० केन्द्र चरण-1	यू एस एस आर	356.26 मिलियन रूबल (पारेषण लाइनों सहित)	
15.	कहलगांव सु०ता०वि० केन्द्र	यू एस एस आर	219.16 मिलियन रूबल	
16.	विंध्याचल सु०ता०वि०परि० चरण-दो	यू एस एस आर	400 मिलियन रूबल	
17.	मैथॉन ता०वि० परियोजना	यू एस एस आर		**
18.	कयामकुल (बहुईंधन ता० वि० परियोजना चरण-1)	यू एस एस आर		**
19.	मंगलौर (बहुईंधन ता०वि० परियोजना चरण-1)	यू एस एस आर		**
20.	इन्दिरा सरोवर ज०वि० परियोजना	विश्व बैंक	25 मिलियन अमरीकी डालर	
21.	केरल पावर प्रोजेक्ट	विश्व बैंक	176 मिलियन अमरीकी डालर	
22.	कर्नाटक-I विद्युत परियोजना-I	विश्व बैंक	330 मिलियन अमरीकी डालर	
23.	कर्नाटक विद्युत परियोजना II	विश्व बैंक	260 मिलियन अमरीकी डालर	
24.	उत्तर प्रदेश विद्युत परियोजना	विश्व बैंक	350 मिलियन अमरीकी डालर	
25.	अपर इन्द्रावती ज०वि० परियोजना	विश्व बैंक	326.40 मिलियन अमरीकी डालर	

1	2	3	4	5
26.	कठलगुडी गैस टर्बाइन व पारेषण लाइन निर्माण परियोजना	ओ॰ई॰सी॰एफ॰ जापान	43.52 बिलियन येन	
27.	तीस्ता नहर ज॰वि॰परि॰	—वही—	8.025 बिलियन येन	
28.	लोअर बोरपानी ज॰ वि॰ परियोजना	—वही—	1.7 बिलियन येन	
29.	उज्जैनी ज॰वि॰परियोजना	—वही—	1.5 बिलियन येन	
30.	श्रीसैलम बांया तट ज॰वि॰ परियोजना	—वही—	26.101 बिलियन येन	
31.	घाटघर पम्पड स्टोरेज स्कीम	—वही—	11,414 मिलियन येन	
32.	टिहरी जल विद्युत परि॰	यू एस एस आर	1,000 मिलियन येन	
33.	कोलबांध जल विद्युत परियोजना	यू एस एस आर		**
34.	चमेरा जल विद्युत परियोजना	कनाडा	217 एम॰सी॰ डालर सी॰ आई॰ डी॰ ए॰ ऋण + 403 एम॰सी॰ डालर ई डी सी ऋण	

**= 20-11-1988 को हस्ताक्षरित अंतर्सरकारी समझौते के अनुसार इन तीन ताप विद्युत परियोजनाओं को सोवियत सहायता से स्थापित किया जाना है जिसके लिए ऋण समझौतों पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

हिमाचल प्रदेश में ग्रुप डायलिंग इन्टिग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क स्कीम

4729. **श्री॰ नारायण चन्द पराशर :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में भी ग्रुप डायलिंग इंटिग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क योजनाओं को लागू करने और मार्स सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा सी-डाट एक्सचेंजों की स्थापना करने में अत्यधिक विलंब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि मार्च, 1989 के अन्त तक निर्धारित किये गये कार्यान्वयन लक्ष्य को अप्रैल, 1989 तक पूरा कर लिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) हिमाचल प्रदेश में एम० ए० आर० आर० सार्वजनिक टेलीफोनघर तथा सी-डॉट एक्सचेंजों को चालू करने में कुछ विलंब हुआ है। ग्रुप डायलिंग एवं आई० डी० एन० स्कीमों को सातवीं और आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर लागू करने की योजना थी।

(ख) उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण स्कीमों को लागू करने में विलंब हुआ।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(1) हिमाचल प्रदेश सर्किल को हाल ही में छः (6) सी-डॉट एक्सचेंजों के लिए उपस्कर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अप्रैल, 1989 तक चालू किए जाने की योजना है। आई० टी० आई० द्वारा उपस्कर की सप्लाई किए जाने पर बाकी सी-डॉट एक्सचेंजों को 1989-90 के दौरान चालू किया जाएगा।

(2) एम० ए० आर० आर० सार्वजनिक टेलीफोनघरों के 1989-90 के दौरान चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

(3) ग्रुप डायलिंग तथा आई० डी० एन० स्कीमों को 1989-90 तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क

4730. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों तक की भर्ती पर पाबंदी लगाये जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में असाधारण विलंब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो दैनिक मजदूरी पर श्रमिकों की भर्ती करने अथवा ठेके पर कार्य करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कर्मचारियों की भर्ती पर लगे प्रतिबंध के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी तक कोई असाधारण विलंब नहीं हुआ है।

(ख) जहां कहीं भी आवश्यकता होती है वहां मौजूदा नियमित/नैमित्तिक कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों द्वारा काम कराया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं

4731. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने स्थायी शाखा डाकघरों की स्वामित्व की वर्षों पुरानी अवधारणा को समाप्त करते हुए इन डाकघरों की भी प्रत्येक तीन वर्षों में पुनरीक्षा करने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कदम को वापस ले लिया जाएगा और यथापूर्व स्थिति बहाल कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार, सभी शाखा डाकघरों की तीन वर्ष में एक बार वित्तीय पुनरीक्षा की जाती है। ऐसा करके यह देखा जाता है कि क्या निर्धारित मानदंडों के अनुसार आय का न्यूनतम प्रतिशत वास्तव में प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।

(ग) जी नहीं।

डाक सम्बन्धी कार्यों के भार के परिकलन और इन कार्यों को पूरा करने में लगने वाले समय के मानदण्ड

4732. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान डाक सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को पूरा करने और अन्य मदों के सम्बन्ध में कार्य-भार का परिकलन करने और उनमें लगने वाले समय का परिकलन करने के लिए कर्मचारी निरीक्षण एककों ने मानदण्डों में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो मानदण्डों में वास्तव में क्या परिवर्तन किया गया है, और किस तारीख से परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या संचार विभाग ने इस परिवर्तन के कारण वर्तमान डाक कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखा है जिसमें छटनी होने की आशंका है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) स्टाफ निरीक्षण यूनिट/आन्तरिक कार्य अध्ययन यूनिट द्वारा किए गए अध्ययन के परिणामस्वरूप कुछ डाक पारगमन की मदों और दूसरी मदों के लिए कार्यभार की गणना और समय घटक के मानदण्डों में कुछ परिवर्तन किए गये हैं।

(ख) विस्तृत विवरण एकत्र किए जा रहे हैं और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) आदेशों अनुसार सरप्लस विभागीय स्टाफ को हटाया नहीं जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को भविष्य में होने वाले वैकल्पिक रिक्त पदों पर खपाया जाता है और उस अवधि तक वे सरप्लस पदों पर कार्य करते रहते हैं। 15.7.84 से पहले के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से संबंधित अनुदेशों के अनुसार सरप्लस अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को, संशोधित मानदण्डों के अनुसार, विकल्प की

रिक्तियों पर खपाया जाना था। तदुपरांत, इन अनुदेशों में संशोधन किया गया कि अब तक अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को विकल्प की रिक्तियों पर खपाया नहीं जाएगा वे अपने पदों पर बने रहेंगे।

आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कादिरी तालुक में टेलीफोन सेवा

4733. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कादिरी तालुक में टेलीफोन सेवा दोषपूर्ण है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कादिरी की टेलीफोन सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक पाई गई हैं।

(ख) कादिरी तालुक टेलीफोन एक्सचेंज को 8वीं योजना अवधि के दौरान आटोमैटिक बनाए जाने का प्रस्ताव है।

अखबारी कागज का उत्पादन

[हिन्दी]

4734. **श्री शांति धारीवाल :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए विद्यमान कागज मिलों से सरकार को अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इसका एकक वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन कागज मिलों द्वारा कागज के उत्पादन करने की कोई सीमा निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी कितनी सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अभी हाल में, विद्यमान पांच कागज मिलों ने अखबारी कागज बनाने की अनुमति मांगी है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने कागज और गत्ता बनाने वाले वर्तमान औद्योगिक उपक्रमों को अखबारी कागज बनाने की अनुमति देने हेतु सितम्बर 1988 में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत घोषित किए थे :—

(1) यह सुविधा उन्हीं कागज मिलों को दी जाएगी जिनकी वार्षिक क्षमता 33000 मी० टन

या उससे अधिक है तथा यह उनकी विद्यमान क्षमता के भीतर ही होगी। इसमें से कम से कम 20,000 मी० टन की क्षमता अखबारी कागज बनाने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

(2) जिन मिलों की वर्तमान वार्षिक क्षमता 33000 मी० टन से कम है उन्हें कम से कम 20000 मी० टन की वार्षिक क्षमता से अखबारी कागज बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि वे अपनी कुल वार्षिक क्षमता कम से कम 33000 मी० टन तक बढ़ा लेंगे।

(3) कच्चे माल की आपूर्ति किस स्रोत से होगी यह पहले ही तय कर लिया जाना चाहिए।

इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, दो एककों को अखबारी कागज बनाने की अनुमति दी गई है।

विवरण

क्रमांक	आवेदक का नाम	स्थापना-स्थल	कागज बनाने के लिए लाइसेंस/पंजीकृत/अधिष्ठापित क्षमता (मी० टन प्रति वर्ष)	अखबारी कागज के लिए मांगी गई क्षमता (मी० टन प्रति वर्ष)
1.	नीरा पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड	जिला : सतारा (महाराष्ट्र)	18000	39600 (अतिरिक्त)
2.	एल्लोरा पेपर मिल्स लिमिटेड	जिला : भण्डारा (महाराष्ट्र)	13200	5000 (विद्यमान कुल क्षमता के भीतर)
3.	डेल्टा पेपर मिल्स लिमिटेड	जिला : प० गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	18000	4500 (विद्यमान कुल क्षमता के भीतर)
4.	औरंगाबाद पेपर मिल्स लिमिटेड	जिला : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	16500	20000 (अतिरिक्त)
5.	श्री पद्मा पेपर मिल्स लिमिटेड	जिला : अलवर (राजस्थान)	9000	5000 (विद्यमान कुल क्षमता के भीतर)

जैसलमेर राजस्थान में ताप विद्युत केन्द्र

4735. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस पर आधारित ताप विद्युत केन्द्रों के लिए गैस की क्या दरें निर्धारित हैं;

(ख) इन संयंत्रों की राज्य-वार विद्युत की लागत कितनी है;

(ग) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को गैस पर आधारित ताप विद्युत केन्द्रों से प्राप्त बिजली महंगी होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रामगढ़ (जैसलमेर जिला) ताप विद्युत संयंत्र परियोजना के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गैस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को लाभप्रद बनाने के लिए गैस के मूल्य घटाने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) रायल्टी, करों तथा अन्य उदग्रहण आदि को छोड़कर प्राकृतिक गैस की कीमतें जनवरी, 1987 में सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गई थीं :—

(1)	आफ-शोर गैस एट लैंड फाल प्वाइंट एण्ड आन-शोर गैस	रु० 1400/1000 एम०
(2)	एच०बी०जे० पाइप लाइन के साथ-साथ बेची गई गैस	रु० 2250/1000 एम०
(3)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बेची गई गैस	रु० 1000/1000 एम० (विशिष्ट मामलों में रु० 500/1000 एम० तक की छूट के लिए प्रावधान है)

फाल-बैक उपभोक्ताओं के लिए 15% की छूट तथा विकासशील क्षेत्रों में रियायती दरों के लिए भी प्रावधान है।

(ख) और (ग) गैस आधारित संयंत्रों से बिजली के उत्पादन की लागत अन्य बातों के साथ-साथ गैस की कीमत पर भी निर्भर करती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की गैस आधारित परियोजनाओं से राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड की सप्लाई की गई बिजली के लिए टैरिफ प्रभार की वसूली उसी आधार पर की जाती है जिस आधार पर उत्तरी क्षेत्र के अन्य बिजली बोर्डों से की जाती है।

(घ) और (ङ) 3 मे०वा० की रामगढ़ गैस टर्बाइन परियोजना के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को मनेहर टिब्बा क्षेत्रों से प्रतिदिन 50,000 एम० गैस का आश्वासन दिया गया है तथा निम्न क्लोरीफिक वैल्यू और स्थल की दूरी को ध्यान में रखते हुए गैस हेतु रु० 350/1000 एम० के लिए रियायती दर का निर्धारण किया गया है।

(ख) प्राकृतिक गैस की उपरोक्त दरें फिलहाल भी लागू हैं।

केरल को विद्युत आबंटन

[अनुवाद]

4736. प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने दक्षिण क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से और अधिक आबंटन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय केन्द्रों से विद्युत का आबंटन इस सम्बन्ध में लागू स्वीकृत फार्मूले के अनुसार किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय ताप विद्युत/परमाणु विद्युत केन्द्रों से केरल को 333 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है तथा राज्य में विद्युत की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए इन केन्द्रीय केन्द्रों से उत्पादित विद्युत के अनाबंटित हिस्से में से लगभग 25% विद्युत केरल को उपलब्ध कराई जाती है।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

4737. श्री पी० एम० सईद :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों ने हाल ही में उनके निवास स्थान के समक्ष एक रैली आयोजित की थी और उन्हें अपनी मांगों के बारे में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के मजदूर संघों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने उच्चाधिकार वेतन समिति द्वारा दिनांक 24-11-1988 को प्रस्तुत की गई उनकी अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उद्योग मंत्री को दिनांक 9-3-1989 को एक ज्ञापन दिया था। उच्चाधिकार वेतन समिति की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

रामागुन्डम-सलेम-उदुमापेट बिजली लाइन का चालू होना

4738. श्री टी० बशीर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामागुंडम सलेम उदमापेट त्रिचूर 400 कि०वा० लाइन की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या यह लाइन आंशिक रूप से चालू हो गई है;

(ग) पूरी लाइन कब तक चालू हो जाएगी;

(घ) इस परियोजना पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी; और

(ङ) उस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है, और इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितना धन आवश्यक है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) रामगुन्डम-सलेम सैक्शन लाइन का निर्माण कार्य राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा और सलेम-उदमापेट-त्रिचूर सैक्शन लाइन का निर्माण कार्य नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। लाइन की लम्बाई, अनुमानित लागत, अब तक खर्च की गई राशि, शेष कार्य को पूरा करने हेतु अपेक्षित राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :--

(करोड़ रुपए में)

लाइन का सेक्शन	लम्बाई (कि०मी० में)	अनुमानित लागत	2/89 तक खर्च की गई राशि	शेष कार्य को पूरा करने हेतु अनुमानित अपेक्षित निधियां
रामगुन्डम-सलेम	1084	153.23	144.50	8.73
सलेम-उदमलपेट-त्रिचूर	413	92.96	18.10	74.86

रामगुन्डम सलेम सैक्शन लाइन चालू की जा चुकी है और सलेम-उदमलपेट-त्रिचूर सैक्शन को 1990-91 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

कलकत्ता में सार्वजनिक टेलीफोन

4739. **डा० फूलरेणु गुहा** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में इस समय कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं;

(ख) क्या इस नगर में और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 28-2-1989 की स्थिति के अनुसार कलकत्ता में कुल सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या 1592 है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990 तक सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या 4000 तक बढ़ाये जाने का

प्रस्ताव है बशर्ते कि उपर्युक्त उपस्कर तथा अन्य सामान उपलब्ध रहें।

स्कूटरों का निर्यात

4740. डा० फूलरेणु गुहा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान प्रति वर्ष किन-किन देशों को और कितनी-कितनी संख्या में स्कूटरों का निर्यात किया गया; और

(ख) इन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रमुख स्कूटर विनिर्माताओं द्वारा सूचित निर्यात इस प्रकार है—

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	निर्यात वर्ष	निर्यातित वाहनों की सं०	अर्जित विदेशी मुद्रा	जिन देशों को निर्यात किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	मै० बजाज आटो लि०	1986	3451	23780205/रु०	बांगलादेश, मिस्र, मेडागास्कर, नाइजीरिया, कतार सूडान, ओमन, यू० ए० ई० यूनान, लाइबेरिया और तहिती
		1987	3077	22902009/रु०	
		1988	1093	7747219/रु०	
2.	मै० एल० एम० एल० लि०	1986	—	—	—
		1987	670	47.31 लाख रु०	बांगलादेश, युगोस्लाविया, सिंगापुर।
		1988	2377	195.00 लाख रु०	बांगलादेश सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, सूडान, टोगो, जापान, श्रीलंका, मेडागास्कर, कुवैत, नाइजीरिया, मैक्सिको, तुर्की, कनाडा, ओमन।

1	2	3	4	5	6
3.	मै० कायनेटिक होंडा मोटर्स लि०	1986	5	57945/-रु०	जापान
		1987	32	307523/-रु०	जापान, आइवरी, कोस्ट, नेपाल।
		1988	213	2405057/-रु०	जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल।

डाकियों तथा डाकघरों की संख्या

4741. **डा० फूलरेणु गुहा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान देश में कितने डाकिए कार्य कर रहे थे; और

(ख) क्या सरकार का जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए डाकघरों और डाकियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान क्रमशः 53,905, 51,707 और 52,719 पोस्टमैन कार्यरत थे।

(ख) जी, हां।

उड़ीसा में आटो काम्पलेक्स की स्थापना

4742. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में रामरंगपुर में आटो काम्पलेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्र सरकार ने उड़ीसा के रामरंगपुर में एक आटो काम्पलेक्स की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश

4743. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने में कुल कितनी पूंजी निवेश की गई है; और

(ख) इस राज्य में सरकारी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में 2109.43 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम और उनके पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा राज्य में स्थापित किए गए हैं :—

(1) उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि०;

(2) नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लि०;

(3) नीलाचल इस्पात निगम लि०;

(4) पारादीप फास्फेट्स लि०; और

(5) उत्कल अशोक होटल लि०।

डाक विभाग में, निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के वेतनमान

4744. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के वेतनमानों को चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के पैरा 10.44 में की गई सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें संशोधित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) निरीक्षक के वेतनमानों में आगे संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की जा रही है। चूंकि इस मामले से कई विभागों का सम्बन्ध है, अतः कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण

4745. श्री हरिहर सोरन :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीफोन एक्सचेंज के भवनों का निर्माण करने के लिए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के विभिन्न स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज के अब तक कितने भवनों

का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज के कुछ और भवनों का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में अब तक 30 स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज भवन बना लिए गए हैं।

(ग) और (घ) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान, छ: टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवन बनाने का प्रस्ताव है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

टेलीफन एक्सचेंज	लाइनों की संख्या
राजगडा (सी—डाट)	400
तलचर (मैक्स—II)	400
जोडा (मैक्स—II)	200
नवरंगपुर (ई० एस० ए० एक्स०)	200
भंजननगर (मैक्स—II)	300
नेल्कोनगर (मैक्स—II)	300

आठवीं योजनावधि के दौरान टेलीफोन कनेक्शन

4746. श्री हरिहर सोरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं योजना के दौरान देश में और टेलीफोन कनेक्शन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के अन्त तक देश में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु संघ राज्य क्षेत्रवार तथा राज्यवार क्या कार्यक्रम एवं लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के प्रस्तावों में और 50 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें सुलभ कराई जाएंगी।

(ग) यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो कार्यक्रम में अगले पृष्ठ पर लिखा प्रावधान किया जाएगा :—

—ग्रामीण, पिछड़े, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में जहां 5000 लाइनों से कम क्षमता की टेलीफोन प्रणालियां काम कर रही हैं, 31 मार्च, 1985 तक मांग करने पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जाएंगे।

—5000 लाइनों और इससे अधिक क्षमता की टेलीफोन प्रणालियों द्वारा सेवित क्षेत्रों में 1-4-1995 तक औसतन 31-3-1994 तक की पंजीकृत मांग को पूरा कर लिया जाएगा।

लघु एककों को "कार्बन ब्लैक फीड स्टाक" की सप्लाई

4747. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियां "कार्बन ब्लैक फीड स्टाक" का निर्माण कर रहे हैं जिसकी अधिकांश मात्रा का प्रयोग इस समय "कार्बन ब्लैक" का निर्माण करने वाले केवल बड़े एककों द्वारा ही किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विदेशी मुद्रा बचाने के लिए राज्यों के उद्योगों के निदेशकों की सिफारिशों पर थोड़ी मात्रा में "पाम फेट्टी ऐसिड" जैसे आयातित कच्चे माल के विकल्प के रूप में "कार्बन ब्लैक" के अतिरिक्त अन्य उत्पादों का निर्माण करने वाले लघु एककों को यह फीड स्टाक जारी करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन

4748. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) इस ज्ञापन का आधार और क्षेत्र क्या है;

(ग) क्या ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अन्य गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में अधिक स्वायत्तता मिली है और यदि हां, तो यह स्वायत्तता किस सम्बन्ध में है; और

(घ) क्या समझौता-ज्ञापन के लागू होने के बाद इन उपक्रमों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सरकारी क्षेत्र के चार उपक्रमों अर्थात् भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि० और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने वर्ष 1987-88 के लिए अपने प्रशासनिक मन्त्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ग्यारह उपक्रमों अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, मारुति उद्योग

लि०, भारी इन्जीनियरी निगम लि०, एच०एम०टी० लि०, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इण्डियन एयर लाइन्स, एयर इण्डिया, राज्य व्यापार निगम लि०, खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि० ने वर्ष 1988-89 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) समझौता-ज्ञापन एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों, दोनों की परस्पर सम्मत वचनबद्धतायें शामिल होती हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों पर कोई निश्चित प्राचल लागू नहीं होते हैं तथा प्रत्येक उद्यम के लिए अलग-अलग समझौता ज्ञापन होता है।

(ग) जी, हां। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले उद्यमों को बढ़ी हुई प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां सौंप दी गई हैं।

(घ) ऐसे उद्यमों ने, जिन्होंने वर्ष 1987-88 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, कुल बिक्री, सकल उपान्त लाभ तथा निवल लाभ के रूप में बेहतर परिणाम दिखाये हैं जैसाकि नवीनतम वर्ष, जिसके अन्तिम लेखे उपलब्ध हैं, 1987-88 के लेखों से देखा जा सकता है।

क्योंझर गढ़ उड़ीसा में टेलीफोन डाइरेक्टरी उपलब्ध कराना

4749. श्री हरिहर सोरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर गढ़ जिले में वर्ष 1984 से अभी तक टेलीफोन डायरेक्टरियां मुद्रित नहीं कराई गई हैं और न ही प्रयोक्ताओं को वितरित की गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) क्योंझर की टेलीफोन डायरेक्टरी का अन्तिम संस्करण मार्च, 1985 में उस समय निकाला गया था जब यह जिला बालासोर तार मंडल में आता था।

(ख) और (ग) ढेनकनाल सैकेण्डरी स्विचिंग एरिया, जिसमें क्योंझरगढ़ भी शामिल है, की नई टेलीफोन डायरेक्टरी फरवरी, 1989 में प्रकाशित की जा चुकी है और इसे उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।

सैकेण्डरी स्विचिंग एरिया के आधार पर पुनर्गठन करने के कारण नई टेलीफोन डायरेक्टरी को प्रकाशित करने में विलम्ब हुआ है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा भी प्रिंटिंग पेपर विलम्ब से सप्लाई किया गया था।

मलेशिया के सहयोग से उद्योगों की स्थापना

4750. श्री श्रीकांतदत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेशिया के सहयोग से कुछ उद्योगों की स्थापना करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) क्या ये उद्योग निर्यातोन्मुख होंगे; और

(ग) यदि हां, तो मलेशिया द्वारा कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) 1986 से 1988 तक सरकार ने मलेशिया के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 3 प्रस्तावों की स्वीकृति दी है। ये प्रस्ताव 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना के अधीन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए थे एवं इनमें मलेशिया की कम्पनियों द्वारा 71 लाख रु० की राशि का वित्तीय योगदान अन्तर्ग्रस्त है। (भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा) सभी स्वीकृत विदेशी सहयोगों के ब्यौरे, भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, उत्पादन की वस्तु तथा सहयोग का प्रकार मासिक आधार पर अपने मन्थली न्यूज लैटर के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है।

गैर लघु उद्योग के क्षेत्रों और लघु उद्योग क्षेत्रों में बीमार एकक

4751. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नवीनतम प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य-वार, गैर-लघु उद्योग क्षेत्रों तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में बीमार एककों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अद्यतन स्थिति के अनुसार औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है;

(ग) बीमार एककों में, राज्य-वार, सरकार तथा बैंक की कुल कितनी धन-राशि लगी हुई है;

(घ) बीमार एककों में, राज्य-वार, कुल कितने कामगार कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) उपर्युक्त आंकड़े प्राप्त होने के बाद से अब तक कितने बीमार एककों को पुनः कार्यक्षम बनाया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, लघु उद्योग और गैर लघु उद्योग वर्गों के अन्तर्गत आने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों तथा साथ ही जून, 1987 के अन्त में उनकी ओर बकाया राशि से सम्बन्धित राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (घ) ये आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जा रहे हैं।

(ङ) गैर लघु उद्योग क्षेत्र के साथ-साथ लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित जीव्यता की स्थिति तथा साथ ही उनकी ओर बकाया राशि इस प्रकार है :

(जून, 1987 के अन्त की स्थिति के अनुसार)

	गैर लघु उद्योग के रुग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रु०)	लघु उद्योग के रुग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रु०)
1. संभावित रूप से जीव्य	341	1180.28	12062	342.74
2. अजीव्य	521	999.29	139346	1059.91
3. जीव्यता निश्चित नहीं की गई	195	500.87	6818	139.60
4. नर्सिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत रखे गये एकक	233	847.55	4980	232.96

विवरण

जून, 1987 के अन्त की स्थिति के अनुसार रुग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्धित राज्यवार आंकड़े

(स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रु०)	लघु उद्योगों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	66	113.36	14064	108.19
असम	6	3.00	3542	12.66
बिहार	20	55.48	7870	61.12
गुजरात	115	318.28	5211	114.99
हरियाणा	41	63.39	1819	38.44
हिमाचल प्रदेश	7	8.2[illegible]	665	8.08
जम्मू और कश्मीर	—	—	[illegible]290	9.66
कर्नाटक	62	105.30	5105	95.64
केरल	27	147.60	11805	92.76
महाराष्ट्र	238	834.43	11457	277.55

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	30	79.95	11053	45.49
उड़ीसा	10	23.84	7229	32.50
पंजाब	30	32.72	1834	35.51
राजस्थान	36	70.99	8657	39.61
तमिलनाडु	105	210.53	25146	167.48
उत्तर प्रदेश	67	168.31	16287	125.74
प० बंगाल	146	374.91	18179	16[illegible].37
गोवा	15	21.51	1261	13.57
दादर और नगर हवेली	1	0.58	5	0.14
अरुणाचल प्रदेश	—	—	22	0.02
नागालैंड	—	—	14	0.13
चन्डीगढ़	3	5.66	204	5.72
दिल्ली	19	35.24	2577	83.49
मणिपुर	--	—	932	0.86
मेघालय	1	1.24	122	1.56
पाण्डिचेरी	4	3.32	366	3.31
दमन और द्वीव	1	1.93	3	0.12
त्रिपुरा	1	0.65	556	0.53
सिक्किम	—	—	1	0.01
योग :	1057	2680.44	158226	1542.25

आशय-पत्र जारी करना

4752. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1986, 1 अप्रैल, 1987 और 1 अप्रैल, 1988 को, राज्य-वार उद्योगों को स्थापना हेतु आशय-पत्रों की मंजूरी के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े थे;

(ख) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान, राज्य-वार और कितने आवेदन

पत्र प्राप्त हुए;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य-वार कितने आशय-पत्र जारी किए गए;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य-वार कितने आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए गए, अथवा अन्यथा निपटाये गए; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1988 को कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन (अनिवासी भारतीय, उर्वरक मामलों के अलावा) औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदनों के सम्बन्ध में आंकड़े कलैंडर वर्ष-वार रखे जाते हैं। वर्ष, 1986, 1987, 1988 के प्रारम्भ में अग्रेणित आवेदनों की राज्य-वार स्थिति तथा इन्हीं वर्षों में प्राप्त हुए अतिरिक्त आवेदनों एवं निपटाए गए आवेदनों की संख्या संलग्न विवरण 1 से 3 में दी गई है।

विवरण-1

वर्ष 1986 के लिए अग्रेनीत, प्राप्त हुए निपटाए गए तथा प्रक्रियागत आवेदनों की राज्यवार स्थिति

राज्य का नाम	1.1.86 की स्थिति के अनुसार अग्रेनीत	1986 में प्राप्त हुए अतिरिक्त आवेदनों की संख्या	1986 में जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या	अस्वीकृत/अन्यथा निपटाए गए आवेदनों की संख्या	प्रक्रियागत आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	83	221	80	159	65
असम	15	36	11	26	14
अंडमान और निकोबार	—	2	—	2	—
अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	—	1
बिहार	7	48	22	33	—
चंडीगढ़	—	4	1	3	—
दादरा और नगर हवेली	2	13	6	8	1
दिल्ली	3	30	13	18	2

1	2	3	4	5	6
गुजरात	49	201	88	123	39
गोवा, दमन और दीव	11	17	12	6	10
हरियाणा	19	109	51	64	13
हिमाचल प्रदेश	13	50	23	32	8
जम्मू और कश्मीर	4	24	4	19	5
कर्नाटक	37	110	66	53	28
केरल	11	34	17	18	10
मध्य प्रदेश	33	207	65	152	23
महाराष्ट्र	82	319	159	180	62
मेघालय	1	1	—	1	1
मिजोरम	—	1	—	—	1
नागालैंड	1	5	3	2	1
उड़ीसा	5	49	17	36	1
पांडिचेरी	9	24	11	14	8
पंजाब	28	113	59	65	17
राजस्थान	22	73	46	44	5
सिक्किम	—	3	—	2	1
तमिलनाडु	24	265	113	160	16
त्रिपुरा	1	—	—	—	1
उत्तर प्रदेश	78	346	124	255	45
पश्चिम बंगाल	19	105	29	77	18
एक राज्य से अधिक	10	40	11	31	8
योग :	568	2450	1031	1583	404

विवरण-2

वर्ष 1987 के लिए अग्रेनीत, प्राप्त हुए, निपटाए गए तथा प्रक्रियागत आवेदनों की राज्यवार स्थिति

राज्य का नाम	1.1.87 की स्थिति के अनुसार अग्रेनीत	1987 में प्राप्त हुए अतिरिक्त आवेदनों की संख्या	1987 में जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या	अस्वीकृत अन्यथा निपटाए गए आवेदनों की संख्या	प्रक्रियागत आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	65	152	79	82	56
असम	14	17	13	3	15
अण्डमान और निकोबार	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	1	2	1	1	—
बिहार	—	23	14	9	—
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—
दादरा और नगर हवेली	1	4	2	—	3
दिल्ली	2	11	5	5	3
गुजरात	39	94	68	40	25
गोवा दमन और द्वीव	10	20	7	10	13
हरियाणा	13	64	35	21	21
हिमाचल प्रदेश	8	46	20	25	9
जम्मू और कश्मीर	5	16	9	5	7
कर्नाटक	28	106	74	44	16
केरल	10	20	16	5	9
मध्य प्रदेश	23	83	45	49	12
मेघालय	1	4	1	3	1
महाराष्ट्र	62	198	120	77	63

1	2	3	4	5	6
मिजोरम	1	1	1	—	1
मणिपुर	—	2	—	1	1
नागालैंड	1	—	1	—	—
उड़ीसा	1	34	14	19	2
पांडिचेरी	8	20	9	12	7
पंजाब	17	68	41	31	13
राजस्थान	5	74	42	30	7
सिक्किम	1	—	—	—	1
तमिलनाडु	16	141	117	37	3
त्रिपुरा	1	—	—	—	1
उत्तर प्रदेश	43	179	91	93	40
प० बंगाल	18	48	26	22	18
एक राज्य से अधिक	8	16	10	10	4
योग :	404	1443	861	634	352

विवरण-3

वर्ष 1988 के लिए अग्रेनीत, प्राप्त हुए निपटाए गए तथा प्रक्रियागत आवेदनों की राज्यवार स्थिति

राज्य का नाम	1.1.88 की स्थिति के अनुसार अग्रेनीत	1988 में प्राप्त हुए अतिरिक्त आवेदनों की संख्या	1988 में जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या	अस्वीकृत अन्यथा निपटाए गए आवेदनों की संख्या	प्रक्रियागत आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	56	157	68	58	87
असम	15	18	10	4	19
अण्डमान और निकोबार	—	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	1	1	1	—	1
बिहार	—	45	17	21	7
चंडीगढ़	—	1	—	1	—
दादरा और नगर हवेली	3	7	2	3	5
दिल्ली	3	7	3	5	2
दमन और द्वीव	—	6	2	2	2
गुजरात	25	132	68	53	36
गोवा	13	13	6	4	16
हरियाणा	21	78	28	17	54
हिमाचल प्रदेश	9	60	23	13	33
जम्मू और कश्मीर	7	26	10	11	12
कर्नाटक	16	137	63	33	57
केरल	9	25	14	5	15
मध्य प्रदेश	12	153	46	38	81
महाराष्ट्र	63	315	152	89	137
मणिपुर	1	1	2	—	—
मेघालय	1	5	—	—	6
मिजोरम	1	—	1	—	—
नागालैण्ड	—	2	—	1	1
उड़ीसा	2	34	14	11	11
पाण्डिचेरी	7	18	6	4	15
पंजाब	13	100	45	39	29
राजस्थान	7	73	32	20	28
सिक्किम	1	2	—	—	3
तमिलनाडु	3	146	78	32	39
त्रिपुरा	1	2	1	1	1
उत्तर प्रदेश	40	366	140	89	177

1	2	3	4	5	6
प० बंगाल	18	66	33	25	24
एक राज्य से अधिक	4	21	2	13	10
योग :	352	2018	869	593	908*

टिप्पण : इसमें पीने योग्य अलकोहल/बियर इत्यादि के 412 आवेदन भी शामिल हैं।

बिहार में पूर्णिया जिले के लिए विद्युतीकरण योजना

4753. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को आबंटित ग्रामीण विद्युतीकरण कोष में से धनराशि को विभिन्न जिलों में और जिले के विभिन्न खंडों/पंचायतों में वितरित करने हेतु क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(ख) बिहार के पूर्णिया जिले के लिए मंजूर योजनाओं की संख्या, वर्ष 1988-89 के दौरान विद्युतीकृत गांवों तथा वर्ष 1989-90 के दौरान विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांवों की संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जिलेवार एवं खण्डवार धनराशि के वितरण का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाता है।

(ख) 29-3-1989 की स्थिति के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम 1988-89 के दौरान बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में 43 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को मंजूरी दे चुका है। बताया जाता है कि दिसम्बर, 1988 के अन्त तक (अनन्तिम रूप से) 18 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1989-90 के लिए बिहार राज्य के लिए 2300 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलेवार लक्ष्य का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाता है।

दिल्ली और फरीदाबाद के बीच टेलीफोन सेवा

4754. प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और फरीदाबाद के बीच टेलीफोन सेवा बहुधा ठप्प रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली और फरीदाबाद के बीच टेलीफोन सेवा सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) दिल्ली और फरीदाबाद के बीच टेलीफोन सेवाएं आमतौर पर संतोषजनक हैं।

(ग) दिल्ली और फरीदाबाद के बीच टेलीफोन सेवा में और सुधार लाने के लिए, उठाए गए

कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) फरीदाबाद में 10,000 लाइन का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू करना,

(2) दिल्ली और फरीदाबाद के बीच जंक्शन केबिलों पर अतिरिक्त पी० सी० एम० प्रणाली चालू करना; और

(3) दिल्ली और फरीदाबाद के बीच डिजीटल कोएक्सियल प्रणाली प्रारम्भ करना।

कर्नाटक में "टेलेक्स" सेवा

4755. श्री एच० जी० रामुलु :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के प्रमुख नगरों में "टेलेक्स" सेवाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में किन-किन नगरों में ये सेवाएं प्रदान की जायेंगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) जिला मुख्यालयों एवं अन्य मुख्य नगरों सहित अनेक बड़े नगरों में पहले ही टेलेक्स सेवाएं उपलब्ध हैं। निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में निकट भविष्य में टेलेक्स सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इन स्थानों पर कम से कम 4 कनेक्शनों की सुनिश्चित मांगें दर्ज कराई गई हों .—

(1) बीजापुर

(2) चित्रदुर्ग

(3) चिकमंगलूर

(4) माण्ड्या, तथा

(5) मादीकेरी

भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड के कर्मचारियों से ज्ञापन

4756. श्री रेणुपद दास :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में उठाये गये मुद्दों का सम्बन्ध निम्नलिखित से है :—

(1) बी० पी० एम० ई० एल० की नई दिल्ली शाखा में कर्मचारियों का वर्गीकरण।

(2) कलकत्ता और दिल्ली में तैनात कर्मचारियों के वेतन में असमानता।

(3) दिल्ली स्टाफ के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान।

(ग) बी० पी० एम० ई० एल० के स्टाफ और उप स्टाफ की संशोधित वेतन संरचना जिसमें बी० पी० एम० ई० एल० की दिल्ली शाखा के मिस्त्री भी शामिल हैं, को विधिवत् सरकारी अनुमोदन के पश्चात् 1 अप्रैल, 1987 से, उस समय की मान्यता प्राप्त यूनियन अर्थात् बर्ड हेल्जर्स इम्पलाइज यूनियन, दिल्ली शाखा के साथ बातचीत के पश्चात् कार्यान्वित की गई। बी० पी० एम० ई० एल० के कलकत्ता के कर्मचारियों की मजदूरी संरचना पश्चिमी बंगाल त्रिपक्षीय इंजीनियरी मजदूरी समझौता, दिनांक 28 जनवरी, 1988 से संचालित होती है।

खानों के मुहाने पर कोयले का मूल्य

4757. श्री के० रामसूर्ति :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1981 और जनवरी, 1987 के बीच कोयले के खानों के मुहानों पर कोयले के मूल्य और विद्युत केन्द्रों पर कोयले की पहुंच लागत के प्रतिशत में आंशिक रूप से कमी आई है और रेल भाड़े में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार कोयले के पहुंच लागत और रेल भाड़े के बीच प्रतिशतता की वर्तमान स्थिति क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) एक विद्युत केन्द्र तथा दूसरे विद्युत केन्द्र के कोयले की खान मुहाना कीमतों तथा रेल भाड़ा के हिस्से की कोयला पहुंच लागत की प्रतिशतता में भिन्नता रहेगी चूंकि यह भिन्नता प्रयोग किये जाने वाले कोयले के ग्रेड और कोयले के उत्पादन स्थल तथा विद्युत केन्द्र के बीच की दूरी पर निर्भर करेगी। यह इस बात पर भी निर्भर करेगी की कोयले का उत्पादन किस राज्य में किया गया है चूंकि कोयले पर लगे शुल्कों/लगी लेवी के प्रभाव में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता होती है। वर्ष 1987-88 के दौरान औसत दूरी, जिसके लिए रेलवे द्वारा कोयले का परिवहन किया गया, 655 कि० मि० थी। यह अनुमान लगाया गया है कि बिहार/पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों से 655 कि०मी० की दूरी के विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए गए "ई" ग्रेड के कोयले के खान मुहाने की कीमत के हिस्से में फरवरी, 1981 में लगभग 55% से घटकर जनवरी, 1987 में लगभग 37% की कमी आ गई; रेल भाड़े के हिस्से में फरवरी, 1981 के लगभग 36% से जनवरी, 1987 में लगभग 47% तक वृद्धि हो गई।

जनवरी, 1989 में बिहार/पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों से 655 कि० मी० की दूरी पर स्थित किसी विद्युत गृह को सप्लाई किए गए "ई" ग्रेड के कोयले के लिए कोयले की पहुंच लागत की प्रतिशतता के रूप में खान मुहाना कीमत तथा रेल भाड़े का हिस्सा क्रमशः लगभग 41% तथा 38% होने का अनुमान है।

कोयला श्रमिकों की स्थिति में सुधार

[हिन्दी]

4758. श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कोयला उद्योग के श्रमिकों/कर्मचारियों की स्थिति सुधारने कोयला उद्योग/कोयला खानों के कार्यकरण तथा ढांचे में परिवर्तन करने और पेंशन-योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कारगर उपाय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) श्रमिकों के लिए प्रस्तावित पेंशन योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड की कोयला कंपनियां अपने कर्मचारियों के जीवन-स्तर में सुधार लाए जाने के लिए सुविधाएं जैसे आवास, जलापूर्ति, चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधा, आदि को बढ़ाए जाने का निरन्तर प्रयास करती है। इस बात को नीचे की सारणी में दर्शाया गया है :—

मद	राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय स्थिति	वर्ष 1988 के अन्त में स्थिति	प्रतिशतता वृद्धि
आवास	1,18,366 (आवासों की संख्या)	2,94,570 (आवासों की संख्या)	149%
जलापूर्ति	2,27,300 (लाभान्वित जनसंख्या)	19,41,378 (लाभान्वित जनसंख्या)	754%

कोल इण्डिया लिमिटेड की कोयला कम्पनियों के क्षेत्राधिकार में 60 प्राथमिक स्कूल, 231 माध्यमिक स्कूल, 152 हाई स्कूल, 9 कालेज और 25 केन्द्रीय विद्यालय आते हैं। कोयला कम्पनियां इस शैक्षणिक संस्थाओं को उपयुक्त सहायता अनुदान देती है और इन संस्थाओं की शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाए जाने में अन्य तरीके से भी सहायता प्रदान करती हैं। इन शैक्षणिक संस्थाओं की सुविधाओं का कर्मचारियों के बच्चे लाभ उठाते हैं। कोयला कम्पनियां सहकारी संस्थाओं तथा बैंकों की शाखाओं आदि की स्थापना को भी प्रोत्साहन देती हैं, जिनसे कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। कोयला कम्पनियां 77 तथा 417 औषधालय अस्पताल चलाती हैं जिनमें 4533 बिस्तरों की व्यवस्था है और इनमें 1241 चिकित्सा अधिकारी तथा 200 विशेषज्ञ तैनात हैं जोकि कम्पनियों के कर्मचारियों को निरन्तर चिकित्सा सुविधा प्रदान करती हैं।

(ख) और (ग) कोल इण्डिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों के लिए एक सेवा-निवृत्त लाभ योजना पर विचार कर रही है। उक्त योजना के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राजस्थान में गांवों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

4759. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में आज तक जिला-वार कितनी संख्या में तथा कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या राजस्थान का जैसलमेर जिला विद्युतीकरण के मामले में सभी जिलों से पिछड़ा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान में, विशेष रूप से जैसलमेर जिले में गांवों के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने क्या कार्यक्रम तैयार किया है;

(ङ) क्या राजस्थान के इस सीमावर्ती जिले पर कोई विशेष ध्यान देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में विद्युतीकृत गांवों की संख्या और उनके प्रतिशत का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जैसलमेर जिले में ग्राम विद्युतीकरण की धीमी प्रगति के कारणों में मरुस्थलीय परिस्थितियां होने, विद्युतीकृत किये जाने वाले क्षेत्र दूर-दराज के इलाकों में स्थित होने, आबादी की सघनता कम होने आदि को शामिल किया जा सकता है ।

(घ) से (च) योजना आयोग ने राजस्थान में 1988-89 के दौरान 942 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने 1988-89 के दौरान जैसलमेर जिले में 5 गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव किया है ।

विवरण

31-1-89 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में विद्युतीकृत गांवों का जिलेवार ब्यौरा ।

क्रम सं०	जिला	31-1-1989 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव (विद्युतीकृत गांव का %)
1	2	3
1.	अजमेर	713 (77.2)

1	2	3	
2.	अलवर	1526	(80.7)
3.	बांसवाड़ा	809	(56.0)
4.	बाड़मेर	478	(56.0)
5.	भरतपुर	895	(67.4)
6.	धोलपुर	313	(58.2)
7.	भीलवाड़ा	1387	(91.7)
8.	बीकानेर	448	(78.5)
9.	बून्दी	591	(81.5)
10.	चितौड़गढ़	1457	(68.4)
11.	चूरू	560	(65.5)
12.	डूंगरपुर	566	(68.0)
13.	जयपुर	2153	(79.6)
14.	जैसलमेर	83	(18.0)
15.	जालौर	534	(88.7)
16.	झुनझुनु	663	(96.2)
17.	झलवाड़	811	(56.2)
18.	जोधपुर	642	(91.1)
19.	कोटा	1367	(71.9)
20.	नागौर	993	(81.2)
21.	पाली	798	(97.6)
22.	सवाई-माधोपुर	991	(64.6)
23.	सीकर	813	(100.0)
24.	सिरोही	429	(99.1)
25.	श्रीगंगानगर	1325	(35.0)
26.	टोंक	561	(55.7)
27.	उदयपुर	2027	(65.0)

वाइपीन, कोचीन में ताप बिजली घर के लिए गैस का आबंटन

4760. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वाइपीन कोचीन में प्रस्तावित 600 मेगावाट के गैस टर्बाइन बिजली घर के लिए निरन्तर गैस सप्लाई करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार को सूचित कर दिया गया है कि चूंकि केरल में प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस समय बिजलीघर के लिए गैस देने के संबंध में वचन देना सम्भव नहीं होगा।

पश्चिम बंगाल के शहरों में एस० टी० डी० सुविधा

4761. डा० फूलरेणु गुहा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 और 1990 में पश्चिम बंगाल के कुछ और शहरों तथा उप-मंडलों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से शहरों तथा उप-मंडलों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराई आएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) ये स्थान हैं—मेमडी, कुर्सियांग, बलूरघाट, जलपाईगुड़ी, बेरहामपुर, बांकुरा, फाल्टा, कोंटई, अलीपुरद्वार।

विकास केन्द्रों की स्थापना

4762. श्री सोमनाथ रथ :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में 100 विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोई योजना और विस्तृत दिशा निर्देश तथा कार्य योजना तैयार की गई थी;

(ख) क्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार ने प्रथम चरण में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 61 विकास केन्द्र स्थापित किये हैं। व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को दिसम्बर, 1988 में जारी किए गए थे। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रस्ताव अधिमानतः 30 अप्रैल, 1989 तक भेज दें। योजना के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

दूरसंचार क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग

4763. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग वर्ष 1982 में शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो समझौते के अन्तर्गत वर्ष 1982 से भारत को क्या सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) क्या फ्रांस ने इस वर्ष द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो दूरसंचार के क्षेत्र में फ्रांस द्वारा प्रदान की जाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है ?

दूरसंचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध कराई गई सेवाएं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

निम्नलिखित सेवाएं मुहैया करवाई गई हैं :—

(1) ई—10 बी प्रणाली के लिए भारत में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता।

(2) ई—10 बी के विनिर्माण में प्रयुक्त संघटकों का परीक्षण करने के लिए विश्वसनीय केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता।

(3) देश में ई—10 बी प्रणाली शुरू करने के लिए प्रबन्ध, प्रचालन और अनुरक्षण-परीक्षण तथा नेटवर्क नियोजन के लिए कम्प्यूटर प्रयोगों की सहायता।

(4) ई—10 बी उपस्कर के विनिर्माण हेतु फैक्टरी की संस्थापना के लिए सहायता।

बिहार में भण्डारों शाखा कार्यालय का दर्जा बढ़ाना

[हिन्दी]

4764. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गिरिडीह जिले के राजधनवार डाक एवं तार उप-कार्यालय को दो भागों में बांटने तथा भण्डारों शाखा कार्यालय का उप-कार्यालय के रूप में दर्जा बढ़ाने की मांग की गई है;

(ख) क्या यह स्पष्ट किया गया है कि भण्डारों शाखा कार्यालय का उप-कार्यालय के रूप में

दर्जा बढ़ाने में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं होगी; और

(ग) यदि भाग (क) तथा (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो सरकार का भण्डारों शाखा कार्यालय का उप-कार्यालय के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए कब तक आदेश जारी करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आवास के लिए किराये के रूप में अतिरिक्त व्यय किया जाना है, तथा शाखा डाकघरों का मोजूदा भार भी उनका दर्जा बढ़ाए जाने को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराता। अतः इस समय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

केरल में दूरसंचार विभाग को घाटा

[अनुवाद]

4765. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण गत दो वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग को कितना घाटा हुआ है; और

(ख) केरल में दूरसंचार उपकरणों को क्षति पहुंचाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो : (क) क्योंकि आन्दोलन कर्मचारियों के एक हिस्से द्वारा ही किया गया था इसलिए राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है। वस्तुत: पिछले दो वर्षों में राजस्व में वृद्धि हुई है।

(ख) संबंधित एक कर्मचारी को निलम्बित और स्थानांतरित किया गया था तथा उसके विरुद्ध भारी दंड के लिए अनुशासनिक कार्रवाई जारी है।

केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्र

4766. **प्रो० के० वी० थामस :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों की जिलेवार संख्या कितनी थी; और

(ख) केरल में इन आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 31 दिसम्बर, 1988 की

स्थिति के अनुसार केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदनों की संख्या जिलावार इस प्रकार है :

क्र० स०	जिले का नाम	31-12-1988 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1.	अल्लेप्पी	5239
2.	कालीकट	11215
3.	कन्नानूर	8945
4.	एर्नाकुलम	19690
5.	इदिक्की	3271
6.	कासरगोड	5659
7.	कोट्टायम	12016
8.	मालापुरम	7271
9.	पालघाट	4732
10.	पथानमथिट्टा	5992
11.	क्विलोन	6696
12.	त्रिचूर	12996
13.	त्रिवेन्द्रम	12227
14.	वाइनाड	1759

(ख) 1989-90 के दौरान लगभग 15,00 नये कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। शेष आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर प्रदान किए जाएंगे।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत लागू शिक्षा के प्रसार के लिए दूरदर्शन सेवा का उपयोग

4767. श्री हुसैन दलवाई :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत मुक्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले दूर-दराज के क्षेत्रों के छात्रों की सुविधा के लिए दूरदर्शन प्रसारण माध्यम का उपयोग करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन द्वारा देश भर में शत-प्रतिशत प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आई० जी० एन० ओ० यू०) ने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों को उनके छात्रों के हित में टेलीकास्ट करने के लिए नियत समय आवंटित करने के लिए दूरदर्शन से पेशकश की थी। इस पर विचार किया गया था और दूरदर्शन ने इन कार्यक्रमों के टेलीकास्ट के लिए उपयुक्त समय सुलभ कराने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। अतः, इस सुविधा का लाभ उठाना विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की इच्छा पर निर्भर है।

जहां तक समूचे देश को कवर करने के लिए दूरदर्शन सेवा के विस्तार का सम्बन्ध है, इसके लिए साधनों को व्यापक रूप से उठाने की आवश्यकता है और इसलिए इस कार्य को दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए केवल चरणबद्ध ढंग से किया जा सकता है।

राज्य विद्युत बोर्डों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की बकाया देय राशि

[हिन्दी]

4768. श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विद्युत बोर्डों की ओर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की राज्यवार कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) वर्ष 1988-89 तक किन-किन राज्यों ने अपनी ऐसी बकाया राशि अदा कर दी है;

(ग) शेष राज्यों द्वारा बकाया राशि अदा न किये जाने के क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पीतमपुरा स्थित टी० वी० टावर में निर्मित रेस्टोरेंट का चालू होना

[अनुवाद]

4769. श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतमपुरा स्थित टी०वी० टावर में निर्मित रिवाल्विंग रेस्टोरेंट चालू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रेस्टोरेंट को जनता के लिए चालू करने के लिए कोई प्रायोगिक कार्यक्रम बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) टावर पर रेस्टोरेंट केवल कुछ लम्बित आनुषंगिक कार्यों के पूरा हो जाने के बाद ही स्थापित किया जा सकता है। इसकी स्थापना के लिए समय निर्धारित करना भी रेस्टोरेंट चलाने की इच्छुक किसी उपयुक्त एजेंसी तथा टावर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के उपायों पर निर्भर करता है।

टेलीप्रिन्टर, टेलेक्स कनेक्शन

4770. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम, टेलीफोन कनेक्शनों के अतिरिक्त टेलीप्रिन्टर, टेलेक्स इत्यादि सुविधाएं प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कनेक्शनों को उपलब्ध कराने के लिए क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं तथा तत्सम्बन्धी प्रभार कितना है;

(घ) इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा क्या औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता होती है;

(ङ) क्या इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सारे देश में एक समान मापदण्ड अपनाया जाता है तथा समान प्रभार लिया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) टेलेक्स टेलीप्रिंटर, डाटा लाइन्स और स्पीच लाइन्स आदि जैसी दूरसंचार सेवाएं महानगर टेलीफोन निगम द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों के अतिरिक्त प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1. ये दूरसंचार सेवाएं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर प्रदान की जाती हैं, बशर्ते कि ये उपलब्ध और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हों।

2. विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभार अगले पृष्ठ पर दिए हैं :

I. टेलेक्स कनेक्शन

ये कनेक्शन मांग होने पर प्रदान किए जाते हैं। टेलेक्स कनेक्शनों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

टेलेक्स कनेक्शनों के लिये प्रभार इस प्रकार हैं :

(क) आवेदन फार्म की कीमत	25 रुपये
(ख) केवल एक बार प्रभार्य प्रतिभूति जमा	10000 रुपये
(ग) टेलेक्स मशीन का वार्षिक किराया	4500 रुपये
(1) इलैक्ट्रोनिकल	4500 रुपये
(2) इलेक्ट्रोनिक	8100 रुपये

लाइन के लिए वार्षिक किराया :

(1) 5 कि०मी० की अरीय दूरी तक स्थानीय क्षेत्र)	1500 रुपये
(2) 5 कि०मी० से कम स्थानीय क्षेत्र से बाहर प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० या उसके भाग के लिए	450 रुपये प्रति कि०मी०
(3) 5 कि०मी० से अधिक, स्थानीय क्षेत्र से बाहर (1-8-88 से प्रभावी) प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० या उसके भाग के लिए तथा कम से कम 3 वर्ष के लिए कनेक्शन रखने हेतु। इसके लिए एक वर्ष के लिए अग्रिम किराए के अतिरिक्त कनेक्शन लेने वाले को शेष किराये के लिए पत्र या डाकघर बचत बैंक जमा बैंक जमा या गारन्टी के रूप में निविदा प्रतिभूति भरनी होगी	1500 रुपये

II. लीज्ड सर्किट :

ये सर्किट मांग होने पर प्रदान किये जाते हैं बशर्ते कि चैनलों की उपलब्धता जंक्शन केबिल पेयर, लोकल लीड्स आदि जैसी तकनीकी व्यवहार्यता हो।

प्रभार इस प्रकार है :

(1) लम्बी दूरी के सर्किट

(1.1) स्पीच सर्किट

(1) चैनलों का वार्षिक किराया 400 रुपये प्रति कि०मी० या उसके भाग के लिए

(2) दोनों तरफ लोकल लीड्स के लिए वार्षिक किराया पहले कि०मी० या उसके भाग के

लिये 1400 रुपये, 5 कि०मी० तक, प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० एवं उसके भाग के लिये 800 रुपये कि०मी० और 5 कि०मी० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० एवं उसके किसी भाग के लिए 1500 रुपये प्रति कि०मी० ।

(3) दोनों तरफ दो-दो सौ रुपये संस्थापना प्रभार (दोनों तरफ लिया जाने वाला)

1.2 डाटा सर्किट :

(1) चैनलों के लिए वार्षिक किराया 500 रुपये प्रति कि०मी०

(2) दोनों तरफ लोकल लीड्स के लिए किराया और संस्थापन प्रभार वही है जो उपर्युक्त (1.1), (ii) और (iii) के लिए हैं ।

(3) मल्टी यूजर डाटा सर्किट नेटवर्क के मामले में ट्रंक डाटा सर्किट के प्रत्येक टर्मिनेशन और एक लोकेशन से अधिक की टाइ-लाइन के लिए 5000 रुपये अतिरिक्त वार्षिक लाइसेंस फीस प्रभार्य है ।

1.3 टेली प्रिंटर सर्किट :

(1) चैनल के लिए वार्षिक किराया प्रति कि०मी० या उसके किसी भाग के लिए 125 रुपये है ।

(2) दोनों तरफ लोकल लीड्स के लिए वार्षिक किराया एक कि०मी० या उसके किसी भाग के लिए 1400 रुपए, 5 कि०मी० तक प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० या उसके किसी भाग के लिए 800 रुपए प्रति कि०मी० और 5 कि०मी० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० एवं उसके किसी भाग के लिए 1500 रुपए प्रति कि०मी० ।

(3) सर्किट के लिए दोनों तरफ संस्थापन प्रभार वही हैं जो उपर्युक्त

(4) (iii) के लिए हैं ।

(5) इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीप्रिंटर मशीन के लिए वार्षिक किराया दोनों तरफ प्रति मशीन 4500 रुपए है, यदि वह विभाग द्वारा प्रदान की गई हो ।

(6) इलेक्ट्रानिक मशीन के लिए वार्षिक किराया दोनों तरफ प्रति मशीन 8100 रुपए है, यदि वह विभाग द्वारा प्रदान की गई हो ।

(7) प्रति टेलीप्रिंटर मशीन 10,000 रुपए जमानत के रूप में अग्रिम जमा कराने होते हैं ।

2. स्थानीय सर्किट :

2.1 नॉन-एक्सचेंज/हॉट लाइन (पी० वायर सर्किट)

(1) लोकल लीड्स के लिए वार्षिक किराया वही है जो उपर्युक्त (1.1), (ii) के लिए है ।

(2) दोनों तरफ संस्थापना प्रभार 800 रुपए है (दोनों तरफ प्रभार्य)

2.2 डाटा सर्किट :

(1) पहले कि०मी० या उसके किसी भाग के लिए वार्षिक किराया 1750 रुपए, 5 कि०मी०

तक प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० या उसके किसी भाग के लिए 1000 रुपये प्रति कि०मी० तथा 5 कि०मी० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० या उसके किसी भाग के लिए 1875 रुपए।

(2) दोनों तरफ संस्थापना प्रभार 800 रुपए है। (दोनों तरफ प्रभार्य)

(3) इसके अतिरिक्त उपर्युक्त (1.2), (iii) के अनुसार प्रति टर्मिनेशन के लिए 5000 रुपए वार्षिक की वार्षिक फीस प्रभार्य है।

2.3 टेलीप्रिंटर सर्किट :

(1) सर्किटों के लिए वार्षिक किराया प्रति कि०मी० या उसके किसी भाग के लिए 125 रुपए है।

(2) दोनों तरफ संस्थापना प्रभार 200 रुपए है (दोनों तरफ के लिए प्रभार्य)

(3) टेलीप्रिंटर मशीनों के लिए किराया वही है जो उपर्युक्त (1.3)

(4), (5) में हैं तथा जमानत वही है जो उपर्युक्त

(1.3) (6) के लिए है।

लम्बी दूरी के सर्किटों और स्थानीय सर्किटों दोनों के लिए, यदि स्थानीय लीड किसी भी तरफ 5 कि०मी० से ज्यादा हो तो हायरर को स्थानीय लीड के हिस्से के लिए कुल तीन वर्ष की अवधि हेतु हलफनामा देना होगा। तदनुसार, हलफनामे की पूरी अवधि के लिए अग्रिम रूप से सुरक्षा जमा अथवा बैंक गारन्टी देनी होगी।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश

4771. डा० दिग्विजय सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में निर्यात से आय अधिक हुई है अथवा कम ?

उद्योग मंत्री (श्री जे०वेंगल राव) : (क) 31-3-1988 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल 82150.16 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31-3-1985 को उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में समाविष्ट निजी क्षेत्र के पंजीकृत कारखानों में कुल 28849.98 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था।

(ग) 31-3-1988 को निर्यात से कुल आय 15741.23 करोड़ रुपये (अनन्तिम रूप से संशोधित) हुई जिसमें 4252.34 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा, अर्जित किए गए थे।

सरकारी उपक्रमों में विकलांगों के लिए आरक्षण

4772. श्री एम० डेनिस :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के बोर्डों में विकलांगों का कोई प्रतिनिधि रखने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) सरकारी उद्यम कार्यालय के वर्तमान मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के अनुसार सरकारी उद्यमों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों के लिए रिक्तियों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तरीय नियुक्तियों के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित अन्य किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल के गठन के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में प्रामाणिक उपलब्धि रखने वाले व्यक्तियों का चयन किया जाए ताकि सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल को व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय दृष्टि से सरकारी उद्यमों के मामलों में दिशानिर्देश देने में सक्षम बनाया जा सके। उपरिलिखित मानदण्डों (प्राचलों) के भीतर शारीरिक रूप से विकलांग उपयुक्त व्यक्तियों के दावे पर सरकार सदैव विचार करेगी।

देश में दवाइयों की आवश्यकता

4773. श्री महेश्वर शास्त्री :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में औषधियों का कितना उत्पादन होता है, और उनका मूल्य कितना है; और

(ख) 20वीं सदी के अन्त तक जबकि देश में सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, देश में दवाइयों की अनुमानतः कितनी आवश्यकता होगी और उनका मूल्य कितना होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) :

(क) वर्ष 1987-88 में प्रपुंज औषधों एवं सूत्रयोगों के उत्पादन का मूल्य क्रमशः 480 करोड़ रुपये और 2350 करोड़ रुपए था।

(ख) इस विभाग द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार 2000 ईस्वी तक प्रपुंज औषधों एवं सूत्रयोगों के उत्पादन का अनुमानित मूल्य क्रमशः 2128 करोड़ रुपए और 7342 करोड़ रुपए है।

कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक का उपयोग

4774. **श्री वी० कृष्ण राव :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) प्लास्टिकल्चर के गहन प्रदर्शन के लिए कर्नाटक के धारवाड़ जिले का पता लगाया गया है।

———

12.00 **मध्याह्न**

महान्यायवादी को सभा में बुलाये जाने के बारे में प्रस्ताव

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपकी कार्यवाही के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं ताकि हम इसे क्रियान्वित कर सकें। आपने मामला महान्यायवादी को भेज दिया था, हमें पता चला है कि गृह मन्त्री ने संसद के दोनों पीठासीन अधिकारियों को लिखा था कि उन्होंने महान्यायवादी से पहले ही परामर्श ले लिया था, तत्पश्चात् आपने सलाह मांगी। अतः चूंकि आपकी व्यवस्था इस सलाह पर आधारित है जो आपने महान्यायवादी से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की है, मैं एक प्रस्ताव, जिसे आपने कल स्वीकृत किया था, को रखने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आपने श्री जयपाल रेड्डी से कहा था कि महान्यायवादी को सभा में आमंत्रित करने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे प्रस्ताव इस संबंध में नहीं रख सकते।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने भी एक प्रस्ताव की सूचना दी है। **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : केरल में तीन विधायकों का जीवन केवल मार्क्सवादी सरकार के विद्वेषपूर्ण रुख के कारण खतरे में है और आन्दोलन जारी है। यह संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध है। आपको कुछ करना चाहिए। आपको उन विधायकों के जीवन के लिए चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। यहां पर गृह मन्त्री हैं। आप गृह मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए आदेश दें। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार ने पहले ही महान्यायवादी से परामर्श ले लिया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नाराज क्यों होते हैं, मैं देख लूंगा, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या आपको मेरा प्रस्ताव मिला था।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मुझे मिला था।

(व्यवधान)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : कल व्यवस्था देने के पश्चात···

(व्यवधान)**

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : यह अध्यक्ष पीठ का घोर अपमान है। मुझे इस टिप्पणी के प्रति गहरी आपत्ति है। वह इस तरह अध्यक्षपीठ के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल करने की अनमति नहीं दी जानी चाहिए। यह बिलकुल असंसदीय हैं। यह आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह अध्यक्षपीठ का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त हो जाइए ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें नहीं समझा सकता हूं। यह बात उन्हें स्वयं महसूस करनी चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं। यह अपमानजनक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अपनी-अपनी खुद समझ होनी चाहिए। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।

[अनुवाद]

मैं, मैं ही नहीं हूं, मैं आप में ही से एक हूं, मैं वही कर रहा हूं जिसे मैं सही समझता हूं। यदि मैं कुछ गलत करता हूं तो आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं। यह बिलकुल साधारण बात है कि जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं मुझे वही करना है जो मैं सोचता हूं न कि वह जो आप सोचते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं एक निवेदन कर रहा था। कल आपने बताया था कि यदि महान्यायवादी

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

को यहां पर बुलाया जाता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : कल आपने हमें आश्वासन दिया था कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी कोई आश्वासन नहीं दिया था। मैं महान्यायवादी के बारे में केवल कह सकता हूं कि उसकी एक प्रक्रिया है, इसके बारे में सामान्य नियम हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कोई चुनौती नहीं दी। मैं कुछ कह रहा हूं, मुझे यह करने दीजिए। हमें शान्त रहना चाहिए। मुझे वह प्रस्ताव मिला है। आपने मुझसे कल पूछा था कि क्या सरकार ने ऐसा किया है अथवा नहीं। मैं सरकार के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मैं केवल अपने कृत्य के प्रति उत्तरदायी हूं। मैं केवल संविधान के अनुसार परामर्श ले सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या सरकार ने संसद के पीठासीन अधिकारियों को लिखा था कि उन्होंने महान्यायवादी से पहले ही परामर्श ले लिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं जानता कि···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि मुझे यह पत्र अपने कार्यालय में मिलता तो मैं उसे सीधे वहां पर रख देता।

श्री बसुदेव आचार्य : यह पत्र राज्य सभा में विपक्ष के नेताओं को दिखा दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम। यह मुझे नहीं दिखाया गया है। आपको यहां पर मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। यदि यह मुझे मिलता तो मैं इसे आपके समक्ष रख देता। मैं इसे क्यों छिपाऊं? इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद।

प्रो० मधु दंडवते : दो पीठासीन अधिकारियों के बीच भेदभाव है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। इस बारे में मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब उससे है जो मैं कर रहा हूं। मूल प्रश्न यह है कि महान्यायवादी को सभा में बुलाने के चार तरीके हैं। सबसे पहले किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में वह चाहे तो स्वयं सदन में आ सकते हैं। दूसरे, सरकार उसे किसी भी मामले में अपनी राय देने के लिए बुला सकती है। तीसरे, सदन इस बारे में एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें बुला सकता है।

अब यह बात आप पर निर्भर है कि क्या आप उन्हें बुलाना चाहते हैं। चौथी बात मेरे लिए है कि क्या मैं उन्हें बुलाऊं और उनकी राय लूं। यह मेरे लिए है कि मैं ऐसा करूं, जो मैंने पहले ही कह दिया है। अब यदि आप उन्हें किसी और कार्यवाही के लिए बुलाना चाहें तो यह आप पर निर्भर है क्योंकि इस सम्बन्ध में मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। मैंने सदन में इसके बारे में सब सुन लिया है। जो भी पूर्वोदाहरण अथवा विनिर्णय मैं देख सकता था मैंने उन्हें देख लिया है। मैंने अपने आप महान्यायवादी से परामर्श लिया है, मैंने उन्हें लिखा था, मुझे यह लिखित में मिला है। यह मेरे पास है। मैं तदनुसार कार्य करूंगा। यदि आप यह करना चाहें तो आप प्रस्ताव रखें। सदन को निर्णय करने दो।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

श्री वसुदेव आचार्य : किन्हीं खास मुद्दों पर, हम महान्यायवादी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अनुमति मांगते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं, इस मामले में आप नहीं कह सकते हैं दूसरे मुद्दों पर आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा विनम्र निवेदन है कि महान्यायवादी संसद को जो परामर्श देता है वह वैसा परामर्श नहीं होता जो व्यक्तिगत रूप से आपको दिया गया है। वह आप कर सकते हैं आप उन्हें बुला भी सकते हैं परन्तु उन्हें सदन में अवश्य आना चाहिए। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव की सूचना दी है (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, इस सदन में इस प्रस्ताव को रखने से पहले मैं थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं। यह मामला जिस पर इस सदन में विशेषाधिकार के हनन के रूप में कल चर्चा हुई थी इस मामले के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : विशेषाधिकार अलग बात है वह सदन को गुमराह करने के बारे में है।

श्री वसुदेव आचार्य : यह बात दूसरी है।

सरदार बूटा सिंह : सदन में इस बारे में कल व्यापक चर्चा हुई थी और अन्त में आपने अपना विनिर्णय दिया था जो अन्तिम है। आप महान्यायवादी से पहले ही परामर्श कर चुके है और नियमानुसार आपने अपना विनिर्णय दे दिया है। अब इस सदन के लिए महान्यायवादी को बुला भेजना और उसकी राय लेने से माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए विनिर्णय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। लिए इस समय हम महान्यायवादी को सभा में बुलाने के पक्ष में नहीं हैं। उससे परामर्श लेने के बाद आपने अपना विनिर्णय दिया है जो सदन में अन्तिम है। अत. विपक्षी दलों का ऐसे मुद्दे पर दुबारा चर्चा कराना एक और राजनैतिक चाल है जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के माध्यम से अन्तिम रूप से निपटा दिया गया है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय गृह मन्त्री को यह आशंका है कि यदि महान्यायवादी यहां आते है और अपनी सलाह देते है तो इससे आपके विनिर्णय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। वह इस प्रकार का अन्दाजा क्यों लगा रहे हैं? इससे आपके विनिर्णय का बल मिलेगा। वह ऐसा क्यों कह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा महान्यायवादी को इस पर अपनी सुविचारित राय देने के लिए कि क्या अब तक सभा पटल पर रखे गए ठक्कर आयोग के दस्तावेजों को, जैसा कि सरकार ने दावा किया है, पूर्ण प्रतिवेदन माना जाये या नहीं, सभा में बुलाने का संकल्प करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा महान्यायवादी को इस पर अपनी सुविचारित राय देने के लिए, कि क्या अब तक सभा पटल पर रखे गए ठक्कर आयोग के दस्तावेजों को, जैसा कि सरकार ने दावा किया है, पूर्ण प्रतिवेदन माना जाये या नहीं, सभा में बुलाने का संकल्प करती है।"

प्रो० मधु दंडवते : चूंकि उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है मैं एक मिनट के अन्तर्गत पांच पूर्वोदाहरणों का उल्लेख करना चाहता हूं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं कि उन्हें इस सभा में पहले भी बुलाया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : केवल इतना ही नहीं, उस मुद्दे पर जिसके बारे में अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय दिया गया था··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

श्री वसुदेव आचार्य : कृपया एक बात कहने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं किस प्रकार के निवेदन करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रस्ताव से पहले चर्चा की जानी होगी।

श्री वसुदेव आचार्य : हम महान्यायवादी को सभा में क्यों बुलाना चाहते हैं। इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप इसे नियम 184 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहे हैं? यदि नियम 184 के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव स्वीकृत होना है, तो उस मामले में जब प्रस्ताव रखा जाता है तो प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहने का हमारा हक है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे कहा है, आपसे नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : यह बात ठीक है। जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता है··· (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नियम 184 और संविधान के अनुच्छेद 88 के अन्तर्गत··· (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इससे पहले कि इस प्रस्ताव पर मतदान किया जाए हमें निवेदन करने की अनुमति दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने ऐसा ही एक प्रस्ताव दिया है। कृपया मुझे उस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ टिप्पणियां करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कुछ सदस्यों को इस पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति क्यों नहीं देते?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यदि सदस्यों को अनुमति नहीं दी जाएगी, तो सभा अपनी राय कैसे बना पायेगी? (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं व्यवस्था के एक प्रश्न पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मुझे किस नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव के समर्थन में कुछ टिप्पणियां करने से

वंचित किया जा रहा है ? मैंने एक समरूप प्रस्ताव दिया था और मैं इस पर बहस करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप इस तरह हमारा मुंह बन्द नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका मुंह बन्द नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर मुझे शट डाउन करना होता, तो मैं एलाउ क्यों करता।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : सभा इस पर विचार कर सके, इसलिए हम इस पर बहस करना चाहते हैं··· (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : किस नियम के अन्तर्गत आप हमें टिप्पणियां करने से रोक रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे सभा को यह बताने का अधिकार है कि प्रस्ताव का समर्थन क्यों किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी को अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, जब आपने गृह मन्त्री को प्रस्ताव का विरोध करने की अनुमति दे दी है, तो आपको इस ओर के सदस्यों को भी प्रस्ताव के समर्थन में बोलने की अनुमति अवश्य देनी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि मैंने एडमिट कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज एक मिनट, आर्डर। मैं काम कर रहा हूं। क्यों रोकते हैं आप मुझे। हैंडल करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राम सिंह जी, आप थोड़ी-सी कृपा करेंगे। अब क्या करना है। मैंने एडमिट कर दिया है, अब और आप क्या चाहते हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : हम बोलना चाहते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या बोलना चाहते हैं, मैं आपको दो मिनट देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठिए। मैं सुन लूंगा। आपको भी सुन लूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इससे पहले कि प्रो० दंडवते बोलें, मैं केवल यह बता दूं कि आपने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर न केवल कृपा की है, बल्कि आपने गृह मंत्री को इसके विरोध करने की भी अनुमति प्रदान की है इसलिए आपको इस ओर के कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिए···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनको दो मिनट दिए हैं।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए, दो मिनट। कृपया आप बैठ जाइए।

···(व्यवधान)···

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपने नियमों की पुष्टि की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन क्यों कर रहा हूं, इसका भी कारण है···

सरदार बूटा सिंह : वे किस बात का समर्थन कर रहे हैं जबकि प्रस्ताव अभी रखा जाना है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वे प्रस्ताव रख चुके हैं।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया गृह मंत्री को बताएं कि प्रस्ताव पहले ही रखा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : हां, वे पूर्णतः अपना प्रस्ताव रख चुके हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में कुछ ऐसे मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं जो भविष्य के लिए पूर्व दृष्टान्त स्थापित करेंगे। पहली बात यह कि इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए गृह मन्त्री ने कहा है कि आप महान्यायवादी से पूर्वतः परामर्श कर चुके हैं और आपने व्यवस्था दे दी है। मेरी यह बात रिकार्ड में दर्ज की जाए कि जहां तक अध्यक्ष के महान्यायवादी के परामर्श करने का प्रश्न है। महोदय यह सद्भावना की दृष्टि से उनका एक निजी मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे जो भी कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। यह उनका विचार है, न कि मेरा। आप चिल्ला क्यों रहे हैं?

प्रो० मधु दंडवते : अतः सदन को सदन होने के नाते यह अधिकार है कि वह इस आशय का प्रस्ताव पारित करें कि महान्यायवादी को यहां आने के लिए और अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया जाए और हमें स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति प्रदान की जाए। महोदय, आपने इस दावे के समर्थन में मैं आपके माध्यम से सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 25-2-1950

को, जब श्री एम० सी० सीतलवाड महान्यायवादी थे वे निवारक नजरबन्दी विधेयक पर चर्चा के समय यहां थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह देख चुका हूं। मैं जानता हूं। यह बिलकुल सही है।

प्रो० मधु दंडवते : 9-5-1953 को, जब विंध्य प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक पर चर्चा की गई थी, तब भी श्री सीतलवाड यहां पर थे। पुनः 28-2-1956 को श्री सीतलवाड बिक्री कर वैधीकरण विधेयक पर अपनी राय देने के लिए सदन में आये थे। श्री दफ्तरी भी 29-4-63 को अनिवार्य जमा विधेयक के सम्बन्ध में यहां आये थे। अतः मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था से निरपेक्ष रह कर, सरकार द्वारा कायम की गई राय से निरपेक्ष रह कर और विपक्ष के सदस्यों द्वारा कायम की गई राय से निरपेक्ष रह कर उन्हें यहां न केवल अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है, बल्कि इसलिए भी आमंत्रित किया गया है कि जब सदस्य उनसे स्पष्टीकरण मांगे तो वे उनके उत्तर दें। इसकी भी इजाजत होती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो माना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : अतः आपके माध्यम से मैं सभा में बहुमत को इस बात के लिए राजी करना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार न करें, बल्कि इस सभा की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप इसे स्वीकार करे। (व्यवधान)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में बोल रहा हूं। प्रो० मधु दंडवते को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई थी और इस व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर वे आपके निर्णय को चुनौती दे रहे थे। यह अभूतपूर्व बात है। सभा में ऐसा कभी नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं चुप रहते महाराज। मैं सुन लूंगा सारी बातें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, आचार्य जी, क्या आपको कुछ और कहना है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सारों को कैसे मौका दूं, प्रोफेसर साहब बोल तो लिए हैं।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यहां हम आपके निर्णय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कल भी आपके निर्णय देने से पहले हमने कहा था कि महान्यायवादी को अवश्य आमन्त्रित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह बात खत्म हो गई है। क्या आपको और कुछ कहना है?

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : वे सभा का कितना समय लेंगे?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं? बैठ जाइए।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उन्हें किस नियम के अन्तर्गत अनुमति दी गई है? क्या आपने विपक्ष के लिए कुछ और नियम बनाए हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने उन्हें अनुमति दी है। आप अपनी जगह बैठ जाइए।

श्री टी० बशीर : जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : क्या 'जी नहीं'? मैं आपको बैठने को कह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : चर्चा करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बोडो आन्दोलन पर चर्चा स्थगित कर दी गई है। वे सभा का समय कब तक नष्ट करते रहेंगे? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप जिद कर रहे हैं। 5 मिनट लगने थे, तो 5 घंटे लगेंगे।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि मैं भलीभांति जानता हूं कि हम उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। हमारे पास बजट भी है। किन्तु समय बीत रहा है। किन्तु मैं जानता हूं महत्वपूर्ण क्या है। मुझे सब पता है। फिर भी मुझे समनुरूप ढंग से कार्य करना है और यह देखना है कि इस सभा की कार्यवाही चलती रहे। कृपया मुझे इसमें सहायता दीजिए।

श्री टी० बशीर : किन्तु आप पहले ही इस मामले को निपटा चुके हैं। वे अब भी अड़े हुए हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे यह मालूम है। मैं यह करने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे यह करने दीजिए।

श्री टी० बशीर : उन्हें किस नियम के अन्तर्गत अनुमति दी गई है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपकी बात अस्वीकार कर चुका हूं। ये क्या है? मन्त्री जी क्या आप उन्हें बैठने को कह सकते हैं? हां, आचार्य जी क्या आपको कुछ और कहना है?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के समर्थन में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कल भी हमने बताया था कि भारत के महान्यायवादी को···

अध्यक्ष महोदय : इस बात को पहले ही कहा जा चुका है। यदि कुछ और कहना है तो कहिए।

[हिन्दी]

आप कमीशन की बात करो। आप मोशन की बात करिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें आमन्त्रित किया जाना चाहिए। आप अपना विनिर्णय दें इससे पहले मैंने बताया था कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें उनसे स्पष्टीकरण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह बात अब खतम हो गई है।

[हिन्दी]

आप आराम से बैठिए। भाटिया जी आप क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बहुत से पूर्वोदाहरण हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी है। आप कुछ नया नहीं कह रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप महान्यायवादी से सलाह करते, उससे पहले ही सरकार ने उनसे परामर्श कर लिया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाओ, भगवान के लिए। क्यों वक्त खराब कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : वह पत्र आपको नहीं दिखाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह मुझे क्यों दिखाया जायेगा? मेरी समझ में नहीं आता।

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु यह राज्य सभा के सभापति को दिखाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। मुझे नहीं मालूम। मुझे अपने से ही मतलब है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : मैंने संविधान के अनुच्छेद 88 के अन्तर्गत हमें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभा में भारत के महान्यायवादी को बुलाने की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। मुद्दा क्या है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : कानूनी मुद्दा यह है कि क्या संसद को सरकार को यह कहने का अधिकार है कि वह प्रतिवेदन के उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करें जिस पर चर्चा आधारित है। आखिरकार···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : और कोई बात बताईये।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : आपने विनिर्णय दिया है कि यही एकमात्र प्रतिवेदन है। इस कानूनी मुद्दे को मैं महान्यायवादी से जानना चाहता हूं कि क्या कार्यपालिका उतरदायी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव इसीलिये है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : खत्म हो गया।

[अनुवाद]

अब मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं···

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं कार्यपालिका को बुलाने के लिए संसद के मूल अधिकारों को नहीं बता रहा हूं···।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने इसे पढ़ लिया है। कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों इसे हर समय दोहरा रहे हैं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : अतः प्रस्ताव पर मतदान करवाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कर रहा हूं। आप मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसा ही कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन महोदय, आपका निर्णय गृह मंत्री द्वारा यह कह कर प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए कि यदि महान्यायवादी को यहां बुलाया जायेगा तो आपका विनिर्णय बदल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हो रहा हूं। मैं इसे सदन पर छोड़ता हूं क्योंकि अब यह सदन की सम्पत्ति है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें क्यों डर है कि महान्यायवादी आपके विनिर्णय को प्रभावित कर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम। कृपया बैठ जाईये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने ऐसा कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी की परीक्षा नहीं ले रहा हूं। और न ही मैं चाहता हूं कि संसद की परीक्षा ली जाये। यह ठीक है।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने इसे गम्भीरता से नहीं लिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई प्वाइंट है ? बोलिये आपको क्या कहना है ?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने कल विनिर्णय दिया था। परन्तु आज…

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं, आप बात बताइये।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आज, हम स्पष्टीकरण चाहते हैं…

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैंने सुन लिया। कोई नई बात बताईये।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय आपके विनिर्णय के बारे में नहीं परन्तु उन दस्तावेजों को देखने के लिए संसद के निहित अधिकारों के सम्बन्ध में जिसके आधार पर वह प्रतिवेदन तैयार किया गया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैंने देख लिया है। अब बिना मतलब के वक्त जाया कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं, क्या उन दस्तावेजों का उल्लेख किये बिना सदन द्वारा कोई भी चर्चा अर्थपूर्ण होगी। महान्यायवादी से हम कतिपय स्पष्टीकरण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा महान्यायवादी को इस पर अपनी सुविचारित राय देने के लिए, कि क्या अब तक सभा-पटल पर रखे गये ठक्कर आयोग के दस्तावेजों को, जैसाकि सरकार ने दावा किया है, पूर्ण प्रतिवेदन माना जाये या नहीं, सभा में बुलाने का संकल्प करती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या 2 12.29 म० प०

पक्ष में

अठवाल, श्री चरनजीत सिंह

अब्दुल हमीद, श्री

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण

आचार्य, श्री बसुदेव

कुरुप, श्री सुरेश

गिल, श्री मेवा सिंह

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोस्वामी, श्री दिनेश

घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

डोरा, श्री एच० ए०

तांती, श्री भद्रेश्वर

तुलसीराम, श्री वी०

थोटा, श्री गोपाल कृष्ण

दण्डवते, प्रो० मधु

दत्ता, श्री अमल

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०

पटेल, डा० ए० के०

पाठक, श्री आनन्द

बनातवाला, श्री जी० एम०

बसु, श्री अनिल

भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति

मसूदल हुसैन, श्री सैयद

मिश्र, श्री विजय कुमार

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

रमैया, श्री बी० बी०

रमैया, श्री सोडे

राम बहादुर सिंह श्री

राय, डा० सुधीर

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर

राव, श्री श्रीहरि

रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र

रेड्डी, श्री सी० जंगा

रेड्डी, श्री बैजवाड़ा पपी

रेड्डी, श्री बी० एन०

रेड्डी, श्री सी० माधव

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

वालिया, श्री चरनजीत सिंह

शाहबुद्दीन, श्री सैयद

सामंत, डा० दत्ता

साहा, श्री अजित कुमार

सिंह, श्री राम नारायण

सेलवेन्द्रन, श्री पी०

सैकिया, श्री मुही राम

सोयू, श्री एन० वी० एन०

हन्नान मोल्लाह, श्री

हेत राम, श्री

विपक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा

अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान

अख्तर हसन, श्री

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अब्दुल गफूर, श्री

अब्दुल्ला, बेगम अकबर जहां

अब्बासी, श्री के० जे०

अरुणाचलम, श्री एम०

अलखाराम, श्री

अवस्थी, श्री जगदीश

आजाद, श्री गुलाम नबी

एन्टनी, श्री पी० ए०

ओडेयर, श्री चनैया

कमलनाथ, श्री

कांबले श्री अरविन्द तुलसीराम

कामसन, प्रो० मिजिनलंग

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुन्जम्बु, श्री के०

कुमारमंगलम, श्री पी० आर०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुलनदईवेलु, श्री पी०

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण सिंह, श्री

खत्री, श्री निर्मल

खां, श्री खुर्शीद आलम

खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुनझुनू)

गाडगिल, श्री वी० एन०

गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह

गुप्त, श्रीमती प्रभावती

गुहा, डा० फूलरेणु

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

घोष, श्री तरुण कान्ति

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०

चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल

चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चार्ल्स, श्री ए०

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई० के०

चौधरी, श्री जगन्नाथ

जनार्दनन, श्री कादम्बुर

जाटव, श्री कम्मोदीलाल

जेना, श्री चिन्तामणि

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जैनुल बशर, श्री

झिकराम, श्री एम० एल०

ठक्कर, श्रीमती ऊषा

डिगाल, श्री राधाकांत

डेनिस, श्री एन०

ढिल्लों, डा० जी० एस०

तपेश्वर सिंह, श्री

तिम्मा, श्री साइमन

तिवारी, प्रो० के० के०

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी

त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर

थोरट, श्री भाऊसाहिब

दलवाई, श्री हुसैन

दलबीर सिंह, श्री

दाभी, श्री अजीत सिंह

दास, श्री सुदर्शन

दिग्विजय सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

दीक्षित, श्रीमती शीला

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवरा, श्री मुरली

धारीवाल, श्री शांति

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती

नामग्याल, श्री पी०

नायक, श्री शांताराम

नायकर, श्री डी० के०

नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह

नेताम, श्री अरविन्द

पंवार, श्री सत्यनारायण

पटनायक, श्री जगन्नाथ

पटेल, श्री यू० एच०

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पांडे, श्री दामोदर

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री प्रकाश वी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पारधी, श्री केशवराव

पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम

पुरोहित, श्री बनवारी लाल

पेरुमन, डा० पी० वल्लल

बनर्जी, कुमारी ममता

बलरामन, श्री एल०

बशीर, श्री टी०

बासवराजु, श्री जी० एस०

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बीरेन्द्र सिंह, श्री

बुदानिया, श्री नरेन्द्र

बूटा सिंह, सरदार

बेरवा, श्री बनवारी लाल

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री एच० के० एल०

भरत सिंह, श्री

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भारद्वाज, श्री परसराम

भूमिज, श्री हरेन

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

मकवाना, श्री नरसिंह

मनोरमा सिंह, श्रीमती

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मलिक, श्री लक्ष्मण

महन्ती, श्री बृजमोहन

महाजन, श्री वाई० एस०

महाबीर प्रसाद, श्री

महालिंगम, श्री एम०

मिश्र, श्री उमाकान्त

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री श्रीपति

मिश्र, डा० प्रभात कुमार

मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ

मेहता, श्री हरुभाई

मोतीलाल सिंह, श्री

यादव, श्री बलराम सिंह

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद

रंगनाथ, श्री के० एच०

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रथ, श्री सोमनाथ

राउत, श्री भोला

राज करन सिंह, श्री

राजहंस डा० गौरी शंकर

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौड़, श्री उत्तम

राम अवध प्रसाद, श्री

रामपाल सिंह, श्री

राम सिंह, श्री

राय, श्री रामदेव

राव, श्री के० एस०

राव, श्री जे० चोक्का

राव, श्री जे० वेंगल

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राव, श्री वी० कृष्ण

रावणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

लाहा, श्री आशुतोष

लोवांग, श्री वांगफा

वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई

वाडियर, श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज

वीरसेन, श्री

व्यास, श्री गिरधारीलाल

शंकर लाल, श्री

शंकरानन्द, श्री बी०

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शान्तिदेवी, श्रीमती

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शेरवानी, श्री सलीम आई०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

संखवार, श्री आशकरण

सन्तोष कुमार सिंह, श्री

सईद, श्री पी० एम०

सकरगयेन, श्री कालीचरण

सत्येन्द्र चन्द्र, श्री

साठे, श्री वसंत

सिंगरावडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री एन० टोम्बी

सिंह, श्री कमला प्रसाद

सिंह, श्री कृष्ण प्रताप

सिंह, श्री लाल विजय प्रताप

सिंह, श्री एस० डी०

सिंहदेव, श्री के० पी०

सुखराम, श्री

सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुन्दरराज, श्री एन०

सुमन, श्री रामप्यारे

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

सेठी, श्री अनन्त प्रसाद

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

सोढी, श्री मानकूराम

स्वामी प्रसाद सिंह, श्री

स्पैरो, श्री आर० एस०

षण्मुख, श्री पी०

हरपाल सिंह, श्री

अध्यक्ष महोदय : संशोधन के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम निम्नलिखित है :—

पक्ष में : 50

विपक्ष में : 185

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं : श्री बूटा सिंह

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैंने श्री जयपाल रेड्डी द्वारा कल अध्यक्षपीठ का आदेश न मानने पर उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है । उन्होंने कहा है कि वह आपके विनिर्णय से सहमत नहीं होंगे । इस तरह से उन्होंने आपको धमकी दी है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे । जयपाल जी से पूछेंगे ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : उड़ीसा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापक बोट क्लब पर धरने पर बैठे हैं। उन्हें नये वेतन सान के लाभ नहीं मिल रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : अध्यक्ष जी 31-3-89 को बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बार्डर पर मरचाहवां गांव जो देवरिया जिले का आखिरी गांव है, वहां जंगल पार्टी ने गांव वालों को इकट्ठा करके तेरह आदमियों को गोली से उड़ा दिया। उस पार्टी ने कोरी जाति के लोगों को मारा है। अधिकांश यादव ही जंगल पार्टी में हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट का मामला है और स्टेट सब्जेक्ट है।

श्री राम नगीना मिश्र : यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। वहां पर जंगल पार्टी का आतंक है। (व्यवधान)

———

12.31 म०प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1989-90 के लिये गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-एक) तथा वर्ष 1989-90 के लिये गृह मंत्रालय (बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-दो)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) गृह मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-एक)
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7668/89]

(दो) गृह मंत्रालय (ऐसे संघ राज्यक्षेत्र जहां विधानमण्डल नहीं हैं) की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-दो)
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० –7669/89]

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत दिये

पक्ष में : सर्वश्री एच० एम० पटेल, जैनुल अबेदिन. पी० पेंचालैया और अताऊर्रहमान

विपक्ष में : श्री दिग्विजय सिंह, डा० बी०एल० शैलेश, श्री जुझार सिंह, श्री बापूलाल मालवीय, श्री मदन पांडे।

नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—7675/89]

कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं, श्री सी० के० जाफर शरीफ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—7676/89]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख की उपधारा (2ज) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 172 (अ), जो 3 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या का० आ० 629 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा जिसके द्वारा लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए कतिपय वस्तुओं का आरक्षण किया गया है, आरक्षित वस्तुओं की सूची में से कतिपय वस्तुओं को हटाया गया है तथा सूची में कतिपय वस्तुओं

के नाम बदले गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7677/89]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 तथा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत अधिसूचना कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें, केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड) नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परिक्षित लेखे तथा विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं श्री पी० चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय वन सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1989, जो 22 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 117 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1989, जो 1 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 336 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1989, जो 3 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 340 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1989, जो 3 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 341 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सा० का० नि० 351 (अ), जो 10 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश—गोवा – मिजोरम राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक भारतीय वन सेवा काडर गठित किया गया है तथा संघ राज्य क्षेत्रों का भारतीय वन सेवा काडर उत्सादित किया गया है।

(छह) भारतीय वन सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1989, जो 10 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 352 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1989, जो 10 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 353 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7670/89]

[श्री संतोष मोहन देव]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1989, जो 22 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 120(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7671/89]

(3) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7672/89]

(4) (एक) केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7673/89]

रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लि०, पुनालूर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7674/89]

12.32 म०प०

प्राक्कलन समिति

68वां और 69वां प्रतिवेदन

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) संचार मंत्रालय (डाक विभाग)—ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 58वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 68वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)—ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 59वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 69वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

———

12.32½ म०प०

दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करने के लिए आकस्मिक निधि में से धन राशि निकालने के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुपालन मामला संख्या-158/88 "अब्दुल वहीद एवं अन्य" बनाम-संघ सरकार में पारित दिनांक 30-1-1989 के आदेश के अनुपालन में उक्त न्यायालय में दिनांक 9-4-1989 तक जमा कराने के लिए आकस्मिक निधि से 47,73,000/-रुपये का अग्रिम मांगा जा रहा है। बजट में "मांग सं०-44" के अन्तर्गत इस अप्रत्याशित प्रभारित व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा सका तथा वर्ष 1988-89 के लिए पूरक मांग के अन्तिम बैच में इसे शामिल करने का समय नहीं था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध अपने निर्णय में कहा कि विस्थापित व्यक्ति पुनर्वासन (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम 1948 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अपनाई गई कार्य विधि दोष पूर्ण व अमान्य थी। विभाग ने पहले ही उक्त आदेश के विरुद्ध डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर कर दी है जिस पर अभी निर्णय होना है। तथापि न्यायालय ने निदेश दिया है कि अपील के बावजूद आकलित राशि 9-4-1989 तक न्यायालय में जमा कराई जाये। इसलिए आकस्मिक निधि से 47,73,800/-रुपये की राशि निकलवाने का प्रस्ताव है।

12.33½ म० प०

चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) विधेयक*

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम,

*दिनांक 4-4-89 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खण्ड दो में प्रकाशित।

[सरदार बूटा सिंह]

1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

"कि चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरदार बूटा सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

12.34 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चतरा, बिहार में एक आयुध कारखाना खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : अध्यक्ष जी, बिहार अपनी खनिज संपदा के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत का 41 प्रतिशत खनिज छोटा नागपुर के इलाके से निकाला

12.34 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

जाता है और यूरेनियम जैसा दुर्लभ पदार्थ, बिहार के इसी पठारी इलाके में पाया जाता है। छोटा नागपुर के जंगल, इसकी बरसाती नदियां और दूसरी प्राकृतिक उपलब्धियां देशहित में बहुत ही उपयोगी हैं। चतरा संसदीय क्षेत्र एक ऐसा इलाका है, जो हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है तथा घनघोर गरीबी की पीड़ा झेल रहा है। जबकि इसे रत्नगर्भा कहा जा सकता है। सामरिक आयुधों के उत्पादन के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा प्रस्तावित आर्डिनेंस फैक्टरी के लिए यह सर्वथा उचित केन्द्र है। बगल में ही नीरांचल एवं अमझर नदियां निरन्तर जलस्रोत का माध्यम हैं। इसलिए आयुध के कारखाने को लगाने में इसकी उपयोगिता बहुत होगी। इस इलाके की गरीबी और लोगों की आर्थिक विवशता को देखते हुए तथा श्रमशक्ति की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए आयुध फैक्ट्री के लिए यह स्थान सर्वथा उपयुक्त एवं उपयोगी होगा। उल्लेखनीय है कि सर्वे विभाग द्वारा इसका निरीक्षण भी हो चुका है।

अस्तु वर्णित परिस्थिति में, मैं सरकार से मांग करता हूं कि चतरा में आयुध कारखाना स्थापित किया जाए।

(दो) नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ (असम) के लिए तथा डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा बहाल किये जाने तथा डिब्रूगढ़ से लीलाबाड़ी हवाई अड्डे को वायुदूत सेवा द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वांगफा लोवांग (अरुणाचल पूर्व) : देश के प्रत्येक राज्य की राजधानी इण्डियन एअर लाइन्स की सीधी सेवाओं के माध्यम से संघ की राजधानी से जुड़ी हुई है। और जहां किसी राज्य की राजधानी को संघ की राजधानी से जोड़ना सम्भव नहीं है, तो संबंधित राज्य के किसी बड़े शहर नगर से संघ की राजधानी को सीधे जोड़ने की व्यवस्था की गयी है। किन्तु दुर्भाग्य से, न तो अरुणाचल की राजधानी अर्थात् इटानगर न ही राज्य का कोई अन्य नगर इण्डियन एअरलाइन के द्वारा दिल्ली के साथ सीधे संयोजित किया गया है। इस युग में जब कोई व्यक्ति विश्व के किसी भी भाग में एक ही दिन में पहुंच सकता है। और नई दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश पहुंचने में दो दिन लगते हैं। इटानगर में आधुनिक विमानपत्तन बनाने की एक जबरदस्त और उचित मांग को पूरा करने के पक्ष में अब तक विचार नहीं किया गया है।

स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाने के स्थान पर प्रत्येक सप्ताह में डिब्रूगढ़, जो कि अरुणाचल प्रदेश का समीपस्थ विद्यमान विमानपत्तन है, तक प्रत्येक सप्ताह में 3 दिनों की चालू उड़ानों को भी हटा लिया गया है, जिससे अरुणाचल के लोगों के कष्ट बढ़ गए हैं। इसलिए मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे जब तक इटानगर में एक आधुनिक विमान पत्तन बन नहीं जाता तब तक नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक अरुणाचल प्रदेश की 3 दिनों की सीधी उड़ानों तथा डिब्रूगढ़ से इटानगर के समीपस्थ विमानपत्तन लीलाबाड़ी विमानपत्तन की वायुदूत की संयोजक उड़ानों को दुबारा तुरन्त आरम्भ करें।

(तीन) फैजाबाद शहर (उत्तर प्रदेश) में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : शहर फैजाबाद (उ० प्र०) एक मण्डलीय मुख्यालय होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे स्कूलों के अभाव का सामना कर रहा है। केंटोमेंट क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय जो कार्यरत है, वह रक्षा क्षेत्र के कर्मियों की आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शहर में रहने वाले हजारों सरकारी कर्मचारियों व अन्य नागरिकों के सामने बच्चों की शिक्षा के लिए मौजूदा शिक्षा संस्थाओं में बच्चों को प्रवेश दिला पाना असम्भव सा होता जा रहा है। अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय विद्यालयो की स्थापना के मापदण्डों के अनुसार अभी फैजाबाद शहर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जा सकता है। अत: निवेदन है कि मंत्रालय शहर फैजाबाद में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था करे।

(चार) उत्तर बिहार में पहलेजा घाट पर एक रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : बिहार प्रान्त दो भागों में बंटा हुआ है। गंगा नदी के

[श्री कृष्ण प्रताप सिंह]

उत्तरी भाग को उत्तर बिहार में जाना जाता है। एक बहुत बड़ा भाग गंगा नदी के कारण राजधानी से अलग-अलग-सा है। पटना आने के लिए रेल मार्ग की कोई सुविधा नहीं है। गांधी सेतु (सड़क मार्ग) बनने के पूर्व स्टीमर से आना पड़ता था। अभी सड़क से आना पड़ता है। पहलेजा घाट पर रेल पुल बनाने की मांग बहुत दिनों से चल रही है। इस वर्ष उम्मीद थी कि रेल बजट में इसका प्रावधान किया जायेगा। परन्तु ऐसा सम्भव न हो सका है।

अत: आग्रह है कि पहलेजा घाट पर एक रेल पुल का निर्माण किया जाए, जिसका सर्वेक्षण हो चुका है।

(पांच) फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र की चारो इकाइयों को निर्बाध रूप से चलाये जाने के लिए फास्फेटिक अम्ल का पर्याप्त मात्रा में आयात किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र अपनी फास्फेटिक एसिड का कच्चा माल विदेश से आयात करता है। इस कच्चे माल की बहुत कमी है। उचित समन्वय के अभाव में पारादीप की मांग के अनुरूप कच्चा माल आयातित नहीं किया जा रहा है। उसके परिणामस्वरूप 4 में से 3 यूनिटें बन्द हो गई हैं। केवल एक यूनिट :0 मीट्रिक टन (डी० ए० पी०) डाई-अमोनिया फास्फेट का उत्पादन कर रहा है। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो बहुत से कर्मचारी, विशेषतः गरीब कामगार बेरोजगार हो जाएंगे। इस संकट की इस स्थिति को रोकने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह फास्फेटिक एसिड की सप्लाई के लिए सम्बन्धित देश से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करें ताकि संयंत्र की चारों यूनिटों का संचालन आरम्भ हो जाये और संकट दूर हो जाये।

(छः) कानपुर (उत्तर प्रदेश) में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्लौर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 377 के अधीन सरकार को निम्न सूचना देना चाहता हूं।

कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण शहर है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, भौगोलिक तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से इस शहर के महत्व को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है। वहां की सभी स्थितियों को यदि ध्यान में रखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत की इस औद्योगिक महानगरी में एक दूरदर्शन केन्द्र का न होना, शहर तथा वहां के निवासियों के साथ भेदभाव है। यदि कानपुर में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित कर दिया जाए तो इससे कानपुर निवासी ही नहीं वरन् आसपास के जनपदों जैसे इटावा, फतेहपुर, उन्नाव, बांदा, हमीरपुर, फर्रुखाबाद आदि के लोग भी लाभान्वित होंगे तथा उस सारे क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी, लोगों का ज्ञानवर्द्धन, मनोरंजन, सांस्कृतिक उत्थान होगा तथा कृषि से सम्बन्धित एवं अन्य दैनिक जानकारियां भी सुलभ रहेंगी।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना में कानपुर में

एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रबन्ध करे।

(सात) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : श्रीमान, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली, देश में नाट्य कार्मिकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। इस समय पूरे देश से कुल 54 छात्र तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं।

स्कूल के छात्र 19 मार्च, 1989 से हड़ताल पर हैं और चार छात्र 29 मार्च, 1989 से अनिश्चित काल के लिए आमरण अनशन पर हैं। छात्रों की मुख्य मांगें हैं, (क) स्कूल के विद्यमान शैक्षिक ढांचे का पुनर्गठन करना, (ख) स्कूल के प्रथम वर्ष के एक छात्र, जो गलत शैक्षिक प्रणाली का शिकार है, को स्कूल में दुबारा वापिस लेना और (ग) एक अध्यापक, जो संस्थान में शैक्षिक वातावरण को कथित रूप से खराब कर रहा है, के विरुद्ध एक उच्चस्तरीय जांच।

विद्यमान शैक्षिक ढांचा, जिसमें प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय सारिणी, अध्ययन पद्धतियां और मूल्यांकन प्रणाली शामिल है, के सम्यक् रूप से पुनर्गठन की आवश्यकता है ताकि इसे सार्थक बनाया जा सके और शैक्षिक ढंग से रचनात्मक बनाया जा सके। किन्तु, पिछले कई वर्षों से ऐसी कार्यवाही की मांग बार-बार किए जाने के बावजूद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिणामतः, प्राधिकारियों और छात्रों के बीच सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह छात्रों तथा संस्थान के हित के लिए आगे बढ़ें और छात्रों की उचित समस्याओं का समाधान करे ताकि संस्थान राष्ट्र की बेहतर ढंग से सेवा कर सके।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार किये जाने की आवश्यकता

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव (अमालापुरम) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन केन्द्र उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे। इस कारण से, उपयोगकर्ताओं को बहुत समस्या हो रही है। इसलिए मैं, संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्वतः डायलिंग प्रणाली की संस्थापना करने के द्वारा आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन प्रणाली के कार्यक्रम में सुधार करे। अमालापुरम संसदीय चुनाव क्षेत्र के इन क्षेत्रों में एस० टी० डी० सुविधा भी दी जानी चाहिए।

12.44 म० प०

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव (—जारी)

सभापति महोदय : अब हम अगले विषय पर बात करेंगे। अर्थात् 30 मार्च, 1989 को श्री बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में आगे विचार। श्री पी० कुलनदईवेलू भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, शुक्रवार को मैं कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में बोल रहा था। 25 मार्च, 1989 को तमिलनाडु विधान सभा में उपद्रव हुआ···(**व्यवधान**)

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय, श्रीमान वे हमेशा यहां पर तमिलनाडु विधान सभा के मामले घसीट लाते हैं। उस दिन भी मैंने इसका पूरा विरोध किया था। यह बिल्कुल असंगत बात है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : संगत है, श्रीमान।

सभापति महोदय : इसे इतना ही संदर्भित करें जितना इसका सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के साथ संबंध है। बस, उससे ज्यादा विस्तार में मत जाइए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। तमिलनाडु विधान सभा में जो उपद्रवकारी घटना घटी, वह तमिलनाडु के इतिहास में एक काला धब्बा है और समस्त रूप से देश के इतिहास में भी। वास्तव में, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने लोक सभा पर टिप्पणी की, जब 63 सदस्यों को निलम्बित कर दिया गया था। उन्होंने बताया था कि यह देश के इतिहास में एक काला धब्बा है। जब उन्होंने विधान सभा में 29 सदस्यों से अधिक को निलम्बित किया है, तो क्या यह तमिलनाडु के इतिहास में काला धब्बा नहीं है। यही नहीं, महोदय। मुख्य मन्त्री के सामने ही—विपक्षी नेता और अन्य विपक्षी नेताओं पर धावा किया गया था। (**व्यवधान**)

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदय, मुख्य मन्त्री पर विधान सभा में धावा हुआ था उनके बजट संबंधी कागजात छीन लिए गए थे और उनका चश्मा तोड़ दिया गया था। एक मन्त्री अस्पताल में हैं और दूसरे विधान सभा सदस्य भी अस्पताल में हैं।

सभापति महोदय : श्री कुलनदईवेलू विधान सभा की घटना का सारा विवरण यहां मत बताइए। यदि इसका कोई संबंध सरकारिया आयोग की सिफारिशों के किसी मुद्दे से सम्बन्धित है तभी उल्लेख करें।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं राज्यों और केन्द्र के बीच संबंधों की बात कर रहा हूं जो सौहार्दपूर्ण होने चाहिए और राज्यों और केन्द्र के बीच कोई तनाव नहीं होना चाहिए।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, वे आम ढंग से बता सकते हैं, किन्तु उन्हें केवल तमिलनाडु विधान सभा को ही संदर्भित नहीं करना चाहिए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : क्यों नहीं 23 फरवरी, 1988 को इसकी चर्चा यहां पर हुई थी।

सभापति महोदय : यदि आपको वही कहना है तो वह सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से संबंधित होना चाहिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : विधान सभा में क्या हुआ, वह यहां पर चर्चा का विषय नहीं है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं मुख्य मन्त्री के रवैये को संदर्भित कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र राज्य के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

श्री सी० माधव रेड्डी : इसका विधान सभा में हुई किसी बात में कोई दखल नहीं है।

श्री के० एस० राव (मछलीपत्तनम) : महोदय, यदि वे केन्द्र राज्य के संबंधों की चर्चा कर रहे

है, तो उन्हें उन मुद्दों का उल्लेख करना होगा।

सभापति महोदय : केवल रिपोर्ट से संबंधित मुद्दों का ही उल्लेख किया जा सकता है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मेरा मुद्दा यह है कि गैर-कांग्रेस-आई राज्यों के मुख्य मन्त्री अपने राजनीतिक हितों के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। इसीलिए तमिलनाडु विधान सभा में कुछ उपद्रव हुआ। मुख्य मन्त्री के सामने ही उन्होंने तमिलनाडु विधान सभा के विपक्ष के नेता पर धावा किया।

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदय, मुख्य मन्त्री पर धावा किया गया था और उनका चश्मा तोड़ दिया गया था। बजट के कागजात उनके हाथ से छीन लिए गए थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप घटना से सीमित उल्लेख कर सकते हैं जहां तक वे सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से संबंधित किसी मुद्दे पर प्रकाश डालने के प्रयोजन से संबंधित है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, महिला सदस्य पर धावा किया गया है और विधान सभा में उन्हें तंग किया गया है। (व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू : एम० जी० आर० की शव यात्रा में उन्होंने महिला सदस्य को लात मारी। क्या यह शर्मनाक बात नहीं है, महोदय।

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। यदि यह प्रासंगिक नहीं है तो हम देखेंगे कि क्या इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए अथवा इसमें से निकाल दिया जाए।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : लेकिन विधान सभा के अन्दर क्या हुआ है, उसकी यहां पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : यदि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से बात का उदाहरण देना संगत है तभी मैं अनुमति दूंगा। अन्यथा मैं अनुमति नहीं दूंगा।

12.49 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, मेरा प्रश्न है कि गैर-कांग्रेस (इ) शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए सत्ता और पुलिसतंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी कारण से तमिलनाडु विधान सभा में 28 मार्च, 1989 को हिंसा की घटना हुई। विपक्ष के नेता और विपक्ष के अन्य सदस्यों पर हमले किए गए।

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदय, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि विधान सभा में विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री तक पर हमला किया। मुख्यमंत्री का चश्मा टूट गया तथा विपक्षी सदस्यों द्वारा उनके हाथ से बजट पत्र छीन लिए गए। एक मंत्री घायल हो गया और वह अब हस्पताल में है। एक अन्य द्र०मु०क० का सदस्य भी जख्मी हो गया तथा उसे हस्पताल में भर्ती किया गया है। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : ए०आई०डी०एम०के० का एक दूसरा विधायक घायल हो गया।

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदय, यह क्या बात हुई? ((व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जिस बारे में कहा है वह भी ··

(व्यवधान)

श्री एन०वी०एन० सोमू : महोदय, उसी महिला सदस्य पर एम०जी०आर० की अन्त्येष्टि के समय हमला किया गया तथा अन्त्येष्टि जलूस के बाद उसे मारा और बाहर निकाल दिया गया। वास्तव में वह जमीन पर लुढ़क गई। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सत्तारूढ़ डी०एम०के० सदस्यों द्वारा की गई हिंसा तथा उनके कुटिल इरादे अभूतपूर्व थे। वास्तव में देश में इसकी व्यापक रूप से निन्दा की गई है। न केवल विपक्षी सदस्यों ने, बल्कि मेनका गांधी तक ने इसकी भर्त्सना की है विशेषत: उस समय जब एक महिला सदस्य पर हमला किया गया, उसे सताया गया तथा तमिलनाडु विधान सभा में कुछ मंत्री तो इस हद तक चले गए··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बात पर आ जाइए। आप विधान सभा की कार्यवाही का जिक्र न करें, प्रश्न पर बात करें।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, इस सम्बन्ध में पूर्वोदाहरण है। वस्तुत: 23 फरवरी, 19·8 को हमने तमिलनाडु विधान सभा के सन्दर्भ में विशेषतौर पर अध्यक्ष की कार्यवाही के बारे में चर्चा की थी। माननीय सदस्य एन०वी०एन० सोमू ने भी यहां पर तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष के चरित्र के बारे में बात कही थी।

श्री एन० वी० एन० सोमू : नहीं, जी नहीं। मैंने कोई बात नहीं कही। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं उसे उद्धृत करता हूं। महोदय, मद्रास में राजाजी हाल में इनका एक विधायी दल कार्यालय है। उसी अध्यक्ष ने क्या किया। (व्यवधान)

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, तमिलनाडु विधान सभा पर चर्चा के लिए एक विशेष प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। यह सभा उस पर बाद में आराम से बात कर सकती है।

श्री एन०वी०एन० सोमू : मैंने उस दिन यह कहा था कि अध्यक्ष ने राजाजी हाल से हमारे विधायी दल का कार्यालय हटवा दिया है। (व्यवधान) मैंने यह चर्चा नहीं की थी कि विधान सभा में क्या हुआ।···*···* के उकसाने पर तत्कालीन अध्यक्ष ने राजाजी हाल से हमारे विधायी दल का कार्यालय हटवा दिया। मैंने यहां पर विधान सभा में जो कुछ हुआ, उसके बारे में बात नहीं की थी। मैंने इतना ही उल्लेख किया कि हमारे दल का कार्यालय हटा दिया गया। मैंने किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं की··· (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं। महोदय इन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा था

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

"तम्पन थामस ने यहां साफ-साफ यह कहा कि तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष ने बिना किसी विधिवत सूचना अथवा उचित प्रक्रिया अथवा विधायी प्रक्रिया के बिना ही 37 विधायकों को निलम्बित कर दिया है।"

इसका क्या अर्थ है? क्या वह यहां पर तमिलनाडु विधान सभा के सन्दर्भ में नहीं बोले हैं।

श्री एम०बी०एन० सोमू : मैंने यह बात नहीं की थी। तम्पन थामस महोदय ने यह कह दिया होगा। मैंने तम्पन थामस के भाषण के बारे में सभा का ध्यान दिलाया होगा। मैंने तो राजाजी हाल से अपने दल के कार्यालय के हटा दिए जाने का उल्लेख भर किया था।

श्री पी० कुलनवईवेलू : तो इसका क्या अर्थ हुआ? आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं तथा इसे निश्चयपूर्वक कह रहे हैं तथा आप मेरे दावे का समर्थन कर रहे हैं कि आपने यहां पर तमिलनाडु विधान सभा का जिक्र किया था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बात जो भी हो, आप कृपया केवल अपने प्रश्न पर ही बोलें। आप विस्तार से चर्चा न करें।

श्री पी० कुलनवईवेलू : जी हां, महोदय। वास्तव में विपक्ष की महिला सदस्य पर यह एक पूर्व-नियोजित हमला है।

श्री एम०बी०एन० सोमू : मुख्यमंत्री पर यह एक पूर्व-नियोजित हमला है। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनवईवेलू : यह बात आप सभा में मेरे कहने के बाद बता रहे हैं। कुमारी जयललिता को विपक्ष से इस दृष्टि से हटाने के लिए एक पूर्व-नियोजित हमला है कि लोकतंत्र की आवाज दबा दी जाए तथा···**···की सक्रिय मिलीभगत से विपक्ष को शान्त कर दिया जाए। यह घटना 1989 में विधान सभा में हुई।

श्री एम०बी०एन० सोमू : महोदय, इस बात को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कैसे किया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को पढ़ूंगा।

श्री पी० कुलनवईवेलू : श्रीमन्, उन्होंने विपक्ष के कांग्रेस (इ) के उपनेता तक को नहीं बख्शा। मूपनार महोदय पर हमला किया गया तथा उन्हें पीटा गया, तथा उप-नेता को··· (व्यवधान)

श्री एम०बी०एन० सोमू : श्री मूपनार ने केवल अब मुख्यमंत्री पर हमले की भर्त्सना की है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से सम्बद्ध नहीं है।

आप यह कुछ क्यों कह रहे हैं?

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से कैसे सम्बद्ध है ? आप यह सब क्यों कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त : इस विषय पर एक विशेष चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री एन०वी०एन० सोमू : वह अन्ना के सिद्धांतों का उपहास कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको विस्तार में जाने की अनुमति नहीं देता।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं विस्तार में नहीं जा रहा महोदय।

मान लीजिए, यदि मुझे विस्तार से कहना पड़े तो मुझे विधान सभा के अन्दर प्रयोग में लाए गए पत्र-भार पिन्डो और दूसरी सामग्रियों के बारे में जिक्र करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि आप उन सभी बातों का उल्लेख यहां करें। आप अगले प्रश्न पर आइए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, विपक्ष की नेता महिला सदस्य को अप्रकाश्य शब्दयुक्त गालियां दी गई। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बता दिया। यह काफी है। जो कुछ घटा आपने वह बता दिया। आप अगली बात पर आइए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : समूचा स्त्री समुदाय इन लोगों को, विशेषकर सत्तारूढ़ डी०एम०के० दल को कभी भी माफ नहीं करेगा। उसी दिन···।

श्री एन०वी०एन० सोमू : यह एम०जी०आर० की अन्त्येष्टि के समय की बात है कि उन्हें जलूस से बाहर खींच लिया गया तथा उन्हें अन्त्येष्टि जलूस से बाहर कर दिया गया (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है। आप अपनी बात संक्षिप्त रूप से कहें। केवल 5 मिनट का समय है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : उसी दिन कांग्रेस (इ) के उपनेता कुमारी भानन्दन के भाई की दुकान, जोकि रंगनाथन स्ट्रीट में वासन एंड कम्पनी के नाम से स्थित है, पर छापा मारा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप राज्य का विषय यहां क्यों लाते हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं मुख्यमंत्री द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कह रहा हूं। उसी दिन, 25 मार्च को श्रीमती जानकी के भवन अर्थात् स्वर्गीय एम०जी०आर० के भवन पर छापा मारा गया। जो सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात था, उसे भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि श्रीमती जानकी उनसे मिलने हस्पताल गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात को क्यों कह रहे हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं सत्ता के दुरुपयोग के बारे में बता रहा हूं। उसी कारण से श्री रामकृष्ण हेगड़े ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। यह इस कारण से कि उन्होंने फोन को टेप करने का आदेश दिया था। वैसी ही घटना के कारण श्री रामकृष्ण हेगड़े ने त्याग पत्र दे दिया। श्री करुणा-

निधि त्याग-पत्र क्यों नहीं देते ? इसीलिए मैं कह रहा हूं। हमारे नेताओं के फोन भी टेप किए गए हैं तथा…

श्री एन०बी०एन० सोमू : विधान सभा में इन्होंने स्पष्टतः कहा था कि राज्यपाल शासन के दौरान ही टेलीफोन टेप किया गया था तथा श्री करुणानिधि के मुख्यमन्त्री बन जाने पर फोन टेप नहीं किया गया। उसी सभा में श्री करुणानिधि ने यह कहा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या माननीय सदस्य के लिए मुख्यमन्त्री के नाम का उल्लेख करना उचित होगा…?

उपाध्यक्ष महोदय : नाम को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : जब हमने कर्नाटक के टेप काण्ड पर चर्चा की तो रामकृष्ण हेगड़े के नाम का उल्लेख किया गया था तथा बहुत से उन लोगों का जिक्र किया गया था जो सभा में नहीं थे। कृपया इस पर पुनर्विचार कीजिए।

श्री सुरेश कुरूप : क्या उनके विरुद्ध आरोप लगाना उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आरोप को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री एन०बी०एन० सोमू : सबसे पहले, श्री कुलनदईवेलू को केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की जानकारी नहीं है।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नाम को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं नाम की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : मुझे समझ नहीं आता कि श्री सुरेश कुरूप क्यों श्री करुणानिधि का जोरदार समर्थन कर रहे हैं। यह क्या बात है। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : इस समय कोई लोकतंत्र ही नहीं है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में रिपोर्ट ने विशेषरूप से यह उल्लेख किया है कि देश भर में लोकतंत्र का बोलबाला होना चाहिए। यदि सत्ता का दुरुपयोग होता हैं, वास्तव में यदि लोकतांत्रिक मानदण्डों का उल्लंघन होता है तो यह लोकतंत्र के प्रतिकूल हैं। इसी बात का मैं विशेषरूप से उल्लेख कर रहा हूं कि तमिलनाडु में लोकतंत्र नहीं है। केवल…**

इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सरकार से सत्ता के दुरुपयोग के लिए तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया। राजनैतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस तन्त्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। और तत्काल ही हमने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से त्याग-पत्र देने के लिए कहा। एक व्यक्ति आएगा और कहेगा कि यह मुख्यमंत्री का काम है और उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। इसके साथ ही, मैं यह जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुलिसवाले और उन लोगों के विरुद्ध कारंवाई क्यों नहीं की जिन्होंने मामला गड़बड़ किया है…

श्री एन०बी०एन० सोमू : मैं यह निर्णय करने की बात उपाध्यक्ष महोदय पर छोड़ता हूं कि क्या यह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रसंग में है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वास्तव में उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है।

श्री एन०वी०एन० सोमू : आपको तमिलनाडु विधान सभा में विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव लाने के लिए जाना चाहिए। (व्यवधान)

1.00 म०प०

श्री सुरेश कुरूप : क्या यह सुसंगत है ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : क्या यह सुसंगत है।

श्री एन०वी०एन० सोमू : यह क्या है**?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को देखूंगा।

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : माननीय सदस्य•••शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्या यह संसदीय शब्द है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं "••••" रिकार्ड नहीं किया जाएगा। कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाता है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : त्याग-पत्र के सम्बन्ध में ही अध्यक्ष महोदय को कैसे पत्र प्राप्त हुआ ? इसकी जांच की जानी चाहिए।

श्री एन०वी०एन० सोमू : यह क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस घटना को न लायें। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री प्रेस को यहां तक कह रहे हैं कि ए०आई०ए०-डी०एम०के० और कांग्रेस-आई इस सरकार को गिराना चाहती है। यह काम हम लोगों का बिल्कुल नहीं है। हम विधिवत निर्वाचित सरकार को गिराना नहीं चाहते। लोकतंत्र अवश्य बना रहना चाहिए। यही हम लोगों का लक्ष्य है। मुख्यमन्त्री के नाक तले अनेक घटनाएं घटी हैं, पर वे चुप हैं। उन्होंने पुलिस द्वारा विशेषाधिकार का भंग किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री एन०वी०एन० सोमू : यहां क्या हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसे समाप्त करें।

श्री पी० कुलनदईवेलू : तमिलनाडु मुख्यमन्त्री के विरुद्ध एक जांच की जानी है।

श्री एन०वी०एन० सोमू : एक-न-एक दिन यह आप पर ही आ पड़ेगा।

श्री सुरेश कुरूप : क्या सभा में इसका उल्लेख करना उचित है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : विधान सभा के अन्दर घटनाओं का वर्णन करना उचित

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

नहीं हो सकता, पर एक ओर माननीय गृह मंत्री न केवल घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं बल्कि सरकारिया आयोग के तहत राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों की आलोचना भी कर रहे हैं। अत: यदि माननीय सदस्य केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री की भूमिका का उल्लेख करते हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप : क्या किसी विशेष राज्य के किसी खास मुख्य मंत्री कीभूमिका का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसकी जांच करूंगा। कृपया मेरी बात सुनें। श्री कुलनवईवेलू के बोलते समय माननीय मंत्री ने जो कुछ भी कहा, इसके सम्बन्ध में मैं रिकार्ड देखूंगा और श्री कुरूप, मैं आपको यह भी स्मरण दिला देना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपत्ति है मैं उसकी जांच करूंगा लेकिन आप भी याद करें कि आपकी ओर से भी एक सदस्य श्री तम्पन थामस ने उस दिन केरल सरकार की खुलकर आलोचना की थी और बहुत बातें कहीं। मैंने अनुमति दे दी थी। जब हम लोग कतिपय बातों पर चर्चा कर रहे हों तो यह आवश्यक नहीं है कि वह आपत्तिजनक हो। लेकिन यदि उनका उद्धरण देना उपयुक्त है तो मैं इसे रोक नहीं सकता। यदि यह आपत्तिजनक है तो मैं इसे रोक दूंगा। यदि यह आपत्तिजनक है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री पी० कुलनवईवेलू : तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष के बारे में भी क्या कहना है? उनके सम्बन्ध में यहां बोला जा चुका दृष्टान्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा को दोपहर के भोजन के लिए स्थगित करें?

श्री पी० कुलनवईवेलू : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप दोपहर के भोजन के बाद इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो हम इसे उठा सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुख्यमन्त्री को रिकोर्ड्स से हटा दें।

श्री पी० कुलनवईवेलू : यह कैसे हो सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भाषण खत्म होने के बाद ही हम लोग दोपहर का भोजन करेंगे।

श्री पी० कुलनवईवेलू : मैं अपनी बात एक मिनट के अन्दर समाप्त कर रहा हूं।

श्री ए० चार्ल्स : ...**...

उपाध्यक्ष महोदय : वह रिकोर्ड नहीं किया जाएगा।

श्री ए० चार्ल्स : मुख्यमन्त्री तमिलनाडु विधान सभा में कह रहे थे कि श्री दिनेश सिंह धमकी दे रहे हैं।

श्री पी० कुलनवईवेलू : मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं केन्द्र सरकार से दिल से एक अनुरोध करना चाहता हूं। यहां एक विशेष मामला है जहां

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री पी० कुलनदईवेलू]

पुलिस तन्त्र का दुरुपयोग किया गया है और यह शक्ति का दुरुपयोग है। मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विरुद्ध सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करूंगा। मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि केन्द्र सरकार, मुख्यमन्त्री के विरुद्ध जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक जांच आयोग का गठन करे और मुख्यमन्त्री को मुख्यमन्त्री का पद छोड़ देने के लिए अवश्य कहा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दोपहर के भोजन के लिए सभा के विचार जानना चाहता हूं। क्या हम लोग दोपहर के भोजन के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करें और फिर सभा में पुन: समवेत हों?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करते हैं और अपराह्न 2.05 बजे सभा में पुन. समवेत होंगे।

1.06 म०प०

[तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई]

2.10 म०प०

[मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.10 म०प० पर पुन: समवेत हुई]
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

केन्द्र-राज्य सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव (—जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रो० नारायण चन्द पराशर बोलेंगे।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर गठित सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में अनेक विषयों को लिया गया है और उसके द्वारा किए गए सारे पहलुओं पर विचार करना संभव नहीं है। लेकिन उसके द्वारा लिए गए कुछ पहलुओं पर संसद को स्पष्ट रूप से ध्यान देना अनिवार्य है। उसने राज्यपालों की भूमिका का काफी विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और कहा है कि राज्यपाल होना चाहिए। उसने राज्यपालों के पद समाप्त करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। उसने संविधान निर्माताओं के कुछ मूलभूत तर्कों का समर्थन किया है।

तमिलनाडु सरकार ने राजामन्नार समिति का गठन किया था और इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए यह कहा गया था कि यद्यपि संविधान ने संघात्मक प्रणाली की स्थापना की है, यह बात अवश्य स्वीकार की जाना चाहिए कि कई प्रावधान संघात्मक सिद्धान्त के अनुरूप नहीं हैं। यहां एकात्मक प्रवृत्तियां हैं और शक्तियों के आवंटन में घोर पक्षपात किया गया है और केन्द्र की ओर झुकाव है।

मैं इस कथन से प्रारम्भ करता हूं। केन्द्र और राज्यों के बीच विधायिका तथा प्रशासनिक सम्बन्ध का वर्णन संविधान के भाग दो में किया गया है और 245 से 263 तक 19 अनुच्छेदों में इन सम्बन्धों का वर्णन किया गया है।

इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 249 है जो संसद को किन्हीं विषयों के लिए, जिसमें राज्य सूची के विषय भी शामिल हैं। किसी भी समय कम से कम एक वर्ष के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है बशर्ते राज्य सभा उसके लिए इस आशय का प्रस्ताव पास करे। इसे प्रति वर्ष बढ़ाया जा सकता है। कुछ और भी दूसरी विशेषताएं हैं जो केन्द्र को काफी मजबूत बनाती हैं। देश की एकता और राष्ट्र की प्रगति समृद्धि, और आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र का अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक है यहीं नहीं बल्कि केन्द्र को प्राचीन भाषा, संस्कृति और देश की विरासत की अवश्य रक्षा करनी चाहिए और इस प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए।

हमारे यहां की संघात्मक प्रणाली पश्चिमी देशों जैसी नहीं है। जैसे कनाडा संघात्मक प्रणाली या अमरीकी संघात्मक प्रणाली। हम लोग सहकारी संघात्मक प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें केन्द्र और राज्य कल्याण और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं।

फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर न्यायाधीश सरकारिया ने ध्यान नहीं दिया है। राज्यपालों की भूमिका का वर्णन करते समय वह एक महत्वपूर्ण पहलू भूल जाते हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होते हैं। इस प्रकार राज्यपाल उपकुलपति की नियुक्ति और विश्वविद्यालय को धन राशि आबंटित करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। मैं चाहता हूं कि आयोग को इस पहलू पर काफी विस्तार से चर्चा करनी चाहिए थी और कुछ सकारात्मक सिफारिशें करनी चाहिए थीं। राज्यपाल की भूमिका की चर्चा न तो राज्य की विधायिका में और न संसद में की जा सकती है फिर भी जब राज्यपाल किसी विश्वविद्यालय का कार्यभार संभालता है तो उस समय उसे अपनी भूमिका की कुछ चर्चा करानी चाहिए या शिक्षा को समवर्ती सूची में रहने के कारण उसकी भूमिका की चर्चा की जानी चाहिए।

मैं महसूस करता हूं कि राज्यपालों की नियुक्ति करने के पहले राज्य के मुख्य मंत्रियों से परामर्श लेने की अच्छी प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और अनिवार्य न होने के बावजूद भी यह वांछनीय है कि इस प्रकार की परम्परा विकसित की जानी चाहिए। हमें एक बात पर अवश्य बल देना चाहिए, पार्टी जुड़ावों को छोड़कर यदि केन्द्र और राज्य के बीच मन-मुटाव पैदा हो जाए तो यह मनमुटाव एक दिन तनाव के रूप में विकसित होगा और यह तनाव अन्ततः मदभेद में बदल जायेगा न कि सहयोग में। इसलिए, यदि हम राज्यों और केन्द्र के बीच सहकारी संघात्मक प्रणाली सहयोग के एक नये रूप में विकसित करने में वास्तव में तत्पर है तो हमें इसके लिए इस पहलू पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अन्ततः केन्द्र ही राज्यपालों की नियुक्ति करता है और राज्यों के लिए अनेक कार्य करता है। अतः राज्यों का सहज सहयोग तथा सकारात्मक रवैया केन्द्र तथा स्वयं राज्यों के लिए शक्ति का स्रोत होगा।

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल को राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाना एक स्वस्थ परम्परा है। क्या हम किसी प्रमुख शिक्षाविद्, प्रमुख अध्यापक अथवा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते। जो राज्यपाल न हों लेकिन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य कर सकें? यदि यह कार्य राज्यपाल से वापिस ले लिया जाए तो इससे राज्यपाल का सम्मान कम नहीं होगा।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : हम आपके प्रस्ताव से सहमत हैं। कुलाधिपति शिक्षाविदों में से चुना जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : कुलपति के बारे में आपका क्या विचार है? वह भी शिक्षाविद् होता है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : जब हम शासकीय प्राधिकारी के बिना विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को विश्वविद्यालय प्रधान के रूप में मानें तो फिर यह शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बेहतर होगा।

महोदय, मैं उस योजना संबंधी पहलू की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकारिया आयोग ने जिला स्तर पर योजना बनाने के लिये विस्तार से चर्चा की है और सुझाव दिया है कि जिला स्तर पर योजना बोर्ड गठित किये जाएं। मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि केवल योजना बोर्ड गठित करने से उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा और जब तक हम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को अधिक शक्तियां नहीं देते और योजना की प्रक्रिया में लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं करते हैं तब तक आरम्भ किये गये पंचायती राज 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान में जवाहर लाल नेहरू का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए यह कहना उपयुक्त है कि सकारात्मक और सुदृढ़ पंचायती राज के मूल्यांकन तथा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और पर्याप्त शक्तियां देने के लिये पूरे देश में बहस चल रही है।

महोदय, हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि गांव में हमारे मित्र भी लोकतांत्रिक हों। गांव प्रधान अथवा सरपंच का चयन प्रत्यक्ष रूप से न होकर सदस्यों द्वारा ही अन्यथा सदस्य उन पर निर्भर हो जाएंगे, यदि आप गांव प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से गांव के मतदाताओं में से करते हैं तो पूरा गाव चयनित हो जाएगा तो अंततः गांव प्रधान, जो उस पंचायत का सदस्य है, का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा और वह सरपंच की शुभेच्छा पर निर्भर करेगा जो पक्षपात पूर्ण ढंग से भी कार्य कर सकता है और उसे पंचायत जिसका वह प्रधान है के प्रति उत्तरदायी बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह एक राज्यपाल चुनने के समान होगा और जब एक राज्यपाल चुनने का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष आया था तो केवल श्री जवाहर लाल नेहरू ने इसका विरोध किया था तथा कहा था कि निर्वाचित राज्यपाल का क्षेत्रीय दृष्टिकोण होगा और वह उस राज्य में निचले स्तर की लोकतांत्रिक शक्तियों के दबाव में आकर कार्य कर सकता है। इसलिए उनका विचार था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति हो और यह एक स्वस्थ प्रथा है। इसी प्रकार पंचायत अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाना चाहिए, उसे पंचों द्वारा चुना जाना चाहिए और इसी प्रकार यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहनी चाहिए, पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों को पंचायत समिति अध्यक्ष को चुनना चाहिए और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों को जिला परिषद के अध्यक्ष को चुनना चाहिए और पंचायत समिति व जिला परिषद के अध्यक्षों को नौकरशाही तंत्र से अधिक शक्तियां दी जाएं ताकि वे योजना को लागू कर सकें। पंचायत राज तंत्र को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देने का कोई लाभ नहीं है यदि उन्हें उपायुक्त अथवा उप-डिवीजनल जिलाधिकारी अथवा उस व्यक्ति जो नौकरशाही तंत्र में प्राधिकारी है के अधीन कर दिया जाये। हमें भारत को नौकरशाही भारतीय गणतंत्र में नहीं बदलना है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक गणतंत्र की विशेषता को बनाये रखना है जिसमें पंचायत से लेकर संसद तक पंचायती राज संस्थान की शक्ति निहित है। इसलिए मैं मामले के इस पहलू पर जोर देना चाहता हूं कि पंचायती राज को और विकसित किया जाए, मजबूत किया जाए तथा और वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां दी जाएं ताकि एक अलग स्पष्ट पहचान हो सके।

इस समय संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची नामक तीन सूचियां हैं, इनमें प्रत्येक में अलग-अलग विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47

विषय हैं। इन सूचियों पर आयोग ने कुछ चर्चा की है और उसने विस्तृत प्रश्न सूची जारी की जिसके उत्तर भी दिये गये। इसमें कुछ व्यक्तियों की यह स्पष्ट मांग थी कि समवर्ती सूची को समाप्त कर दिया जाए तथा समवर्ती सूची के सभी विषय राज्य सूची में शामिल कर दिये जाएं। यह संभव नहीं है क्योंकि एकरूपता और समन्वयता के हित में समवर्ती सूची जो केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग का स्पष्ट सूचक है, को बनाये रखना चाहिए। इसी प्रकार संघ और राज्य सूचियों का अपना महत्व है। लेकिन मेरी शिकायत दूसरी बात के लिये है। केन्द्र सरकार कुछ मामलों में अपनी शक्ति लागू नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिये कुछ उन मामलों के सम्बन्ध में जो संघ सूची में हैं के लिए शक्तियां केन्द्र सरकार ने राज्यों को दे दीं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उपयोग करने का राज्यों का अपना तरीका बन गया है। यह दलीय विषय नहीं है बल्कि यह केन्द्र और राज्यों के कार्यकरण तथा दोनों सूचियों के व्याख्या का प्रश्न है। एक मांग यह थी कि बेतार के शीर्षक वाली मद सं० 31 जो टेलिविजन, रेडियो आदि से संबंधित है का लोप किया जाये और इसे संघ सूची से निकाल दिया जाये। सरकारिया आयोग ने इस सुझाव को रद्द कर दिया क्योंकि हमारे पास प्रसारणों का सम्मिश्रण नहीं है। हम इस मामले में राज्यों को पर्याप्त शक्तियां दे सकते हैं, उन्हें शामिल कर सकते हैं और उनका सहयोग ले सकते हैं लेकिन एक विशेष राज्य में एक भाषा अथवा संस्कृति को संवर्धित करना राज्य सरकार का दायित्व क्यों है। मैं चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने का सरकार अपना दायित्व निभाए कि छोटी-छोटी भाषाओं और कमजोर सांस्कृतिक वर्गों को केन्द्र पर्याप्त संरक्षण दे और भाषाओं के इन सभी वर्गों के संवर्धन के लिये केन्द्र मीडिया का उपयोग करे क्योंकि इस देश में 1400 से अधिक मातृभाषाएं हैं। अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है और उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है लेकिन एक लाख से अधिक लोग उन्हें बोलते हैं। उनके हितों की ओर कौन ध्यान देगा ? राज्यों के पास संसाधन और समय नहीं है। वे कानून और व्यवस्था बनाये रखने और छोटे-छोटे कार्य करने में व्यस्त हैं। इसलिये केन्द्र सरकार का यह दायित्व है कि वह उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दे जिस ओर कोई और ध्यान नहीं दे रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकारिया आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए लेकिन चूंकि अब आयोग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया इसलिए मैं इस शीर्षक के अधीन आयोग की सिफारिशों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राजभाषा और राजभाषा समिति का राजभाषा और अनुसूचित भाषा समिति के रूप में पुनः नामकरण किया जाये। इसी प्रकार वह चाहते हैं कि सभी अनुसूचित भाषाओं को इस वर्ग में शामिल कर लिया जाये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आठवीं अनुसूची कोई वेद नहीं है जिसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। संविधान के इक्कीसवें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया था। अंग्रेजी अभी भी इस अनुसूचीमें शामिल नहीं है और इस देश में अंग्रेजी के संवर्धन के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि अनुसूचित भाषाओं और गैर-अनुसूचित भाषाओं के बजाय हमें भारतीय भाषाओं के संकल्प को अपनाना चाहिए। यदि सरकारिया आयोग की सिफारिशें संघ सरकार द्वारा स्वीकार की जानी हैं तो यह राजभाषा समिति या राजभाषा या अनुसूचित भाषा समिति नहीं होनी चाहिए बल्कि यह राजभाषा और अन्य भारतीय भाषा समिति होनी चाहिए जिसमें 'भाषा' शब्द को विकासशील, विकसित, मान्य, अमान्य, बहुमत और अल्पमत आदि भाषाएं जो भारत की परम पावन भूमि में बोली जाती है को शामिल करते हुए विस्तार से व्याख्या करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक आप पिछड़े और विकासशील क्षेत्रों में और अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं।

अब मैं अति पेचीदे प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिसने इस समय देश को हिला दिया है। सरकारिया आयोग ने इस बात को स्पष्ट किये बिना कि त्रि-भाषा सूत्र का क्या अर्थ है। त्रि-भाषा

[प्रो० नारायण चन्द्र पराशर]

सूत्र के बारे में उल्लेख किया है। उसने कहा है कि त्रि-भाषा सूत्र जो मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में बनाया गया था को सभी राज्यों द्वारा ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। त्रि-भाषा सूत्र मुन्नत-भाषा सूत्र के समान है जिसकी किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने ढंग से व्याख्या की जा सकती है। जब मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस सूत्र को अपनाया गया तो यह अंग्रेजी, हिन्दी और भारतीय भाषाओं में से एक भाषा पढ़ने के लिये था।

अब, बाद में उन्होंने जो कहा था वह यह था कि इस सभा में 24 जुलाई, 1968 को रखे गए नीति संकल्प में भारत सरकार ने आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक में एक अतिरिक्त शब्द 'आधुनिक' दे दिया तथा हाल ही में पिछले वर्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मामले को कुछ इस ढंग से तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की कि संस्कृत को निकाल दिया गया है, यद्यपि इसी फार्मूले के अन्तर्गत दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में वर्षों से यह पढ़ाई जाती रही थी। 'आधुनिक' शब्द को शामिल कर लिया गया तथा यह कहा गया कि यह आधुनिक भाषा नहीं है। साहित्य अकादमी 22 भाषाओं को मान्यता देता है तथा प्रत्येक भाषा में सर्वोत्तम रचनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष साहित्यकारों को पुरस्कार दिए जाते हैं तथा संस्कृत भी प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार प्राप्त कर रही है तथा इस सभा में सदस्य संस्कृत में शपथ लेते रहे हैं, जिनमें माननीय अध्यक्ष भी शामिल हैं जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। संविधान का अनुच्छेद 351 संघ को हिन्दी को बढ़ावा देने तथा संस्कृत से प्रेरणा लेने का आदेश देता है। यह उचित समय है कि इस अन्याय से पीछा छुड़ाया जाए संस्कृत को प्राचीन के साथ-साथ आधुनिक भाषा भी माना जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति एक है चाहे यह पुरातन भारतीय संस्कृति है अथवा आधुनिक भारतीय संस्कृति। इसी तरह, हमें इस तथ्य पर जोर देना चाहिए कि संस्कृत एक जीवित और अनवरत भाषा है त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत इसे बाहर नहीं किया जाए बल्कि स्वीकार किया जाए। त्रिभाषा फार्मूले को उसी मूल स्वरूप में लाया जाना चाहिए जो कि यह कहते हैं 1961 में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में बनाया गया था कि हिन्दी और अंग्रेजी के साथ कोई अन्य भारतीय भाषा भी पढ़ाई जानी चाहिए। अत: मैं कहना यह चाहता हूं कि त्रिभाषा फार्मूले के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिश का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए तथा स्थिति के सभी व्यापक निहितार्थों पर विचार किया जाना चाहिए। इस समय अनेकों क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिन्हें क्षेत्रीय अकादमियां ही मान्यता देती हैं राज्य सरकारें नहीं। यद्यपि अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत समूह विशेष के सदस्यों के पास राष्ट्रपति को लिखने की पर्याप्त गुंजाइश होती है, तथा राष्ट्रपति इन भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दे सकते हैं। यह केवल कागजों पर ही होता है, क्योंकि जब किसी कक्षा में उस भाषा को पढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, जब साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन जैसे काम करने का प्रावधान नहीं है तो ये सब चीजें काल्पनिक स्वरूप की होंगी। संविधान में आपने चाहे जो प्रावधान कर दिए हों, सरकारिया आयोग रिपोर्ट में चाहे जो सिफारिशें हों, वे केवल अवास्तविक स्थिति की बातें कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति केवल तभी ज्ञात होगी जब हम इससे निपटेंगे। हम भारत की पवित्र भूमि पर बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा का संरक्षण और इसको बढ़ावा देने की स्थिति में होने चाहिए तथा उस उद्देश्य से यह भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाषा को किसी धार्मिक समूह अथवा किसी राजनैतिक दल अथवा किसी क्षेत्रीय संगठन अथवा किसी राज्य के संरक्षण प्राप्त हैं अथवा किसी व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपेक्षित है। यदि किसी प्रकार का भेदभाव है तो आइए, हम इसका परित्याग कर दें और इस कारण से आदिवासी भाषाएं संघ सरकार के हाथों न्याय की गुहार कर रही हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा योजना में इन भाषाओं को भी शामिल करना

चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को इन भाषाओं के विकास के लिए पर्याप्त संरक्षण भी देना चाहिए। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग मनिपुरी को भी अध्ययन और परीक्षा के एक विषय के रूप में शामिल करने की सोच रहा है। मेरा तर्क है कि इसे स्वीकार किया जाए तथा न केवल मणिपुरी, बल्कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी और मेघालय की खासी जैसी अन्य भाषाओं को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। लोगों के चाहे जो विचार और भावनाएं हों, उन्हें राज्य से मान्यता और सम्मान मिलना चाहिए। मैं संविधान में कुछ अन्य मामलों का भी सन्दर्भ देना चाहता हूं और इनमें से एक है राज्यों के लिए विशेष समस्याओं का प्रावधान। जब सरदार स्वर्ण सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान संशोधन समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया तो पहाड़ी राज्यों के कुछ सदस्य उनके पास गए और कहा कि स्पेन, इटली और स्विटजरलैंड जैसे कुछ दूसरे देशों के संविधान की तरह, पहाड़ी राज्यों, जो कि आमतौर पर देश की सीमा पर स्थित होते हैं, की तरफ विशेष ध्यान के लिए एक प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका विशेष भौगोलिक भूभाग होता है, व्यापक जनसंख्या और अन्य चीजों की कठिनाइयां होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र चाहे तो पहाड़ी राज्यों के विकास के रोकने के लिए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तथा धीरे-धीरे केन्द्र ने इस बात पर ध्यान दिया है तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई है, विशेष श्रेणी के राज्य बने हैं लेकिन सरकारिया आयोग ने इन पहलुओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। यदि कुछ राज्य विशेष श्रेणी के हैं तो आयोग को उन पर टिप्पणियां करनी चाहिए थीं तथा उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिए था। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार को इस समस्या का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अति महत्वपूर्ण मामलों जिन्हें मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, में विशेष श्रेणी राज्यों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मिजोरम में एक पूर्ण राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है लेकिन मिजोरम में महाडाकपाल रखना संभव नहीं है। महाप्रबंधक, दूरसंचार रखना संभव नहीं है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देना संभव है, लेकिन निदेशक डाक सेवाएं, गोवा नियुक्त करना सम्भव नहीं है क्योंकि कार्यभार की संकल्पना बीच में आ जाती है। कार्यभार की यह संकल्पना, जो कि इकाइयों को कार्यभार के मानदंडों से आबद्ध करती है, वित्त मन्त्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है तथा देश में वित्त मंत्रालय निदेशक के रूप में कार्य करता है, तथा अन्य कार्यवाही मन्त्रालयों के गले दबाने की चेष्टा करता है यह कहते हुए कि उनके प्रस्ताव एतद्द्वारा रद्द किए जाते हैं। उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे मानदंड पूरा नहीं करते। योजना आयोग जब स्वयं यह कहता है कि विशेष श्रेणी राज्यों के लिए इन मानदंडों में ढील दी जानी चाहिए, तब वित्त मन्त्रालय और गृह मन्त्रालय को केन्द्रीय मन्त्रालय के रूप में उस संकल्पना को क्यों अस्वीकार करना चाहिए। तथा अपने कार्यकरण में क्यों शामिल करते हैं? इन राज्यों में मानदण्डों में ढील देकर प्रभाग और विभिन्न अन्य प्रशासनिक इकाइयों की तरह की प्रशासनिक इकाइयां क्यों नहीं बनाई जातीं तथा पड़ोसी इकाइयों के मानदण्ड इन पर नहीं थोपे जाने चाहिए। यह जानकर हमें बड़ा दुःख होता है कि एक छोटे से डाकघर की श्रेणी बढ़ाने अथवा कोई छोटा-सा डाकघर खोलने के लिए भी वित्त सचिव को डाकघर निरीक्षक और सचिव डाक व तार के प्रस्ताव पर निर्णय लेना पड़ता है। इसी तरह से संबद्ध विभाग की तरह से एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए इसकी स्वीकृति हेतु वित्त मंत्रालय को भेजना पड़ता है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की यह व्याख्या सही नहीं है। एक तरफ राज्य सरकार को शिकायत है, दूसरी तरफ स्वयं केन्द्रीय सरकार के विभाग वित्त मन्त्रालय के विरुद्ध और भौगोलिक स्थितियों, कठिन भूभाग आदि के बावजूद सभी मन्त्रालयों पर समस्त मानदण्ड थोपने की धारणा के विरुद्ध शिकायत रखते हैं।

प्रधान मन्त्री और मन्त्रिमण्डल विशेष श्रेणी राज्यों के प्रति काफी अनुग्रह रखते हैं, लेकिन जब तक केन्द्रीय मन्त्रालयों के दृष्टिकोण तथा निम्नतर स्तर तक विभिन्न धारणाओं में भी परिवर्तन

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

नहीं आता है तब तक ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है तथा उनके सपनों को साकार नहीं किया जा सकता।

मैं ग्राम स्वराज्य की गांधीवादी धारणा का पक्षधर हूं। यही सच्ची धारणा है, सभी केन्द्रीयकृत चीजों का विकेन्द्रीकरण किया जाए। जब तक हम विकेन्द्रीकरण की अपनी प्रिय धारणा को लागू नहीं करते तब तक लोकतांत्रिक कार्यकरण का अनुभव इस देश में सफल नहीं हो सकता।

जब हम मजबूत केन्द्र की सोचते हैं तो हम मजबूत राज्यों की भी सोचते हैं। लेकिन यह मजबूती, संदेह से, प्रभुत्व से नहीं आ सकती, यह दमन से नहीं आ सकती, यह राज्यों से ऐच्छिक सहयोग लेकर नहीं आ सकती, राज्यों को भी पंचायती राज हस्तांतरण की धारणा को स्वीकार करना चाहिए तथा जिला स्तर पर, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को वही शक्तियां देनी चाहिए। लोकतांत्रिक कार्यकरण की इस पांच-टियर प्रणाली में भारत प्रत्येक व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण करने में अधिक सक्षम होगा तथा सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के भविष्य के विकास के अधिक अवसर प्रदान कर सकेगा।

आइए हम राष्ट्र हित में अपना जीवनोत्सर्ग करने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के स्वप्नों को विकेन्द्रीकरण और सहकारी संघवाद की प्रक्रिया के माध्यम से साकार करने का संकल्प लें तथा यदि हम भारत के नये क्षितिज और नये दर्शन में इन पहलुओं का उपयोग करें तो हमारे और भावी पीढ़ी के लिए सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का एक अर्थ और सार हो सकता है।

*श्री पी० सेलवेन्द्रन (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर इस सम्मान्य सभा के विचारों से सहमति रखते हुए मुझे बेहद खुशी होती है। मुझसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने विभिन्न दृष्टिकोण से इस रिपोर्ट का विश्लेषण किया है तथा विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। इस विषय में मैं इस सभा को इस विषय वस्तु पर दलगत आधार और राजनैतिक हितों से ऊपर उठकर विचार प्रकट करने की आवश्यकता का स्मरण कराना चाहूंगा।

सत्ता पक्ष के सदस्यों ने यहां पर मजबूत केन्द्र की आवश्यकता की तरफदारी की है। गैर-सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राज्यों को अतिरिक्त शक्तियां देने की हिमायत की है। उन्होंने एकमत से शक्तिशाली राज्यों वाले शक्तिशाली केन्द्र का समर्थन किया। यदि हम भारत माता के हृदय की तुलना केन्द्र में करते हैं तो राज्य इसकी आंखें, बाजू, सिर और अन्य महत्वपूर्ण अंग है। चेतनारहित बाजू और विकृत आंखों एवं दिमाग वाले एक मजबूत हृदय से भारतमाता स्वस्थ नहीं हो सकती। इसी तरह से, कमजोर हृदय वाले मजबूत बाजू तथा सुदर्शन एवं सुगठित आंखें और दिमाग भी भारत माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। भारत माता के शरीर का प्रत्येक अंग राष्ट्र की सम्पूर्ण समृद्धि और सम्पन्नता के लिए समाज और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

केन्द्र और राज्यों के मध्य संबंध उतने ही मधुर और पवित्र होने चाहिए जितने मां और बेटी के बीच होते है। दुर्भाग्य से, केन्द्र और राज्यों के मध्य संबंध कई बार इस हद तक बिगड़ जाते हैं तथा इस हद तक तनावग्रस्त हो जाते हैं जैसे सास और बहू के संबंध हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र और

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

राज्य सरकारों में कटुता और परिहार्य वैचारिक मतभेद आ जाते हैं।

पिछले 25 वर्षों से राज्यों को अधिक शक्तियां देने की बात इस देश के प्रत्येक कोने से आई है। धीरे-धीरे इस मांग ने "राज्यों के लिए स्वायत्तता" के नारे का स्थान ले लिया है। बहुत पहले 1963 में, पेरारीगनार (विद्वान) श्री सी० एन० अन्नादुरई, द्रविड़ आंदोलन के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने खेदपूर्ण भाषा में राज्यों की स्थिति का वर्णन कहा कि ये राज्य केन्द्र सरकार के अनुदान पाने वाली नगरपालिकाएं बनकर रह गई हैं। राज्यों के पक्ष में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण करने की मांग के संदर्भ में यह विवरण उचित समझा गया था। सभा के अत्यधिक वरिष्ठ नेता प्रो० एन० जी० रंगा यहां उपस्थित हैं। यह एक योग्य, बुजुर्ग और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। 9 नवम्बर, 1948 अभिकेन्द्रित राज्य को संविधान सभा में चर्चा के दौरान भाग लेते हुए, उन्होंने निम्न शब्दों में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की अनिवार्य परिकल्पना की थी :—

> "महात्मा गांधी ने 30 साल से विकेन्द्रीकरण की दलील दी थी। हम, कांग्रेसी होने के नाते विकेन्द्रीकरण के लिए वचनबद्ध हैं। वास्तव में इस समय सारा संसार विकेन्द्रीकरण के पक्ष में है। दूसरी ओर यदि हम केन्द्रीयकरण चाहते हैं तो मैं इस सदन को चेतावनी देना चाहूंगा कि इससे केवल साम्यवाद और सर्वाधिकारवाद की प्राप्ति होगी, लोकतंत्र की नहीं। इसलिए महोदय, मैं शक्तिशाली केन्द्र के तथाकथित नारे के पक्ष में नहीं हूं।"

संविधान सभा में एक पुराने कांग्रेसी द्वारा ऐसा तर्क देने का कारण राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदत्त करना बताया जाता है।

मुझे अत्यधिक दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि संविधान का आवरण लेकर राज्यों को इतना शक्तिहीन कर दिया गया है कि उन्हें छोटी-से-छोटी बात के लिए केन्द्र का मुंह ताकना पड़ता है। यहां तक कि बहुत ही छोटे स्तर पर विकास कार्य आरम्भ करने के लिए राज्यों को केन्द्र से अनुमति लेनी होती है। वन भूमि में कम दूरी के लिए सड़कें बनाने के लिए भी राज्यों को केन्द्र से अनुमति लेने के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के ऊटी और नीलगिरी में जहां पर विस्तृत वन भूमि है, पानी के टैंकों के निर्माण और यहां तक पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए पाइप लाइनें बिछाने हेतु केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। यह एक दयनीय स्थिति है जिसे राज्यों में कम किया जाना चाहिए। मेरी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेरीयाकुलम में, सड़क द्वारा दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए सीतुपेराई-अजमालाई सड़क योजना है। सड़क की कुल लम्बाई 22 कि०.मी० है। केवल 5 कि० मी० सड़क मार्ग वन सीमा में है। इसकी चौड़ाई 3.5 मीटर है। इस योजना में 3.5 मीटर की वर्तमान चौड़ाई के स्थान पर 5 मीटर तक वन की भूमि को चौड़ा करने की परिकल्पना की गई है। चूंकि, यह स्थान वन भूमि में स्थित है इसलिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। केन्द्र सरकार उसका अनुमोदन करने में 5 वर्ष से भी अधिक समय का विलम्ब कर रही है। यह उदाहरण है जिसका मैंने उल्लेख किया है। ऐसी बहुत-सी पर्वतीय और जनजातीय विकास योजनाएं हैं जो केवल इस कारण से पूरी नहीं हो पाती हैं कि ऐसे प्रस्ताव लम्बे समय से केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए पड़े रहते हैं। इसलिए मैं पुरजोर अनुरोध करता हूं कि विकास कार्य के ऐसे मामलों में राज्य सरकारों में समुचित रूप से अधिक शक्ति निहित होनी चाहिए। दूसरे उदाहरण के रूप में मैं कृषि का उल्लेख करना चाहूंगा। राज्यों में किसान भूमि जोतते हैं। किसान स्थानीय मूल्य पर बीज खरीदते हैं, वे उर्वरक और अन्य आदान राज्य में प्रचलित कीमतों पर खरीदते हैं। कृषक मजदूरों को राज्य के जीवन-स्तर के अनुरूप मजदूरी दी जाती है। यह विडम्बना है कि राज्य में किसानों के उत्पादन का मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया

[श्री पी० सेलवेन्द्रन]

जाता है। इस घोर विसंगति की ओर ध्यान दीजिए। मुझे अचानक ही एक लोक गीत स्मरण हो आया है जो किसान ब्रिटिश राज के दौरान धान के खेतों में गुनगुनाया करते थे :—

"किसान खेतों को जोतता है, मेहनत करता है और ककड़ी उगाता है,
समुद्रपार से अंग्रेज चिट्ठी भेजता है और बताता है कि इसकी कीमत 2 के लिए एक पैनी है।"

यही औपनिवेशिक स्थिति बनी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि, सभी कृषि वस्तुओं की कीमतें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित्त की जानी चाहिए और राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति और अधिसूचना के लिए सिफारिश की जानी चाहिए। परन्तु ऐसे अनेक छोटे मामलों पर राज्यों को उनके उचित लाभ से वंचित किया गया है।

मैं एकल सांविधिक उपबन्ध पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जो अवांछित राज्य सरकारों को गिराने के लिए केन्द्र सरकार के लिए एक जबरदस्त हथियार का काम करता है। संविधान का अनुच्छेद 356 एक ऐसा खराब उपबन्ध है जिसकी वजह से माननीय सदस्यों को अपने दिल से इसमें दुरुपयोग और अति उपयोग के विरुद्ध बोलना पड़ा है। इस उपबन्ध का व्यापक रूप से दुरुपयोग करने से राज्यों और केन्द्र के मध्य बहुत मतभेद उत्पन्न हो गया है, इस अनुच्छेद का बार-बार दुरुपयोग करने से राज्य सरकारों को मजबूर होकर केन्द्र सरकार के विरुद्ध बिलकुल ही विपरीत दिशा में बोलना पड़ा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 40 वर्ष से इस उपबन्ध का 80 बार व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है। यह उपबन्ध सांविधानिक असफलता के लिए रामबाण माना जाता है। यह उपबन्ध सर्जन के हाथों में चाकू बनने के बजाये हत्यारे के हाथों का चाकू बन गया है जिसका उद्देश्य विपक्षी सरकारों का गिराना है। 1950 से 1954 तक इस उपबन्ध का दुरुपयोग करने पर 3 सरकारें गिर गई थीं। 1955 से 1959 तक 3 बार इसका दुरुपयोग किया गया था। 1960 से 1964 तक दो बार इसका दुरुपयोग किया गया था। 1964 से 1969 तक 9 बार इसका दुरुपयोग किया गया था। 1967-69 की दो वर्षों की छोटी-सी अवधि में 7 राज्य सरकारों को अपमानजनक ढंग से गिरा दिया गया था। संवैधानिक उपबन्ध का यह दुरुपयोग इस समय महत्वपूर्ण हो गया जब 7 राज्यों में 1967 में कांग्रेस पार्टी को भारी असफलता मिली थी। 1970 से 1979 तक 19 सरकारों को गिराया गया। 1975 से 1979 तक 29 सरकारों को गिराया गया। 1977 में ही 9 राज्य सरकारों को बिना किसी कारण के गिरा दिया गया था। 1980 से 1987 तक 18 सरकारों को अपमानजनक ढंग से गिरा दिया गया। केवल 1980 में ही 9 सरकारों को राजनैतिक आधार पर गिरा दिया गया था। 1977 में जब जनता सरकार ने एक ही झटके से 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल नहीं हुआ था। कानून तथा व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हुई। राज्यों में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी जिससे राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता होती। इन सरकारों को केवल राजनैतिक कारणों से बर्खास्त किया गया था। इतिहास स्वयं को दोहराता है। 1980 में बिना किसी खेद के वही संवैधानिक च्युति की गई थी। जब राज्यों में 9 जनता सरकारों को कांग्रेस ने गिरा दिया था जो केन्द्र में फिर से सत्ता में आए थे। मुझे अत्यधिक दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अनुच्छेद 356 का केन्द्र सरकार ने अपने राजनैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किया था। इसलिए, यह उपबन्ध हमारी लोकतांत्रिक योजना के लिए ठीक नहीं है। यह

लोकतंत्र-विरोधी है। यह निरंकुश है। यह असामयिक है। यह लोकतंत्र और लाकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्य मन्त्रियों के सिर पर डेमोक्रेट्स की तलवार की भांति लटक रही है। मैं दृढ़ता से यह दलील देता हूं कि संविधान से इस अनुच्छेद का लोप कर दिया जाए।

राज्यपालों की भूमिका और नियुक्ति पर गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में राज्यपाल के कार्यों से राज्यों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इससे राज्यपाल और सरकारों के बीच झगड़े उत्पन्न होते हैं। आन्ध्र के राज्यपाल और राज्य के मुख्य मन्त्री के बीच बार-बार होने वाले झगड़े इस सदन में उग्र बहस का विषय बन गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के दिवंगत मुख्य मन्त्री डा० एम० जी० आर० ने सरकारिया आयोग के समक्ष राज्यपालों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के बारे में कुछ प्रस्ताव रखे हैं, डा० एम० जी० आर० ने अनुरोध किया है कि राज्यपालों की नियुक्ति मुख्य मन्त्रियों के साथ परामर्श करके की जानी चाहिए। राज्य के मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत चार व्यक्तियों के नाम की एक सूची में से एक व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। 1948 में संविधान सभा में एशिया के प्रकाश पुंज श्री जवाहर लाल नेहरू ने ऐसा ही विचार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि :—

> मेरा विचार है कि यह अत्यधिक उत्तम होगा यदि वह प्रान्त की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए नहीं हों।...प्रान्त की सरकार को अवश्य स्वीकार्य होना चाहिए।
>
> मैं श्री नेहरू के इन शब्दों को दोहराता हूं, "प्रान्त की सरकार को अवश्य स्वीकार्य होना चाहिए" आप नेहरू के शब्दों पर क्यों नहीं अमल करते? आप उनकी आशाओं को पूरा क्यों नहीं करते? आप राज्य सरकार को स्वीकार्य किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर क्यों नहीं नियुक्त करते?

राज्यपाल के पद को इस समय अत्यधिक औपचारिक, अवांछित और निरर्थक समझा जाता है। यह राज्यरूपी उपकरण का अनावश्यक भाग है। जब ऐसी धारणाएं प्रचलित हो जाती हैं तो यह समुचित होगा कि राज्यपालों की नियुक्ति राज्य के मुख्य मन्त्रियों से परामर्श करके की जाए। राज्यपालों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। राज्यपालों द्वारा पक्षपात करने से राज्यपालों और विधिवत रूप से निर्वाचित मुख्य मन्त्रियों के बीच अपरिहार्य रूप से टकराव बढ़ेगा। इसलिए डा० एम० जी० आर० ने ऐसे संघर्षों को दूर करने के लिए एक अन्य प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा। राज्यपाल और विधिवत रूप से निर्वाचित राज्य सरकार के मध्य उत्पन्न हुए संघर्ष के मामले में, राज्य की विधान सभा को इस संबंध में एक संकल्प पास करके राज्यपाल को हटाने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इससे राज्यपालों के निरंकुश होकर काम करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और राज्य की चुनी हुई सरकार के प्रति राज्यपाल का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।

राज्यपालों की नियुक्तियों के संबंध में न्यायाधीश श्री सरकारिया ने कई सिफारिशें की हैं। उन्होंने सिफारिश की है कि राज्यपाल को किसी क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति होना चाहिए। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राजनीति से दूर रहा हो चाहिए, विशेषकर उसने स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया हुआ होना चाहिए। उसे किसी अन्य राज्य से आना चाहिए। ये सिफारिशें जायज हैं और इसलिए स्वीकार की जानी चाहिए।

मैं, भाषा संबंधी समस्या पर कुछ शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। यह भावनात्मक पक्ष है। इससे कारण बहुधा केन्द्र और राज्यों में झगड़े उत्पन्न हुए हैं। इस संबंध में न्यायाधीश सरकारिया ने कुछ सिफारिशें की हैं। उन्होंने सिफारिश की है कि राज्यों और संघ सेवाओं में भर्ती के

[श्री सेलवेन्द्रन]

लिए एक विशेष भाषा की जानकारी होने की आवश्यकता की पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि संघ और राज्यों के कार्यों में उनकी अपनी-अपनी स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने त्रिभाषा सूत्र को जोरदार तरीके से कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर पुनः जोर दिया है। मैं इस सम्माननीय सदन में आह्वान करता हूं कि सभी राज्यों में त्रिभाषा सूत्र ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। सरकार को न्यायाधीश सरकारिया की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह अहिन्दी भाषी लोगों को नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासन को संवैधानिक दर्जा दे।

अन्त में, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह न्यायाधीश सरकारिया की सिफारिशों, जो सरकार को स्वीकार्य हैं, पर स्पष्ट रूप से एक वक्तव्य दें। इस सम्माननीय सदन में सिफारिशें प्रस्तुत की जाएं और उन पर व्यापक रूप से बहस हो। इसके बाद सिफारिशें स्वीकार की जानी चाहिएं ताकि यह सरकार और परवर्ती सरकारें इन सिफारिशों पर ईमानदारी से अमल करें। इस सरकार को यह कहकर मौखिक बहसबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए कि यह सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और इन सिफारिशों पर समुचित रूप से कार्यवाही करेगी। सरकार को ऐसे खोखले वक्तव्य देकर इस स्थिति से ऐसे बच नहीं निकलना चाहिए, जैसे एक मछली जाल से बच निकलती है। उन्हें इन सिफारिशों को कानून का जामा पहनाना चाहिए।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

यह आयोग 9 जून, 1983 को नियुक्त किया गया था और जहां तक संविधान के विभिन्न उपबन्धों का संबंध है, उन पर उसने एक सुन्दर रिपोर्ट दी है। हमारा संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था और इन वर्षों के दौरान हमारे संविधान में 61 संशोधन किए गए हैं। और जब मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूची देखता हूं तो पाता हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों में से 90 प्रतिशत भी संविधान संशोधन के संबंध में होते हैं।

अतएवं जो अनुभव हमें हुआ है उसके अनुसार लोगों के दिमाग में अनेकों सुझाव आए हैं और विशेष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों और विभिन्न सरकारों के अनुसार इस संविधान में कुछ संशोधन आवश्यक हैं। इसलिए योजना और संविधान के ढांचे को स्वीकार करते हुए सरकारिया आयोग की नियुक्ति संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा और जांच करने के लिए की गई थी। विभिन्न धारणाओं के आधार पर व्यापक रूप से सिफारिशें की गई हैं और आयोग ने विभिन्न संवैधानिक उपबंधों की जांच की है और संविधान के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों और प्राधिकारियों ने जो अनेक प्रश्न उठाए हैं, उस पर उनके (आयोग) द्वारा विचार किया गया है। अतएव, यह कहा जा सकता है कि यह आयोग द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें वर्तमान मुद्दों को व्यावहारिक रूप से दर्ज और सुविचारित किया गया है और आयोग द्वारा समाधान भी सुझाये गये हैं।

इतने कम समय में आयोग की प्रत्येक सिफारिश की जांच करना और उस पर टिप्पणी करना सम्भव नहीं है। इसलिए, मैं अपने को केवल विधायी सम्बन्धों एवं राज्यपाल के कार्यों तथा उनके सम्बन्ध में दिए गए विभिन्न सुझावों तक ही सीमित रखूंगा।

संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करते समय हमें मुख्यतः संविधान के मूल ढांचे को

ध्यान में रखना चाहिए और जैसाकि संघ शक्तियों सम्बन्धी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में 5 जुलाई, 1947 को कहा गया था, हमारे संविधान का सुदृढ़ ढांचा मजबूत केन्द्र वाला संघ है और यह कथन ऐतिहासिक कारणों की दृष्टि से भी सही है। जब हम संविधान का इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि देश की रक्षा और उसकी एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के लिए केन्द्र को अत्यधिक मजबूत होना चाहिए। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से भी हमारे संविधान निर्माता इस बात से अवगत थे कि अवांछित केन्द्रीकरण बहुधा उलटा हानिकारक सिद्ध हुआ है और विभाजक शक्तियों की एक शृंखला-वत प्रक्रिया आरम्भ हुई है। अतएव इन दोनों सिद्धांतों को दिमाग में रखते हुए, संविधान बनाते समय एक संतुलन बनाये रखा गया है, यथा एक मजबूत केन्द्र के साथ-साथ नवनिर्मित राज्यों यथासंभव अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करना। संविधान की समग्र रूपरेखा से स्पष्ट होता है कि राज्य भी स्वयम् संसद द्वारा संविधान के आधीन ही बनाये गये हैं। अनुच्छेद 2 और 3 भी इस बारे में स्पष्ट है कि राज्य भी बनाये जा सकते हैं, उनकी सीमायें परिवर्तित की जा सकती हैं और ये सभी बातें स्वयम् संसद की शक्तियों के अन्तर्गत आती हैं। इसी प्रकार संसद की विधायी शक्तियां सर्वोपरि हैं। यहां तक कि अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत संसद के पास राज्य सूची के विषयों पर भी विधान बनाने की शक्ति है यदि राज्य सभा इस आशय का संकल्प पारित करती है। अतएव सम्पूर्ण मन्तव्य एक मजबूत केन्द्र के साथ-साथ विभिन्न निर्मित राज्यों को सामान्य समय में स्वायत्तता प्रदान करने का है। हमें सरकारिया आयोग द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तावों का इस दृष्टि से परीक्षण करना चाहिए। जहां तक विधायी सम्बन्धों का सम्बन्ध है मुझे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सम्पूर्ण मुद्दे पर विचार करने के बाद सरकारिया आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जहां तक अवशिष्ट शक्तियों का सम्बन्ध है उन्हें दो भागों में विभक्त करना चाहिए तथा करारोपण से सम्बद्ध प्रावधानों को संसद के पास छोड़ देना चाहिए, और जहां तक अन्य अवशिष्ट मदों का सम्बन्ध है उन्हें समवर्ती सूची में रख देना चाहिए। तत्पश्चात, यह भी कहा गया है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर प्रस्तुत किए जाने वाले किसी विधान पर राज्यों के साथ परामर्श करना चाहिए। श्रीमन् मैं समझता हूं कि ये दोनों सिफारिशें अत्यन्त संघातक हैं जो न केवल आयोग के समक्ष व्यक्त किए गए विचारों से मेल नहीं खाती हैं अपितु हमारे संविधान की योजना के अनुरूप भी नहीं हैं। उदाहरणत: आयोग ने स्वयम् पृष्ठ 29 के पैरा 2.6.04 में कहा है—जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

"अधिकांश राज्य सरकारें अवशिष्ट शक्तियों सम्बन्धी विद्यमान उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं चाहती हैं। हालांकि, चार राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों में निहित होना चाहिए, और दो राज्य सरकारों ने प्रस्तावित किया है प्रथम सूची की प्रविष्टि 97 को समवर्ती सूची में अन्तरित कर देना चाहिए।"

इस प्रकार, केवल दो राज्य सरकारों ने प्रथम सूची की प्रविष्टि 97 को समवर्ती सूची में अन्तरित करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही आयोग ने स्वयम् पृष्ठ 31 में कहा है—मैं उद्धृत करता है :—

"पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित कारणों से हम इस सुझाव को स्वीकार कर पाने में असमर्थ हैं कि अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों में निहित होना चाहिए।"

इस चरण में वे अपने सम्मुख अभिव्यक्त समस्त दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन इसके बाद वे अगले पैरा में कहते हैं—मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"हमारा यह मत है कि करारोपण के सम्बन्ध में विधायन की अवशिष्ट शक्तियां संसद

[श्री शरद दिघे]

के पास ही रहनी चाहिए। लेकिन, करारोपण से इतर अवशिष्ट क्षेत्र समवर्ती सूची में अन्तरित किया जा सकता है।"

तथापि, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि अवशिष्ट शक्तियों से राज्यों को कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए, यह आश्चर्यजनक है कि अगले पैरा में ही, आयोग बिना कोई औचित्य बताये, एक छोटे पैरा में अपने विचार बदल कर कहता है कि करारोपण से इतर अवशिष्ट शक्तियां समवर्ती सूची में रखी जानी चाहिए। अर्थात उनमें केन्द्र और राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए।

अतएव, मेरा निवेदन है कि यह मूलत: उसके द्वारा पहले व्यक्त किये गये विचारों और उसके सम्मुख मौजूद साक्ष्यों तथा उसी अध्याय में स्वयं उसके द्वारा दी गई दलीलों का अन्तर्विरोधी है।

3.00 म० प०

अतएव, मेरा मत है कि अवशिष्ट शक्तियों को समवर्ती सूची में अन्तरित करने का बिलकुल ही औचित्य नहीं है। इन्हें केन्द्र के पास यथावत बने रहना चाहिए क्योंकि एक बार यदि आप प्रथम सूची की प्रविष्टि 97 वस्तुत: अन्तिम प्रविष्टि, समवर्ती सूची में अन्तरित कर देते है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि अवशिष्ट शक्तियां समवर्ती सूची में चली जायेंगी।

उसका कहना है कि संसद में तत्सम्बन्धी विधान प्रस्तुत करने के पूर्व परामर्श करने के लिए संवैधानिक उपबन्ध बनाना आवश्यक नहीं है वरन राज्यों से परामर्श करने की एक परम्परा बनाई जा सकती है। ऐसी बोझिल प्रक्रिया संघातक होगी। एक चरण पर उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया था। पृष्ठ 51 पर पैरा 2.12.04 में आयोग कहता है :—

"यह देखा जायेगा कि यदि यह प्रस्ताव क्रियान्वित किया जाता है तो यह सहायता पहुंचाने के स्थान पर समवर्ती सूची के क्षेत्र के सम्बन्ध में रोक और संतुलन की संवैधानिक योजना की कार्य प्रणाली को अत्यधिक बोझिल और विलंबकारी बना देगा। अतएव, हम इस प्रस्ताव की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं।"

आगे पृष्ठ 52 में वे आश्चर्यजनक ढंग से कहते हैं :

"हमारा मत है कि समवर्ती सूची की किसी मद पर विधान बनाने के सम्बन्ध में संघ-राज्य परामर्श को एक संवैधानिक आवश्यकता बनाना आवश्यक नहीं है। यह प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से कठिन बना देगा। लेकिन इसे एक सुदृढ़ प्रथा का रूप लेना चाहिए।"

पृष्ठ 66 में पैरा 2.23.05 में इसे पुन: दोहराया गया है कि :

"इस प्रमुख नतीजे जिसपर पहुंचा जा सकता है कि समवर्ती सूची के विध क्षेत्र पर अधिकार करना कतई बाध्यकारी नहीं है, उक्त क्षेत्र पर अधिकार जमाना आवश्यक नहीं है। अतएव हम सिफारिश करते हैं कि सामान्यतया संघ को समवर्ती विषय के उतने ही क्षेत्र पर अधिकार रखना चाहिए जिसमें राष्ट्रहित में नीति और कार्यवाही में एकरूपता अनिवार्य हो, और संघीय विधि में निरूपति नीति की मोटी रूपरेखा के अधीन रहते हुए बाकी ब्यौरों को राज्यों के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जब कभी संघ समवर्ती सूची के किसी विषय पर विधान बनाना चाहे तो उसे न केवल राज्य सरकारों से पृथक-पृथक पूर्व-परामर्श करना चाहिए वरन् सामूहिक रूप से अन्तर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263 के अधीन जिसकी स्थापना की हमने सिफारिश की है, के साथ भी परामर्श करना चाहिए।"

ऐसी बातें यदि मान ली जाती हैं तो अत्यन्त संघातक होंगी। मैं नहीं जानता कि आयोग ने परवर्ती चरण में इसकी सिफारिश कैसे कर दी जबकि पहले वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि यह प्रस्ताव, यदि स्वीकृत हो गया तो, बोझिल प्रक्रिया को जन्म देगा अतएव हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, मेरा कहना यह है कि जहां तक राज्यों से परामर्श करने का सम्बन्ध है आयोग के एक चरण के विचारों और अग्रेतर सुझावों में विरोधाभास है। मेरा कहना है कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधान बनाते समय भी राज्यों से परामर्श करने को बाध्यकारी बना देना अत्यन्त खतरनाक होगा। ऐसा कभी नहीं सुना गया। ऐसी प्रक्रिया में इतना समय लगेगा कि इस सदन में समवर्ती सूची पर विधान बनना ही ठप्प हो जायेगा। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह परामर्श बहुत सी मुसीबतें पैदा कर देगा। जहां तक विधायी पक्ष का सम्बन्ध हैं मुझे यही निवेदन करना है।

राज्यपाल के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर मैं कुछ समय लूंगा। जहां तक राज्यपाल के कार्य का सम्बन्ध है मैं ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि राज्यपाल का पद राज्य के संवैधानिक मुखिया का ही नहीं है वरन्, संविधान के एक प्रहरी का है और वह राज्य और संघ के बीच एक जीवन्त सम्बन्ध सूत्र भी है। अतएव वह न केवल मन्त्रिपरिषद की सहायता एवम् परामर्श से संवैधानिक मुखिया के अपने दायित्वों का निर्वाह करता है वरन् कई शक्तियां ऐसी हैं जिनका प्रयोग वह स्वविवेकानुरूप करता है और ऐसा करते समय वह सविधान का प्रहरी होता है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चल रही है। उसे केन्द्र सरकार को राज्य की विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न पारित विधानों तथा राजनैतिक गतिविधियों से अवगत करते रहना होता है क्योंकि अन्तत्वोगत्वा राज्य के राज्यपाल को ही इस बात की सूचना देनी होती है कि सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाई जा रही है या नहीं। यह सशक्त केन्द्र के हमारे मूल विचार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसे संविधान और विधि के प्रावधानों के क्रियान्वयन, कानून और व्यवस्था को बनाये रखने, विकासोन्मुख परियोजनाओं आदि के कार्यान्वियन का पर्यवेक्षण भी करना होता है। अस्तु, यह दायित्व भी राज्यपाल द्वारा सम्पादित होना होता है।

इसलिए इस बात को दृष्टि में रखते हुए मेरा निवेदन यह है··· (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : देश की एकता और अखंडता भी।

श्री शरद दिघे : हां, देश की एकता और अखण्डता भी। अनेक सीमावर्ती राज्य ऐसे हैं जहां केन्द्र सरकार को इन बातों के सम्बन्ध में निगरानी रखनी पड़ती है। यह कहना निरर्थक है कि आप उनको अपने अधीन नहीं रख सकते हैं। उनको अधीन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन राज्य को देश की एकता और अखंडता बनाये रखना पड़ता है और इसलिये इसका प्रहरी और क्रियाशील सम्पर्क सूत्र राज्यपाल है। इस दृष्टिकोण से मैं उनके द्वारा दिये गये दो सुझावों से सहमत नहीं हूं और इसलिए मैं कहता हूं कि इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पहला, मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि वह व्यक्ति जो राजनीति में काफी सक्रिय रहा हो, राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। समस्त चर्चा का झुकाव इसी पर है। यह सिफारिश की गई है कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतया और विशेषकर हाल में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। उस प्रयोजन के लिये, निश्चय ही वे लोग हमारे प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू पर आश्रित हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि उन दिनों की स्थिति काफी भिन्न थी। उस समय कई स्वतन्त्रता सेनानी और काफी आदर के पात्र व्यक्तित्व वाले व्यक्ति विद्यमान थे और लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। इसलिए जहां कहीं भी वे राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे वहां कोई समस्या नहीं थी। व्यवहारतः उस समय कहीं भी कोई समस्याएं नहीं थीं जैसा कि आज हम सामना

[श्री शरद दिघे]

कर रहे हैं। अब, आज के दृष्टिकोण से मेरा मत है कि यदि राज्यपाल को संविधान के प्रहरी के रूप में अपना कार्य करना है और केन्द्र के साथ क्रियाशील सम्पर्क सूत्र बनाये रखना है तो मैं महसूस करता हूं कि यह बिल्कुल एक राजनीतिक भूमिका है और उस उद्देश्य के लिये आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास केवल विद्वान और काफी पढ़े लिखे लोग हों तथा वे जीवन के कुछ क्षेत्रों में महा हस्तियां हों। यह कहना निरर्थक है। यह एक राजनीतिक भूमिका है जिसे केवल किसी राजनीतिज्ञ को ही अदा करना चाहिए। आप निश्चय ही यह कह सकते हैं कि राज्यपाल राज्य को अवश्य स्वीकार्य हो। आप उन व्यक्तियों को किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर नहीं भेज सकते जो कि उस राज्य से दुश्मनी करता हो और उस राज्य के लिये समस्याएं उत्पन्न कर सकता हो। इस प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए। उसको मैं समझता हूं और उससे सहमत हूं। लेकिन राजनीति तौर पर राज्यपाल केन्द्र का संतरी है। और उसका काम यह देखना है कि राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुकूल कार्य कर रहा है तथा प्रत्येक काम हम लोगों द्वारा घोषित राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार हो रहा है। इसलिए, महोदय, उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि अब यह समय है कि हम लोगों को इस बात पर बल देना चाहिए कि राज्यपाल एक राजनीतिज्ञ होगा, उसे अपनी भूमिका की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और उसे, उस दृष्टिकोण से चुना जाना चाहिए। निश्चय ही अच्छे लोगों पर जो स्वीकार करने योग्य हैं और जिन्हें आम जनता सभी राजनीतिक दलों का सम्मान भी प्राप्त है, विचार किया जा सकता है। यदि ये सभी बातें वहां हैं तो यह कहना निरर्थक होगा कि उसे राजनीति आदि में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद, महोदय, एक अत्यन्त खतरनाक सुझाव दिया गया है कि राज्यपालों को चुनते समय भारत के उप-राष्ट्रपति और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श लेना चाहिए। मेरी यह समझ में नहीं आता कि राज्यपाल के चयन का लोक सभा के अध्यक्ष और भारत के उप-राष्ट्रपति से क्या सम्पर्क है। इसका संसद सदस्यों के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। इसका संसदीय-कार्य प्रक्रिया से भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए राज्यपाल के इस महत्वपूर्ण चुनाव कार्य में नया कार्य लोक सभा के अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति को बिल्कुल शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें यहां काफी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं और दल-बदल निवारक कानून के पास हो जाने के बाद हम लोगों ने राज्यपाल पर एक जिम्मेदारी और सौंपी है कि वह देखें कि क्या कोई सदस्य दल-बदल निरोधक कानून के तहत योग्य है अथवा अयोग्य है। इसलिए यह काम बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए और यह एक अत्यन्त खतरनाक प्रस्ताव है। अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति सम्मान जताते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें राज्यपाल के चयन में बिल्कुल शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि एक और खतरनाक सिफारिश की गई है। वे लोग कहते हैं कि यदि राज्यपाल को 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पहले पद त्याग करने को कहा जाता है तो सदन को इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। अभी तक इस प्रकार का कोई खतरनाक प्रस्ताव मेरे सामने नहीं लाया गया है और मैंने इस प्रकार का कोई खतरनाक प्रस्ताव नहीं देखा है। यह कहता है कि सरकार को दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त करने वाली परिस्थितियों का विवरण रखना चाहिए और यदि कोई राज्यपाल का स्पष्टीकरण हो तो उसे भी रखा जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि समस्त बातों पर फिर से चर्चा की जाएगी। जैसे ही राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होता है वैसे ही सभी बातों पर चर्चा की जायेगी। हम लोगों के पास चर्चा के लिये पहले ही पर्याप्त विषय है। यदि आप इन पर यहां चर्चा करने की अनुमति देते हैं और इन विषयों को यहां लाया जाता है तो मैं सोचता हूं कि प्रत्येक राज्य की समस्त राजनीति और कार्यपालिका की प्रत्येक कार्यवाही बुराई, चर्चा, बदनामी आदि का शिकार हो जायेगी। हम लोग यह ही नहीं कहेंगे कि इन्हें रिकार्ड

करें, सदन के पटल पर रखें, पर हम लोगों के पास दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिये समय नहीं बचेगा। जहां तक दूसरी चर्चाओं का सम्बन्ध है और यदि उन्हें स्वीकार किया जाये तो हम लोग बजट, विधान आदि पर चर्चा कभी भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि वस्तुतः सदन के कार्य के अन्तर्गत नहीं आता और हम लोग एक बहुत बड़ा खतरनाक प्रस्ताव स्वीकार करेंगे।

मेरी अन्तिम बात यह है। महोदय, रिपोर्ट में एक सिफारिश है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के पास तदर्थ या पाक्षिक रिपोर्ट भेजते समय सामान्यतया मुख्य मंत्री को विश्वास में लेना चाहिए। अब राज्यपाल को केन्द्र को राज्य में सरकार के कार्य के सम्बन्ध में रिपोर्ट देना पड़ता है। इसलिये एक गोपनीय रिपोर्ट होनी चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि आप रिपोर्ट मुख्य मंत्री को भी दिखायें। तब यह मुख्य मंत्री के साथ और आगे तकरार की शुरूआत होगी। मुख्य मंत्री राज्यपाल को कहेगा कि "आप इसे क्यों लिखते हैं। यह सत्य नहीं है और वह सत्य नहीं है।" और इस प्रकार और तकरार बढ़ेगी। इसलिए महोदय इस दृष्टिकोण से भी इस प्रकार का प्रस्ताव बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इन बातों से संविधान के बुनियादी तत्व अर्थात् इस मुख्य भावना को कि केन्द्र को मजबूत होना चाहिए, एक शक्तिशाली संघ होना चाहिए आदि को आघात पहुंचता है। निश्चय ही जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है और उनकी आकांक्षाओं का सम्बन्ध है राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए।

लेकिन प्रत्येक समय राज्य को शामिल करना या केन्द्र को राज्यों के वीटो के अधीन रखने का प्रस्ताव अच्छा नहीं होगा। यह हमारे संविधान की समूची भावना के विपरीत होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सरकारिया को महती कार्य करने और केन्द्र राज्य सम्बन्धों के सम्बन्ध में बहुमूल्य सिफारिशें करने के लिये बधाई देता हूं। मैं यही महसूस करता हूं कि कई सिफारिशें अत्यधिक वांछनीय हैं, लेकिन सम्भवतः उन्होंने विभिन्न राज्यों में उन अनेक नेताओं को ध्यान में नहीं रखा है जिनका सोचने का तरीका भिन्न है और उनमें से कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि वे लोक तांत्रिक प्रणाली में रह रहे हैं।

महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत केवल एक ही राष्ट्र है और जो राज्यों का निर्माण किया गया है वह विभिन्न सरकारों की कार्य-कुशलता बढ़ाने या राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नीतियों तथा कार्यक्रमों के बेहतर एवं कुशल कार्यान्वियन के उद्देश्य से किया गया है। इस प्रक्रिया में यदि संघात्मक प्रणाली पर विचार किया गया है तो यह एक क्रियात्मक प्रबन्ध है। लेकिन हमने अपने अनुभव में देखा है कि कतिपय मुख्य मंत्री जो यह सोचते हैं कि जिस क्षण वे बहुमत से निर्वाचित हो जाते हैं वह उनका अपना राज्य हो जाता है और वे उस राज्य के राजा हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि उन्हें संविधान के ढांचे के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है और वे सोचते हैं कि वे सर्वोच्च हैं, वे अपना काम मनमाना ढंग से कर सकते हैं और लोगों पर प्रभाव डालने तथा अपनी विफलताओं की ओर से लोगों का ध्यान हटाने के लिये प्रत्येक चीज के लिये केन्द्र सरकार की आलोचना करते हैं तथा इस प्रकार की परम्परा सी चल पड़ी है, भले ही यह भारत सरकार से सम्बद्ध हो या नहीं। मैं इस सम्बन्ध में कई दृष्टांत उद्धृत कर सकता हूं। कुछ वर्ष पहले करमचेडु में जहां गरीब हरिजनों को शिकार बनाया गया और उसके बाद मार डाला गया और जब राज्य सरकार ने उस पर समुचित कार्यवाही नहीं की तब भारत सरकार ने गृह मंत्री को वहां भेजा और हमारी राज्य सरकार ने महसूस किया और यह पूछा कि उसकी अनुमति के बिना गृह मंत्री आन्ध्र प्रदेश में

[श्री के० एस० राव]

कैसे आ गये। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश कुछ व्यक्तियों का राज्य है और बिना उस राजा की अनुमति से कोई भी केन्द्रीय मंत्री वहां नहीं आ सकता है। यह एक दयनीय स्थिति है। यदि वे इस तरह की संघात्मक प्रणाली होने की बात सोच रहे हैं। यदि वे सोचते हैं कि संघात्मक प्रणाली होने के कारण वे उस क्षेत्र का राजा बन सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिल सकता और यदि वे यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भी लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच जिस तरह की स्वतन्त्रता अथवा उदारतावाद वे चाह रहे हैं, अन्ततः उससे स्वतंत्र राज्यों का ही जन्म होगा। (व्यवधान)

महोदय, एक बार नहीं अनेक अवसरों पर, प्रायः हम सभी जानते हैं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच झगड़ा करो या राजस्व को बंटवारे के सम्बन्ध में है। जब आप आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के राजस्व के विवरणों पर ध्यान देंगे—मैं केवल आन्ध्र प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं—अधिकांश राजस्व केन्द्र सरकार देती है। राज्य सरकार के बजट का लगभग 1100 करोड़ रुपये भारत सरकार के राजस्व से प्राप्त होता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि भारत सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व भारत सरकार का ही अपना है और राज्य सरकार का नहीं, मैं यह भी नहीं कहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा वसूला गया राजस्व राज्य सरकार का अपना है और भारत सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है। राज्य के नेताओं और केन्द्र के नेताओं दोनों के लिए यह समझना आवश्यक है कि यह साझा क्षेत्र है और उन दोनों को एक दूसरे के सहयोग से राज्य के नागरिकों या भारत के नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। राज्य के लिए कोई विशेष नागरिकता नहीं है। वे इन पहलुओं को भूल जाते हैं। यद्यपि मैं खुश हूं कि न्यायाधीश सरकारिया ने अनेक बहुमूल्य निर्णय किया है, निर्णय करते समय उन्होंने उन नेताओं पर अवश्य विचार किया होगा जिनका आन्ध्र प्रदेश में प्रभाव बना हुआ है। राज्यपाल के औचित्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न है। हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतन्त्र नियंत्रण एवं संतुलन के अलावा और कुछ नहीं है। हां, इस प्रक्रिया में हमेशा तनाव बना रहेगा। लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लेना होगा। सम्भवतः जब आप आन्ध्र सरकार पर ध्यान देते हैं तो लगता है कि वह सोचती है कि राज्यपाल भी उनका नोकर है जिसे उनकी प्रत्येक बात को मानना पड़ता है। मैं सहमत हूं कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह माननी पड़ती है। मैं इसमें कोई दोष नहीं पा रहा हूं। लेकिन मंत्रिमंडल का अर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं है। जब एक व्यक्ति सोचता है कि वह मंत्रिमंडल से परामर्श लिए बिना कोई आदेश जारी कर सकता है और यदि राज्यपाल इससे सहमत न हो तो गल्ती क्या है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : क्या आप जानते हैं कि इन्दिरा जी ने आपातकाल में क्या किया ?

[हिन्दी]

जिस वक्त इन्दिरा जी ने देश में एमरजेंसी लगाने का डिसीजन लिया था, उस वक्त इन्दिरा जी ने इस देश में तानाशाही रवैया अख्तयार किया था। उन्होंने किसी से कन्सल्ट नहीं किया। इसलिए तानाशाही यहां से चल रही है, आप आन्ध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपोजीशन के सारे नेताओं को अन्दर कर दिया था। इसलिए आन्ध्र प्रदेश से पहले, कांग्रेस में यहां वही चीज चलती रही है। क्या आप तानाशाही को दूर करेंगे। बाद में आन्ध्र प्रदेश की बात करें तो ठीक रहेगा (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : वह केन्द्र में दोष निकालते हैं तथा आन्ध्र प्रदेश के लोगों को भड़काते हैं। सारी समस्या लोगों से वोट बटोरने की है। राजनैतिक नेता क्षेत्रियतावाद, धर्म, जाति, समुदाय और प्रत्येक चीज के आधार पर दुर्भावना फैलाने तथा सन्देह पैदा करने तक की हद तक पहुंच रहे हैं। उन्हें इसकी फिक्र नहीं है कि यह बात किस हद तक जाती है; समय के साथ क्षेत्रियतावाद के बीज राष्ट्र की अखंडता को किस हद तक प्रभावित करेंगे उन्हें इसकी चिन्ता नहीं है। उन्हें तो सत्ता को केवल अपने तक, अपने बच्चों, अपने पौत्र/पौत्रियों तक सीमित रखने की फिक्र है। यदि उन्हें राजस्व के उचित वितरण को समझना है अथवा इस हेतु लड़ना है अथवा वास्तविक कारण को समझना है तो मैं निश्चित रूप से उनका समर्थन करूंगा। आप अन्तर्राज्यीय नदी विवाद का मामला लीजिए। जब कर्नाटक महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में पानी बांटने की बात थी तो यह आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ही थे जिन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने से इन्कार कर दिया। आप राज्य और राज्य में तथा राज्य और केन्द्र में अच्छे संबंधों की आशा कैसे कर सकते हैं। इस बात के लिए की राज्य सरकार भारत सरकार में दोष निकालती है। यह आम बात हो चुकी है। इन परिस्थितियों में न्यायाधीश सरकारिया के लिए यह अधिक आवश्यक है कि उन्हें इन समस्याओं पर विचार करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए न कि काल्पनिक आधार पर लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में विचार करके। उन्होंने उन उभरने वाली प्रवृत्तियों पर विचार नहीं किया जो केवल राजनैतिक सत्ता के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहती। इस बात पर विचार करना होगा तथा सम्भवतः न्यायाधीश सरकारिया को अपने काल्पनिक ढंग को छोड़कर इस निष्कर्ष का पुनरीक्षण करना होगा।

सीमा संबंधी मामलों के बारे में कतिपय लोगों की यह धारणा है कि यह उनकी अपनी सम्पत्ति है और दूसरे लोग सोचते हैं कि यह उनकी है। कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष का मालिक नहीं है। इसका निर्णय तो आमने-सामने बैठकर किया जाना है। इस पर ठीक भावना से विचार किया जाना चाहिए। यदि वे लोगों को आपस में मरने मारने तक भड़काते हैं तो यह दयनीय बात है। केन्द्र-राज्य संबंधों पर इस परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की कार्यकुशलता को सुधारने अथवा नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र-राज्य संबंधों की राज्य के विकेन्द्रीकरण की हद तक पुनरीक्षा हो सकती है। यदि इस उद्देश्य के लिए इन पर चर्चा की जानी है अथवा निष्कर्षों पर पहुंचना है तो यह बात आदर्शपूर्ण है।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : किसी चीज के क्रियान्वयन में राज्य सरकारें सहायक होती हैं।

श्री के० एस० राव : यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य की कार्यकुशलता, विकेन्द्रीकरण का पक्षधर हैं और इसी ढंग से सोचता है तो मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

प्रिय दत्ता सामन्त, यदि आप आन्ध्र प्रदेश जाएं तो आप देखेंगे कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारी शक्ति को अपने हाथों में समेट रखा है तथा उन्होंने जिला परिषद प्रणाली का उपहास किया हुआ है। एक भी जिला परिषद के पास वास्तविक शक्ति और अधिकार नहीं है। आन्ध्र प्रदेश के एक जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव 14 अथवा 15 लाख मतदाताओं द्वारा किया जाता है। लेकिन वह कुछ भी नहीं होता। क्या आपको इसकी जानकारी है। उन्होंने एक विधान सभा सदस्य की अध्यक्षता में एक विकास बोर्ड बनाया है और वह विधायक उनका चमचा होता है। क्या आप सोचते हैं कि उसके पास सत्ता है? मैं आप लोगों में से हर व्यक्ति का समर्थन करता हूं यदि राज्य सरकार अधिक

[श्री के० एस० राव]

शक्तियों, अधिक विकेन्द्रीकरण की बात करें, उसके लिए लेकिन सत्ता के केन्द्रीयकरण करने के बारे में भी उन्हें उसी प्रकार सोचना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि सत्ता केन्द्र में केन्द्रित है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी विचारधारा उस समय भी ऐसी ही होनी चाहिए। यह सत्ता को मुख्यमंत्री में निहित करना नहीं है। अन्ततः जब यह घटता है तो प्रत्येक मुख्यमंत्री कहता है कि उसका विश्वास लोकतन्त्र में है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब मुख्य मंत्रियों का लोकतन्त्र में विश्वास नहीं होता, जब मुख्यमंत्री सोचते हैं कि वे ही सब कुछ हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे भगवान हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है। आज आप केन्द्र में दोष निकालते हैं, कल आपको न केवल इसीलिए विलाप करना पड़ेगा कि सत्ता राज्यों में सिमट के रह गई है, बल्कि इससे राष्ट्र खण्ड-खण्ड भी हो जाएगा। जब तक राज्य का मुखिया अथवा राज्य के प्रतिनिधि और केन्द्र के प्रतिनिधि लोगों का भला करने की दृष्टि से वास्तविक अर्थों में सत्ता को बांटने, राजस्व को बांटने, कानून बनाने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से नहीं सोचते हैं तब तक यहां पर चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने और विपक्ष की ओर से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वे विपक्षी सदस्य जिन्होंने यहां पर मानहानि विधेयक का विरोध किया था, जो चिल्लाए थे कि प्रेस की आजादी समाप्त की जा रही है अथवा छीनी जा रही है उस समय एक शब्द भी नहीं बोले जब उनकी अपनी राज्य सरकार ने प्रेस की आजादी के विरुद्ध एक विधेयक का प्रस्ताव किया था। क्या आप केवल दलों और व्यक्तिगत फायदों के हिसाब से सोचते हैं? क्या आपको सामान्य ढंग से नहीं सोचना चाहिए? हमें क्या हो रहा है? जब हम किसी वस्तु विशेष को सही सोचते हैं तथा उसे लोगों के हित में मानते हैं तो वैसी ही बात किसी भी और प्रत्येक जगह कही जानी चाहिए।

डा० दत्ता सामन्त : महाराष्ट्र में दस वर्षों से किसी भी जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं।

श्री के० एस० राव : मैं आन्ध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं। यह सरकार तो एक मजाक बन कर रही गई है। यह कोई सरकार नहीं है। यह तो राजा का शासन है तथा यह एक साम्राज्य है।

आए दिन, आंध्र प्रदेश सरकार राज्यपाल की आलोचना करती है। यह क्या बात है? वे सोचते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के संरक्षण बगैर किसी जिले में दौरा नहीं कर सकता। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस हद तक जा चुके हैं कि उन्होंने विभिन्न जिला समाहर्ताओं को राज्यपाल को आदेशों का अनुपालन न करने के लिए परिपत्र भी जारी किये हैं। यह कितनी दयनीय बात है। क्या इसी बात को दृष्टिगत करते हुए आप राज्य को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करना चाहते हैं? यदि यह सच बात है तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मुझे खेद है। मैं निश्चित रूप से भारत सरकार से राज्य सरकारों को फिर राज्य सरकारों से जिलों को, जिलों से पंचायती राज को अधिकाधिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात समझ सकता हूं यदि इसे समझ लिया गया है तो मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन विपक्षी मुख्यमंत्रियों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में रह रहे लोगों की प्रवृतियों का जायजा लेते हुए मुझे खेद होता है कि सरकारिया महोदय को बहुत सी सिफारिशों की समीक्षा करनी पड़ती है जो सामान्य स्वरूप की हैं। उन्हें सभी तानाशाहों को भी ध्यान में रखना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहे तो चित्तौड़ जिले के बारे में बोलिए।

श्री के० एस० राव : जहां तक औद्योगिक विनियमन अधिनियम का संबंध है तो आमतौर पर

राज्य और केन्द्र में विभिन्न उद्योगों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में विवाद होता है। हमने देखा है कि प्रत्येक राज्य अधिकाधिक लाइसेंस लेने के लिए चिल्लाता रहता है। यदि इससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन होता है, तो पुनः सम्पन्न राज्य और निर्धन राज्य में टकराव की सम्भावना होती है। यद्यपि सम्पन्न राज्य सम्पन्न होते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि उनका राजस्व निर्धन राज्य के पास जा रहा है।

जब तक क्षेत्रिय असंतुलन दूर नहीं किये जाते, जब तक प्रत्येक राज्य को उसी ढंग से विकास करने की अनुमति नहीं दी जाती तथा यदि एक राज्य का द्रुतगति से विकास होता है तो भी, यह राष्ट्र के हित में नहीं है। लेकिन वास्तव में इस पर भिन्न ढंग से विचार करना होगा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का मामला लीजिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। लेकिन बम्बई और अन्य उपनगरों की बात करते समय यह कहा जाता है कि देश की एक तिहाई दौलत बम्बई में संग्रहित है। यदि बम्बई में धरती के बेटे नीति का नारा उठाया जाए तो उन गरीब लोगों के भाग्य की कल्पना कीजिए जो इस देश के अन्य राज्यों में रह रहे है। मैं समझ सकता हूं कि विभिन्न भौगोलिक पहलू होते हैं।

डा० दत्ता सामन्त : बम्बई में भी लोग वैसे ही भूखों मर रहे है जैसे आपके यहां। बाहर से बहुत से लोग आ गए हैं। अनेक व्यापारी आ गए हैं। (व्यवधान)

श्री के०एस० राव : हम जानते हैं कि बम्बई में कितनी दौलत जमा हो गई है। हमें पता है कि लोग क्यों एक अच्छी आजीविका के लिए बम्बई में अटे पड़े हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि इस प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। लेकिन उड़ीसा जोकि एक पिछड़ा हुआ राज्य है, के बारे में सोचिए। बिहार के बारे में सोचिए जो एक पिछड़ा हुआ राज्य है। कृपया रायल सीमा जो कि मेरे राज्य में है, के बारे में सोचिए, पीढ़ियों से इसे विकसित नहीं किया गया है इन स्थानों के बारे में किसी ने कोई चिन्ता नहीं की है। लोग बम्बई या आसपास अथवा दूसरे विकसित क्षेत्र में ही ये उद्योग स्थापित करते रहते हैं। रायल सीमा क्षेत्र में एक भी बड़ा उद्योग नहीं है। इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा गया हैं। यह एक बुरी प्रवृत्ति है। औद्योगिक विनियम के सम्बन्ध में भी लाईसेंस देते समय, सरकार को क्षेत्रीय असंतुलन से बचने के लिए इसका वितरण करने के हिसाब से सोचना चाहिए। केन्द्र और राज्य के मध्य आम विवाद के अन्य क्षेत्र हैं विधेयकों के संबंध में। मैं इस संबंध में केवल एक ही उदाहरण देना चाहूंगा जहां तक समवर्ती सूची का संबंध है, भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया है तथा राज्य सरकारों को अनुवर्ती संशोधन करने की अनुमति होती है। क्या इन संशोधनों को केवल उस एक व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाना चाहिए, जो राज्य में शासन कर रहा है। मैं शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के उदाहरण को उद्धृत करता हूं। भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है। बाद में भी संशोधन हुए हैं। एक व्यक्ति जिसके पास अपना मकान नहीं है, जिसके पास स्वयं 300 वर्ग गज की भूमि नहीं है तथा जिसने सहकारी संस्था के माध्यम से 300 वर्ग गज जमीन की अनुमति लेनी चाही थी उसे इस बात पर अनुमति नहीं दी गई कि वह नकली संस्था है। आन्ध्र प्रदेश में केवल एक ही संस्था को नहीं, बल्कि सैकड़ों आवास संस्थाओं को इस आधार पर अनुमति नहीं दी गई कि वे संस्थाएं जाली हैं उन गरीब लोगों, जिनके पास 300 गज जमीन नहीं थी, को अनुमति नहीं दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं······** 1,50,000 वर्ग गज की अनुमति ले ली ? (व्यवधान) समवर्ती सूची का यह अर्थ तो नहीं कि राज्य सरकार अपने ही हितों के लिए नियम बनाएगी। (व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दस्तावेजों को देखूंगा।

श्री के० एस० राव : जो मैं बताना चाहता हूं, वह यह है कि पारस्परिक समझ के कुछ लक्षण तो होने ही चाहिए। यह पूर्णतः संगत है। यह असंगत नहीं है। समवर्ती सूची के अन्तर्गत अधिनियम नागरिकों के हित में ही बनाया जाना चाहिए, न कि अपने हाथों में शक्ति का केन्द्रीकरण करने के लिए। (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है? पिछले दो वर्षों के दौरान नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को लेकर मन्त्रिमण्डल में ही झगड़ा चल रहा है।

[हिन्दी]

कोई बोलता है एबोलिशन करो और कोई कुछ बोलता है। (व्यवधान) अर्बन सीलिंग एक्ट को निकालो भई, अगर एन० टी० रामाराव उसके माफिक लाभ उठा रहा है, तो उसको निकालो।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के संशोधनों का नागरिकों के कल्याण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों पर शासन कर रहे कुछ व्यक्तियों के निजी हितों के लिए किया जा रहा है··· (व्यवधान) विपक्ष द्वारा शासित कुछ राज्यों की सरकारों के अनेक प्रमुख यह रुख अपना रहे हैं। यह केवल जाली है। यह हर पहलू से सच नहीं है। लेकिन जहां कुछ सत्यता है, उस पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। मैं आपस में अच्छी समझदारी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे संबंध शक्ति तथा राजस्व को बराबर शेयर करने के बारे में अच्छे हों। सुचारू रूप से कार्य तभी होगा जबकि राज्य का प्रत्येक नेता इस तरीके से सोचे। जब कोई केन्द्र से किसी चीज की अपेक्षा करता है, तो उसे इसे जिला परिषदों और निचली संस्थाओं को भी देना चाहिए। हम केवल तभी केन्द्र और राज्यों के बीच सही प्रकार का सम्बन्ध बना सकते हैं। हममें से प्रत्येक को उचित प्रकार के सम्बन्धों, शक्ति के विभाजन और अन्य मामलों का एकमत से समर्थन करना चाहिए।

महोदय, मैं ऐसी भावना पैदा नहीं करना चाहता कि आपने सामान्य रूप से मुझे जितना समय दिया है, मैं उससे अधिक समय ले रहा हूं। न्यायमूर्ति सरकारिया को बधाई देते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि उन्होंने इस तथ्य को अवश्य ध्यान में रखा होगा कि देश पर एक पार्टी का शासन नहीं है—निस्संदेह यह गलत नहीं है। किन्तु उन्हें उन क्षेत्रीय दलों की प्रवृत्तियों को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए जो केवल मत और सत्ता में बने रहने तथा सभी चीजों का निजी हितों की पूर्ति के लिए उपयोग करने के लिए प्राप्त करने के लिए धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं।

श्री हेत राम (सिरसा) : महोदय आजादी से अब तक 40 वर्ष बीत गए हैं, किन्तु खाना, मकान और उचित शिक्षा को तरसता गरीब आदमी इन्हें प्राप्त नहीं कर सका है। इससे पता चलता है केन्द्रीय सरकार राज्य के हाथों को रोक रही है ताकि संविधान तन्त्र जनता को समुचित ढंग से जीवन-यापन करने में सहायता करने के लिए उस तक न पहुंच पाये। संविधान और सरकार का उद्देश्य आम जनता का कल्याण करना था। किन्तु जब हम अपने आसपास देखते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग हर प्रकार से कष्ट भोग रहे हैं। यह निम्न से निम्नतर होता जा रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएं हैं किन्तु जनता को ये उपलब्ध नहीं हैं। और तो और जो अनुसूचित जाति के लोग

हैं और जिनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्ति में भाग है, उन्हें यह नहीं दिया गया है। आज कल यह बात जोरों पर है कि पंचायती व्यवस्था को विकसित किया जा रहा है। किन्तु ऐसा चालीस साल बाद क्यों किया जा रहा है ? अनुसूचित जातियों को शक्ति प्रदान क्यों नहीं की गई है। उन्हें इस व्यवस्था से शक्ति प्राप्त क्यों नहीं हुई। यह केवल केन्द्र और राज्यों के बीच गलतफहमी पैदा करना है। और वे लड़ रहे हैं। जब केन्द्र को निधियों की जरूरत होती है, यह फिजूलखर्ची करके निधियों का दुरुपयोग करता है। और यह गरीब जनता को धन प्रदान नहीं करता जो बाढ़ अथवा प्राकृतिक विपदाओं के कारण कष्ट में हैं। प्राकृतिक विपदाओं के तीन चार महीने बाद केन्द्रीय सरकार विमान से सर्वेक्षण करने और यह देखने के लिए अपना दल भेजती है कि क्या वहां कुछ आनन्ददायक है। किन्तु यह सत्य नहीं है। दरअसल हमारे तन्त्र को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि आम जनता को लाभ पहुंच सके। किन्तु ऐसा नहीं किया जाता। इसका मूल कारण क्या है ? यह केन्द्रीय सरकार का निरंकुश शासन है क्योंकि अब केन्द्रीय सरकार 80 प्रतिशत से अधिक संसाधनों पर, कुल ऋणों के 80 प्रतिशत से अधिक भाग पर नियंत्रण किये हुए हैं जो जनता से एकत्र किया जाता है। केन्द्रीय सरकार विदेशी एजेंसियों से अनुदान अथवा ऋण के रूप में जो भी प्राप्त करती है उसका उपयोग केन्द्रीय सरकार की इच्छा के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की दया पर निर्भर हैं। वे भीख का कटोरा लेकर आती हैं और कहती हैं, "विपदा आ गई है, कृपया हमें कुछ दीजिए, कृपया हमें दीजिए ताकि हम राज्य की गरीब जनता का पोषण कर सकें।" केन्द्रीय सरकार में दूरदर्शिता के अभाव के कारण केन्द्र-राज्य सम्बन्ध इस प्रकार के हो गए हैं। जनता के लिए जिस संवैधानिक तन्त्र की पेशकश की गई थी, वह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है।

3.38 म०प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

आज भी गांवों में विद्यार्थियों के लिए ठीक प्रकार की स्कूली इमारतें नहीं हैं और छात्र शिक्षा से और लोग घरों से वंचित हैं। केन्द्र की रचना किन अवयवों से होती है ? केन्द्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और केन्द्र के मन्त्रियों से बनता है। बीच में राज्यपाल है। सरकारिया आयोग ने कहा है कि राज्यपाल किसी राजनीतिक दल का नहीं होना चाहिए अथवा ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए जो राजनीति में सक्रिय हो। मैं नहीं समझता की राजनीति किसी को भ्रष्ट कर रही है। किंतु न्यायमूर्ति सरकारिया का भी दोष नहीं है क्योंकि आज हमारे जो राज्यपाल हैं, वे उस स्तर के नहीं हैं जिसके अनुरूप उन्हें होना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों और जनता की दुर्गति कर दी है। इस गरीब देश को केवल राज्यपाल की कार्यवाहियों के कारण ही आंध्र प्रदेश में बेबात उपचुनावों का बोझ सहना पड़ा। इस धन को देश और उसकी जनता की समृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हरियाणा के राज्यपाल ने भी देवीलाल सरकार की तबाही कर दी है। राज्य सरकार को ठग दिया गया। सभी लोगों को एक दल से दूसरे दल में भेज दिया गया और किसी को सरकार बनाने की इजाजत दे दी गई। राज्यपाल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। वे व्यावहारिक रूप से राजनीतिज्ञ हैं और उनके कोई मानदण्ड नहीं हैं। वे शुद्ध रूप से दलगत राजनीति पर चल रहे हैं। उन्हें केवल राजनीति के कारण, न कि चरित्र, नैतिकता, अच्छी पृष्ठभूमि अथवा महानता को ध्यान में रखकर हटाकर राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है।

एक राजनीतिज्ञ भी एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल प्रो० नुरुल हसन ने बहुत सुचारू रूप से कार्य किया था और पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच कोई समस्या नहीं थी। किन्तु अन्य राज्यों में समस्या जारी है। जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में यह

[श्री हेत राम]

समस्या थी, श्री धर्मवीर के समय प० बंगाल में यह समस्या थी। इन दोनों के बीच सदा ही यह कलह होती रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल सोचता है कि वह केन्द्रीय सरकार के मालिकों के चाहने पर वहां है वे जब तक खुश हैं, वह वहां रहेगा और जैसे ही वे नाखुश होंगे, वे उसका स्थानान्तरण कर देंगे अथवा निकाल बाहर कर देंगे। राज्यपाल का पद सुरक्षित नहीं है और इसलिए वह केन्द्र सरकार के हाथों की कठपुतली है। केन्द्रीय सरकार का अर्थ केवल मन्त्रिपरिषद से है। हालांकि वस्तुत: उसे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया जाता है, किन्तु वस्तुत: उसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है।

हमें हल निकालना है। संविधान कहता है कि राज्य सरकारों और राज्यपाल के कार्यकरण के बीच कोई सम्बन्ध होना चाहिए ताकि केन्द्रीय सरकार को राज्यों की स्थिति की जानकारी रहे। यह जरूरी है और इसे समाप्त न किया जाए। किन्तु ऐसे व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए जो तुच्छ राजनीति से उठा हुआ हो, जो सुसंस्कृत हो और जनता को स्वीकार्य हो। यदि इसके लिए मुख्यमन्त्री से परामर्श किया जाये, तो इससे कोई हानि नहीं होगी क्योंकि मुख्यमन्त्री कोई पाकिस्तानी या विदेशी नहीं है। वह भारत का अभिन्न अंग है। वह भी भारत का कल्याण चाहता है। आप यह नहीं सोच सकते कि केवल प्रधान मन्त्री ही देशभक्त है और मुख्यमन्त्री देशभक्त नहीं है। उन्हें भी राज्यों का शासन करना है। वे भी यही सोचते हैं कि यह राष्ट्रीय हितों और अखण्डता के विरुद्ध न हो। मुख्यमन्त्री भी प्रधान मंत्री अथवा केन्द्रीय सरकार की भांति राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। आपको मुख्यमन्त्रियों की निष्ठा पर इस बात को लेकर शंका नहीं करनी चाहिए कि वे ऐसा कुछ करेंगे जो राष्ट्र के हित के विरुद्ध होगा। आपको मुख्यमंत्रियों पर भरोसा करना ही होगा। मेरा कहना है कि जैसाकि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि मुख्य मंत्रियों से भी परामर्श किया जाना चाहिए।

हमने लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दिन ब दिन क्षीण किया जा रहा है, कम से कम मुख्यमन्त्रियों, जो राज्य के कार्यपालक प्रमुख है, की नियुक्ति के मामले में तो ऐसा ही हो रहा है। विशेषकर कांग्रेस दल द्वारा शासित राज्यों में मुख्यमन्त्रियों का कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं है। आज उसे वहां मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जाता है और कल उसको केन्द्र में ले जाया जा सकता है और अगले दिन सुबह उसके जागने पर उसे बताया जा सकता है कि उसे उत्तर प्रदेश, बिहार अथवा मध्य प्रदेश का मुख्यमन्त्री बना दिया गया है। इस प्रकार वह हमेशा यही सोचता रहेगा कि केन्द्र के मालिकों को कैसे खुश रखा जाये। वह यही सोचता है कि राज्य के हित भाड़ में जायें, उसके केन्द्रीय सरकार में बैठे मालिक खुश रहने चाहिये। बिहार, और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में यही हो रहा है।

बिहार में कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जातियों के कुछ लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। लगभग नौ महीने पूर्व इस महान सभा में प्रवेश करने के बाद मैं यह सुन रहा हूं कि बिहार में नृशंस हत्याओं का दौर जारी है। बिहार में भी कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार शासन कर रही है। किन्तु फिर भी हमेशा नृशंस हत्याएं जारी हैं। कोई समाधान नहीं है। जब तक उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, डा० अम्बेडकर, पं० जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे हमारे महान नेताओं का स्वप्न साकार नहीं होगा। केवल यहां यह कहकर कि हम पंचायती राज प्रणाली का विकास करने वाले हैं, आप उनके हितों का ध्यान नहीं रख सकते; आपको इस बारे में महात्मा गांधी के इस कथन को याद करना होगा, "भारत की गरीब से

गरीब जनता भी यही सोचे कि वे भारत के हैं और भारत उनका है।

अब जहां तक हरियाणा का सम्बन्ध है, सतलुज-यमुना जोड़ नहर हरियाणा की कृषि के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शुष्क भूमि को पानी नहीं मिल रहा है। इस नहर को तैयार करने का लक्ष्य दस बार निर्धारित किया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव किया है, किन्तु इसे भी स्वीकार नहीं किया गया है जबकि विश्वविद्यालय के नामकरण में कोई खर्च नहीं आता। पता नहीं इसके लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है। संजय गांधी का देहांत हो जाने पर अनेक गलियों और स्थानों का नामकरण उसके नाम पर कर दिया गया था जबकि भारतीय राजनीति व्यवस्था में उसकी कोई हस्ती नहीं थी। और तो और अगरोहा स्थित मेडिकल कालेज के लिए केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी नहीं दी है जबकि इसके लिए निधियां राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं। करनाल तेल शोधक कारखाना बहुत समय से स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। भूमि ले ली गई है, किंतु अर्थक्षमता और व्यवहार्यता सम्बन्धी रिपोर्टें नहीं आई हैं। भगवान जाने ये रिपोर्टें कब आयेंगी और इसका निष्पादन कब होगा। केन्द्रीय सरकार इस तरह से काम कर रही है। वह सहयोग नहीं दे रही। भारत राज्यों का संघ है न कि फैडरेशन इसलिए राज्यों को केन्द्र से भीख नहीं मांगनी चाहिए। देश के संसाधनों में उनका अपना हिस्सा होना चाहिए। सरकारिया आयोग ने कहा है कि राज्यों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सामूहिक (कारपोरेट) और अधिशुल्क कर को राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। मुख्य विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि राज्यों के पास है। केवल प्रतिरक्षा का प्रमुख विभाग केन्द्र के पास है जबकि अधिकांश संसाधन केन्द्र सरकार के पास हैं और राज्य सरकारों को भीख का कटोरा लेकर केन्द्र के पास आना पड़ता है। मैं केन्द्र और राज्यों के बीच युक्ति संगत सम्बन्ध स्थापित करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस प्रणाली में सामान्य जनों को भी अपनी बात कहने का मौका मिल सके। केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध मधुर होने चाहिएं और उसे लोगों के, न कि केन्द्र अथवा राज्यों के सत्ताधारियों के हित में होना चाहिए।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, विश्व भर में संघवाद सामान्य हितों के मामलों पर संघ सरकार और उसके संघटक एककों के बीच सहयोग प्राप्त करने की समस्याओं से ग्रस्त है। यहां तक कि भारत में ब्रिटिश राज्य में प्रांतीय सरकारों और संघ सरकार के बीच मतभेद थे इसलिए संघवाद के तत्व को शामिल करते समय उन्होंने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 135 के अन्तर्गत इस प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए ऐसे तंत्र की व्यवस्था की थी।

महोदय, हमारी जैसी राज्य व्यवस्था में जिसमें अनेक विभिन्नताएं हैं वहां पर नीतियों का समन्वय और उनका क्रियान्वयन विशेष रूप से सामान्य हित के विशाल क्षेत्रों और संयुक्त कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्थिक प्रगति, प्रौद्योगिक विकास और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के साथ जनहित के नये क्षेत्र बढ़ते हैं और इनसे जो समस्याएं पैदा होती हैं उन्हें सरकारी यहां तक कि मंत्रिमंडल स्तर पर भी आसानी से हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए धारा 163 के अन्तर्गत आयोग द्वारा सिफारिश किए गए केन्द्र-राज्य परिषद जैसे तंत्र का होना जरूरी है, यह बात सच है कि राष्ट्रपति को अन्तः राज्य परिषद नियुक्त करने की प्रदत्त शक्ति का स्वास्थ्य बिक्री-कर आदि के क्षेत्र में सीमित प्रयोजन के अलावा कोई उपयोग नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार के अन्तः राज्य परिषद में प्रधान मंत्री को चेयरमेन नियुक्त करने का सुझाव देते समय सरकारिया आयोग का निर्णय सही था। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी ऐसी ही सिफारिश की गई थी। चूंकि इस प्रकार का तंत्र संघ और राज्यों के बीच संतोषजनक संबंध स्थापित करने के लिए

[श्री वाई० एस० महाजन]

आवश्यक है। विशेष रूप से उस समय जब विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा उन्हें शासित किए जाने की सम्भावना हो। परिषद के पास स्वतंत्र और पर्याप्त सचिवालीय समर्थन होना चाहिए और उसे अपनी प्रक्रिया चालन के तरीकों का पता लगाना चाहिए। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा दिये गए सुझाव बहुमूल्य हैं।

संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक सम्बन्धों में राज्यपाल की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। हाल में इस पद की कड़ी आलोचना हुई और यहां तक कि कुछ लोगों ने इस कथित आरोप पर कि कुछ राज्यपाल निष्पक्षता के गुणों को अथवा उनसे अपेक्षित निष्पक्षता दर्शाने में असफल रहे हैं अथवा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का पालन करने में उन्होंने आवश्यक वस्तुनिष्ठा नहीं दर्शाई है, इस पद को समाप्त किए जाने की मांग की है।

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की अधिकांश आलोचना का मूल कारण पक्षपात और ऐसा कहने वालों का इकतरफा दृष्टिकोण है।

दूसरे संविधान के ढांचे के अन्तर्गत राज्यपाल के पद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सरकारिया आयोग ने कहा कि हमारी संवैधानिक प्रणाली और उसके कार्य चालन में वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राज्य के संवैधानिक ढांचे में वह धुरी की कील है। वह आवश्यक किस्म के अनेक कार्य करता है। वह आम चुनावों के बाद सबसे पहले मुख्य मंत्री का चुनाव करता है। यह कार्य उस समय बहुत कठिन और जटिल बन जाता है जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में नहीं होता है। दूसरे वह राज्य के मुखिया की तरह कार्य करता है तथा सामान्य समय के दौरान कुछ चुने हुए क्षेत्रों में और असामान्य समय के दौरान अनेक क्षेत्रों में संघ के एक एजेन्ट की तरह कार्य करता है। इस प्रकार वह संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि अधिकांश आलोचना राज्यपालों के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के गुण और स्तर की हुई है। ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि वे पक्षपात करते हैं अथवा उन पार्टियों के प्रति दुर्भावना रखते हैं जिस पार्टी में वे नहीं होते हैं और इस प्रकार का व्यवहार संसदीय लोकतंत्र के लिए बाधक है और राज्य की स्वतंत्रता से हटकर है। इस सम्माननीय पद पर व्यक्तियों का चयन करते समय पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्द हमेशा याद आते हैं। संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था "मेरे विचार से बेहतर यह होगा कि वह राज्य की स्थानीय राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ न हो।" उनके विचार से एक वह बाहर का असंयुक्त व्यक्ति होना चाहिए जो पार्टी तंत्र का भाग न हो और जीवन के किसी क्षेत्र में प्रख्यात हो।

सभी किस्मों के लोकतंत्र में किसी बहुस्तरीय सरकार में वित्तीय संबंध निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। जब मामले पर समझबूझ और सोच विचार कर कार्य नहीं किया जाता इससे कठिन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारे देश में कुछ राज्यों ने अपने यहां से साधनों की कमी होने की शिकायत की है और संघ सरकार के राजस्व से अधिक अंश पर दावा किया है। उन मामलों को वित्त आयोग जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है और योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निबटाया जाता है। वित्त आयोग प्रत्येक पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। जब योजना आयोग एक स्थायी निकाय है। यद्यपि वह संघ सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा गठित किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरित किए गए कुल संसाधनों में से 40 प्रतिशत वित्त आयोग की सलाह से हस्तांतरित किए गए थे और 43 प्रतिशत योजना आयोग की सलाह पर

इनके अलावा कुल के 16 प्रतिशत का हस्तांतरण संघ सरकार द्वारा किया गया था। यह संसाधनों अथवा कराधान शक्तियों के विभाजन की संवैधानिक योजना और वित्त तथा योजना आयोगों की सलाह पर हस्तांतरण प्रणाली ने बहुत अच्छा कार्य किया है। राज्यों के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि वे अपने संसाधनों का पूरा दोहन करें और अपने वित्तीय साधनों का प्रबन्ध अधिक सावधानी पूर्वक करें। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनको भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेने अथवा केन्द्र की ओर मदद के लिए ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो दलगत प्रतिबद्धता के बिना हमेशा प्रदान की गई है।

सरकारिया आयोग की नियुक्ति अथवा राज्यों को अधिक राजनैतिक स्वायत्तता अथवा वित्तीय शक्तियां या यहां तक कि केन्द्र से अलग होने की मांग करने वाले ऐसे समूहों के उत्पन्न होने से की गई थी। आयोग ने संविधान अथवा इस दृष्टि से केन्द्र-राज संबंधों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष और किसी ऐसे विकासशील देश को ध्यान में रखकर जीवन यापन के बेहतरीन मानकों की इच्छा रखता हो, के कार्यकरण पर विचार किया है।

संविधान के निर्माताओं को विभाजन का भयावह अनुभव था जब अकथनीय कष्टों, कंगाली और अत्याचारों से हजारों लोग मर गये थे। पांच नदियों की भूमि अर्थात पंजाब खून और उजाड़ के दृश्यों से भर गया था और चारों ओर हजारों लोगों की लाशें फैली हुई थीं। दूसरे भाग्यवश निर्माताओं के पास एक सशक्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण था। इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि जब भी भारत में केन्द्रीय शक्ति कमजोर पड़ी, भारतवर्ष हमेशा बाहरी आक्रमणकर्ताओं के हाथों शिकार हुआ।

तीसरे, भारत के पास पहले से ही ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत एक एकात्मक सरकार थी यद्यपि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत संघवाद के कुछ तत्व शामिल किए गए थे।

ऐतिहासिक आवश्यकता को महसूस करते हुए और विघटनकारी ताकतों का मुकाबला करने की आवश्यकता को देखते हुए संविधान सभा ने संघीय तत्वों पर जोर देने और साथ ही साथ एक मजबूत केन्द्र पर संविधान स्थापित करने का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया। इस प्रकार भारतीय संविधान ऐतिहासिक अनुभव और एक ऐसी स्थिति का परिणाम है जिसमें भारत की एकता और अखण्डता ने एक अति महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है, जैसा कि आयोग ने कहा है :-

> "संविधान के निर्माताओं ने एक मजबूत केन्द्र के साथ लोकतंत्र गठित करने की दृढ़ धारणा से सरकारी शक्तियों, राज्यों और संघ के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय का व्यापक वितरण किया है। इसे मजबूत बनाने तथा उसे और प्रभाव तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तियों का आवंटन करके संघ को अधिक महत्व दिया।"

यह बात नोट की जानी चाहिए कि शक्तियों का यह विभाजन अविभाज्य नहीं है।

देश के कुछ भागों में भाषाई संकीर्णता कुछ समूहों द्वारा हिंसा का सहारा लेने और संविधानेतर तरीकों और क्षेत्रीय ताकतों के भौंडेपन से उभरने के बावजूद आयोग के शब्दों में अनुभव से पता चला है कि आधारभूत योजना और संविधान के उपबन्ध अपने विकास सम्बन्धी लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वैविध्यपूर्ण समाज के गतिविधियों के अपरिहार्य तनाव को बहुत अच्छी तरह झेल सके हैं।

इसमें पर्याप्त विभिन्नता और लचक है और इसे राज्यों की शक्तियों को बढ़ाकर पुनः और बढ़ावा उचित नहीं होगा। जैसा कि डा० अम्बेडकर ने कहा था। जब किसी दुहरी राजनैतिक व्यवस्था में प्राधिकार के विभाजन से विभिन्नता का सृजन किसी निश्चित बिन्दु से बाहर चला जाता है तो यह

[श्री वाई० एस० महाजन]

अव्यवस्था पैदा कर सकता है।

यद्यपि संविधान में कोई भारी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है आयोग द्वारा संविधान के कार्यकरण में प्रस्तावित परिवर्तन महत्वपूर्ण है। वे सुझाव आचरणसंहिता और परम्पराओं के विकास के लिए हैं जिससे मतभेद कम होंगे और संविधान के कार्यकरण को अधिक सुगम बनाएगा और इससे मजबूत भारत का निर्माण होगा। हम सभी सुदृढ़ संघीय राज्य की कामना करते हैं, एक सुदृढ़ केन्द्र और कमजोर राज्यों की नहीं। यदि हम सरकारिया आयोग के निष्कर्षों को मोटे तौर पर लें न कि व्यापक तौर पर, जिसका आपने विरोध किया है, तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

4.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति जी, सरकारिया कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, उसके अधिकांश हिस्सों को मैंने पढ़ा है और यह पाया कि काफी सिफारिशें स्वागत योग्य हैं और सरकार को जिन सिफारिशों पर कोई भी संघर्ष नहीं है, उन सिफारिशों को तुरन्त ही मान्यता दे देनी चाहिए। इन सिफारिशों के बारे में राज्य सभा में और होम मिनिस्ट्री की कंसलटेटिव कमेटी में भी डिसकशन हो गया। अब यहां पर डिसकशन हो रहा है। उन्नीस राज्यों से सुझाव आ गए हैं। वर्षाकालीन अधिवेशन के अवसर पर जितनी भी सिफारिशें केन्द्र सरकार द्वारा मानने योग्य हैं, उनको मान्यता दे देनी चाहिए। दोनों पक्षों के सदस्यों ने यह राय दी है कि हमारा केन्द्र मजबूत होना चाहिए और राज्य भी मजबूत होने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं कि राज्य और केन्द्र मजबूत हों। विरोधी पक्ष के सदस्य यह प्रयास कर रहे हैं कि राज्य की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई जाएं। हो सकता है कि ये बढ़ जाएं। इससे केन्द्र की स्थिति मजबूत नहीं होगी। यह बड़ा भारी खतरा है। इसलिए यह सोचने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार केन्द्र को और राज्यों को मजबूत करें। यह बड़ा गम्भीर विषय है। अगर कुछ राज्य कमजोर भी हों तो हर सूरत में केन्द्र मजबूत होना चाहिए। अगर केन्द्र मजबूत नहीं रहता है तो देश की सुरक्षा नहीं हो सकती, आजादी खतरे में पड़ सकती है। अगर राज्य कुछ कमजोर भी हों तो केन्द्र को मजबूत होना ही चाहिए और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउन्ड होनी चाहिए। अगर केन्द्र मजबूत नहीं हुआ तो देश का जो गौरव है, जो प्रतिष्ठा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा और हमारी जो शक्ति है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। सन् 47 से लेकर हमने बीस साल शासन किया। उस वक्त गवर्नर्स की पावर्स के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं था क्योंकि सभी प्रदेशों में कांग्रेस सरकारें थीं। सन् 67 में राज्यों में विरोधी पार्टियों की सरकारें आई···

प्रो० मधु दंडवते : केन्द्र में 90 में आएंगी।

जब हम गवर्नर्स को अपाइन्ट करें तो उसके लिए नार्म्स नहीं होने चाहिए यह हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए सरकारिया कमीशन ने जो कुछ भी गाइडलाइन्स दी है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि ऐमीनेंट परसन होना चाहिए, लिटरेट हो और उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह कहा गया कि राजनीतिज्ञ न हो। क्या राजनीतिज्ञ विद्वान नहीं होता। उसे तो प्रशासन का ज्ञान होता है। इस प्रकार का राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा न हो। जो जनता की नजरों में गिरा हुआ हो और कांग्रेस में भी कहीं स्थान न रखता हो उसको हम राज्यपाल

नियुक्त कर देते हैं तो विरोधी सरकारें और अन्य राज्यों की सरकारें उसको पसन्द नहीं कर सकतीं। इसलिए यह जरूरी है कि उनकी नियुक्ति सोच-समझकर की जाए। राज्यपाल को कई काम करने पड़ते हैं, कभी-कभी राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उसको डिसमिस करने की बात उठती है। कभी-कभी राज्यों में बहुमत का प्रश्न आता है तो इसके बारे में सरकारिया आयोग ने तय किया है कि यह मामला विधान सभा के अन्दर मीटिंग बुलाकर तय किया जाना चाहिए। अगर कोई मुख्य मंत्री नियुक्त होता है, वह सबसे बड़ी पार्टी का नेता है जो उसके लिए जरूरी है कि तीस दिनों के अन्दर विश्वास मत हासिल करे। ये सुझाव जो प्रस्तुत किये गये हैं, मानने योग्य हैं। लेकिन यह बात मानने के काबिल नहीं है कि हम राज्यपाल को आर्टिकल 311 को लागू करके हटाएं, उसको हम नोटिस दें और कारण बताओ नोटिस देकर हटा दें। वह कोई सरकारी नौकर नहीं है। इसलिए यह प्रस्ताव मानने लायक नहीं है। अब मैं अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं के लोग राज्यों में काम कर रहे हैं तो उस राज्य सरकार और केन्द्र के नौकरशाहों के बीच एक विवाद पैदा हो गया है। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राज्य सरकारों के अनुशासन में नहीं रहना चाहते, वे कहते हैं कि हम केन्द्र की सर्विस में हैं और प्रदेश सरकारों को उन्हें निलम्बित करने का अधिकार नहीं है या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अनुशासन में न होने के कारण उनमें भी भ्रष्टाचार फैल गया है और वे लोग संगठित हैं इसलिए उनके विरुद्ध एक्शन लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। आई० ए० एस० और आई० पी०एस० अधिकारी अगर भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनके विरुद्ध एक्शन लेने में बहुत कठिनाई आती है। उसके लिए पहले केन्द्र सरकार को लिखना पड़ता है और केन्द्र सरकार भी उनके खिलाफ कदम नहीं उठाती है। जब हम अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अनुशासन में रखेंगे और उनके विरुद्ध एक्शन नहीं लेंगे तो भ्रष्टाचार की ओर ये बढ़ते जाएंगे। बहुत-सी पावर्स आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के अधिकारियों को दी गई हैं इसलिए उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा है। यह एक चिन्ता का विषय है और सोचने का विषय है कि किस प्रकार प्रदेश सरकारों को उनके निलम्बन करने के अधिकार मिलें। बहुत से अधिकारियों ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधीन राज्यों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं और वे मैरिट के आधार पर स्टैंड करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं कृषि, सहकारिता और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हों, शिक्षा के भी क्षेत्र में होनी चाहिए। तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि इनमें भी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होने से और मैरिट के आधार पर होने के कारण इनका प्रशासन अच्छे ढंग से चलेगा। मैं राजस्थान की बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक, निदेशक यह बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट्स हैं, लेकिन यह अखिल भारतीय सेवाओं के अन्दर नहीं आती हैं, इनमें लोग प्रमोशन से आते हैं और इसमें जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग साइड के बारे में भी अखिल भारतीय सेवाओं के लोग आने चाहिए। इसके लिए आपको तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकारिया आयोग ने अन्तर्राज्यीय कौंसिल के बारे में भी सुझाव दिया है। यह होना बहुत आवश्यक है। बहुत से राज्यों के अपने पड़ोसी राज्यों से काफी झगड़े हैं ··रीवर्स के संबंध में बहुत से स्टेट्स में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर में जो इंडस्ट्रीज स्थापित करती है, उसमें भी कुछ क्षेत्र काफी आगे चले गये हैं। और कुछ पीछे रह गए हैं। राजस्थान चाहता है कि कोच इंडस्ट्री उनके यहां लगाई जाये, दूसरे स्टेट चाहते हैं कि वह इंडस्ट्री वहां लगे। कुछ स्टेट्स में तो पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज सैंटर की तरफ से बहुत ज्यादा स्थापित की गई है, कुछ स्टेट्स को बिल्कुल इगनोर कर दिया गया है। इस

प्रो० मधु दंडवते]

तरफ सोचने की आवश्यकता है क्योंकि इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ता है। पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज के संबंध में जितने डिस्प्यूट्स हैं, उन्हें डिसाइड करने के लिये प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैन शिप और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को मैम्बर के रूप में शामिल करके जो इंटर-स्टेट कौंसिल निर्माण करने का सुझाव दिया गया है, मैं उससे सहमत हूं क्योंकि इस तरह के डिस्प्यूट्स का निपटाया जाना बहुत आवश्यक है।

यदि हम देश में एकता और अखण्डता चाहते हैं तो उसके लिये राष्ट्र का मजबूत होना आवश्यक है। मजबूत राष्ट्र के लिये केन्द्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है। हमारा केन्द्र मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि गत साल राजस्थान में जो भयंकर सूखा पड़ा, केन्द्र मजबूत होने के कारण ही हमें उसका मुकाबला करने के लिए 585 करोड़ रुपये की सहायता मिली और राजस्थान सरकार उस विपत्ति का सफलतापूर्वक सामना कर पाई। यदि सूखा या ड्राउट का मुकाबला करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी जाये तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वे असामयिक विपदाओं का बिना किसी केन्द्रीय मदद के सामना कर सकें, भले ही आप उन्हें कितनी फाइनेंश्यल पावर डेलीगेट कर दें, उनकी सामर्थ्य बढ़ा दें परन्तु वे फैमीन का अकेले मुकाबला नहीं कर सकतीं। फैमीन, फ्लड और भूकम्प आदि प्राकृतिक समस्याओं का सशक्त केन्द्र होने पर ही मुकाबला किया जा सकता है, और इन समस्याओं को अच्छी तरह हल किया जा सकता है।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि गाडगिल फार्मूले में समय की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाये। क्योंकि हमारे कुछ राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं परन्तु कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं। गाडगिल फार्मूले में ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि सभी राज्य समान रूप से प्रगति कर सकें। इसके लिये आप उस राज्य के क्षेत्रफल को मापदण्ड बनाएं क्योंकि जब हम राजस्थान में सड़कें बनाते हैं तो उनकी लम्बाई अधिक होने से, उन पर खर्चा ज्यादा आता है। हम हर गांव तक पीने का पानी पहुंचाना चाहते हैं तो गांव दूर-दूर स्थित होने के कारण उसमें भी खर्चा ज्यादा आता है। ये ऐसे काम हैं जो विकास के लिये बहुत जरूरी हैं, सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। क्षेत्रफल को आधार मान कर उस राज्य को पैसे का आवंटन किया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन किया जाना नितान्त आवश्यक है। तभी हम समान रूप से विकास कर पाएंगे। दूसरे हमारे किसी प्रान्त में फैमीन आने पर एडवांस काम के लिए राशि दी जाती है, फ्लड के लिये नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर होता है परन्तु दोनों विपत्तियों में सहायता देने का मापदण्ड भिन्न है। फैमीन में 50 परसेंट अनुदान और 50 परसेंट लोन के रूप में धनराशि दी जाती है, जबकि स्थिति विकट हो। मैं समझता हूं कि इसी कारण हमारे बहुत से राज्य जो किसी-न-किसी प्राकृतिक विपत्ति से प्रभावित रहते हैं, ऋण से दब गये हैं और उनकी स्थिति दिन-पर-दिन खराब होती जा रही है। इसलिए समय की आवश्यकता को देखते हुए हमें फ्लड, फैमीन और भूकम्प की स्थिति में समान मापदण्ड के आधार पर सभी स्टेट्स को राशि देनी चाहिए, फैमीन में भी 75 परसेंट नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर खर्च करना चाहिए।

बहुत-सी योजनाएं क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिये बहुत आवश्यक हैं, जैसे हमारे राजस्थान के लिये डैजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिये 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस राशि में कटौती कर दी गई और मुश्किल से अब तक 100 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ होगा। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में कटौती नहीं की जानी चाहिए बल्कि ज्यादा-से-ज्यादा पैसा उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय

संतुलन को बनाये रखना चाहिए। वैसे ही बोर्डर एरियाज डैवलपमैंट प्रोग्राम है, उसके लिए भी 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, मगर वह राशि भी अभी तक खर्च नहीं की गई। कहने का मतलब यह है कि हम क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिये जो कदम उठाते हैं, वे ठोस कदम होने चाहिए और इस उद्देश्य के लिये जो राशि निर्धारित की जाये, उसे किसी भी स्थिति में काटा न जाये। ऐसे प्रोग्राम्स के जरिये ही राजस्थान अन्य प्रदेशों के बराबर आ सकेगा और राष्ट्र की उन्नति, एकता और अखण्डता में सहयोग देगा।

इन शब्दों के साथ सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का मैं स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार उन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पग उठाये, जल्दी-से-जल्दी अपनी सहमति दे ताकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित हो सकें।

[अनुवाद]

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला): सभापति महोदय, केन्द्र-राज्य सम्बन्धों अथवा केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों के पुनर्गठन पर हुए वाद-विवाद और चर्चा इस देश के लोगों का ध्यान पिछले दो दशकों से आकृष्ट कर रहे है क्योंकि जब संविधान बना था संविधान निर्माताओं ने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कार्य किया था। 40 वर्ष गुजर जाने के बाद इस देश की सामाजिक, वित्तीय, आर्थिक, आर्थिक परिस्थितियों में भारी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इसलिए इस देश के सभी कोनों और क्षेत्रों से मांग की जा रही है कि राज्यों को अधिक शक्तियां दी जाएं क्योंकि उनके अपने क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए ऐसा किया जाना उचित है।

इसी सन्दर्भ में सरकार ने सरकारिया आयोग नियुक्त किया था और आयोग को वर्तमान प्रणाली के पुनर्गठन के लिए सिफारिश करने का अच्छा अवसर मिला था। यह जरूरी है, यह उस बात से भी देखा जा सकता है कि अब तक संविधान में 62 संशोधन किए जा चुके हैं, जब भी हमने परिवर्तन करना जरूरी समझा, परिवर्तन किए हैं। परन्तु मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए खेद होता है कि सरकारिया आयोग इस अवसर का उपयोग नहीं कर सका और वह भ्रमित हो गया तथा ये सिफारिशें संतोषजनक स्तर की नहीं है और निराशाजनक है।

जब राज्यों के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग की जाती है तो मेरे मित्र कभी-कभी चिन्तित हो उठते हैं। वे महसूस करते हैं और संभवत: उन्हें आशंका भी है और उनके मन में यह भय होता है है कि जब राज्य ताकतवर होंगे, जब राज्यों को अधिक अधिकार मिलेंगे तो इससे समग्र राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। परन्तु मैं कहता हूं कि उनका भय निराधार है, काल्पनिक है। यदि राज्य सुदृढ़ होंगे और यदि वे ताकतवर हैं तो राष्ट्र कैसे कमजोर हो सकता है? यह बहुत ही आश्चर्य की बात है।

क्या मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछ सकता हूं कि विश्व में बहुत से देश हैं जहां राज्यों को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं उन देशों के राज्यों को हमारे यहां के राज्यों से कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त हैं—क्या वे देश विखंडित हो रहे हैं? क्या उन राष्ट्रों का राज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है?

हमारी सरकार शोर तो बहुत करती है और इसी बात को कहती रहती है कि, "हम देश में पंचायतों को ज्यादा अधिकार प्रदान करके, चाहे वे प्रशासनिक अथवा वित्त सम्बन्धी अधिकार हों, निचले स्तर तक लोकतन्त्र लाना चाहते हैं।"

[श्री चरनजीत सिंह वालिया]

क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या वे इसके प्रति ईमानदार हैं ? क्या वे सुदूर नियन्त्रण द्वारा राज्यों को नियंत्रित करना चाहते हैं ? यदि वे महसूस करते हैं कि पंचायतों को अधिक शक्तियां देकर निचले स्तर पर अधिक विकास होगा तो अब वे राज्यों को अधिक शक्तियां देने से इन्कार क्यों कर रहे हैं। जबकि राज्य उनकी मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ वे केन्द्र से अधिक शक्तियों की मांग कर रहे हैं। इसमें राज्यों की क्या गलती है। जब हम मांग करते हैं तो हम शक्तिशाली केन्द्र और देश की मांग करते हैं तो इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं करता है। केन्द्र के पास विदेशी मामले, सुरक्षा, संचार जैसे विभाग हो सकते हैं। और राज्यों के बेहतर विकास के लिए वे केन्द्रीकरण को समाप्त करके शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर सकते हैं ताकि क्षेत्रों और राज्यों का समुचित विकास किया जा सके। मेरे विचार से इस उद्देश्य के लिए सरकारिया आयोग ने कोई न्याय नहीं किया। यह केन्द्र में शक्तियों का केन्द्रीकरण है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र और गैर-कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों में मत-भेद पैदा हुए हैं क्योंकि छोटी-छोटी बातों की मंजूरियों के लिए उन्हें केन्द्र के पास जाना पड़ता है। सम-वर्ती सूची भी छोटी होती जा रही है और केन्द्र का अधिकार बढ़ता जा रहा है और समवर्ती सूची के विषयों अथवा मामलों से सम्बन्धित विधेयकों को रोका जा रहा है। मेरे विचार से राज्यों को अधिक शक्तियां देना देश के हित में है और इससे देश की एकता और अखण्डता को कोई हानि नहीं होगी बल्कि इससे देश मजबूत होगा और राज्यों के लोग खुश होंगे तथा राज्यों को मजबूत करने के लिए अधिक कार्य करेंगे।

राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग ने कुछ किया है और राज्यों के राज्य-पालों के चयन के सम्बन्ध में कुछ शर्तें रखी है। वह बिल्कुल ठीक हैं और ऐसा होना भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो केन्द्र में सत्तारूढ़ दल का सक्रिय राजनीतिक नेता हो उसे उस राज्य में नियुक्त नहीं करना चाहिए जहां दूसरे दल की सरकार है क्योंकि इससे मतभेद पैदा होंगे और असामंजस्य बढ़ेगा और इससे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ेगा। दल के हितों को ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति बाधाएं उत्पन्न करेगा। जैसाकि केरल, बंगाल आदि में अनुभव किया जा रहा है, राज्यपाल केन्द्र का प्रतिनिधि होता है। वे राज्यों पर नजर रखने वाले केन्द्र के प्रतिनिधि ही नहीं है बल्कि राज्यों के प्रमुख भी हैं। इसलिए राज्यों और देश के कार्यकरण के हित में राज्य सरकारों और केन्द्र के बीच आपसी विश्वास, सामंजस्य और सद्भावना होनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्यों में राजनीतिक हितों का विरोध करने वाले व्यक्ति राज्यपाल न बनाए जाएं।

सरकारिया आयोग ने स्वयं भी ऐसा महसूस किया है और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अनुच्छेद 356 का अक्सर दुरुपयोग किया गया है। मेरे विचार से इस अनुच्छेद को हटा देना चाहिए ताकि राज्यपाल इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करते हुए राज्य में सत्तारूढ़ दल को हानि न पहुंचा सके क्योंकि अतीत में कुछ राज्यपालों ने राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए अपक्षपात और समझदारी का परिचय नहीं दिया है।

अन्त में मैं जोर देकर इस बात का समर्थन करूंगा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश मज-बूत हो तो केन्द्र को शक्तियों के केन्द्रीकरण की नीति को छोड़ देना चाहिए और अपने मस्तिष्क से इस डर को निकाल देना चाहिए कि राज्यों को शक्तियां देने से देश कमजोर होगा। ऐसा डर आधारहीन है। सरकार हमेशा कहती है कि यह संविधान के अनुसार ही कार्य करना चाहती हैं, यह लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास रखती है कि लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए और देश में इसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिएं ताकि देश और मजबूत हो सके। इस उद्देश्य के लिए इसके पास कम से कम शक्तियां

होनी चाहिएं । केन्द्र के पास प्रतिरक्षा, वैदेशिक कार्य, मुद्रा, संचार और कुछ अन्य शक्तियां जो देश को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं, होनी चाहिएं । हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन देश के हित में राज्यों को मजबूत बनाया जाना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, यह सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट आई है और उसमें जो रिकमंडेशन्स हैं वह बहुत सारे अच्छे सुझावों के रूप में दी गई हैं। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उसकी सिफारिशों को स्वीकार करे ।

सबसे पहले इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हम अपने देश की इंटीग्रीटी, देश की एकता और देश की स्वतंत्रता को किस प्रकार मजबूत रख सकते हैं । ये तभी मजबूत रह सकती हैं जब एक मजबूत केन्द्र होगा । हमारे देश का इतिहास यह बताता है कि जब-जब भी सेंटर कमजोर हुआ है – चाहे गुप्त साम्राज्य रहा हो, चाहे मुगल साम्राज्य रहा हो या दूसरा कोई साम्राज्य हो हो उस दौरान हमारे देश का डिसइंटीग्रेशन ही नहीं हुआ है बल्कि हमारा देश गुलाम हुआ है ।

उस जमाने की ही तो बात कर रहा हूं, यह पुराने इतिहास की बात है, वह आप को याद दिला रहा हूं । इसलिए याद दिला रहा हूं कि आने वाले समय में अगर हम इसी प्रकार से कार्य करते रहे और सैन्टर को कमजोर बनाते रहे तो निश्चित तरीके से हमारे देश का भविष्य अंधकारमय बन सकता है। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि सैन्टर को मजबूत बनाया जाना चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्थायें की जानी चाहिए जिससे सैन्टर ज्यादा-से-ज्यादा मजबूत हो और हमारे देश की सुरक्षा ज्यादा मजबूती से हो सके । मगर इसका मतलब यह नहीं कि स्टेट्स को बिल्कुल कमजोर बना दिया जाय । स्टेट्स को भी आप मजबूत बनाइये, मगर किन हल्कों में उनको मजबूत बनाना चाहिए, उनको ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए ताकि वह अपने क्षेत्र के लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बना सकें, वहां का डवलपमेंट कर सकें, वहां के रीजनल इम्बेलेंसेज को दूर किया जा सके, इन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए स्टेट्स को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। अगर इस तरीके से अधिकार मिलते हैं तो सैन्टर निश्चित तरीके से मजबूत बनता है और स्टेट्स भी मजबूत बनते हैं जिससे डैमोक्रेटिक व्यवस्था ज्यादा-से-ज्यादा आगे बढ़ सकती है, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम ज्यादा आगे बढ़ सकें ।

दूसरा प्रश्न खास तौर से गवर्नर्स के बारे में है । अभी माननीय सदस्य भी बोल रहे थे और दूसरे लोग भी बोले हैं कि गवर्नर्स राष्ट्रपति के रिप्रेजेण्टेटिव्ज की तरह से स्टेट के अन्दर रहते हैं । उनकी जिम्मेदारी है कि स्टेट की व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलें, इसकी देखरेख उनके जिम्मे है । अगर कोई स्टेट कांस्टीट्यूशन के विपरीत चलता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के विपरीत चलता है या कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से हमारी डैमोक्रेसी को खतरा पैदा होता है या अन्य प्रकार की कार्यवाहियां करता है तो गवर्नर का यह कर्तव्य बनता है कि उस स्टेट के ऊपर अंकुश लगाया जाय, उसको रोका जाय और उस व्यवस्था को इस तरीके से किया जाय जिससे वह स्टेट ठीक प्रकार से चल सके । अगर वह इस प्रकार की व्यवस्थायें करता है और अपनी रिकमेण्डेशंस प्रेसीडैण्ट के पास भेजता है कि स्टेट गवर्नमैंट इस तरीके की गलत कार्यवाहियां कर रही है तो यह उसका कर्तव्य है । अगर वह इस प्रकार से काम करता है तो स्टेट गवर्नमैंट की निगाहों में वह कड़ा तो नजर आयेगा ही, उसकी इस प्रकार

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

की कार्यवाहियां गलत नजर आयेंगी मगर कर्तव्य के अनुसार उसको काम करना चाहिए। अगर वह इस तरीके से कार्यवाही करता है तो स्टेट गवर्नमेंट ठीक प्रकार से चलती हैं।

गवर्नर के एपाइंटमैंट के बारे में सरकारिया कमीशन के अन्दर जो व्यवस्थायें दी गई हैं, उनमें से कुछ तो ठीक हैं कि वह पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, लिट्रेट होना चाहिए, अन्य प्रकार की बातें होनी चाहिए मगर एक बात कही कि उसको पोलिटिक्स से अलग होना चाहिए। अगर पोलिटिक्स से अलग आदमी होगा तो वह गवर्नर कैसे बनेगा, उसको इस चीज का ज्ञान ही क्या रहेगा कि उसको आगे चलकर क्या करना चाहिए। आप किसी एजुकेशनिस्ट को या किसी साइंटिस्ट को गवर्नर बना दें तो वह किस प्रकार से काम करेगा।...(व्यवधान)...आप अपनी बात खुद कहना, मेरी दिमाग की बात मैं कह रहा हूं, चाहे आपको नहीं जमती हो। अगर पोलिटीशियन नहीं होगा तो अप्स एण्ड डाउंस को किस प्रकार से समझेगा। बंगाल में कम्युनिस्ट मार्कसिस्ट पार्टी के लोग जो बैठे हुए हैं, यह 20 पाइंट प्रोग्राम के तहत भारत सरकार जितना पैसा इनको देती है, उस पैसे का ठीक प्रकार से उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, गवर्नर साहब अगर यह देखें कि 20 पाइंट प्रोग्राम का सारा पैसा यह अपने कैडर पर खर्च कर रहे हैं, कम्युनिस्ट मार्कसिस्ट पार्टी को मजबूत बनाने में खर्च कर रहे हैं तो गवर्नर का यह कर्तव्य बनता है कि अगर ये भारत सरकार के दिये हुए पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं तो भारत सरकार को रिपोर्ट करे, प्रेसीडेंट को रिपोर्ट करे कि यह गवर्नमेंट इस प्रकार निकम्मी है, जिस निकम्मी सरकार को डिसमिस किया जाना चाहिए। यह रिकमेण्डेशन करना उसका कर्तव्य है। इसी प्रकार अन्य सरकारें भी, चाहे आन्ध्र प्रदेश की सरकार हो, चाहे अन्य प्रकार की सरकारें हैं, जिनके बारे में अभी राय साहब कह रहे थे कि एक आदमी वहां बिल्कुल डिक्टेटर बन गया है और डिक्टेटर बनकर किस तरह से काम कर रहा है, जिसको कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर गवर्नर उसपर अंकुश लगाता है तो यह उसका कर्तव्य है, अगर वह कोई गलत काम करता है तो उसको रोकना चाहिए। एक आदमी ने अपने रिश्तेदारों को बड़े पैमाने पर अगर जमीनें दे दीं, एलाट कर दीं और सहकारी समितियों को नहीं दीं, जिनको जमीनें देनी चाहिए यह कितना बड़ा अन्याय है और इस अन्याय को हमारे जंगा रेड्डी भी बर्दाश्त करते जा रहे हैं। वैसे वे बहुत जंग की बात करते हैं लेकिन ऐसे अत्याचारों को बराबर बर्दाश्त करते जा रहे हैं।...(व्यवधान)...राजीव गांधी जी तो बहुत बढ़िया आदमी हैं और इस देश की व्यवस्था को बहुत मजबूती से चला रहे हैं और ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल काम के नहीं हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए एक मजबूत आदमी होना चाहिए और ऐसा आदमी होना चाहिए जोकि सेन्टर की व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से संचालित करने में स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद करे। यह जरूरी नहीं है कि वह स्टेट गवर्नमेंट की खिलाफत करे। अगर वह अच्छा काम करती है, तो निश्चित तरीके से उसकी मदद करनी चाहिए और उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट गलत काम करती है, तो उसको रोकने की आवश्यकता है। यह उसका कर्तव्य है और अगर वह उसका पालन करता है और कोई स्टेट गवर्नमेंट उससे नाराज हो, तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत रूप से वह मेरे खिलाफ है या आपके खिलाफ है या और लोगों के खिलाफ है, तो उसने जो शपथ लेकर अपना पद संभाला है और वह कांस्टीट्यूशन में विश्वास रखता है, तो उसका यह कर्तव्य है कि इस देश को मजबूत बनाने के लिए वह अपने कर्तव्य का पालन करे और यह जो व्यवस्था है, इसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकारिया कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट में इस बात को इंकित किया है कि राज्यपाल राजनीति से दूर होना चाहिए, मेरी राय में, यह बिलकुल गलत है। हां, यह जरूर है कि उसकी इंटेगरिटी और जो अन्य प्रकार की क्वालीफिकेशंस

हैं, वे ऐसी होनी चाहिए, जिन पर कोई उंगली न उठा सके और वह सर्वमान्य हो।

जूडिशियेरी के संबंध में जो सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, मैं उससे इत्तिफाक नहीं करता। उन्होंने कहा है कि जजेज का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जजेज का ट्रांसफर क्यों नहीं होना चाहिए। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए, किसी को जज बनाने के लिए एडवाइज करता है या आन्ध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी का चीफ मिनिस्टर किसी के लिए एडवाइज करता या वेस्ट बंगाल में सी० पी० एम० का चीफ मिनिस्टर किसी के लिए एडवाइज करता है और उनकी एडवाइस को चीफ जस्टिस मान लेता है और वहां पर उस आदमी को जज बना दिया जाता है लेकिन जज बनने के बाद, जिस पार्टी से उसका ताल्लुक है, मान लीजिए वह सी० पी० एम० या बी० जे० पी० से ताल्लुक रखता है या अन्य राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है और जूडिशियेरी में आने के बाद वह वहां के लोगों के साथ न्याय नहीं करता है और पार्टी-पालिटिक्स करता है, तो ऐसे आदमी का ट्रांसफर किया जाना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा निश्चित तरीके से होना चाहिए। जो लोग इस तरीके से गलत काम करते हैं और पार्टी लैविल की किसी प्रकार की बात करते हैं, तो उस तरह के जजेज को और चीफ जस्टिस को, जोकि ट्रांसफर होने लायक लोग हैं, ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो यह जो सिफारिश सरकारिया कमीशन ने की है यह बिलकुल मानने योग्य नहीं है और भारत सरकार अगर ऐसे जजेज का या चीफ जस्टिस का ट्रांसफर दूसरी स्टेट में करती है, तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में है। इसमें चीफ जस्टिस की कान्क्रेन्स लेनी पड़ती है और कायदे के अनुसार वह ली जाती है। यह जो अभी व्यवस्था है, वह बिलकुल ठीक है और उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। इन्टर-स्टेट कौंसिल की बात कही गई। अभी हमारे यहां नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल बनी हुई है, जिसमें स्टेट चीफ मिनिस्टर्स मेम्बर हैं, कैबिनट के मिनिस्टर्स उसके मेम्बर हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी उसके चैयरमैन हैं। वह कौंसिल तमाम डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस करती रही है। अलग-अलग इन्टर-स्टेट कौंसिल अगर बना दी गई और उसमें हर स्टेट के झगड़े प्रस्तुत किये जाएं, और उनका कोई सोल्यूशन न निकले, तो क्या स्थिति होगी। इन्टर-स्टेट कौंसिल कभी भी इस प्रकार के फैसले नहीं कर सकती। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र का बाऊन्डरी का डिस्प्यूट है या कावेरी वाटर्स का डिस्प्यूट दो-तीन स्टेट्स के बीच चल रहा है या असम और दूसरी स्टेट्स का बाऊन्डरी डिस्प्यूट है, तो इन्टर-स्टेट कौंसिल किस प्रकार से इन चीजों को तय करेगी। इसलिए अलग-अलग कौंसिल बनाना मेरी मान्यता के अनुसार उचित नहीं है और इनसे और भ्रम पैदा होंगे और आपस में वैमनस्य पैदा होगा। हां उन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि आपने प्लानिंग कमीशन बनाया। उसमें आपने ऐसे मेम्बर बिठा दिये यह कह कर कि ये योग्य हैं और वे सारे देश का प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग कमीशन में आपको स्टेट के रिप्रेजेन्टेटिव निश्चित तरीके से लेने चाहिए जिससे कि वे हर स्टेट की डवलपमेंट के बारे में अपने सुझाव दे सकें। फिर उनके आधार पर प्लान बनाएं। इस प्रकार से प्लानिंग की व्यवस्था को आगे किया जा सकता है।

आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि यहां से प्लानिंग के चलते स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान उचित प्रकार से इम्पलीमेंट नहीं हो पाता। इसीलिए आप पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बना करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान की सारी व्यवस्थाएं सुपुर्द करने की बात करते हैं। जब आप स्वयं यह सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान की व्यवस्था करें और उनके विचारों के आधार पर सारे देश में डवलपमेंट करना चाहते हैं तो फिर ऐसी हालत में जो यहां प्लानिंग कमीशन बना हुआ है उसमें अलग-अलग स्टेट के रिप्रेजेन्टेटिव ले करके उसमें उनके विचारों को शामिल करें और उनके विचारों के

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

अनुसार प्लान के काम को तेज गति से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तभी निश्चित तरीके से प्लानिंग के काम में वृद्धि होगी और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जिनमें रीजनल इम्बेलेंस हैं, दूसरी कमियां हैं उनको दूर करने की आप कोशिश कर सकेंगे। इसलिए निश्चित तरीके से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसी प्रकार से हर पांच साल में फाइनेनशल कमीशन मुकर्रर होता है। इसलिए मुकर्रर होता है जो यह सुझाव देता है कि अलग-अलग स्टेट को किस प्रकार से पैसा दिया जाएगा। इसमें भी आपको स्टेट्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को लेना चाहिए। इसमें भी आप सेन्टर की तरफ से मेम्बर मुकर्रर कर देते हैं और उसमें काफी समय लगता है। वह इधर-उधर घूमने और जानकारी प्राप्त करने के बाद बहुत समय के बाद अपने सुझाव दे पाता है। फिर भी उसमें कमियां रह जाती हैं। उसमें भी आप स्टेट के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को शामिल कर लें। इससे स्टेट्स को काफी बड़ा फायदा होगा।

मैं अपनी स्टेट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो कमी मुझे वहां के बारे में नजर आ रही है। हमारी स्टेट के बारे में अभी वृद्धि चन्द्र जी ने भी निवेदन किया था। राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है और गाडगिल फार्मूले के आधार पर उसको सबसे कम पैसा मिलता है जिसकी वजह से हमारी सबसे कम डवलपमेंट हो रही है। हमारे यहां पापुलेशन थोड़ी है लेकिन जमीन के लिहाज से राजस्थान सबसे बड़ा एरिया वाला प्रांत है। राजस्थान की पापुलेशन कम होने के आधार पर हमको बहुत थोड़ा पैसा मिलता है और हमारा विकास तेज गति से नहीं हो पाता। इसलिए गाडगिल फार्मूले में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके और हमारी स्टेट ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके।

इसी तरीके से रीजनल इम्बेलेंस मिटाने के लिए, रेलवे और अन्य प्रकार की चीजों में भी हमको प्राथमिकता नहीं मिलती और हमारी जरूरतों के मुताबिक हमें पूरा शेअर नहीं मिल पाता। रेलवे बोर्ड जो यहां पर बैठा हुआ है, उसको पूरे देश की जानकारी नहीं है। प्लानिंग कमीशन और दूसरी डवलपमेंट संस्थाओं से राजस्थान को एक परसेंट पैसा मिलता है। हमारी पांच परसेंट पापुलेशन है, पापुलेशन के आधार पर भी हमको पांच परसेंट पैसा तो कम-से-कम मिलना ही चाहिए। वहां पर रीजनल इम्बेलेंस को दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर की इण्डस्ट्रीज वहां पर लगनी चाहिएं। इन सारी इण्डस्ट्रीज की वहां पर कमी है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रीजनल इम्बेलेंस को मिटाने के लिए जितनी भी फाइनेनशल बोडीज हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्टेशन देना चाहिए जिससे कि स्टेट्स को ठीक प्रकार से पैसा मिले। हां उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपकी मोनेटरिंग और देखरेख होनी चाहिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गलत तरीके से पैसा खर्च नहीं हो जाए। इस प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए भारत सरकार को देखना चाहिए।

यही मुझे निवेदन करना है और इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, यह एक वृहद, व्यापक और विस्तृत प्रलेख है, इसलिए थोड़े से समय में सभी पहलुओं पर बोलना सम्भव नहीं है। भिन्न-भिन्न

विद्वान वक्ताओं ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर टिप्पणियां की हैं और सुझाव किये है और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं।

निदेश पदों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आयोग को पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में राज्यों और केन्द्र के बीच संबंधों की जांच करनी है। यह बिल्कुल ठीक है कि स्वतंत्रता के 40 वर्ष बाद हम अपनी व्यवस्था, सांविधानिक प्रावधानों और राज्यों और संघ के बीच संबंधों और देश के विकास के लिए उपलब्ध तंत्र की जांच कर रहे है। 'सहयोगी संघवाद' शब्दों का उपयोग प्रभावी और सही तरीके से किया गया है क्योंकि सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच मूलत: अन्तर है। राज्यों और संघ को सहयोग की भावना से कार्य करना है। इसका अर्थ है कि यह आपसी अधीनस्थता का तत्व है। जब दो सहकारिताएं कार्य करती हैं तो वे प्रतिस्पर्धा करके कार्य नहीं करती हैं। यदि कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। आपसी सहयोग के वातावरण के हित में प्रतिस्पर्धा सहयोग बन जाती है और फिर यह सहयोग आपसी अधीनस्थता बन जाता है।

मैं भारत सरकार का ध्यान पिछड़े राज्यों विशेषरूप से अपने क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें से उन्होंने कुछ सिफारिशों को स्वीकार करते समय कुछ आवश्यक सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया। मैं राज्यों के उस समूह द्वारा जो अभी भी आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं हैं के संबंध में की गई सिफारिशों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो प्रश्न अति उच्च स्तर पर उठाया गया था और पूरे राष्ट्र ने उस पर विचार किया कि क्या केवल अर्थक्षम क्षेत्रों को ही राज्यों का दर्जा दिया जाये। पंडित जी और जो लोग गांधी जी तथा पंडित जी के दर्शन में विश्वास रखते थे और जिन्होंने संविधान बनाया, उनका विचार है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है जिसमें सहयोगी संघवाद होने के कारण दिये गये समय मे अग्रणी राज्य या आर्थिक दृष्टि से सक्षम राज्य का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हमें भिन्न-भिन्न वित्तीय स्थिति वाले और आर्थिक सक्षमता वाले राज्यों के बीच संतुलन रखकर प्रगति करनी है। जब हम पूरे संविधान को देखते हैं और पिछले 4 दशकों में संविधान के कार्यकरण के इतिहास को देखते हैं तो हम पाते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के समय जो आर्थिक और क्षेत्रीय असंतुलन था वह अब भी है। यह ठीक है कि हमने राज्यों की सूची में कुछ नये राज्य जोड़े हैं। हमें इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है और हमें आर्थिक रूप से अक्षम राज्यों को सक्षम राज्य में परिवर्तित करना है।

सरकारिया आयोग के इस पहलू से संबंधित सिफारिश की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक इन छोटे अथवा वित्तीय और आर्थिक रूप से अक्षम राज्यों की एकता, अखण्डता और कल्याण के आम स्तर तक नहीं उठाया जाता है जो कि संविधान की भावना के अनुकूल है तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। उस उद्देश्य के लिए प्रचलित आर्थिक और क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उस सीमा तक हमें व्यापार, उद्योग और अन्य विकास योजनाओं की ओर जो भिन्न-भिन्न राज्यों में शुरू की गई हैं की ओर ध्यान देना चाहिए।

जो वक्तव्य पहले दिये गये हैं उन्हें मैंने सुना है। उनमें राज्य में और उसके अन्दर-बाहर के असंतुलनों का उल्लेख किया गया है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के भी अपने पिछड़े इलाके हैं। उत्तर प्रदेश में भी पिछड़े इलाके हैं। बिहार के पिछड़े इलाके इतने अधिक है कि उसे पिछड़े राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम जैसे छोटे राज्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित बड़े राज्यों की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरते

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

हैं और वे बिल्कुल अलग हैं। इस क्षेत्रीय पिछड़ेपन, राज्यों के बीच आर्थिक असंतुलन तथा एक ही राज्य के बीच असंतुलन को हटाने के लिए सरकार को उद्योगों को लाइसेंस देने के समय पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय और अन्य सुविधाओं के प्रोत्साहन को प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल इस पहलू पर बल देकर राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन हटाया जा सकता है और हम सहयोगी संघवाद के आधार पर इस संबंध को आगे बढ़ा पाएंगे। यह संबंध जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं एक अति नाजुक संबंध है क्योंकि केन्द्र, राज्यों और केन्द्र के बीच अभिकेन्द्र और अपकेन्द्र की शक्तियों को साथ-साथ नहीं चलाया जा सकता है।

राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त होगी और इस प्रकार, केन्द्र को अपनी समन्वय सुविधा और शक्ति का प्रयोग भी करना चाहिए। लेकिन इन दोनों में सदैव एक सामंजस्य होना चाहिए। आवश्यकतानुरूप इन दोनों केन्द्रापगामी और केन्द्राभिगामी बलों को सदैव पूर्ण समझ, लचीलेपन और सामंजस्य से काम करना चाहिए। इसके लिए मैं इस पक्ष पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दूंगा।

राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानांतरण से सम्बन्धित अन्य पहलुओं पर हम विचार कर चुके हैं। भारत में अथवा किसी अन्य समाज में जनता का एक ऐसा तबका होता है जो राजनीति और राजनैतिक दलों से घृणा रखता है, वह यह नहीं समझता कि यह घृणा भी राजनीति की ही एक शैली है। यह एक प्रकार की नकारात्मक राजनीति है। जब हम कहते हैं कि कोई राज्यपाल निकट भविष्य में राजनीति में नहीं रहा है और उसमें महत्वपूर्ण तरीके से भाग नहीं लिया है। यह आरोप अतीव योग्यता और प्रज्ञा से प्रेरित होता है जिसे सिफारिश प्रस्तुत करने में प्रदर्शित किया गया है। यह गलत ढंग से रखा गया है और हम अधिक ब्यौरों में नहीं जाना चाहते हैं। जैसा कि मेरे मित्र पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, यह रद्द कर दिया गया है।

अखिल भारतीय सेवाओं का अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों को दृष्टिगत रखते हुए संविधान को लागू करने में और सम्पूर्ण देश में एकरूपता बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन, इस संबंध में आयोग की प्रशंसा करनी होगी क्योंकि उसने टिप्पणी की है कि उनके प्रशिक्षण में सामान्यीकृत चयन की वर्तमान प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। इसके स्थान पर हमें विशेषीकरण पर अधिक जोर देना चाहिए। हालांकि, हमने स्वानुभव से देखा है कि भा० प्र० से०, भा० पु० से० जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में वर्तमान प्रवृत्ति अपेक्षित परिवर्तन की ओर है। एक समय जब भा० प्र० से०, भा० पु० से० जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी समस्त देश में अच्छी तरह से वितरित नहीं थे, हमने अपने क्षेत्र में भा० प्र० से० और भा० पु० से० के अधिकारियों को औपचारिक समारोहों में कदाचित ही बोलते देखा है। वे कह रहे हैं : "हम आपको संरक्षण दे रहे हैं।" वे कहते हैं कि एक समय वे औपनिवेशिक देश में साम्राज्यीय सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे थे। स्थिति में अब परिवर्तन आया है। लेकिन अब, भा० प्र० से०, भा० पु० से० और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी न्यूनाधिक समस्त देशमें फैले हुए हैं। अब ऐसा कोई छोटा या बड़ा समुदाय नहीं है जिसमें भा० प्र० से०, भा०पु० से० और अन्य अधिकारी न हों। लेकिन दो दशक पूर्व ऐसे समुदाय थे जो भा० प्र० से० अथवा भा०पु०से० के एक भी अधिकारी का होना हैसियत का प्रतीक मानते थे। हालांकि, यह प्रवृत्ति अब बदल गई है। इस संदर्भ में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमें विभिन्न कैडरों में विशेषीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए और उनके मस्तिष्क में राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाना चाहिए जिससे वे अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकें। हमें उनके अन्दर एकता की भावना को बैठाना चाहिए। साथ-ही-साथ, उनमें ऐसी अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि वे अपने आधीन कार्य

करने वाले लोगों के स्वामी हैं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा।

इन टिप्पणियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, पिछले कुछ दिनों से हम केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। मेरे मन में एक सन्देह और शंका है कि यदि यह सरकार जो शक्तियों के केन्द्रीकरण के पक्ष में है सत्तासीन रहती है तो क्या हम भविष्य में ही केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर विचार करने में समर्थ हो सकेंगे। हालांकि यह एक सतत प्रक्रिया है। हम इससे इंकार नहीं कर सकते हैं। मैं यह बात समझाना चाहता हूं कि कैसे यह सरकार राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानांतरण कर रही है, कि कैसे यह सरकार अपनी सत्ता की क्षुधा की संतुष्टि के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर रही है और किस तरीके से समवर्ती सूची के अनेक राज्य सम्बन्धी विषयों को हथिया रही है। मैं उस पक्ष के सदस्यों से सहमत हूं जो कहते हैं कि केन्द्र राज्य सम्बन्धों में दिन-प्रति-दिन बिगाड़ आ रहा है। इसका यहां उल्लेख होना चाहिए। सर्वाधिक आवश्यक यह है कि केन्द्र के व्यवहार से औपनिवेशिक विरासत का उन्मूलन किया जाये। कुछ राज्यपालों का ऐसा व्यवहार होता है कि वे सोचते हैं कि वे सम्बद्ध राज्य की सेवा के लिए नहीं वरन अपने केन्द्रस्थ स्वामियों की सेवा के लिए है। ऐसा है राज्यपालों के सोचने का ढंग। इस संदर्भ में, अनेकानेक मत व्यक्त किये जा रहे हैं। कुछ सदस्य अत्यन्त सशक्त केन्द्र के पक्षधर हैं। कुछ अन्य सदस्य हैं जो सशक्त राज्यों के पक्षधर हैं। मेरा और विशेषकर मेरी पार्टी का मत है कि सशक्त केन्द्र की अवधारणा गलत है। यदि राज्य सशक्त होंगे तो अन्तत्वोगत्वा केन्द्र भी सशक्त होगा। इसी पृष्ठभूमि में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी। मुझे यह कहते हुए दुख है कि यदि हम सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को देखें तो पाएंगे कि आयोग की सिफारिशों ने उसकी नियुक्ति के समय जनता के मन में उठी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया है। मैं यह जोर देकर कहता हूं कि सरकारिया आयोग ने जो सिफारिशें की हैं वे बड़ी सोच-समझकर की हैं और एक सशक्त केन्द्र बनाने के लक्ष्य की ओर बहुत सोच-समझकर उठाया गया कदम है। ऐसा राज्यों की कीमत पर किया गया है। मैं पुन: कहूंगा कि एक सशक्त केन्द्र की अवधारणा ही गलत है। सरकार ने संघवाद के विचार को अलविदा कहने का प्रयास किया है। सत्तासीन दल ने संविधान सभा में ही इस विचार के प्रस्ताव को नकार दिया था। उसने राज्यों का संघ बनाया। यह सरकार अनेकता में एकता की अवधारणा को भुला बैठी है।

5 00 म० प०

मैं नहीं जानता। कुछ समय पूर्व यहां डा० ढिल्लन सदस्य थे। डा० ढिल्लन और श्री बी० आर० भगत इस सदन के दो पुराने अनुभवी सदस्य हैं। मैं उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं श्री आर० एल० भाटिया द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत नहीं हूं। वे अनुच्छेद 263 पर इतना अधिक उत्तेजित क्यों हैं। मैं सोचता हूं, आप पूरी तरह भूल रहे हैं। मैं आपकी पृष्ठभूमि जानता हूं। 1946 में आपकी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया था :

> "एक स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक राज्य, एक संघीय राज्य जिससे संघटक इकाइयों को स्वायत्तता प्राप्त है और जिसकी संघटक इकाइयों को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त है।"

लेकिन आप इन सबको भूल गए हैं। मेरे विचार में सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सम्पूर्ण रूप में बुरी नहीं हैं। आयोग की सोच नकारात्मक नहीं है। श्री भाटिया केन्द्र-राज्य संबंधी जिस बात से सर्वाधिक नाराज हैं वह आयोग की सिफारिश में मौजूद हैं जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "1967 से, केन्द्र में सत्तारूढ़ दल से इतर दल और दलीय गठबन्धन अनेक राज्यों में

[श्री प्रकर राय प्रधान]

सत्तासीन रहे हैं। विभिन्न प्रकार की राज्य सरकारों के क्षेत्रीय और अन्तर्राज्यीय समस्याओं पर अलग-अलग मत हैं। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत व्यापक स्वरूप वाली एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना एक बाध्यकारी अनिवार्यता बन गई है।"

यह सरकारिया आयोग द्वारा की गई एक सकारात्मक सिफारिश है। और मैं समझता हूं कि यदि केन्द्र सरकार इस मुद्दे को ठीक ढंग से लेती है तो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में पैदा होने वाली अनेक समस्याओं और विकृतियों को दूर किया जा सकता है।

दूसरी सकारात्मक सिफारिश योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में है। अनेक सदस्यों ने कहा है कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के मौजूद होने के कारण पृथक अन्तर्राज्यीय परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं रिपोर्ट में कहा गया है कि 1952 के बाद 36 वर्षों में राष्ट्रीय विकास परिषद की केवल 39 बार बैठक हुई है। कभी-कभी तो दो बैठकों के बीच का अन्तराल दो वर्ष और चार माह के बीच रहा है। यदि ऐसी बात है तो यह कैसे कार्य कर सकती है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है—राज्य सरकारें अथवा केन्द्र सरकार? यह केन्द्रीय सरकार है जो सत्तारूढ़ है और वही संविधान के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है। मैं समझता हूं कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सिफारिशों को बिना और अधिक विलम्ब के तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में निगम कर के बारे में की गई सिफारिश का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि इस पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है।

लेकिन खेप कर के बारे में क्या करेंगे? इस खेप कर के लिए केवल पश्चिम बंगाल अथवा केरल की सरकारें ही जोर नहीं दे रही हैं। सभापति महोदय आप महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने ही कहा था कि खेप कर के अहस्तान्तरण के कारण ही 3000 करोड़ रुपये से लेकर 4000 करोड़ रुपये तक की राशि राज्य को उपलब्ध न हो सकी। आप इसमें विलम्ब क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसे ही सम्बन्ध होने चाहिए? आप एक राज्य को बर्खास्त तो कर देते हैं लेकिन राज्यों को धन नहीं देते।

कृषि आय कर के बारे में आप क्या कहेंगे? सभी राज्यों में समान कराधान नीति होनी चाहिए। कृषि आय कर सभी राज्यों में लगाया जाना चाहिए।

राज्यपाल की भूमिका के बारे में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के बारे में कहा गया है। इस तरह से कई सदस्यों ने कहा है कि इसका लोप किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ डा० ढिल्लों ने एक दिन कहा था कि उस मामले में वहां रिक्तता आ जाएगी। क्या मैं जान सकता हूं कि अनुच्छेद 356 का किस प्रकार उपयोग किया गया है? सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में ही यह बताया गया है कि 1950 से 1978 तक के 38 वर्षों में इस अनुच्छेद को 76 बार लागू किया गया है। उनकी सूची में इसे तमिलनाडु व नागालैंड में लागू किया गया है मिजोरम में नहीं। इसमें से केवल 26 बार ही इसका सही तरह से उपयोग किया जा सका और शेष 50 बार इसका दुरुपयोग किया गया। मैं आपके माध्यम से इस सदन के सदस्यों से पूछना चाहता हूं—डा० ढिल्लों यहां उपस्थित नहीं हैं—वे इस सदन से अनुभवी सदस्य हैं—कि क्या अनुच्छेद 356 केवल आपकी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसे यहां रखने का औचित्य क्या है? यह केवल दुरुपयोग करने के लिए है?

राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में कई बातें कही गई हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से केवल उद्धरण देना चाहूंगा।

> "लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है उसकी काफी आलोचना हुई है। राज्यपालों के व्यवहार के प्रति अधिकांश शिकायतें यह हैं कि वह राज्यों में भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के हाथ कार्य-व्यवहार करते समय अपनी राजनीतिक रुचियों, पूर्वकथनों और पूर्वाग्रहों को छोड़ नहीं पाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप अपने स्वविवेकाधिकार से लिया गया उनका निर्णय पक्षपातपूर्ण तथा केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के हितों की रक्षा करता प्रतीत होता है।"

क्या यही राज्यपाल के क्रियाकलाप हैं। इसलिए हमारे लिए यह सोचने का समय आ गया है कि क्या राज्यपाल के इस पद को संविधान में बनाए रखना चाहिए अथवा इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

त्रि-भाषा सूत्र के बारे में—प्रो० पराशर ने प्रश्न उठाया है—सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में जो त्रि-भाषा सूत्र है उसमें कौनसी बात स्पष्ट नहीं है यदि हम वर्ष 1963 में पारित राजभाषा अधिनियम को देखें तो उसका क्या सकल्प था ? त्रि-भाषा सूत्र का अर्थ है कि दक्षिणी राज्य अपनी मातृ-भाषा, अंग्रेजी और हिन्दी अवश्य सीखें। दूसरी ओर पूर्वी राज्यो में लोग हिन्दी, अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी सीखें। उत्तरी राज्यों में —यदि आप वाद-विवाद को पढ़ें तो आपको ज्ञात होगा— कि लोग कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखें। लेकिन इसका क्या हुआ ? केवल एक राज्य हरियाणा ने ही तेलुगू को तीसरी भाषा के रूप में शुरू किया था लेकिन अंततः उसने भी उसे बहुत पहले छोड़ दिया। यह आपकी असफलता है क्योंकि आपको इसे इस प्रकार विकसित करना है कि कुछ विद्यार्थी केवल दो भाषाएं सीखें और अन्य तीन या चार भाषाएं सीखें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम संविधानिक उपबन्धों विशेष रूप से केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित उपबंधों की पुनः जांच करें। संविधान में परिवर्तन किए बिना यह संभव नहीं है। कमजोर राज्यों के साथ शक्तिशाली केन्द्र है। प्रयोग करना ठीक नहीं बैठता है। हम सुदृढ़ केन्द्र के साथ-साथ सुदृढ़ राज्य भी चाहते हैं।

डा० दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : सभापति महोदय मैं केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों पर सरकारिया आयोग के रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं इस अमूल्य और महत्वपूर्ण रिपोर्ट को सभा पटल पर रख कर सभी सदस्यों को इस पर विचार प्रकट करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार से इस अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का यह सही समय है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हम इस पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा कर रहे हैं तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी चर्चाएं विभिन्न राज्य विधान सभाओं में भी हों। यह अत्यंत रुचिकर और महत्वपूर्ण है कि विभिन्न राज्यों की प्रतिक्रिया और उनके दृष्टिकोण देखकर अन्त में इसका विस्तृत विश्लेषण किया जाए।

राज्यपाल की भूमिका आजकल आलोचना का विषय बनी हुई है क्योंकि दलीय राजनीति काफी कठिन और नाजुक हो गई है। यह अत्यंत नाजुक संतुलन है। मैं नहीं समझता कि अत्यंत बारीकी से राज्यपाल के कृत्यों का वर्णन करना सरल है। यह व्यक्ति विशेष और उस समय उत्पन्न स्थिति पर निर्भर करता है। आप इसका विस्तृत विश्लेषण कैसे कर सकते हैं कि क्या एक विशेष दल को विधान

[डा० दिग्विजय सिंह]

सभा में मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए अथवा नहीं— मेरा कहने का मतलब है कि क्या यह विभिन्न दलों का गठबंधन है अथवा भारी बहुमत है ? ऐसा करना अत्यंत कठिन है।

5.11 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसलिए मेरा विचार यह है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम राज्यपाल के पद के लिए नामी व्यक्ति का चुनाव करें जिसे गहन और पैना ज्ञान हो और जो लोगों की नब्ज को जानता हो।

महोदय, आज हमें एक अत्यंत दुखद बात का अनुभव हो रहा है वह यह है कि राज्य विधान सभाओं के राज्यपाल विधान सभाओं में अपना भाषण नहीं दे पाते हैं। इस देश के चालीस वर्षों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल अपना बजट अभिभाषण पढ़ने के लिए उठे हों लेकिन उसे पढ़ न सके हों, चाहे यह कांग्रेसी सरकार हो अथवा गैर-कांग्रेसी सरकार। मेरे विचार से यह अत्यन्त निन्दनीय है और इस समस्या का हल करने के लिए हमें कुछ करना होगा।

मैं विशेष रूप से एक और पहलू को इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में हुई बैठकों, सेमिनारों में जिला स्तर पर निर्णय लेने के अधिकार को देने की इच्छा व्यक्त की है। जब हम जिला प्रशासन को मजबूत करना चाहते हैं तो हम केन्द्र राज्य संबंधों के दृष्टि-कोण से इस पर कार्य कैसे करेंगे ? आप दूसरे दृष्टिकोण से पूरे ढांचे को देखे बिना जिले में प्रशासन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूं जब मैं यह कहता हूं कि सरकारिया आयोग के निदेश पर इस समय जानकारी को निचले स्तर तक पहुंचाने की प्रवृत्ति के साथ-साथ अप्रचलित हो गए हैं। पुराने हो गये हैं।

मैंने रिपोर्ट में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अध्याय का अध्ययन किया है। उससे मुझे यह ज्ञात हुआ है कि देश के विभिन्न भागों, क्षेत्रों की मांगें थीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं से अलग अपनी सेवाएं चाहता है। यह अत्यन्त विचारणीय विषय है कि वे "पूर्वोत्तर सेवाएं" के नाम से एक अलग सेवा क्यों चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम इस बात पर विचार करें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में क्या किया गया था···इसमें जोनल क्षेत्रों और भारत के पांच जोन को मजबूत बनाने के बारे में कहा गया था। हम यह भी विचार करें कि एक विशेष जोन अपने वर्तमान की तुलना में कुछ और मजबूत कैसे हो सकता है।

इससे देश में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच सीमा विवादों की क्षुद्र प्रवृत्तियों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी और एक जोन, जो काफी हद तक भौगोलिक रूप से एक है, को मजबूत एकक बनने में सहायता मिलेगी। जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार पूर्वोत्तर जोन के अलावा देश के अन्य जोन में इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

महोदय, संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां शामिल हैं। इस संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। शायद सारी समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने का समय आ गया है। विश्व छोटा होता जा रहा है। संचार माध्यमों में सुधार हो रहा है। मैं पर्यावरण की संकल्पना पर जोर देना चाहता हूं। पर्यावरण की कोई सीमाएं नहीं हैं। इसकी कोई सीमाएं हो भी नहीं सकती हैं। पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं केवल देश के एक सिरे से

दूसरे सिरे तक की नहीं हैं बल्कि सार्वभौमिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। जब विश्व छोटा हो रहा है और हम विश्व के अन्य भागों में पर्यावरण के बारे में अधिक चिंतित हो रहे हैं तो आप इस विषय पर विशुद्ध रूप से प्रादेशिक क्षेत्रीय, अथवा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यावरण और विकास के लिए एक पृथक सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के युद्ध और शांति संबंधी परिषद की भांति गठित करने का प्रस्ताव है ? इसी स्तर पर हम विश्वव्यापकता के आधार पर सोचते हैं। जब हम अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को विश्वव्यापी पहलुओं के आधार पर देखते हैं तो इस बारे में काफी कुछ विचारणीय है।

अब मैं दो आयोगों— वित्त आयोग और योजना आयोग बनाम संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानना हूं कि जहां तक मेरे राज्य का संबंध है वित्त आयोग ने दो विनिर्दिष्ट सिफारिशें की हैं जिन्हें राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया। उसका क्या परिणाम निकला जब उन्होंने उन्हें क्रियान्वित नहीं किया ? वित्त आयोग द्वारा एक विनिर्दिष्ट सिफारिश की गई थी कि दिन का भोजन, जिसकी लागत 250 करोड़ रु० है को राज्य में फिर से शुरू किया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश यह है कि वित्त आयोग ने कहा कि जब राज्य में धन की कमी है तो राज्य की मद्यनिषेध की नीति के बारे में सोचना सही नहीं है जिससे 200 करोड़ रु० तक का राजस्व राज्य को प्राप्त होगा जिसे अवैध ढंग से शराब बनाने वाले ले रहे हैं और राज्य को कुछ नहीं मिल रहा है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार ये विशिष्ट विषय वित्त आयोग ने उठाए हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या रहा जब राज्य सरकार उनका पालन नहीं करती है। इन मुद्दों को ठीक प्रकार से स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

योजना आयोग या उसकी संकल्पना के बारे में वे हमेशा कहते हैं कि उनके कोष में काफी धन है लेकिन वे कोष में भरने के लिए और धन नहीं लगाना चाहते और वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उस धन को वितरित कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं जब प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में विचार भिन्नता बहुत अधिक होती है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। मैं पश्चिम गुजरात के कच्छ के सौराष्ट्र शहर जो अर्द्ध-शहरी नगर है का रहने वाला हूं। यह शहर सीमांतक क्षेत्र है जहां प्रत्येक तीन या चार वर्षों में अकाल पड़ता है तथा वहां महत्वपूर्ण आवश्यकता पीने के पानी की है। सिंचाई के लिए पानी की बात छोड़िए। मैं पीने के पानी के बारे में कह रहा हूं। सौराष्ट्र के अनेक शहर खाली किए जाने की स्थिति में हैं क्योंकि वहां पीने का पानी नहीं है। यदि कोई 500 करोड़ रु० की लागत का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से संभव है तथा इससे नर्मदा से पानी लाया जा सकता है और इसमें शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी लाने के लिए खम्बात की खाड़ी पर सड़क बनाई जा सकती है जिससे चुंगी कर मिलेगा तथा इस प्रकार निवेश किए गए धन को [illegible] वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है, यदि यह प्रस्ताव जो योजना आयोग के पास लम्बित पड़ा है ऐसे ही पड़ा रहेगा और उसे प्राथमिकता नहीं मिलती है तब आपकी प्राथमिकता का क्या होगा ? मेरे विचार से राज्य सरकारों की तुलना में इन दो आयोगों अर्थात वित्त आयोग और योजना आयोग में प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने का यह उचित समय है।

अन्त में, मैं एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की बात कहना चाहता हूं। मेरे विचार से यह एक अच्छा सुझाव है। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। और जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में जमा मामलों के ढेर की समस्या को सुलझाया जा सकेगा। यदि हमारे यहां नियमित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो तो यह सम्भावना है कि हम ऐसे योग्य न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकेंगे जो अधिक शीघ्रता अच्छे और उचित ढंग से कार्य करेंगे जिससे न्यायिक व्यवस्था

[डा० दिग्विजय सिंह]

में इस जमा कार्य की समस्या का कुछ हद तक निदान किया जा सकता है और हम जानते हैं कि देर से मिला न्याय न्याय न मिलने के समान है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की सराहना करता हूं तथा यह आशा करता हूं। यह भारत की जनता के समक्ष एक व्यापक मुद्दे के रूप में रखा जाएगा और इसमें राज्य विधान सभाओं की राय भी ली जाएगी।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : श्रीमन् मुझे बोलने का मौका दिए जाने के लिए मैं बहुत आभारी हूं। इस सभा में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर विभिन्न वक्ताओं ने टिप्पणियां की हैं। लेकिन विचारार्थ विषयों को देखिएगा। स्वयं आयोग ही कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलुओं, जोकि राज्यों के साथ-साथ केन्द्र के लिए भी बाध्यकारी है, पर ध्यान देने में चूक गया है। मैं आयोग के विचारार्थ विषयों को उद्धृत करता हूं। आयोग सभी क्षेत्रों में शक्ति कार्य और उत्तरदायित्व से सम्बन्धित संघ और राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्थाओं के कार्यकरण की जांच और समीक्षा करेगा तथा ऐसे परिवर्तनों अथवा अन्य उपायों की सिफारिशें करेगा जो आवश्यक हो। अब देखिए, ये 'सभी क्षेत्र' क्या हैं? सभी क्षेत्रों का अर्थ केवल विधायी शक्तियों, कार्यकारी शक्तियों और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा करना नहीं है। संविधान का क्षेत्र केवल इतना ही नहीं है। संविधान का क्षेत्र काफी व्यापक है और व्यक्ति को संविधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से है संविधान अनुच्छेद 38 इस प्रकार है :

> "राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।"

इस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करेंगे। ये सभी संस्थाएं क्या हैं? राज्य विधानसभा एक संस्था है, संसद एक संस्था है, ग्राम पंचायत एक संस्था है। अतः इन सभी संस्थाओं पर एक संवैधानिक बाध्यता है कि वे कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे तथा उचित कदम उठाएंगे।

अब प्रश्न यह है कि कल्याणकारी राज्य के लिए संविधान में उल्लिखित विभिन्न उपाय क्या हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 इस प्रकार है :

> "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगे।"

उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के फायदे के लिए कतिपय शक्तियां भी दी हैं तथा ये कार्य केन्द्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी दिए गए हैं। इस हेतु, एक विशिष्ट अनुच्छेद है जो गरीब वर्गों के बारे में है तथा इसमें कहा गया है कि संघ सरकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग के रूप में ज्ञात एक आयोग नियुक्त करेगी। संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत अन्य पिछड़े श्रेणियों के उत्थान के लिए एक आयोग बनाने सम्बन्धी प्रावधान है।

अनुच्छेद 340 इस प्रकार है :

"राष्ट्रपति, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिए जाने चाहिए, उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जितने वह ठीक समझे।"

तथा रिपोर्ट विस्तार सहित होगी।

इसके पश्चात :

"इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथा उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जायेंगी जिन्हें आयोग उचित समझे।"

मण्डल आयोग स्थापित किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट भी है, लेकिन केन्द्रीय सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। रिपोर्ट दिए जाने के बाद, उसका कोई कार्यान्वियन नहीं किया गया है। संविधान के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि राष्ट्रपति प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति उस पर की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण देने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन में रखे जाने के लिए उपलब्ध कराएगा।

संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत राज्य और संघ को जो शक्तियां दी गई हैं उसके संबंध में न तो राज्य सरकारों ने और न ही केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही की है।

महोदय, सरकारिया आयोग ने यह उल्लेख नहीं किया कि राज्य सरकारों द्वारा गरीबी कम करने के कार्यक्रम को कैसे लागू किया गया है। निश्चय ही कुछ राज्य सरकारें विशेषकर गैर-कांग्रेस शासित सरकारें है, जोकि इसे उचित रूप से क्रियान्वित नहीं कर रही है। अतः ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से असफल हो गए हैं तथा पैसे को राज्य में परियोजनाओं और अन्य कार्यों पर खर्च किया गया है। सरकारिया आयोग ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं अथवा कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की है कि जो पैसा गरीबी कम करने के कार्यक्रम के लिए दिया गया है उसे अन्यत्र न खर्चा जाए तथा यदि इसे अन्यत्र खर्चा गया है तो उन राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए। इसने उस सम्बन्ध में कोई भी सिफारिश नहीं की है जोकि बहुत आवश्यक थी क्योंकि संविधान के अन्तर्गत अंतिम लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के कार्यकरण में कुछ सामंजस्य होना चाहिए। विपक्ष की तरफ से किसी भी सदस्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भलाई के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने गरीबी कम करने के कार्यक्रम के बारे में बात नहीं की। न तो विपक्ष के सदस्यों ने और न ही उन विपक्षी दलों के नेताओं ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात की है कि कैसे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के भाग्य और उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। सरकारिया आयोग इन बातों पर ध्यान देने में क्यों चूक गया है।

[श्री राम सिंह यादव]

वास्तव में विपक्ष केवल कार्यकारी शक्तियों में ही रुचि रखता है। वे कहते हैं कि कार्यकारी शक्तियों राज्यों को दे दी जानी चाहिए लेकिन उन्हें वास्तव में संविधान में प्रतिष्ठित उद्देश्यों के संबंध में कोई परवाह नहीं है, कोई चिन्ता नहीं है। आप न तो इस आधार पर कार्य कर रहे हैं और न ही इस आधार पर सोच रहे हैं।

जहां तक राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं होती हैं। यह अपमानजनक बात है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा है कि एक राज्यपाल होने के लिए ये हैं अर्हताएं। तथ्य यह है कि भारत के संविधान के अन्तर्गत किसी विधायक, अथवा किसी संसद सदस्य अथवा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए ही इसे छोड़कर कोई अर्हता नहीं है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी यह आयु विशेष होनी चाहिए। लेकिन अपनी रिपोर्ट में सरकारिया महोदय ने उल्लेख किया है कि राज्यपाल होने के लिए किसी व्यक्ति को कतिपय अर्हता रखनी चाहिए। यह तो एक तरह से अपमानकारी बात है। उन्होंने उल्लेख किया है कि उस व्यक्ति को जो सक्रिय राजनीति में है राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए। क्या उनका अभिप्राय यह है कि कोई राजनीतिज्ञ देश भक्त नहीं होता अथवा वह सर्वोच्च पद के कार्य के लिए ठीक से अर्हता प्राप्त नहीं है ? जब एक मुख्यमंत्री राजनीतिज्ञ हो सकता है तो एक राज्यपाल राजनैतिक व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता ? अतः सरकारिया आयोग की यह रिपोर्ट लोकतंत्र की भावना तथा हमारे संविधान के संस्थापकों की भावनाओं के विरुद्ध है। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, श्रीमती सरोजिनी नायडु और श्री के० एम० मुंशी, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए कार्य किया तथा स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया राज्यपाल बने थे। अतः यह कहना कि राज्यपाल को एक सक्रिय राजनैतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए अथवा उसे स्थानीय राजनीति से नहीं जुड़ना चाहिए ठीक बात नहीं है।

क्या वे चाहते हैं कि राज्यपाल केवल नौकरशाह व्यक्ति ही होने चाहिए ? एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अथवा इस हिसाब से कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी ही राज्यपाल बन सकता है लेकिन एक राजनीतिज्ञ राज्यपाल नहीं बन सकता। ये बातें हैं जोकि देश के लोकतांत्रिक ढांचे के विरुद्ध है और मैं इनका प्रबल विरोध करता हूं।

सरकारिया महोदय ने कहा है कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का यदाकदा ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि यदि हम राज्यपाल के पद की बात करें तो कुछ आकस्मिकताएं होती हैं तथा कतिपय आवश्यकताएं हैं तथा राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है। वे कहते हैं कि जब राज्यपाल किसी विधान सभा को भंग करने सम्बन्धी कोई घोषणा करने वाला हो तो घोषणा समस्त साक्ष्य और तथ्य का औचित्य सिद्ध करने वाले होने चाहिए। मैं कहूंगा कि यह आवश्यक नहीं है, यह तो घोषणा में इन शर्तों को निर्दिष्ट करना फालतू सा है।

श्री सरकारिया का विचार है कि घोषणा को कार्यान्वित करने से पहले इसे संसद तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए तथा सरकार को केवल संसद द्वारा घोषणा पर अनुमोदन देने के बाद ही भंग करना चाहिए। यह बहुत ही अस्वाभाविक तथा अव्यवहारिक है। जब कोई अत्यधिक आवश्यकता होती है, जब राज्य सरकार किसी विशेष दल अथवा विशेष मुख्य मंत्री के द्वारा नहीं चलाई जा सकती, जब भ्रष्टाचार के तथा कुप्रशासन के आरोप होते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थितियों

में संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल के लिए क्या अनिवार्य होता है? क्या उसे कदाचार, कुप्रशासन तथा भ्रष्टाचार को चलते रहने देना चाहिए ? क्या उसे इसे ठीक करने के लिए कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ? इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकारिया आयोग की ये सिफारिशें अव्यवहारिक हैं।

अब मैं अवशिष्ट शक्तियों पर आता हूं। संविधान सभा में यहां तक कि पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी इस बात का पक्ष लिया था कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केवल संघ को दी जानी चाहिए तथा इनका राज्यों के द्वारा उपभोग नहीं किया जाना चाहिए जैसाकि अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में होता है। हमने अपने राजनीतिक इतिहास को अपने स्वतन्त्रता संग्राम आंदोलन को, अपनी संस्कृति को तथा अपने देश के निर्माण को दिमाग में रखते हुए कनाडा के प्रतिमान को वरीयता दी है। इन सभी पहलुओं की यह अपेक्षा है कि केन्द्र को मजबूत होना चाहिए तथा अवशिष्ट शक्तियां केवल केन्द्र को ही दी जानी चाहिए।

हमारे संविधान में कार्यान्वित की गई योजना के अनुसार विधानमंडल कार्यपालिका, वित्तीय तथा अवशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में सर्वोच्चता केवल केन्द्र को ही दी गई है। यह वह योजना है जिसे संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा ध्यान में रखा गया था।

मैं पं० जवाहर लाल नेहरू के उस उत्तर से कुछ अंश उद्धृत करूंगा, जिस समय वे संघ को दी जाने वाली अवशिष्ट शक्तियों के वाद-विवाद के सम्बन्ध में उत्तर दे रहे थे। इसका सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है। मैं रिपोर्ट में से उद्धृत कर रहा हूं :

> "इस लक्ष्य के दृढ़ अनुपालन के लिए, उन्होंने ही संघ विधान मंडल को विधान बनाने की व्यापक तथा प्रभावी शक्तियां प्रदान की। विशेषकर कराधान के मामलों में संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करना, उनके द्वारा तैयार की गई संवैधानिक योजना का एक अंग है ताकि एक 'मजबूत केन्द्र' प्राप्त किया जा सके। शान्ति सुनिश्चित करने तथा सामान हित के महत्वपूर्ण मामलों के समन्वय की क्षमता वाले सुदृढ़ केन्द्रीय प्राधिकार की आवश्यकता पर बल देने के बाद जवाहर लाल नेहरू, जो कि संघ शक्ति समिति के सभापति थे, ने संविधान सभा को इस प्रकार बताया :
>
> "हमारे विचार से अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र के पास ही बनी रहनी चाहिए। तथापि, हमारे द्वारा तैयार की गई तीनों सूचियों की सुविस्तृत प्रकृति को देखते हुए, अवशिष्ट विषयों से केवल वे ही मामले संबंधित हो सकते हैं जब वे भविष्य में मान्यता प्राप्त कर लें, उनका इस समय पता नहीं लगाया जा सकता तथा इस समय सूचियों मे शामिल नहीं किया जा सकता।"

अतः, पंडित नेहरू ने कहा था कि वे सभी मदें अथवा विषय जो इन तीन सूचियों के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं उन्हें उसी अनुसार सूची-एक अर्थात् संघ सूची, सूची-दो अर्थात् राज्य सूची तथा सूची-तीन अर्थात् समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया था। पं० नेहरू ने यह भी कहा था कि उन सभी विषयों के मामलों में जिन्हें इस समय इन सूचियों के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता तथा जिन पर यदि कानूनी कार्यवाही करनी पड़े तो वह शक्ति केवल संसद को ही देनी होगी।

अब मैं वित्त के मामलों पर आता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं का यह विचार था कि जहां तक वित्त का सम्बन्ध है केन्द्र को अवश्य ही मजबूत होना चाहिए। संघ के अनुच्छेद 355 के अधीन ये आदेश दे दिये गये थे कि वह नागरिकों के हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा, व कानून और व्यवस्था की रक्षा

[श्री राम सिंह यादव]

करे तथा यहां तक कि देश के नागरिकों की रक्षा का भी संरक्षण करें। यदि संघ अथवा केन्द्रीय सरकार वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है तो इस प्रकार के कार्य किस प्रकार किए जा सकते हैं? चूंकि आपको सेना का रख-रखाव करना है, आपको अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंधों को बनाना है···

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : कोई सेना के सम्बन्ध में नहीं पूछ रहा है। हम हमेशा यह कहते हैं कि सेना केवल केन्द्र के पास रहनी चाहिए।

श्री राम सिंह यादव : मैं 'कुप मण्डूक' के सम्बन्ध में बात नहीं कर रहा हूं जो अपनी छोटी सी दुनिया के एक क्षेत्र विशेष में ही रहता है। यहां मैं एक राष्ट्रीय मस्तिष्क के संबंध में बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों के संबंध में बात कर रहा हूं जिनके पास राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। केवल वे ही लोग सेना, राजनयिक संबंध तथा ऐसे अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में सोच सकते हैं। अत: इन सबके लिए हमें संविधान में दी गई उन योजनाओं को देखना होगा जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा उन बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा, परिकल्पित की गई हैं जिन्हें हमारे संविधान को तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। संविधान के आरम्भ में यह उल्लेख किया गया है कि "हम भारत के लोग भारत को (एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य) बनाने की शपथ लेते हैं। यह संविधान केवल राज्यों के लिए नहीं है किन्तु भारत के सभी लोगों के लिए है। यहां तक कि संविधान की प्रस्तावना के आरम्भ के शब्द कहते हैं कि 'हम, भारत के लोग' ये हमारे संविधान की आत्मा को निर्दिष्ट करते है तथा उसकी ओर संकेत करते हैं।

संविधान के बिल्कुल प्रारम्भ में ही यह उल्लेख हैं कि, "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को : न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनयिक अधिकार दिलाने के लिए।" अत: यह संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए है। यह भारत के सभी लोगों द्वारा अधिनियमित किया गया है तथा पूरा समाज एक है। अत: केन्द्र को जो भी शक्तियां दी गई हैं वह जानबूझकर दी गई हैं तथा ये सब हमारे संविधान निर्माताओं के ध्यान में थीं।

अब मैं संविधान के अनुच्छेद 249 पर आता हूं जिसके लिए विपक्षी सदस्यों द्वारा यह विवाद किया गया है कि अनुच्छेद 249 के उपबंधों को हटा दिया जाना चाहिए। यहां तक कि श्री सरकारिया भी इस बात से सहमत हैं कि अनुच्छेद 249 बहुत ही अर्थपूर्ण है क्योंकि दो सदन है — एक लोक सभा तथा दूसरा राज्य सभा—लोक सभा के पास किसी भी कानून के सम्बन्ध में पहल करने की शक्ति है; राज्य सभा को भी कुछ शक्तियां दो जानी चाहिए ताकि यह भी कानून के संबंध में पहल कर सके जिसके लिए उसके पास शक्ति नहीं है। यहां तक कि वे मामले जो छोड़ दिए गए हैं, वे राज्य सभा में उठाए जा सकते हैं। राज्य सभा से पारित होने के बाद ये लोक सभा में आते हैं। जब भी इन शक्तियों का प्रयोग किया गया, सरकारिया आयोग ने नोट किया है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल सोद्देश्य तथा विशेषकर राष्ट्रीय हित में किया गया है। अत: हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा के लाभ के लिए जो कुछ भी निर्धारित किया है वह युक्तियुक्त परिज्ञप्ति है।

महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा कि इसका श्रेय हमारी प्रिय तथा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है कि पहली बार 1966 में प्रशासनिक सुधार समिति गठित की गई जिसने 1970 तक कार्य किया। इसके पश्चात यह प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी थी जिन्होंने 24 मार्च, 1983 को यह घोषणा की कि आयोग नियुक्त किया जायेगा तथा वह आयोग केन्द्र तथा राज्यों के बीच के

संबंधों का अध्ययन करेगा तथा उसकी रिपोर्ट संसद के पास आयेगी।

अतः, यह सदन हमारी प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने श्री सरकारिया को इन संबंधों का अध्ययन करने का अवसर दिया तथा साथ ही संसद के माननीय सदस्यों को भी यहां इन बहुत ही जटिल समस्याओं पर भी विचार-विमर्श करने का अवसर दिया है।

इन थोड़े से शब्दों के साथ, मैं श्री सरकारिया की रिपोर्ट के कुछ मुद्दों पर सहमत नहीं हूं।

श्री एन० सुन्दरराज (पुदुकोट्टई) : जहां तक केन्द्र राज्यों के संबंधों का प्रश्न है, न्यायमूर्ति सरकारिया की अध्यक्षता के अधीन एक आयोग नियुक्त किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी, 1988 को दी। इस संदर्भ में विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने एक विशेष प्रकार की चर्चा के लिए कहा। उनकी मुख्य मांगें थी, अनुच्छेद 356 को हटाया जाये, राज्यपाल पद को समाप्त किया जाये, केन्द्र से अधिक धन प्राप्त हो तथा राज्य सरकारों को अधिक कार्यकारी शक्तियां दी जायें। विपक्षी दलों की ये मांगें थीं। हमारा देश विविधता में एकता के सिद्धांत पर आधारित है। हमारे देश में अनेक धर्म, हजारों भाषाएं तथा बोलियां तथा हजारों जातियां तथा मत हैं। किन्तु सब मिलाकर हम एक हैं। भारतीयों के रूप में हम एक हैं। यह सभी राजनीतिक दलों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश राजनैतिक दल यह फार्मूला अथवा सिद्धांत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। देश का नागरिक बनने की बजाय उन्हें अपने क्षेत्र से अधिक लगाव है। कुछ विपक्षी दलों की यही दशा है।

मैं ऐसे लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जो अधिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए विवाद कर रहे हैं। हम संसद के सदस्य केन्द्र में एक सरकार बनाने के लिए चुने गये हैं। हम उन्हीं लोगों द्वारा चुने गये हैं जो राज्य सरकारों का चुनाव करते हैं। ये वही लोग हैं जो ग्राम पंचायत तथा पंचायत संघों का चुनाव करते हैं। मैं यहां के मतदाता तथा वहां के मतदाता के बीच कोई भिन्नता नहीं पाता। क्योंकि वही निर्वाचक-गण संसद सदस्य का चुनाव करते हैं तथा सरकार का और राज्य सरकार व ग्राम स्तरीय पंचायतों का चुनाव करते हैं। किन्तु विपक्षी दलों द्वारा एक विशेष प्रकार को भेदभाव फैलाया जा रहा है कि केन्द्र का राज्य सरकारों के प्रति सौतेली मां का सा व्यवहार है, जैसे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए सभी कार्यक्रम स्वयं केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए हों। किन्तु दुर्भाग्यवश, ये राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। सभी कार्यक्रम चाहे वे ग्रामीण कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हों, रोड कार्यक्रम हो अथवा कोई भी कार्यक्रम हो जो गरीबों की सहायतार्थ हों, जो राज्य की सहायता करेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। किन्तु दुर्भाग्यवश विपक्षी दल जो राज्यों में सत्ता में हैं वे यह सोचते हैं कि केन्द्रीय सरकार का उनके साथ सौतेली मां का सा व्यवहार है तथा उन्हें विभिन्न चीजों से वंचित रखा जा रहा है और इस कारण वे अपने कुछ कार्यक्रम निष्पादित नहीं कर पाते। केन्द्र के प्रति उनका यह दृष्टिकोण है।

जहां तक राज्यपाल की भूमिका का संबंध है, श्री सरकारिया ने कुछ सिफारिशें की हैं कि राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया जाना चाहिए। किन्तु मेरे विचार से, मैं सुझाव दूंगा कि जिसे किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाये उसे···

श्री सी० जंगा रेड्डी : पेंशन

श्री एन० सुन्दरराज : पेंशन नहीं। उन्हें राज्य सरकार से कोई इनाम या वस्तुएं नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि एक किस्म से यह रिश्वत है। राज्यपाल को कुछ उपहार देकर वे राज्य सरकारें उस किस्म की गतिविधियों में फंसते हैं जिन्हें राज्यपाल पसन्द नहीं करता। कुछ राज्यों में ऐसा हुआ है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मुख्य मंत्री के समक्ष राज्यपाल कुछ भी नहीं हैं।

श्री एन० सुन्दरराज : मुख्य मंत्री के समक्ष राज्यपाल कुछ नहीं हैं! उनका यही रवैया है। इसीलिए आप आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं।

जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, मुझे यह कहते हुए खेद है कि राज्य सरकारें राज्यपाल की भी जासूसी कर रहे हैं कि राज्यपाल के पास कौन जाता है, राज्यपाल से कौन बात करता है, राज भवन में क्या विचार विमर्श एवं चर्चायें होती हैं। राज्य सरकारें उनकी निगरानी कर रही हैं। दुर्भाग्य से तमिलनाडु में हाल ही में कुछ दिन पहले ऐसा हुआ। राज्यपाल के कोई आगंतुक से विशेष सी० आई० डी० ने पूछताछ की और राज्यपाल ने उसकी खबर ली। मामला गृह सचिव को बताया गया जिसने अधिकारी को निलम्बित कर दिया। यह एक अच्छा उदाहरण नहीं है। राज्यपाल जोकि राज्य प्रमुख हैं, की स्थानीय राज्य सरकार द्वारा जासूसी करना··· (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : वे एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।

श्री एन० सुन्दरराज : वह उनका तरीका है, श्रीमान्।

श्री एन० वी० एन० सोमू : उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही राजभवन कांग्रेस कमेटी का कार्यालय नहीं बन जाना चाहिए।

श्री एन० सुन्दरराज : यह ठीक नहीं है। राजभवन कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय नहीं बने। राज्य सरकार के किसी पुलिस अधिकारी का उस व्यक्ति से पूछताछ करने का क्या मतलब है जो किसी राज्य के राज्यपाल से मिलने जा रहा है? क्या यह राज्य सरकार का काम है?

श्री सी० जंगा रेड्डी : राज्यपाल बिल्कुल···की तरह व्यवहार कर रहे हैं।**

श्री एन० सुन्दरराज : महोदय वह एक बुरा शब्द है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। श्री जंगा रेड्डी हमेशा इसी प्रकार मुसीबत खड़ी करते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री एन० सुन्दरराज : अन्य राज्य सरकारें, जहाँ विपक्ष सत्ता में हैं, राज्यों के लिए और शक्ति चाहती हैं। मैं मानता हूं कि हमें उन्हें और शक्ति देनी चाहिए। साथ ही, मुख्य मंत्रियों के बारे में क्या बात

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

है ? वे ऐसा क्यों चाहते हैं ? एक ही बार कलम चलाकर 31 मंत्रियों को मुअत्तल करके दिल्ली आकर चार दिन रुक कर वापिस गोहाटी जाते हैं और वहाँ दो दिन रुकते हैं सरकार किसे चलानी है—मुख्य सचिव को, अधिकारियों या दफ्तरशाहियों को। क्या यह तरीका है–एक निर्वाचित सरकार एक ही झटके में 31 मंत्रियों को मुअत्तल कर दे ?··· (व्यवधान) कारण क्या है ? उन्होंने कहा कि बजट संबंधी प्रस्तावों के बारे में पहले से पता लग जाने से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। क्या मुख्य मंत्री को उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी ? यदि वे एक उचित व्यक्ति हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए··· (व्यवधान)

श्री एम० बी० एन० सोमू : महोदय हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी मंत्रिमण्डल की रद्दोबदल करने में रजत जयन्ती मनाने वाले हैं।··· (व्यवधान)

श्री एन० सुन्दरराज : रद्दोबदल मुअत्तली से अलग हैं··· (व्यवधान) मुख्यमंत्री जी "महाऋषि" फिल्म में काम करना चाहते हैं··· (व्यवधान) मुख्यमंत्री जी सिनेमा में "विश्वामित्र" की भूमिका करना चाहते हैं। क्या यह मुख्यमंत्री की व्यवहार संहिता है ? (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप मुख्य मन्त्रियों की व्यवहार संहिता तैयार करें। हम उससे सहमत होंगे।··· (व्यवधान)

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वरराव (अमलापुरम) : महोदय व्यक्तिगत आरोपों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री एन० सुन्दरराज : जब कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो ऐसा माना जाता है कि वह किसी कम्पनी के साथ किसी किस्म की कोई व्यवस्था नहीं रखेगा या वह किसी दुकान का मालिक नहीं होगा। यदि मुख्यमंत्री कई घंटों तक सिनेमा में अभिनय करेगा तो वह राज्य के मामलों को कैसे देखेगा ?··· (व्यवधान) वे राजनीति छोड़कर सिनेमा में अभिनय करने आ सकते हैं। कोई समस्या नहीं है··· (व्यवधान)

जहाँ तक अनुच्छेद 356 का संबंध है अधिकांश लोगों को उस अनुच्छेद के प्रति एलर्जी है। मैं यह कहूंगा कि उन्हीं लोगों ने इस अनुच्छेद का उपयोग नौ कांग्रेस-आई राज्य सरकारों को भंग करने के लिए किया था। जब 1977 में उनकी ऐसा करने की हिम्मत थी तो अब भी उनमें इसका सामना करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। वे अनुच्छेद को समाप्त करवाना चाहते हैं क्योंकि वे अब सत्ता में नहीं हैं··· (व्यवधान) हमने कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया (व्यवधान)

केन्द्र के पास यह देखने की और शक्ति होनी चाहिए कि राज्यों में सीमा संबंधी तथा जल संबंधी विवाद सुलझ जायें। इतने वर्षों से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा संबंधी विवाद चल रहा है और अब तक कोई समाधान नहीं मिला। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद चल रहा है लोग पानी के बिना तरस रहे हैं। 1977 से पानी के अभाव में भूमि सूख गयी है। अब तक कोई समाधान नहीं मिला है।··· (व्यवधान) आप आमने सामने बैठकर बात करके मामलों को क्यों नहीं सुलझाते ? कर्नाटक में जनता सरकार है और अब तमिलनाडु में डी० एम० के० सरकार है, आप विवाद का समाधान क्यों नहीं करते ?

महोदय, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के उद्धार के लिए राज्य सरकारों को आबंटित दस रुपयों में से संबंधित व्यक्ति को केवल एक रुपया पहुंचता है। वह बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे भारत सरकार के

[श्री एम० सुन्दरराज]

सभी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारें करती हैं। दुर्भाग्य से, इन कार्यक्रमों के लिए धन कई स्रोतों जैसे केन्द्र से राज्यों की राजधानियों, राज्यों की राजधानियों से जिला स्तर, जिला स्तर से ताल्लुक स्तर, फिर पंचायत स्तर, ग्राम स्तर और अंततः संबंधित व्यक्ति तक पहुंचता है। अंततः संबंधित व्यक्ति तक दस में से केवल एक रुपया पहुंचता है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सीधे इन कार्यक्रमों को देखे और यह देखने के लिए उनकी निगरानी करें कि धन उचित ढंग से उचित व्यक्ति तक पहुंचे। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि और शक्तियां प्राप्त करके योजनाओं का कार्यान्वयन उचित ढंग से करें।

बहुत से लोग इस देश का प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं। विपक्षी नेताओं की यह प्रवृत्ति है। जैसा कि एक मित्र ने कहा वे गरीबों पिछड़े लोगों, हरिजनों आदिवासियों की परवाह नहीं करते। वास्तव में वे सत्ता के पीछे हैं। वे सत्ता चाहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप एक मुख्य मंत्री कहता है कि केवल एक किसान ही भारत का प्रधान मंत्री बनेगा। दूसरा व्यक्ति, जिसने कांग्रेस (आई) को धोखा दिया कहता है कि केवल एक राजा ही भारत का प्रधान मंत्री बन सकता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि केवल एक संन्यासी जो 65 वर्ष का होने के बाद 18 वर्ष की लड़की से शादी करेगा, भारत का प्रधान मंत्री बन सकता है।

डा० दत्ता सामन्त : वह खुशकिस्मत कौन है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : वह उस शादी का एक साक्षी है। (व्यवधान)

श्री एन० सुन्दरराज : दूसरा व्यक्ति जो हाल ही में तमिलनाडु का मुख्य मंत्री बना, ने एक वक्तव्य में कहा कि—नई दिल्ली में कुछ विपक्ष के नेताओं ने उन्हें प्रधान मंत्री बनने के लिए चुना किन्तु वह प्रधान मंत्री नहीं बनना चाहता, वह तमिलनाडु वासियों के साथ रहेगा। वे इस ढंग से सोच रहे हैं। जब कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री बनता है तो वह केवल प्रधान मंत्री बनने की बात सोचता है। भारत को समग्र रूप से शासित करने का केवल सत्ता ही अन्तिम लक्ष्य है। (व्यवधान)

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है कोई घटना 28 जनवरी, 1988 को घटी। उसी किस्म की घटना 21 मार्च, 1989 को भी घटी थी। केवल विपक्ष की नेता एक महिला सदस्य जो पहले राज्य सभा की सदस्य थीं, अब वे विपक्ष में हैं को मुख्य मंत्री, अन्य मंत्रियों और वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के सामने तंग किया गया··· (व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू : वह दुबारा वही बात कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्री एन० सुन्दरराज : मंत्री महोदय उस बड़ी मेज तक गये जो विपक्ष और सत्तारुढ़ दल को विभाजित करती है तथा उसके गले पर प्रहार किया। उन्होंने जो विपक्ष की एकमात्र महिला नेता है, कहा कि "सदन में मेरे मेरे लिए कोई सुरक्षा नहीं है इसलिए मैं सभा की बैठक में शामिल नहीं होऊंगी···" (व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह विधान सभा की कार्यवाही के बारे में यहां कैसे चर्चा कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रश्न से ही संबंधित बात करें। . .

श्री एन० सुन्दरराज : हमारे नेता श्री जी० के मूपनार की सदन में पिटाई की गई।

6.00 म०प०

नेता ने कहा कि सदन में उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। इस तरीके से वे तमिलनाडु विधान सभा में व्यवहार कर रहे हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिये। मैं इस प्रकार से दो व्यक्तियों को ऐसे बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं···

(व्यवधान)**

श्री एन० सुन्दरराज : महोदय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। पुलिस आयुक्त के दर्जे के एक आई० पी० एस० अधिकारी ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के संदेशवाहक के रूप में कार्य किया। उन्होंने विपक्षी नेता के सचिव के घर पर छापा मारा, वहां से त्यागपत्र लेकर अध्यक्ष महोदय को दिया और शहर में प्रेस के लोगों को भी दे दिया···(व्यवधान) महोदय वे इस प्रकार तमिलनाडु में व्यवहार कर रहे हैं। अतः ऐसी बातों को रोका जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा वहां उचित व्यवस्था बनाई रखी जानी चाहिए। केवल अनुच्छेद 356 के द्वारा ही राज्य सरकारों को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। अतः इस देश के लिए शक्तिशाली केन्द्र की आवश्यकता है कुछ वर्ष पहले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने कहा कि वह पृथक् तमिलनाडु, द्रविड़नाडु चाहते हैं यद्यपि वे बाद में इस बात पर आ गए कि···(व्यवधान)

श्री एम० वी० एम० सोमू : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वह इसे साबित कर सकते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके विरोध की ओर ध्यान दिया जाएगा।

श्री एन० सुन्दरराज : महोदय केवल शक्तिशाली केन्द्र ही इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकता है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि एक शक्तिशाली केन्द्र हो। धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया।

एक माननीय सदस्य : महोदय 6.00 बज गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सात बजे तक बैठेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष जी, हम सेंटर-स्टेट रिलेशन पर सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। तो मेरी राय में सरकारिया कमीशन ने कुछ बुनियादी मुद्दों को टच किया है। उसने उन एरियाज को जो फन्क्शनेल और कंसीलिएशन के एरियाज हैं, उनको आइडेंटीफाई किया है और जो सिस्टेमेटिक एन्क्रोचमेंट है स्टेट्स के राइट्स पर, सेंट्रलाइजेशन आफ पावर्स, जो केन्द्र की तरफ से की जा रही है, उसके बारे में भी उसने अपने विचार दिए हैं और

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

स्टेट तथा सेंटर में टकराव बिलकुल न हो, इसके बारे में भी विचार दिए हैं और सरकारिया कमीशन ने स्टेट की इम्प्रूवमेंट्स और स्टेट के रोल के बारे में भी विचार दिए हैं। सरकारिया कमीशन ने यह भी माना है कि आर्डिनरी सिटीजन्स, आम शहरी जो है, दिल्ली तक केन्द्र तक उसकी पहुंच मुश्किल से होती है और उसके वैलफेयर और डवलपमेंट की बेसिकली और प्राइमेरिली रेस्पांसिबिलिटी स्टेट पर है। सरकारिया कमीशन ने यह भी महसूस किया है कि कांकरेंट लिस्ट जो है, उसका कितना दायरा होना चाहिए और आम भावना यह समझी जा रही है कि कांकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट बनती जा रही है। स्टेट्स की रेस्पांसिबिलिटी का जिक्र करते हुए सरकारिया कमीशन ने यह भी कहा है कि जो स्कीमें सेंट्रली स्पोंसर्ड हैं, वे भी स्टेट को इम्पलीमेंट करनी पड़ती हैं। हमारा तजुर्बा है कि कई बार ड्रिंकिंग वाटर की स्कीमें, इंडस्ट्रीयलाइजेशन और बड़े कारखाने के लिए भी स्टेट्स को सेंटर के पास जाना पड़ता है। क्या किया जाए। यही नहीं जो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है, उसमें भी स्टेट्स की आवाज जीरो है हम रोज यहां कहते हैं, प्रधान मन्त्री जी और बड़े-बड़े नेता कहते हैं कि हमें किसान को मजबूत करना है, किसान को कीमत देनी है, किसान की तरक्की के लिए काम करना है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन में स्टेट्स की आवाज निल है। यह बात भी महसूस की गई। सरकारिया कमीशन में कि ट्रिमैंडस ग्रोथ आफ ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी की हुई है, अफसर ही अफसर पैदा किए जा रहे हैं। जजों की एप्वाइन्टमेंट्स में भी स्टेट्स की आवाज खत्म होती जा रही है और वह रिकमैंडेटरी रह गई है। हाई कोर्ट जजेज का डिसीजन भी सैंट्रल गवर्नमेंट ही करती है और उनके ट्रांस्फर भी सैंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले गए हैं। यहीं तक ही नहीं, जो कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से पैसे इकट्ठे होते हैं, उनमें स्टेट्स का हिस्सा पहले ही बहुत कम था और आज का नया तरीका सरचार्ज हैडिंग से निकाल कर जो पैसा बढ़ाया जाता है, वह सारे का सारा केन्द्र के पास रह जाता है, स्टेट्स को उसमें से कोई हिस्सा बिल्कुल नहीं मिलता।

हमें इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखकर पिछले 40 बरसों में जो सैन्ट्रलाइजेशन किया गया है, उसके रिजल्ट्स से सबक सीखना चाहिए। मैं श्री संतोष मोहन देव और भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों में जो अधिकार केन्द्रित कर दिए गए और स्टेट्स के अधिकारों को कम कर दिया गया, उसमें से तमिलनाडु, तेलुगुदेशम, अकाली दल और ए० जी० पी० निकले। जैसे-जैसे केन्द्र अधिकार छीनता गया, वैसे-वैसे रीजनलिज्म बढ़ता गया। इसलिए हम बहुत लाइट मूड में नहीं, गंभीरता से सोचें, आप कह रहे हैं कि केन्द्र मजबूत होना चाहिए तो केन्द्र तो औरंगजेब के वक्त बहुत मजबूत था, तो क्या उस समय भारत प्रसन्न था? जितना सैंटर औरंगजेब के वक्त मजबूत था, उतना मजबूत आप नहीं कर सकते। आप तो लोक राज से चुनकर आए हैं लेकिन फिर भी एक नहीं रह सके, भारत में असंतोष था। इसलिए मैं अपनी आदत और स्वभाव के मुताबिक बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि आज हम इस विषय को डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के केन्द्रीकरण, ताकत को एक जगह इकट्ठा करने से निकल रही बुराइयों से भारत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

पं० जवाहर लाल नेहरू के वक्त में 1946 में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक इलेक्शन मैनिफैस्टो आया, उसमें कांग्रेस ने कहा कि हम देश में ट्रू फैडरल सिस्टम लाएंगे लेकिन आप लाए यूनिटरी सिस्टम। जबकि वायदा किया ट्रू फैडरल सिस्टम का। 1935 में इन-टर्म गवर्नमेंट के वक्त कांग्रेस पार्टी ने खुद एक रैज्यूलूशन किया था, आप नाराज न हों, उसमें कहा गया था—

[अनुवाद]

भारत सरकार के अधिनियम में प्रांतों को पूरी स्वायत्तता दी गई थी।"

महोदय इस प्रकार भारत सरकार अधिनियम, 1935 में स्वायत्तता को सुनिश्चित किया गया था।

[हिन्दी]

मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इस तरीके से सोचें।

अभी आनन्दपुर साहब का रैज्यूलशन हमने कर दिया। मैं कड़वी बात नहीं करता लेकिन ठंडे दिल और ईमानदारी से आप सुनना कि जो कुछ 1946 में कहा, 1935 में कहा, पंडित जी ने कहा, मेरे पास एक किताब है उसमें मैं श्री प्रकाश सिंह बादल और श्री गुरचरण सिंह तोहरा के बयान पढ़कर सुनाता हूं, लेकिन क्या करें, ज्यादा गिनती के बलबूते आप कम गिनती को जो मर्जी ब्रांड कर दें, यह भी बेइंसाफी है, बादल साहब की एक स्पीच है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूं, श्री टोहरा ने एक रेजोल्यूशन मूव किया और बादल ने सेकेन्ड किया।

[अनुवाद]

"शिरोमणी अकाली दलने देश के ढांचे के पुनर्निर्माण, वास्तविक और सार्थक संघवादी सिद्धांतों और राष्ट्रीय एकता तथा देश की अखण्डता के लिए किसी खतरे की संभावना को समाप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न विपक्षी दलों भाषायी और सांस्कृतिक वर्गों, धार्मिक अल्प-संख्यकों और लाखों लोगों की आवाज पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आनंदपुर साहब संकल्प को स्वीकार किया और राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी शक्तियों के सार्थक उपयोग द्वारा भारतीय जनता (सिख नहीं) की प्रगति और समृद्धि के लिए अधिक उपयोगी भूमिका निभा सके। इस संकल्प में कहा गया है कि चार महत्वपूर्ण विषय नामतः सुरक्षा, विदेशी मामले, आम संचार और मुद्रा केन्द्र सरकार के पास रहने चाहिए तथा अन्य विभाग राज्य सरकारों (केवल पंजाब द्वारा नहीं) के पास होने चाहिएं जिनके लिए राज्यों को आवश्यक कानून बनाने का पूर्ण हक होना चाहिए। अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केन्द्र को व्यापक शक्तियां दी गई हैं और इस शक्ति का पूर्णतः दुरुपयोग किया गया है।"

आनंदपुर साहब संकल्प में वही बात कही गई है जो सरकारिया आयोग ने कही है कि "समय-समय पर घोर दुरुपयोग किया गया है।"

अनुच्छेद 356 को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार को छोटे-छोटे कारणों के आधार पर राज्य सरकारों को बर्खास्त का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

मेरे कहने का मतलब यह है कि आनन्दपुर साहब का रोजोल्यूशन भारत की एकता, अखंडता फैडरल सिस्टम, स्टेट्स को ज्यादा अधिकार और ज्यादा मानिटरी पावर देने का जिक्र करता है। यह रेजोल्यूशन 1978 में लुधियाना में पास किया गया था और उस वक्त श्री चन्द्रशेखर स्टेज पर मौजूद थे। महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इसके लिए सरकार पर ज्यादा जोर डालना चाहता हूं।

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

[अनुवाद]

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों से गहराई से चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

यह लोगों के फ्यूचर का मामला है। आप तो जानते ही हैं कि मुख्य मंत्री लोगों से सीधे मिलते हैं जबकि प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिए 15-15 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि मुख्य मंत्रियों से इस बारे में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि राज्यों को अपने रिसोर्सिज मोबिलाइज करने के लिए बांड इशू करने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसके साथ ही जो बार्डर स्टेट्स हैं— जैसे पंजाब, कश्मीर, राजस्थान और असम उनको स्पैशल असिस्टेंस देने के लिए कोई प्रावीजन किया जाना चाहिए। जो सेंसटिव बोर्डर है उनकी तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी तरह से एक्साइज और कस्टम पर सरचार्ज की हैडिंग के नीचे जो पैसे लिए जाते हैं उसमें से स्टेट्स को भी हिस्सा देना चाहिए। जो माइनारिटी कमीशन है उसको स्टैट्यूटरी पावर देकर उसका स्टेटस बढ़ाया जाना चाहिए। किसी स्टेट में आर्मी भेजने से पहले वहां के चीफ मिनिस्टर से इसके लिए इजाजत लेनी चाहिए। इसके अलावा टेलिविजन का सेकिंड चैनल स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना चाहिए। किसी एक पार्टी, एक मंत्री, एक नेता या किसी एक सज्जन की मनापली नहीं चल सकती है। हम सभी देशभक्त हैं। इसलिए स्टेट्स कभी टी०वी० का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस रिकेमेण्डेशन को मैं बहुत जोर से कहता हूं, इसको माना जाना चाहिए।

मैं आखिर में यह कहता हूं कि हाई कोर्ट के जजेज के एपाइन्टमैंट में स्टेट्स का फर्स्ट प्रिफरेंस हो और ट्रांसफर आफ जजेज में जिस स्टेट में जाना है और जिससे जाना है, दोनों से मशविरा किया जाना चाहिए। हमें इस तरह से देश को चलाना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर पर इएन्क्रोच न आए। आई०ए०एस० और आई०पी०एस० सर्विसेज के आफिसर्स यही भावना देते हैं कि हमारे असली मास्टर तो दिल्ली में हैं, इस प्रबन्ध में तब्दीली की जानी चाहिए। अगर उन को स्टेट गवर्नमेंट्स सस्पैण्ड कर दें तो उसका फैसला सैण्ट्रल गवर्नमेंट न करे, उन को रीइन्सटेट न करे बल्कि इसके लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल हो। स्टेट का माहौल सुहावना बनाने के लिए सरकारिया कमीशन को यहां डिसकस करने के बाद मुख्य मंत्रियों से डिस्कस किया जाए।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : उपाध्यक्ष महोदय सरकारिया आयोग ने व्याप्त परिस्थितियों और संविधान के क्षेत्र में भीतर रहकर प्रशंसनीय कार्य किया है और इससे बेहतर रिपोर्ट की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

मेरे मित्र श्री रामूवालिया ने आरोप लगाया है कि क्योंकि केन्द्र के पास अधिक शक्तियां हैं इसलिए असम गण परिषद, अकाली दल तथा अन्य क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आए और अन्य दल भी उभरे हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। महोदय, हमारे लोकतंत्र में वैसी ही व्यवस्था है। जैसा अन्य देशों के लोकतंत्र पद्धतियों में है कि दो या तीन मुख्य दल होंगे ताकि यदि लोग एक दल की सरकार से असंतुष्ट हों तो कुछ समय के लिए दूसरे दल को कुछ समय के लिए सत्तारूढ़ कर सकें और उनके कार्य निष्पादन का अवलोकन कर सकें। लेकिन भारत में कांग्रेस दल के अलावा कोई अन्य दल उभर नहीं

सकता। जब कोई दल उभरना शुरू करता है तो तत्काल ही विखण्डन शुरू हो जाता है चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी हो जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में विभक्त हो गई, यहां तक कि जनसंघ में भी विभाजन हो गया क्योंकि जनता को उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई। स्वतंत्र पार्टी भी टिक नहीं सकी। साम्यवादी दल में भी विभाजन हो गया। इसीलिए लोगों के पास केवल कांग्रेस दल का ही विकल्प है और इस विकासशील राष्ट्र के लिए यह विकल्प सही भी है।

सत्तालोलुप लोग भाषा, सीमा और अन्य विषयों जैसे क्षेत्रीय विषय उठाकर राज्य में सत्ता ग्रहण कर लेते हैं। क्षेत्रीय विषयों के आधार पर सत्ता पाकर वह अपने नियंत्रण में अधिक वित्तीय शक्तियां चाहते हैं अथवा अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए वे केन्द्र पर आरोप लगाते हैं कि केन्द्र उन्हें धन देने में असफल रहा है, वह उन्हें शक्ति नहीं दे रहा है अथवा कोई राशि अनुमत नहीं कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री हेगड़े ने आरोप लगाया है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का केन्द्राभिमुख रवैया है। उनका आरोप सही नहीं है। यदि श्री हेगड़े को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया होता और उन्होंने भारत की स्थिति, लोगों की आवश्यकताओं, केन्द्र और राज्यों के बीच उपयुक्त मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा उचित तरीके से सोचा होता तो वह भी इसी प्रकार की सिफारिशें करते। लेकिन किसी दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है।

हमने अनुच्छेद 356 और केन्द्र में कांग्रेस दल द्वारा राज्य सरकारों को गिराने की काफी आलोचना सुनी है। लेकिन वे यह भूल गये कि वर्ष 1977-78 में जनता सरकार ने इस अधिकार का दुरुपयोग अधिक किया था। यह कहा गया था कि जब वे केन्द्र में सत्ता में आ गये हैं तो राज्यों में भी उन्हें ही सत्ता में आना चाहिए। उस समय नौ विधान सभाओं को भंग करने का और कोई कारण नहीं था। एक सीधी भाषा का उपयोग किया गया कि कमीज जिस कपड़े की है धोती को भी उसी कपड़े की होना चाहिए और विधान सभाएं भंग कर दी गईं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : वर्ष 1980 में भी ऐसा किया गया।

श्री विजय एन० पाटिल : पिछले दस वर्षों के दौरान के 25 उदाहरण दिए गये हैं। यदि आप पिछले 37 वर्षों में देखें तो पाएंगे कि किसी भी समय एक साथ नौ विधान सभाओं को भंग नहीं किया गया।

राज्य सरकारें केन्द्र से अधिक शक्ति और धन चाहती हैं। पहले छठे दशक में राज्य अपने बजट का लगभग 25% केन्द्र से लेते थे। अब अनेक ऐसे राज्य हैं जो अपने बजट का 44% केन्द्र से चाहते हैं। वे और अधिक धन की मांग कर रहे हैं। वे अपना व्यय कम करने और वित्तीय सुधारों को अपनाने को तैयार नहीं हैं। वे केन्द्र से अधिक धन की मांग कर रहे हैं। मीडिया के बारे में क्या है? वे दूसरे चैनल की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकारिया आयोग ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। इस विवाद के बारे में कुछ न कहना सरकारिया आयोग के लिए सही है क्योंकि यदि वे राज्य सरकार को दूसरे चैनल की अनुमति देते हैं तो केन्द्र सरकार इसे कोई दूसरा दर्जा देगी। इससे विवाद होगा।

डा० दत्ता सामंत : वे राष्ट्र विरोधी हैं और आप धर्म निरपेक्ष हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे राष्ट्र विरोधी हैं। हितों में टकराव है। सरकारिया आयोग का यह उद्देश्य नहीं था। सरकारिया आयोग केवल प्रणाली और तरीके बताने तथा

[श्री विजय एन० पाटिल]

केन्द्र-राज्य संबंधों को सुधारने संबंधी सिफारिशें करने के लिए गठित किया गया था। इस मुद्दे से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार नहीं होगा। दूसरे चैनल की मांग करना एक अलग बात है लेकिन सरकारिया आयोग ने दूसरे चैनल की सिफारिश करते हुए अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया है, सही नहीं है।

पिछले वर्षों में राज्यों ने केन्द्र पर अधिक से अधिक निर्भर करना शुरू कर दिया है। राज्य कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए पूर्णतः केन्द्र पर निर्भर करते हैं। आम तौर पर सड़क यातायात नियंत्रण अथवा सिपाही की रात की ड्यूटी अथवा कुछ डकैतियों के कार्यों का वे निपटान कर देते हैं लेकिन यदि छोटे-मोटे दंगे हो जाते हैं, कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो वे तत्काल के०आ०पु०ब० की मांग करते हैं अथवा केन्द्र सरकार से अन्य सहायता की मांग करते हैं और कई बार सेना को भी बुलाना पड़ता है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है लेकिन फिर भी केन्द्र को अनेक बार उनकी सहायता करनी पड़ती है।

आई०ए०एस और आई०पी०एस० के अधिकारियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इन अधिकारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कुछ अधिकार दिए जाएं। आज हम देखते हैं कि भा०प्र०से० और भा०पु०से० के अनेक अधिकारी उसी राज्य के रहने वाले हैं जहां उन्हें नियुक्त किया गया है। पहले यह प्रथा थी कि भा०प्र०से० और भा०पु०से० के अधिकारियों को अपने गृह राज्यों में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में नियुक्त किया जाता था। अब ये अधिकारी अधिक राजनीतिक रवैया अपना रहे हैं। सरकारिया आयोग रिपोर्ट में और इस देश के लोगों द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है वह काफी गंभीर है। हमें सेवाओं, उन में सुधार, उनकी कुशलता और राजनीतिक गतिविधियों में अहस्तक्षेप पर विचार करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि सारे अधिकारी नहीं बल्कि कुछ अधिकारी स्थानीय क्षेत्रों और जिला स्तर के राजनीतिक वातावरण में हस्तक्षेप करके समस्याएं उत्पन्न करते हैं। मैं केवल एक बात का उल्लेख करके अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। संचार, रेलवे, रक्षा और अन्य विषय जो केन्द्र के पास पहले ही हैं के अलावा ऊर्जा के मामले में भी केन्द्र का अधिक अधिकार है। हम चाहते हैं कि समस्त राज्यों के पास ऊर्जा का समुचित अंश हो। पूरे देश में ग्रिड प्रणाली है। यदि ऊर्जा के उत्पादन और वितरण में केन्द्र का अधिक अधिकार है तो इससे देश और समस्त राज्यों को लाभ होगा। जल संसाधनों के मामले में भी कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य भी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के बंटवारे के मामले का समाधान नहीं कर पाये। अंततः सरकार को समस्या का समाधान करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकारिया आयोग ने केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में जो भी सिफारिशें की हैं वे अच्छी सिफारिशें हैं। अंतर-राज्यीय परिषद गठित करने के बारे में केन्द्र सरकार को विचार करना चाहिए। जो सिफारिशें उपयुक्त है उन्हें शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जंगा रेड्डी बोलेंगे। कृपया आप संक्षेप में आप बात करें। आप पहले भी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। संक्षेप में बोलिए अन्यथा मैं बीच में हस्तक्षेप करता रहूंगा जैसा कि आपने अन्य सदस्यों के मामले में किया है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बारे

में जो चर्चा हो रही है, उसमें खास मुद्दा राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में है। राज्यपालों के अधिकार होते हुए भी अधिकार नहीं हैं। जैसा कि हमने राज्यपालों के बारे में देखा है, पिछली जनता सरकार के रेजीम में भी, जिनको आंखों से नजर नहीं आता और जिनको कान से सुनाई नहीं देता, पुराने दोस्त होने के कारण और राजनीति से संबंध रखने वालों को भी हमने नियुक्त किया है। आन्ध्र प्रदेश में अब्राहम साहब आए थे। वे मोरारजी देसाई की पुरानी, ओल्ड कांग्रेस के थे। ··(व्यवधान) मैं यही बोल रहा हूं कि जनता सरकार के लोगों ने भी अपनी राजनीतिक मित्रता के कारण राजनीति वाले लोगों को नियुक्त किया। उसी चक्कर में आप हैं और उसी चक्कर में वे थे। यह मैं कहना चाहता हूं। आपने राज्य सभा से निकाल कर कुमुद बैन जोशी को आन्ध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया और उनका एन॰टी॰आर॰ के साथ झगड़ा हो रहा है। पेपर में यह सब आ रहा है। इस पर आपको गौर करना चाहिए। पिछले 30, 40 साल के अन्दर किसी भी राज्यपाल के बारे में पेपरों में इतनी चर्चा नहीं आई।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : कुमुद बैन जोशी की जगह आप भी होते, तो आपसे भी लड़ाई होती।

श्री सी॰ जंगा रेड्डी : नहीं, नहीं। यह बात नहीं है।··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात को बीच में क्यों ला रहे हैं। कोई बता रहा था आप इसका विरोध करते हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष के आचार-व्यवहार के बारे में कैसे बोल सकते हैं? ऐसा हमेशा न करें। जब कोई बोलता है तो आप व्यवधान डालते रहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी॰ जंगा रेड्डी : कुमुद बैन जोशी के बारे में जो आजकल चर्चा हो रही है, वह मैं बता चुका हूं।··· (व्यवधान)···

जनता की तरफ देख रहे हैं यह ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखने वालों को राज्यपालों की नियुक्ति में नहीं लेना चाहिए। जनता पार्टी वालों, मोरारजी देसाई की सरकार ने भी किया। इसीलिए हम संविधान में तब्दीली कराना चाहते हैं। जो सरकारिया कमीशन ने सिफारिश की है कि रिटायर्ड जज, रिटायर्ड अफसर जो कि संविधान के पूरी तरह से जानने वाले हों, उनको रखना चाहिए।

कभी-कभी जब हम राज्यपालों की बात करते हैं तो हमको दुःख मालूम होता है। जो आपके राज्यपाल थे, आज वे विरोधी दल में आ गये हैं। राम लाल जी·· (व्यवधान) यह शर्म करने की बात है, यही मैं कह रहा हूं। वह जनता दल हो या नेशनल फ्रंट हो, अभी आपको उन्होंने छोड़ दिया है। मेरा कहना यही है कि जिस व्यक्ति ने 1984 में एन॰टी॰आर॰ को निकाल दिया और फिर दुबारा शंकरदयाल जी ने उनको बनाया। उन्होंने एन॰टी॰आर॰ को बिना बहुमत के देखे हुए, बिना सभा के सदस्यों की राय जाने एकदम निकाल दिया। खाली दस्तखत करके निकाल दिया। विधान सभा में बल की परीक्षा नहीं हुई। स्पीकर की नियुक्ति हुई स्पीकर की नियुक्ति में जो कुछ करना था वह नहीं किया। डर गये। एक ऐसा आदमी बिठाया जो चार को दो और दो को एक बोलने वाला था। उसकी

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

स्पीकर की नियुक्ति हुई। आप तो जानते हैं। जब विधान सभा में बल परीक्षा करानी पड़ी तो बल परीक्षा नहीं करा सके।

इसका क्या कारण है? यही कारण है कि राजनीतिक कारणों से राज्यपाल ने जो निर्णय लिया उसको निभाने के लिए आपने अपने स्पीकर को नियुक्त किया। अब हमारे प्रधान मंत्री जी जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बता दिया था कि यह आदि है, आंध्र प्रदेश में यह प्रारंभ है और अंतिम पिक्चर बाद में आयेगी। यही हुआ कि एन०टी०आर० को दुबारा सरकार में आना पड़ा।

मेरा कहना यही है कि राज्यपाल किसी भी राजनीतिक दल से दूर रहता है तो कम से कम सोच सकता था कि क्या सही है, क्या गलत है। अब राज्यपाल को कांग्रेस वाले या सी०पी०एम० वाले मारें, विधान सभा में मारें, यह बिल्कुल गलत बात है। अगर तमिलनाडु में, वहां की विधान सभा में जयललिता का अपमान हो, या मुख्य मंत्री का अपमान हो तो वह भी गलत बात है। लोग सोच रहे हैं कि विधान सभा में, लोक सभा में सदस्य क्या करते हैं। उनके बारे में लोग कैसा सोच रहे हैं। इसलिए अच्छे लोग राजनीति से दूर भाग रहे हैं। दंगा करने वाले लोग विधान सभा में आयें, लोक सभा में आयें, यह नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए राज्यपाल को राजनीति से दूर करने की कोशिश कीजिए। सरकारिया कमीशन ने जो सिफारिश की है कम से कम इसको तो आप एक्सेप्ट कीजिए। यह मैं कह रहा हूं।

मैं जनता सरकार के बारे में बोल रहा था। मोरारजी देसाई ने भी किया और आप लोगों ने भी किया। केरल के एक व्यक्ति थे जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाये गये। मैं उस वक्त विधान सभा में था। सुना ही नहीं, देखा ही नहीं और वे गवर्नर बन गये। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए। आपने तो एकदम से राज्य सभा से निकाल करके आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया। (व्यवधान)

मैं बोल रहा हूं कि हमने गलती की। उसको मैं मान रहा हूं। हमने क्यों गलती की क्योंकि संविधान ने हमको अधिकार दिया। इसलिए उसे बदलने के लिए बोल रहा हूं। जब मुझे मालूम है कि कानून है, संविधान में प्रावधान है, उसके कारण हम मनमानी कर रहे हैं। इसीलिए हम ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं।

इसीलिए सरकारिया कमीशन ने जो कुछ किया, उसके माफिक चलने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए।

दूसरी हमारी गलती है आटोनोमस की। 40 सालों में आटोनोमस के बारे में हम सिखा रहे हैं। बच्चा-बच्चा कभी पूछता है (व्यवधान) काबूलीवाला हो, और कोई भी हो। अभी रामूवालिया जी ने आटोनोमस के बारे में बता दिया। आटोनोमस के काबिल हम नहीं हैं। इसलिए सेंटर को मजबूत होना चाहिए, लेकिन स्टेट्स को भी फाइनांशल इंस्टीट्यूशंस से या हर चीज के लिए आपके पास आने की जरूरत न रहे। बिहार के एक मित्र ने पिछले दिनों भाषण देते हुए रोते हुए कहा कि हमारे यहां बाढ़ आई है और मुख्य मन्त्री पैसा नहीं लेते, केन्द्र से पैसा इसलिए नहीं लेते क्योंकि केन्द्र कर्जे की बात करता है, मुख्य मन्त्री पैसा नहीं लेते, केन्द्र कर्जा देता है और परेशान वहां की जनता है। इस तरह की बात बिहार के एक माननीय सदस्य ने यहां पर बताई। इस तरह से स्टेट्स के पास पैसे की कमी नहीं

होनी चाहिए, इस सिस्टम को बदला जाए। हम आंध्र वाले जब खाना खाते हैं तो थोड़ा खाना अचार से खाते हैं, थोड़ा साग से खाते हैं और अंत में दही डाल कर खाते हैं, इस तरह से दही ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी कम लगती है और सरचार्ज ज्यादा लग जाता है, पैट्रोल पर सरचार्ज लग जाता है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का परसेंटेज स्टेट्स को देना होता है, सरचार्ज का नहीं। एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए है तो सरचार्ज 15 रुपए हैं, यह कैसे हो सकता है। यह वही हो गया कि साग का खाना कम और दही का खाना ज्यादा, यह ठीक नहीं बैठ सकता। खाना कम खाएं और सुपारी ज्यादा खाएं, खाना एक पाव और सुपारी आधा किलो खाएं तो यह ठीक नहीं बैठेगा। इसलिए सरकारिया कमीशन ने कहा या नहीं कहा, स्टेट्स को इस तरह से संपन्न बनाना चाहिए कि उसके पास पैसे की कमी न रहे। आज हर राज्य में जो बातें चल रही हैं, आसाम में बोडो, पश्चिम बंगाल में गोरखालैण्ड, तेलंगाना आंदोलन, अगर केन्द्र सरकार की तरफ से सही मदद दी जाए तो इस तरह की बातें बैकवर्ड राज्यों की तरफ से नहीं आएंगी। आसाम के सात भाग हो गए, इस तरह का क्षेत्रीय असंतुलन दूर होना चाहिए। स्टेट्स के लिए फाइनांशल आस्पेक्ट्स बनाने चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : अब तो बी० जे० पी० वाले भी उत्तरांचल की मांग कर रहे हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हां उत्तरांचल की, पूर्वांचल की भी बातें हो रही है आप क्या समझते हैं कि इन चीजों पर मोनोपली रहेगी, दूसरे लोग भी इस तरह की बात कर सकते हैं। लोगों को उचकाकर, बहकाकर इस तरह की बातें पैदा की जाती हैं, पंजाब में भिण्डरावाले का लाया गया, पश्चिम बंगाल में सुभाष घीसिंग को लाया गया, इसी तरह से आसाम में, मिजोरम में आंदोलन चले, मिजोरम में आपका बहुमत होते हुए लालडेंगा को बिठाया गया, इस प्रकार की नीति से काम नहीं चलेगा, इससे देश का नुकसान होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो बार्डर स्टेट्स हैं, उनको स्ट्रांग बनाया जाए और इसमें हम आपका साथ देंगे। सुरक्षा पट्टी बनाने की बात आई, कई लोगों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन हमने आपका साथ दिया। इसी तरह से हम कहते हैं कि आर्टिकल 370 को समाप्त किया जाए। अभी सोज साहब ने बताया कि कश्मीर में दंगा करने वाले कौन लोग हैं, आप जानते हैं, बंगाल में दंगा करने वाले लोग कौन हैं, आप जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते।
(व्यवधान)

अगर एक भी कमीशन ने यह कहा हो कि किसी दंगे में बी० जे० पी० या आर० एस० एस० वालों का हाथ है तो हम मान लेंगे।

अन्त में एक बात कहकर समाप्त करूंगा। हमारी थ्यूरी बिल्कुल गलत है, वन नेशन, वन कांस्टीट्यूशन, वन लैंग्वेज, वन नेशनलिजम की थ्यूरी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर 14 भाषाओं के साथ-साथ 14 नेशनलिटीज की बात की जाती है।

श्री हरीश रावत : अब तो वी० पी० सिंह भी यही बात कह रहे हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : कोई भी कहे, लेकिन हम इस बात का साथ नहीं देंगे।

सरदार बूटा सिंह : हमने तो पहले दिन ही कहा है कि एक नेशन और एक संविधान है। आज वे सब लोग आपके साथ हैं जो इस बात को कहते हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन मैं यही बात कह रहा हूं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि हम लोग देश हित में विरोधी दलों को छोड़कर आपके साथ आए। यह सब जानते हैं। हम मिजोरम के मामले में आपके साथ नहीं रहे लेकिन पंजाब के मामले में आपका साथ दिया।

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

मिजोरम में आज नहीं तो कल आपको मालूम हो जायेगा। लालडेंगा को बना दिया, निकाल दिया और फिर बना दिया। इसके बाद आपको मालूम हो जायेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नेशनल लैंगवेज को भी जल्दी से इम्पलीमेंट करना चाहिए। लैंगवेज के कारण रीजनल पार्टीज बन रही हैं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सरकारिया कमीशन ने जिन हालात में अपनी रिपोर्ट दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस आवश्यकता को महसूस किया कि देश के वर्तमान हालात में जिस प्रकार का बाहरी और आंतरिक दबाव है, उसमें किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंज न करके उसके बजाय प्रोसीजरल चेंज करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया। हमारे विपक्षों के मित्रों की तरफ से और उनकी सरकारों की तरफ से यह दबाव बराबर बना हुआ था कि वे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज सजेस्ट करें। आज भी जब यह बहस चली है तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने यह सजेस्ट करने की कोशिश की है कि कुछ बुनियादी तब्दीली लायी जानी चाहिए। मैं समझता हूं इस प्रकार के चेंजेस होने से देश की अखण्डता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सभी सदस्यों को इस बात को महसूस करना चाहिए कि हम ऐसा सुझाव न दें जिससे देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा हो। केन्द्र और राज्य, दोनों का उद्देश्य समान है। मजबूत केन्द्र राज्यों के लिए जरूरी है और राज्य सरकारें केन्द्र की नीतियों का क्रियान्वयन करती है। केन्द्र पूरे तरीके से इम्पलीमेंटेशन के लिए राज्यों पर निर्भर रहता है। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता को समझना चाहिए और उस आवश्यकता को समझते हुए दोनों के बीच मे समन्वय लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बहुधा यहां पर देखते हैं कि केन्द्र को राज्यों के खिलाफ सिद्ध करने की कोशिश की जाती हैं और राज्यों को केन्द्र के खिलाफ बताने की चेष्टा की जाती है। यह एक खतरनाक परिपाटी है। हमारे और विपक्षी सदस्यों के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और सोचने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन देश के लिए दोनों का कमिटमेंट बराबर है। अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कोई ऐसी बात न कहें जिससे केन्द्र और राज्यों के संबंधों में तनाव पैदा हो और उसका असर हमारे संविधान तथा प्रजातांत्रिक प्रणाली पर हो। यह नितांत अनुचित होगा। हमारे विपक्ष के मित्रों को सोच-समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। हमारी कई राज्य सरकारें जहां विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं अपनी असमर्थता और अक्षमता को छिपाने के लिए बहुधा केन्द्र के ऊपर दोषारोपण करती हैं। यदि वह जायज मांगों पर विचार करें तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए यदि वह केन्द्र के ऊपर दोषारोपण करेंगी तो उससे न केवल उस राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के सम्बन्धों में फर्क पड़ेगा, बल्कि राज्य की जनता को भी गलत भ्रान्ति हो सकती है और वह हमारे देश के अन्दर सही चीज नहीं होगी। क्योंकि हमारे देश का ढांचा फेडरल है, हमने परिसंघ को नहीं माना है। इसलिए हमें फेडरल ढांचे को सीमा के

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्दर ही काम करना चाहिए और हर राज्य सरकार को इस बात को मानकर चलना चाहिए। आज कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं और कुछ राज्यों में विपक्ष की सरकारें है। जिस लोकतान्त्रिक प्रणाली को हमने अपनाया है उसमें परिस्थितियां उलट भी सकती हैं यानि कभी राज्यों और केन्द्र में कांग्रेस की सरकारें हो सकती हैं और कभी यह परिस्थिति भिन्न भी हो सकती है। देखने की चीज यह है कि जब हम पंच खम्भा सरकार मे विश्वास करते है यानि केन्द्र, राज्य, जिला परिषद, पंचायत और ग्राम सभायें तो उसमें केवल राज्यों के लिए ज्यादा अधिकार मांगने से काम नहीं चलेगा, यह राज्यों को समझना होगा। जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभायें हैं उनको भी पैसा देना होगा। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि एक सौ रुपये दिये जाते हैकेन्द्र से तो उसमें से सिर्फ एक रुपया मुझ तक पहुंचता है, जो कि मुझ जैसे व्यक्ति को निर्दिष्ट करके दिये जाते हैं। वह इसलिए कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वह दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि केन्द्र जो पैसा देती है राज्य को तो वह राज्य सरकार उसे अपने तरीके से खर्च करना चाहती हैं और इससे उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देती। यदि वह पैसा पंचायतों के स्तरों पर दिया जाता तो उसका सदुपयोग होता। इसलिए हमें पंचायतों को ज्यादा-से-ज्यादा अधिकार देने चाहिए, राज्यों को चाहिए कि वे पंचायतों को ज्यादा अधिकार दें इससे राज्य सरकार कमजोर होने वाली नहीं है। इसी तरह से केन्द्र को समझना पड़ेगा कि राज्य को यदि और अधिक वित्तीय अधिकार वह देती है और योजना के विषय में अधिकार देती है तो उससे वह कमजोर नहीं होगी। आज नई क्षेत्रीय पार्टियों के उदय के साथ कुछ नई शक्तियां उभर कर आ रही हैं जो अधिक स्वायत्ता की मांग कर रही हैं, जो और अधिक इन्वोल्वमेंट चाहती हैं। यदि केन्द्र सरकार इस बात को नहीं समझेगी तो वह भी प्रदेशों को अनदेखा करना होगा। इसलिए सरकारिया आयोग ने योजना आयोग के बारे में जो कहा है और जो सुझाव दिया, मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि केन्द्र सरकार उसको मान ले और वित्तीय परिस्थितियों के विषय में भी जो कुछ सरकारिया आयोग ने कहा है कि किस सीमा तक राज्यों को देना चाहिए, म्युनिसिपेलिटी को देना चाहिए किसी सीमा तक बैंकों से कर्जा लेने का अधिकार देना चाहिए, बैंक ड्राफ्ट का अधिकार किस सीमा तक दिया जाना चाहिए इन सुझावों को केन्द्र सरकार को अमल में लाना चाहिए। यदि राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार दिये जायेंगे, प्लानिंग के विषय में अधिक अधिकार दिये जायें तो निश्चित रूप से उसका फायदा क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने में मिलेगा।

जो वर्तमान गाडगिल फार्मूला है, यह कुछ ही राज्यों को मदद कर रहा है। उन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको लगातार ज्यादा संसाधन दिये जा रहे हैं, ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास अकूत प्राकृतिक सम्पदा है लेकिन उनको समुचित पैसा नहीं मिलने के कारण वे उसका उपयोग नहीं कर पा रही हैं जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। और भी कई ऐसे राज्य हैं जिनको इस गाडगिल फार्मूला के अन्दर बहुत कम पैसा दिया जा रहा है। आज उन राज्यों की जनता में इस फार्मूले के प्रति बहुत बड़ा असन्तोष व्याप्त है। इसलिए गाडगिल फार्मूले पर भी पुनर्विचार होना चाहिए और जो जस्टिस सरकारिया ने सुझाव दिया है वित्तीय, प्लानिंग समितियों पर विचार करने के लिए कि एक स्थाई बॉडी का निर्माण किया जाना चाहिए··· उस तरह की स्थायी बॉडी का निर्माण करने में कोई हर्ज नहीं है। यदि वह बॉडी बनती है तो कम-से-कम सैन्टर के ऊपर जो ब्लेम आता है, दबाव पड़ता है कि केन्द्र से इतना पैसा दीजिये, वह दबाव दूर हो सकेगा।

हमारे मित्रों ने यहां गवर्नर के रोल और उनके अधिकारों के विषय में चर्चा की, बहुत सी बातें कह गयी। संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय अनेक विषयों पर अध्ययन किया

[श्री हरीश रावत]

कि गवर्नर कैसा व्यक्ति होना चाहिये, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिये, उसके अधिकार क्या होने चाहिये और उन्होंने संविधान में जो व्यवस्था की, मैं समझता हूं कि वह समय की कसौटी पर खरी उतरी है। जब केन्द्र में विपक्ष की सरकार बनी तो यह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने भी उस समय उन्हीं अधिकारों का उपयोग किया, प्रावधानों के अन्तर्गत काम किया। आज गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच सम्बन्धों को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है, मैं समझता हूं कि केन्द्र और राज्यों के बीच संतुलन कायम करने के लिए गवर्नर का होना बहुत जरूरी है और आज जिस तरह की परिस्थितियां विद्यमान हैं, उनमें तो गवर्नर की भूमिका और भी जरूरी हो गयी है। जस्टिस सरकारिया ने इस सम्बन्ध में कुछ हद तक उपदेशात्मक होने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि राज्यों में जो गवर्नर नियुक्त किया जाये वह पोलिटीशियन नहीं होना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि पोलिटीशियन ही ऐसा व्यक्ति है, व्यक्तित्व है जो सारी रियलिटीज को अपने अनुभव के आधार पर अच्छी तरह समझ सकता है, उसे सामाजिक और राजनीतिक अनुभव काफी होता है। यदि आज हम कहते हैं कि किसी राजनीतिक को गवर्नर नहीं बनाया जाना चाहिए तो कल को यह आवाज भी उठायी जायेगी कि किसी राष्ट्रपति को, किसी मंत्री को या प्रधानमंत्री को राजनीतिज्ञों में से नहीं बनाया जाना चाहिये। वह कैसे सम्भव हो सकता है। जिस तरह की परम्परा आजकल हमारे देश में राजनीतिज्ञों पर दोषारोपण करने की चल पड़ी है, मैं समझता हूं कि उससे वे लोग भी अछूते नहीं रह पाये हैं जिन्होंने यह सुझाव देने की कोशिश की है कि किसी राजनीतिज्ञ को गवर्नर के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। इस सुझाव को नहीं माना जाना चाहिये।

आल इण्डिया सर्विसेज के सम्बन्ध में जस्टिस सरकारिया ने जो सुझाव दिए हैं, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आल इण्डिया सर्विसेज या आई०ए०एस० या आई०पी०एस० आदि को ज्यादा स्वायत्तता देने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें छू नहीं सकते, यदि उनमें ऐसी भावना आ जायेगी तो वह उचित नहीं है क्योंकि केन्द्र अपनी नीतियों के अन्तर्गत राज्यों को काफी पैसा उन योजना की इम्पलीमैंटेशन के लिए उपलब्ध कराता है। इसीलिए केन्द्र को आल इण्डिया सर्विसेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कन्ट्रोल एक्सरसाइज करने की छूट होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो अदरवाइज भी हो सकता है: आल इण्डिया सर्विसेज वर्सिस स्टेट गवर्नमैंट भी हो सकता है और उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आल इण्डिया सर्विसेज के ऊपर राज्य सरकारों को भी ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए।

जहां तक हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का सवाल है, मैं नहीं मानता कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर से परामर्श करने की कोई आवश्यकता या औचित्य है या उनके ट्रांसफर के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसका कोई औचित्य है। केन्द्र सरकार जैसा उचित समझे, उसे वही करना चाहिए क्योंकि यह हाइयैस्ट ज्यूडीशियरी का मामला है। यदि इसमें हम ज्यादा लोगों को इन्वाल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज्यूडीशियरी का मापदण्ड गिर सकता है। हां, मैं इस बात से अवश्य सहमत हूं कि राज्यों की हाई कोर्टस में इस समय जजों के जितने पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें अविलम्ब भरा जाना चाहिए क्योंकि बड़े-बड़े कई राज्यों के अन्दर आधी जजेज की पोस्ट्स काफी समय से खाली पड़ी हैं और वहां स्थिति दिनों-दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है, केसों के अम्बार लगे हुए हैं। यदि हम वहां जजेज की नियुक्ति नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ज्यूडीशियरी के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जायगा, लोगों में असन्तोष फैलेगा, इसलिए रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाना बहुत आवश्यक है।

मैं एक बार फिर इस बात का स्वागत करता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने केन्द्र और राज्यों

के संबंधों को निरूपित करने के लिए जस्टिस सरकारिया कमीशन की नियुक्ति करके सराहनीय पग उठाया था, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय देकर इस कमीशन की नियुक्ति की, जबकि केन्द्र और राज्यों के बीच भयंकर तनाव की स्थिति व्याप्त थी। आज भी वे परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज भी बहुत से तत्व केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों को बिगाड़ना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि केन्द्र राज्यों को दबा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार को संतुलित तरीके से निर्णय लेने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ जस्टिस सरकारिया ने जो अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, वर्ष 1967 से जब से राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बनी हैं तभी से केन्द्र और राज्यों के बीच तथा अन्तर-राज्यीय विवाद शुरू हो गए थे। सत्ता ग्रहण करना और सत्ता को बनाए रखना मानवीय प्रवृति है। इसलिए ऐसे विवाद बढ़ रहे हैं। इसलिए केन्द्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के सम्बन्ध में दोनों की शक्तियों के निर्धारण हेतु कुछ विशिष्ट नियम बनाने अथवा संविधान में संशोधन करने, यदि आवश्यक हो तो, के लिए यह सही समय है। महोदय, मैं जानता हूं कि आप मुझे अधिक समय नहीं देंगें इसलिए मैं सीधे ही मुख्य मुद्दे पर आता हूं।

अनुच्छेद 263 में अन्तर-राज्यीय परिषद गठित करने का प्रावधान है। लेकिन मेरा कहना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देश में यह चर्चा चल रही है कि जब देश अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है तो पिछले 40 वर्षों के दौरान इस प्रावधान का उपयोग क्यों नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच जल-विवाद जैसे अनेक मामले हमारे सामने हैं जो लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं। इस समस्या का समाधान करना सरकार का दायित्व है। दोनों विवादग्रस्त पक्ष स्वयं इसका समाधान नहीं कर सकते हैं। खाद्य नीति, औद्योगिक नीति, भाषा नीति, अन्तर-राज्यीय जल विवाद जैसे विषयों का जो विभाजन संविधान में दिया गया है वह बिलकुल सही है लेकिन आपने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 30 वर्षों से लम्बित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद का समाधान करने के लिए आपने कौन से कौन से कदम उठाए हैं।

वर्ष 1970 में बम्बई में 10 व्यक्ति मारे गये और अब फिर से बेलगाम में 12 व्यक्ति मारे गए। लेकिन आप उनके प्रति न तो उदासीन हैं और न ही सहानुभूति रखते हैं क्योंकि अब तक कुछ नहीं किया गया है। माननीय बूटा सिंह जी पिछले चार वर्षों से इस सभा को बता रहे हैं कि इस विवाद का समाधान दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन दोनों मुख्य मंत्री कभी नहीं मिले हैं और न हो श्री बूटा सिंह जी ने दोनों को एक साथ बुलाया है। इस विवाद का समाधान करने का दायित्व केन्द्र का है। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए एक अन्तर-राज्यीय परिषद की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना है कि एक निकाय का गठन किया जाए जिसमें श्री बूटा सिंह अध्यक्ष हों, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के मुख्यमन्त्री सदस्य हों तथा उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाए और फिर इस विवाद का समाधान करने के लिए कुछ मार्गनिर्देशों के बारे में निर्णय लिए जाएं। इसे तीन माह की निर्धारित अवधि के भीतर सुलझाना चाहिए।

[डा० दत्ता सामंत]

मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। आप राज्य सरकार पर आरोप क्यों लगाते हैं ? मेरे विचार से ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कर्नाटक में सत्ता हथियाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि चुनाव आ रहे हैं और यदि ये विवादग्रस्त क्षेत्र महाराष्ट्र को दे दिए गये तो आप कर्नाटक में सत्ता ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि यह एक चाल है जो केन्द्र द्वारा चली जा रही है। माननीय मंत्री जी ने अनेक बार कहा है कि इसका समाधान दोनों मुख्य मन्त्रियों के बीच चर्चा करके किया जाना चाहिए।

अब मैं आई०पी०एस० और आई०ए०एस० जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कहना चाहता हूं। महोदय, अंग्रेज चले गए हैं लेकिन उनकी पद्धति अभी भी है। मैं जानता हूं कि उनका बौद्धिक स्तर आपसे और मुझसे और यहां तक कि कुछ मंत्रियों से भी बेहतर है। महोदय, जबकि मंत्री अनेक बार बदले हैं, नए मंत्रिमण्डल बने हैं लेकिन ये भा०पु०से० और भा०प्र०से० के अधिकारी वहीं रहते हैं और नियम बनाते हैं। उनकी शक्तियां कम की जानी चाहिएं। आपने सही कहा है कि अंततः जनता के प्रतिनिधियों को शासन करना है। लेकिन फिर भी हम पुरानी अंग्रेजी प्रणाली चला रहे हैं। राज्य सरकारें समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। भा०पु०से० और भा०प्र०से० के अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्र द्वारा की जाती है। पिछले वर्ष 700 व्यक्ति इन सेवाओं में चुने गए जिसमें से 50 प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश से हैं, 20 प्रतिशत केरल से हैं और केवल 3 प्रतिशत महाराष्ट्र से हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा पक्षपात क्यों है। क्या आप यह समझते हैं कि दूसरे राज्यों के व्यक्ति इन सेवाओं में आने के योग्य नहीं हैं। सारे अपने व्यक्ति रखना सत्ता हथियाने की तरफ एक कदम है। मैं नहीं समझता कि चयन ठीक प्रकार से होता है। मेरा विचार है कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति चयन और उनसे संबंधित अन्य विषयों को देखने के लिए संघ लोक सेवा आयोग जैसा एक स्वायत्त निकाय होना चाहिए। कृपया इसे मंत्री महोदय के पास न छोड़ें क्योंकि उम्मीदवारों के चयन में हर प्रकार का पक्षपात किया जाता है। वे सभी नौकरशाह हैं और वे जानते हैं कि मंत्री के साथ कैसा व्यवहार करना है और गरीब व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है।

अब मैं कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कुछ कहूंगा। मैं इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक राज्य सरकार सुरक्षा बल की मांग न करे तब तक आपको किसी भी राज्य में केन्द्रीय सुरक्षा बल नहीं भेजना चाहिए। केन्द्र अथवा राज्यों में पुलिस बल के उपयोग के लिए विस्तृत रूपरेखा के बारे में निर्णय लेने के लिए यह सही समय है।

7.00 म०प०

जो आंदोलन और बन्द शांतिपूर्ण होते हैं उनके बारे में हमें कतिपय मार्गनिर्देश बनाने चाहिए। पुलिस का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पिछले माह बम्बई में डी स्टैनिक वर्सेज के विरोध में एक मोर्चा किया गया था। मैं उससे सहमत नहीं हूं। कुछ व्यक्तियों ने मोर्चा निकालकर ब्रिटिश कांसुलेट को एक ज्ञापन दिया। मैं यह बात समझ नहीं पाया कि पुलिस को इस पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए। उन्हें अपनी गाड़ियां लाने, लाठी चार्ज करने, गोलियां चलाने और लोगों को मारने की क्या आवश्यकता थी। अंततः उन्होंने 12 व्यक्तियों को मार दिया। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और ऐसी घटनाएं हमारे देश के हित में नहीं हैं। इससे केवल हमारी समस्याएं ही बढ़ती हैं। हमारे देश में लगभग 7 करोड़ बेरोजगार लोग हैं और अनेक लोग मर रहे हैं, आर्थिक,

सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर अनेक समस्याएं हैं। हमें इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए और इन मामलों पर कुछ निश्चित विस्तृत मार्गनिर्देश बनाने चाहिए।

अब मैं संचार माध्यमों के पहलू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकारिया आयोग का यह दृढ़ मत है कि देश की एकता और अखण्डता के लिए रेडियो और दूरदर्शन केन्द्र सरकार के हाथ में होना चाहिए। मैं यह बात समझ नहीं पाया हूं कि संचार माध्यम राज्य सरकारों के हाथ में भी क्यों नहीं होना चाहिए। सरकारिया आयोग की इस सिफारिश से मैं सहमत नहीं हूं। मैं इस मुद्दे पर भी बल देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार संचार माध्यमों का दुरुपयोग कर रही है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु चुनावों में क्या हुआ ? हर रोज प्रधान मंत्री वहां जाते थे। पुलिस सहित अनेक लोग उनका स्वागत करते थे और तत्पश्चात् वह अपना भाषण देते थे ? अन्य दलों को समान रूप से प्रचार का अवसर क्यों नहीं दिया गया ? चाहे चुनाव हों या आम दिन हों केन्द्र में सत्तारूढ़ दल संचार माध्यमों का दुरुपयोग करता है। कल मैंने प्रधान मंत्री को दूरदर्शन समाचार में चार बार देखा। मैं इसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन मैं संचार माध्यमों के इस अधिक उपयोग और दुरुपयोग को समझ नहीं पाया हूं। हर दूसरे दिन प्रसारण मंत्री श्री एच०के०एल० भगत कुछ उद्‌घाटन करते हुए अथवा कुछ बांटते हुए सिर पर टोपी लगाए दूरदर्शन में दिखाई दे जाते हैं। मेरे विचार से यह संचार माध्यमों का दुरुपयोग है। संचार माध्यमों के उपयोग के बारे में कुछ सिद्धांत होने चाहिए और मेरा सुझाव है कि संचार माध्यमों का एक स्वायत्त निकाय होना चाहिए अथवा राज्यों को दूसरा चैनल अवश्य दे देना चाहिए। सत्तर के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में इस पहलू की जांच करने के लिए एक चंदा समिति नियुक्त की गई थी। बाद में जब जनता सरकार सत्ता में आई तो एक और समिति गठित की गई। इन दोनों समितियों ने सिफारिश की थी कि इसे स्वायत्त निकाय बनाया जाए। इसलिए संचार माध्यमों के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिश से मैं सहमत नहीं हूं।

महोदय, वे सभी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आबंटित धन लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हमारे सरकारी क्षेत्र के प्रबंधन के बारे में आपको क्या कहना है ? क्या आप नहीं जानते हैं कि निहित स्वार्थ वाले कुछ लोगों द्वारा हजारों, करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग किया गया है ? हमें इन सभी मामलों के लिए एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। बल्कि हमें समाधान खोजने चाहिए।

मैं केन्द्र और राज्यों के बीच वित्त के आवंटन के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि रेलवे यात्री कर राज्यों को दिया जाना चाहिए। यह इस आयोग की सिफारिश नहीं है लेकिन फिर भी इसे लागू किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग ने सिफारिश की है कि खनिजों की रायल्टी दरें राज्यों को दी जानी चाहिए। मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। समुद्र तटीय अधिनियम के अधीन यह महाराष्ट्र राज्य का एक हिस्सा है। पूरा देश तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से गैस और अन्य उत्पाद प्राप्त करता है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य की मांग को नकार दिया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र से रायबरेली तक एक पाइप लाइन जाती है और 700 करोड़ रु० का एक पेट्रो-रसायन संयंत्र बनाया जा रहा है। इसका उद्‌घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। गुजरात में भी एक और परियोजना का उद्‌घाटन किया गया। लेकिन महाराष्ट्र में एक भी परियोजना शुरू नहीं की जा रही है। हमने मराठवाड़ा और विदर्भ के बीच पाइप लाइन बिछाने के लिए जगह दी है। लेकिन हमारा प्रस्ताव 10 बार से भी अधिक बार ठुकरा दिया गया। दूसरी ओर सूरत-भुसवाल-इटारसी लाइन बनाई गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए और पेट्रो-

[डा० दत्ता सामंत]

रसायन तथा उर्वरक संयंत्र बनाने चाहिए। अभी भी इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। मेरे विचार से केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र से कुछ ईर्ष्या है। बम्बई का विकास अंग्रेजों ने किया था। हमें इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि बम्बई में उद्योग विकसित हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप वहां उद्योग बन्द कर दें। अब मैं उद्योगों के स्थान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। बम्बई आय कर और उत्पाद कर के रूप में 3000 करोड़ रु० केन्द्र सरकार को दे रहा है। आप बम्बई को इसका क्या लाभ दे रहे हैं? बम्बई केवल अमीरों का शहर नहीं है। हमारे कामगर लोग भी उसी धरती के बेटे हैं। इसलिए बम्बई से उद्योग दूर ले जाने का प्रस्ताव एक अच्छा प्रस्ताव नहीं है। इस शहर से प्राप्त होने वाले 3000 करोड़ रुपयों में से 200 अथवा 300 करोड़ रु० कामगरों और गरीब लोगों की स्थिति सुधारने, उन्हें आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि के लिए व्यय करें। पांच वर्ष पहले आपने 100 करोड़ रु० बम्बई के लिए घोषित किए थे। लेकिन अभी तक 30 करोड़ रु० भी नहीं दिए गए हैं।

जबकि कुछ मुद्दों के बारे में मैं सरकारिया आयोग से सहमत नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं कि कुछ सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए। पूरे देश में कुछ विस्तृत मार्गनिर्देशों का पता लगाने और उन्हें लागू करने का यही समय है।

उपाध्यक्ष महोदय : सात बज चुके हैं। अभी सूची में तीन और सदस्यों के नाम हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम आधे घंटे के लिए समय बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : और आधे घंटे के लिए समय बढ़ाया जाता है।

श्री महावीर प्रसाद यादव (माधीपुरा) : महोदय मैं अधिक समय नहीं लूंगा। प्रत्येक देश का इतिहास और भूगोल होता है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने उसके आधार पर स्थिति की पृष्ठ-भूमि पर विचार कर यह निर्णय लिया कि इण्डिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।

हमारे संविधान के निर्माता न्यायाधीश सरकारिया से कम योग्य नहीं थे। उन्होंने राष्ट्र की पृष्ठभूमि के आधार पर विचार करके संविधान बनाया। यहां मैं संघ की शक्तियों से संबंधित समिति को उद्धृत कर रहा हूं "अब जबकि विभाजन एक ठोस वास्तविकता है हमारा सर्वसम्मत मत है कि शांति सुनिश्चित करने तथा आम हित के महत्वपूर्ण मामलों में समन्वय स्थापित में असमर्थ कमजोर केन्द्र बनाना देश के हितों के लिए हानिकर होगा और यह कि शक्तिशाली केन्द्र के साथ संघ बनाने से हमारे संविधान का ढांचा अत्यधिक मजबूत बनेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि केन्द्र सुदृढ़ होना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एक संघ नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कभी नहीं कहा कि राज्यों को उनको देय नहीं मिलना चाहिए। वे सदैव उदारवादी नीति में विश्वास रखते थे। इसलिए संविधान में राज्यों को उचित स्थान दिया गया। संविधान के निर्माता इस बात के प्रति सावधान थे कि राष्ट्रवाद की भावना अभी बन रही है। मेरा भी विचार है कि राष्ट्रवाद अभी भी पनप रहा है और भारत की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्थिति उसी प्रकार की है। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका सावधानी पूर्वक विकास आवश्यक है और उन्हें अविभाजित तथा अखंड भारत के लिए शक्तिशाली केन्द्र सरकार के साथ एक संविधानिक ढांचा बनाना चाहिए। एक दिन मैं श्री दिनेश गोस्वामी का भाषण सुन रहा था। वे कह रहे थे कि सम्राट अशोक के राज्यकाल में भारत

शक्तिशाली था। उन्होंने औरंगजेब के बारे में भी कहा था। लेकिन मैं कुछ और बात कहूंगा। जब समुद्रगुप्त के राज्यकाल में भी भारत शक्तिशाली था लेकिन जब कुमार गुप्त आया तो भारत कमजोर हो गया। जब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्धमत अपना लिया तो मौर्य शासक कमजोर हो गये।

नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था "जब लोग कहते हैं कि राजा दयालु है तो साम्राज्य समाप्त हो जाता है।" मेरा विचार है कि यदि केन्द्र कमजोर होगा तो भारत की एकता और अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि आज भारत को अनेक अस्थिरताओं का सामना करना पड़ रहा है, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग, असम में बोडो आंदोलन और बिहार में झारखंड आंदोलन चल रहे हैं। क्या केन्द्र को मूक दर्शक बने रहना चाहिए? क्या इसे इन प्रवृत्तियों को बढ़ने देना चाहिए? मेरा विचार है कि यदि केन्द्र इस ओर कोई ध्यान नहीं देगा तो वे आगे बढ़ते जाएंगे।

साम्यवादी दल काफी कुछ कहता है। उन्होंने रेल रोको अभियान शुरू किया। क्या उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है? उन्होंने गाड़ियां रोकीं और अनेक दिनों तक गाड़ियां रुकी रहीं।

इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशें केन्द्र के कमजोर न होने तक मानी जानी चाहिए।

यहां मैं डॉ० राधाकृष्णन को उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा:

"मानवता हृदय से महान और कुलीन नहीं है।"

डॉ० राधाकृष्णन् ने कहा:

"सामाजिक दायित्व प्राप्त करना कठिन है लेकिन तानाशाही और स्वेच्छाचार का कोई औचित्य नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक दायित्वों के बीच सुनियोजित सामजस्य की स्थापना स्वतन्त्रता संतुलन बना आदर्श होना चाहिए।"

इसका अर्थ है मानव की मूलत: अधोप्रवृति होती है। अत: सोचना व्यर्थ है कि वे एक समय अच्छे थे लेकिन किसी दूसरे समय अच्छे नहीं थे। मैं महसूस करता हूं कि यदि मानव को व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो विधि का शासन हमेशा शक्तिशाली होना चाहिए ताकि मानव की मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखा जा सके। जब तक हम यह समझते रहेंगे कि कोई शाश्वत मूल्य अथवा आध्यात्मिक सच्चाई नहीं है, मनुष्य व्यक्तिगत तौर पर स्वार्थी एवं इच्छाओं का दास है, भय, लालच और दुर्भावनाओं का शिकार है और केवल जबरदस्ती ही सामाजिक दायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मैं पुन: डा० राधाकृष्णन को उद्धृत कर रहा हूं।

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही जाती है, हम उसी प्रकार से कार्य करें जैसा हम चाहते हैं। यह बात इतनी सही नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैसा ही स्वच्छेचार करने का अधिकार है जैसा वह चाहता है।

मैं महसूस करता हूं कि भारत की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र अपनी शक्तियां बनाये रखे।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। डा० अम्बेडकर ने कहा है, "भारत संघीय नहीं है, यह

[श्री महावीर प्रसाद यादव]

एकात्मक भी नहीं है" जिसका अर्थ था कि उन्होंने दोनों प्रकार की सरकारों के मिले जुले रूप को अपनाया - संघीय और एकात्मक। अधिकांशत: यह संघीय है, किन्तु कभी-कभी यह एकात्मक सरकार का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। हमारे कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह राज्यपाल बुरा है या वह राज्यपाल बुरा था। यह भी सम्भव हो सकता है कि एक विशेष राज्यपाल उनकी पसन्द का नहीं है या उनका चरित्र और योग्यता उस स्तर की नहीं है जितना कि वे अपेक्षा कर रहे हैं। श्री श्रीप्रकाश, श्री दौलतराम, श्री माधव एनी जैसे बहुत से राज्यपाल थे, जिनका व्यक्तित्व महान था और जो ऊंची योग्यता रखते थे। अत: एक उदाहरण को अन्तिम उदाहरण के रूप में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों का मक्खी जैसा स्वभाव होता है। मक्खी शरीर के किसी भाग से निकलने वाले पीप पर बैठेगी। यद्यपि पूरा शरीर साफ होता है, शरीर का केवल गन्दा भाग ही मक्खी का ध्यान आकृष्ट करता है। अत: हो सकता है कि एक या दो राज्यपाल उस स्तर के नहीं हों जैसा कि वे सोच रहे थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सभी राज्यपाल बुरे हैं।

मैं महसूस करता हूं कि भारत अब तक उस परिपक्कता तक नहीं पहुंचा है जिसमें केन्द्र को कमजोर होने दिया जाये। मैं अपने कथन के समर्थन में एक बात और कहना चाहूंगा। दक्षिण बिहार में झारखण्ड आन्दोलन चल रहा है। केन्द्र को क्या करना चाहिए ?

महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री को अपने बच्चों को उन्मुक्त वातावरण में शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाने की स्वतन्त्रता नहीं है। क्या राष्ट्र की यह दशा है? इस परिस्थिति में, मेरा विचार है कि केन्द्र को मजबूत होना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस समय देश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरह के व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति उभर रही है। मेरे मित्र बता रहे थे कि दक्षिणी प्रांतों के लोग हिन्दी की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। मैं मद्रास गया था। मेरे एक बिहारी मित्र ने मुझे बताया कि 75% तमिलनाडु नागरिक हिन्दी जानते हैं। यद्यपि वे हिन्दी जानते हैं, वे हिन्दी को एक सम्पर्क भाषा के रूप में नहीं अपना रहे हैं। मैं इस उदाहरण को अपनी इस बात के समर्थन में उद्धृत कर रहा हूं कि दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के लोग उस सीमा तक परस्पर मैत्रीपूर्ण नहीं हैं जहां तक उन्हें होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वरराव (अमलापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं न्यायमूर्ति सरकारिया द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर अपनी रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों का पूर्ण समर्थन करता हूं। केन्द्र और राज्यों में सम्बन्ध शरीर और दिमाग के शरीर के सम्बन्ध के समान दिमाग केवल तब ही स्वस्थ हो सकता है जब शरीर स्वस्थ हों। यदि सभी अंग उचित ढंग से काम करें, तो तब ही दिमाग उचित रूप से कार्य कर सकता है। अत: यह आवश्यक है कि समस्त शरीर के स्वास्थ्य को उचित रूप से रखा जाये ताकि इसका नियंत्रक भाग अर्थात् सिर सामान्य रूप से कार्य करे। अत: यदि केवल केन्द्र ही मजबूत हो तो काफी नहीं है। राज्यों को भी मजबूत होना चाहिए। एक तरफा विकास से न तो केन्द्र को लाभ होगा और न ही राज्यों को।

* मूलत: तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय राज्यों की वित्तीय स्थिति दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है। वित्तीय सहायता के लिए राज्यों का केन्द्र पर निर्भर रहना गम्भीर चिन्ता का विषय है। प्रत्येक काम के लिए राज्यों को केन्द्र का मुंह देखना पड़ता है। कारण यह है कि उनके पास धन का इतना अभाव है कि वे स्वयं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। उनके स्रोत काफी सीमित हैं। दूसरी तरफ राजस्व का काफी भाग केन्द्र के खजानों में चला जाता है। उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क से वसूल की जाने वाली राशि और निर्धारित की गई कीमतें केवल केन्द्र के पास जा रही हैं। राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अपना उचित भाग प्राप्त नहीं हो रहा है। राजस्व के इस असमान वितरण से केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं। इस असंगति को दूर करने के लिये सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। केन्द्र सरकार को उन सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध सुधरेंगे। भूतकाल में राज्यपाल संस्था का काफी सम्मान किया जाता था। इसने केन्द्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण सम्पर्क का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इसने अपनी गरिमा खो दी है और अत्यधिक विवादास्पद बन गया है। राज्यपाल संस्था, एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में काम करने की अपेक्षा केन्द्र और राज्यों के बिगड़ते सम्बन्धों में सहायता कर रही है। केन्द्र सरकार गैर कांग्रेस (इ) शासित राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करते समय विचित्र तरीके अपना रही है। वे व्यक्ति, जो कांग्रेस (इ) से संबंधित हैं, जो कल तक सक्रिय राजनीति में थे, उनको आज गैर कांग्रेस शासित राज्यों में राज्यपालों के रूप में भेजा जा रहा है। जिन व्यक्तियों को चुनावों में अस्वीकार कर दिया जाता है। उनके नामों पर राज्यपाल के पद के लिए विचार किया जाता है। राज्यपाल संस्था सभी अस्वीकृत राजनीतिज्ञों के लिए एक पुनर्वास केन्द्र बन गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब ऐसे लोगों को राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वे केन्द्र में सत्ताधारी दल के एजेन्ट के रूप में अधिक काम करते हैं। इसकी बजाए कि वे सम्बन्धित राज्य के मुखिया के रूप में काम करें। यही कारण है कि हम राज्यपालों और सम्बन्धित राज्य सरकारों के बीच इतना अधिक संघर्ष पाते हैं। केन्द्र और राज्यों के बीच सदभावनापूर्ण सम्बन्ध बनाने की अपेक्षा, वे उनके बीच अन्तराल पैदा कर रहे है और उसे बढ़ा रहे हैं। पांच वर्षों से आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और नागालैंड में राज्यपालों का व्यवहार बिल्कुल विवादास्पद बन गया है। उनके बीच और उनकी राज्य सरकारों के बीच कोई सदभावनापूर्ण सम्बन्ध नहीं है। राज्य सरकारों को राज्यपालों द्वारा पैदा की गई एक या अन्य अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल और सम्बन्धित राज्य सरकारों के बीच इस तरह का संघर्ष न केन्द्र के लिए और न ही राज्य के लिए अच्छा है। अतः केन्द्र और राज्य दोनों में सरकारों को अच्छी तरह चलाने के लिए उचित वातावरण पैदा करना और राज्यपाल के पद के लिए राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श से एक उचित व्यक्ति को चुनना है। एक आदर्श राज्यपाल केन्द्र और राज्य दोनों के लिये परिसम्पत्ति है। मुझे आशा है, भविष्य में राज्यों के लिए राज्यपालों को चुनते हुए सरकार बहुत सावधान रहेगी।

महोदय, केन्द्र सरकार के नियंत्रण में अत्यधिक विषय हैं। केन्द्र सरकार का क्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। केन्द्र और समवर्ती सूची के अनेक विषयों से सन्तुष्ट न रहते हुए, राज्य सूची से कई और विषय छीने जा रहे हैं और इस तरह से राज्यों को अधिक से अधिक कमजोर बनाया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि राज्य सरकारें केन्द्र से स्वीकृति लिए बिना स्वयं कोई विकास कार्य नहीं कर सकती। विभिन्न कल्याणात्मक कार्यों के क्रियान्वयन में केन्द्र कई कानूनों की सहायता से राज्य सरकारों के लिए अड़चनें पैदा कर रहा है। राज्य सरकारों के प्रतिदिन के कार्यों में केन्द्र सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप है। केन्द्रीय मंत्री जो राज्यों का दौरा करते हैं, उस सरकार के प्रयासों की सराहना नहीं करते। इसके विपरीत, वे किसी न किसी बहाने राज्य सरकारों की आलोचना करते रहते हैं। जब वे

[श्री ए० के० वी० वी० महेश्वर राव]

एक राज्य का दौरा करते हैं तो अब केन्द्रीय मंत्रियों की राज्य सरकार और उसके मुख्य मंत्रियों की आलोचना करना एक आदत बन गई है। किसी भी अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी होती है। असफलताओं के लिये राज्य सरकारों की आलोचना करने का उन्हें अधिकार है। अच्छी मंशा से की गई आलोचना का सदा स्वागत किया जाता है। लेकिन केवल इस कारण से कि उन राज्यों में गैर-कांग्रेस (इ) दलों की सरकारें हैं। केन्द्रीय मंत्रियों को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्हें सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहायता करनी चाहिए। केन्द्र सरकार को नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता लेनी चाहिए। आजकल जिला कलैक्टर और मैजिस्ट्रेटों से सीधे सम्पर्क करके राज्य सरकारों की अवहेलना करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन से केवल राज्य प्रशासन के माध्यम से ही सम्पर्क किया जाना चाहिए। राज्य प्रशासन की अवहेलना करना केन्द्र के हित में नहीं है। जिला स्तर पर विभिन्न कल्याणात्मक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आबंटित किया गया धन राज्य सरकार के माध्यम से आना चाहिए। केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य प्रशासन की अनदेखी करने का कोई औचित्य नहीं है।

महोदय, कहा गया है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। कृषि मूल्य आयोग कृषि की उपज की कीमतें निर्धारित करता है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित की गई कीमतें किसानों के लिये लाभकारी नहीं है। कृषि मूल्य आयोग कृषि उपज की कीमतें निर्धारित करने में सीजन खत्म होने से बाद तक काफी समय लेता है। इस दौराम किसान पुरानी कीमत पर अपनी उपज को बेच देता है। इस तरह वह फसल उगाने में किए गये खर्च से काफी कम प्राप्त करता है। इस तरह की व्यवस्था से किसानों को सहायता नहीं मिल रही है। अत: यह किसानों के अधिक हित में है, यदि कृषि उपज की कीमतें निर्धारित करने की शक्ति राज्य सरकारों को दे दी जाएं। केवल राज्य सरकार ही एक फसल को उगाने में होने वाले खर्च का उचित रूप से आंकलन कर सकती है और उपज के लिए समय पर ठीक कीमत निर्धारित कर सकती है। इससे किसान को काफी सहायता मिलती है। वह अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करेगा। अत: कृषि उपज की कीमतें निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति देने का मैं अत्यधिक समर्थन करता हूं। महोदय, राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से टी०वी० का दूसरा चैनल उन्हें देने के लिए अनुरोध कर रही हैं। लेकिन केन्द्र सरकार राज्यों की इस न्यायोचित मांग की अवहेलना कर रही है। राज्य सरकार स्थानीय लोगों की भलाई के लिए दूसरे चैनल का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकती है। किसानों, श्रमिकों और विद्यार्थियों के लिए अनेक कार्यक्रम दूसरे चैनल के माध्यम से उनकी अपनी भाषा में प्रसारित किए जा सकते हैं। इससे देश के प्रत्येक क्षेत्र के शीघ्र और पूर्ण विकास में सहायता मिलेगी।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्य सरकारों के मत की अवहेलना की जा रही है। यह ठीक नहीं है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य राज्य सरकारों की सिफारिशों को यथा महत्व दिया जाना चाहिए।

महोदय, शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना कि दिया जाना चाहिए। वर्तमान शिक्षा नीति दिशाहीन तथा भ्रम पैदा करने वाली है। इस बजट में शिक्षा के लिये जो धनराशि आबंटित की गई, बहुत कम है। शिक्षा नीति के लिये आबंटित थोड़ी सी धनराशि पर कई राज्यों ने अपनी निराशा व्यक्त की है। इस क्षेत्र में राज्यों को इसमें सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के लिये अधिक

धनराशि आबंटित करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया। राज्यों के संसाधन बहुत ही सीमित हैं और इसलिए वे शिक्षा पर अधिक धनराशि खर्च नहीं कर सकते। शिक्षा पर वर्तमान व्यय उनके लिए बोझ बन गया है। सीमित संसाधन हमारी सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा के लिए राज्यों को अधिक धनराशि आबंटित करने के लिये मैं निवेदन करता हूं।

उद्योग लगाने में गैर-कांग्रेसी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। औद्योगिकरण में बहुत अधिक क्षेत्रीय असमानता है। ऐसे राज्य जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं उनमें सभी प्राकृतिक संसाधनों तथा आधारभूत सुविधाओं के होते हुए भी कोई उद्योग नहीं लगाया जा रहा है। कारण यह है कि उन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। जिन राज्यों में विपक्ष सत्तारूढ़ है उनमें हाल ही में कोई प्रमुख उद्योग नहीं लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप उन राज्यों में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए उन राज्य सरकारों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं केन्द्र सरकार से इस नीति को छोड़ने तथा उन राज्यों में प्रमुख उद्योग लगाकर उनके साथ न्याय करने के लिए अनुरोध करता हूं। विपक्षी सत्तारूढ़ राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई परियोजनाओं को केन्द्र सरकार स्वीकृति नहीं दे रही है। उन प्रस्तावों को लम्बित रखकर अधिकाधिक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने में इस से बहुत बाधाएं आ रही हैं। इससे अधिक क्या कहा जाए कि केन्द्र सरकार एक राज्य के विरुद्ध दूसरे राज्य को उकसा रही है। और इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में देरी करने की लिहाज से वहां झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही है जहां झगड़ा नहीं है। यदि कोई झगड़े हैं भी तो इन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाना चाहिए और लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देनी चाहिए। यदि इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर लिया जाता है तो हम अपने जल-संसाधनों का प्रयोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हम अधिक क्षेत्र को कृषि के अन्तर्गत ला सकते हैं। महोदय, केन्द्रीय मंत्री जब राज्यों का दौरा करते हैं तो आई०ए०एस० एवं आई०पी०एस० अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। ये केन्द्रीय मंत्री उन नौकरशाहों को राज्यों में सरकारों के विरुद्ध, जो उनको आबंटित किये गये हैं। बगावत करने तथा उनकी आलोचना करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। यदि राज्य सरकार उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करती है तो केन्द्र सरकार उन्हें पुनः नियुक्ति देकर उन्हीं स्थानों पर भेज देती है। इस तरह केन्द्र सरकार नौकरशाहों में अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रही है। यह बहुत आपत्तिजनक है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार की सर्वोच्च नौकरशाही को राज्य सरकार के आदेशों को सही ढंग से मानने के लिए कहकर अनुशासन बनाए रखने में अवश्य सहायता करनी चाहिए। सर्वोच्च अधिकारियों में अनुशासनहीनता राज्यों की प्रगति में बाधक सिद्ध होगी और इसीलिए केन्द्र सरकार को आई०ए०एस० तथा आई०पी०एस० अधिकारियों में अनुशासन बनाये रखने में राज्यों को हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए।

महोदय, हम लोग भारतीय हैं और जीवन की अन्तिम सांस तक भारतीय रहेंगे। हमारी क्षेत्रीय पहचान बाद में आती है। हमारी संस्कृति का मूलाधार अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है। हम सभी एक मजबूत केन्द्र के लिए, जिसमें मजबूत राज्य अन्तर्विष्ट हों, और अपने संविधान की वास्तविक संघात्मक प्रकृति के लिए अथक कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के विषय पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस विषय पर न्यायमूर्ति सरकारिया ने कुछ अन्य प्रमुख प्रशासन अनुभवी व्यक्तियों के साथ काफी विचार विमर्श किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें 247 सिफारिशें की गई हैं। रिपोर्ट राज्यों तथा अनेक चिन्तकों को भेजी गई हैं। इस पर संसद में भी चर्चा की जा रही है और स्वाभाविक रूप से केन्द्र सरकार, इनमें से कौन सी सिफारिशें स्वीकार की जाए के सम्बन्ध में सभी मतों पर विचार करेगी।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि भारत केवल एक देश ही नहीं है। यह एक केवल देश नहीं बल्कि उससे कुछ और है। यह एक उप-महाद्वीप है। कुछ लोग कहते हैं कि यह विपुल जनसंख्या, विविध संस्कृतियों का एक लघु विश्व है। देश की एकता को इस प्रकार की अनेकताओं के बीच बनाए रखना है। यह देश के लिए अत्यन्त आवश्यक है और देश की एकता रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। अब, क्या यह काम एक मजबूत केन्द्र के बिना किया जा सकता है? निश्चय ही नहीं। मैं वस्तुत: सरकारिया आयोग को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बधाई देता हूं कि संघात्मकता की अवधारणा, ढांचा और आत्मा दोनों भारत में पूर्ण रूप से लागू हुए हैं, और अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। मेरी बधाई देने का कारण यह है कि एक ऐसी धारणा पैदा कर दी गई थी कि स्थिति बिगड़ रही है और राज्य को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए तथा केन्द्र की शक्तियों में कमी की जानी चाहिए।

महोदय, कुछ मुख्य मंत्री आयोग के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने केन्द्र की शक्तियों में कमी करने तथा राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने की दलील दी। कुछ मुख्य मंत्रियों ने आयोग के सामने यह दलील दी कि केन्द्र को केवल चार बातों पर ही अधिकार दिया जाए। ये चार बात हैं—रक्षा, विदेश कार्य, संचार तथा मुद्रा और शेष राज्यों को दिया जाए। अत: महोदय, आप इस विचार पर ध्यान दें। वे कौन लोग हैं जोकि अपने राज्यों में पंचायतों को वास्तविक शक्ति या अधिक शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध हैं? महोदय, जैसा कि आप जानते हैं भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होनी है और जब तक हम उन्हें आयोजना प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया में शामिल नहीं करते, तब तक लोकतंत्र प्रभावशाली नहीं हो सकता तथा लोकतंत्र को सार्थक और प्रभावशाली बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम जो विपुल धनराशि योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं, वह फलीभूत होना चाहिए। अत: यह स्वाभाविक है कि हम त्रुटियों को दूर करने, और योजना को लोकप्रिय बनाने तथा आयोजना प्रक्रिया प्रशासन में जनता की साझेदारी की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रधान मंत्री पंचायत राज को मजबूत बनाने की सोच रहे हैं। कल एक समारोह में जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया, मेरे समझ से पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री वहां उपस्थित थे। पंचायती राज के लोग, निर्वाचित अध्यक्षगण तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन कलकत्ता में हुआ और वहां भी मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज, राज्य सरकार के अधीन जारी रखा जाए। शक्ति का अपहरण कौन कर रहा है? राष्ट्रीय मोर्चा का दूसरा अध्यक्ष इस निर्णय के बिल्कुल विरुद्ध था। महोदय, हमारे यहां दो-टीयर प्रणाली—राज्य प्रशासन और केन्द्र प्रशासन है? मैं यह कह सकता हूं कि भारत में राज्य प्रणाली न तो पूर्णतया संघात्मक है और न ही एकात्मक। संघात्मक हैं लेकिन झुकाव एकात्मकता की ओर है। हम लोग पूर्णरूप से एकात्मक भी नहीं हैं। हम लोग पूर्णरूप से संघात्मक भी नहीं हैं। निश्चय ही, यहां राज्य प्रणाली संघात्मक है, लेकिन झुकाव एकात्मकता की ओर है, और भारत जैसे देश के लिए इसकी आवश्यकता है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात इस प्रणाली को लागू किया।

पुन: महानगरों वाले कुछ बड़े राज्य अधिक शक्तियां, राज्य के लिए अधिक वित्तीय शक्तियों

की दलील दे रहे हैं। कृपया विचार करें कि वे बड़े राज्य अपने राज्यों में बड़े हैं जिनके पास महानगर हैं; वे राज्य के लिए अधिक वित्तीय शक्तियों का समर्थन कर रहे हैं ताकि वे अधिक धन, अधिक आय प्राप्त कर सकें। लेकिन गरीब राज्यों, पिछड़े राज्यों का क्या होगा, उदाहरण के लिए, उत्तर-पूर्वी राज्य ? उत्तर के कश्मीर राज्य और बिहार तथा उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों का क्या होगा ? भारत में सभी राज्य आकार, जनसंख्या, आर्थिक और विभिन्न तरीकों में समान नहीं है। इन सभी बातों में वे भिन्न और काफी एक-दूसरे से अलग हैं। कौन इन राज्यों की देखभाल करेगा ? यदि राज्य काफी शक्तिशाली बन जायेंगे तो कुछ राज्य वित्तीय रूप से काफी सुदृढ़ हो जाएंगे। लेकिन कमजोर राज्यों, अधिक पिछड़े राज्यों का क्या होगा ? तब क्या भारत एक देश रह जाएगा जैसाकि यह आज है ? इसलिए, मैं सरकारिया आयोग की सिफारिशों/टिप्पणियों से सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मुझे कुछ और समय दें। आज आपने वास्तव में सराहनीय धैर्य दिखाया है। अब तक आपने सभी वक्ताओं को पर्याप्त समय दिया है। इसलिए आप मुझ पर भी दया करें। मैं एक शब्द भी असंगत नहीं बोल रहा हूं। यदि मैं कोई अनुपयुक्त बात बोलता हूं तो कृपया उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें। (व्यवधान)

राज्यपाल के पद, शक्तियों और कार्यों के बारे में कतिपय सिफारिशें हैं।

महोदय, हमने इस पर एक दिन एक गैर-सरकारी प्रस्ताव के रूप में वाद-विवाद किया था। राज्यपाल का, जैसाकि मैंने कहा है, राज्यों में देश की प्रशासनिक पद्धति या संघात्मक प्रणाली में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है और महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि राज्यों का देश की प्रशासनिक प्रणाली में, जो महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वे राज्यों की योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। अधिकांश विषय, जो विकास और प्रशासन के घटक है राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पूर्णरूप से आते हैं और वास्तव में राज्यों को केन्द्रीय परियोजनाओं की योजना प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन के साथ जोड़ा जाता है। वास्तव में जो कुछ हो रहा है यह एक साझे का प्रजातन्त्र और साझे का प्रशासन है जिसे दूसरे शब्दों में 'सहकारी संघात्मक प्रणाली' कह सकते हैं।

इसीलिए महोदय, इस पृष्ठभूमि में जब राज्य इन सारी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं मैं कहूंगा कि राज्यपाल की इस प्रणाली को जारी रखा जाए। राज्यपाल वस्तुत: एक सेतु है और जैसाकि आप जानते हैं कि समय बदल गया है पूरे देश की राजनीतिक स्थिति में भारी परिवर्तन हो गया है। राज्य और केन्द्र में एक पार्टी का शासन नहीं है जैसाकि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान का निर्माण करने के समय था। स्वभाविक रूप से राज्यपाल केन्द्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है; और संक्षेप में मैं एक बात कहूंगा तथा माननीय गृह कार्य राज्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कई बातों के सम्बन्ध में मार्ग दर्शाया है। हम पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और जवाहर लाल ने राज्यपालों की नियुक्ति के लिए कतिपय अभिसमय विकसित किये हैं। सरकारिया आयोग के मार्गनिर्देशों में कोई नवीनता नहीं है। इसलिये मैं इस बात पर जोर देता हूं कि राज्यपाल की नियुक्ति आदि के लिए जवाहर लाल नेहरू ने जो भी अभिसमय विकसित किए उसका अनुसरण किया जाए और इस सम्बन्ध में और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कौन राज्यपाल बनेगा ? राज भवनों पर नौकरशाहों, पूर्वभूत

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

सचिवों और भूतपूर्व जनरलों और कई अन्य लोगों का प्रभुत्व होगा। आप देखते हैं कि हमारे पास बलिदानों और कई चीजों का रिकार्ड रखने वाले प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ हैं। क्या ये राज्यपाल के रूप में राज भवनों में रहने योग्य नहीं हैं? यह एक कैसी गलत अवधारणा है? जैसा कि अन्य सदस्यों ने सही कहा है कि यहां वहां एक या दूसरे व्यक्ति के साथ ही कुछ गलती हुई है। फिर भी ऐसे व्यक्ति अब भी उनके साथ हैं। क्या श्री राम लाल उनके साथ हैं? जब वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे तो बहुत बुरे थे। निश्चय ही, उन्होंने उस सम्मानजनक पद को बदनाम किया है। जब वे उनके साथ शामिल हो गये हैं तो अब वे बिल्कुल ठीक हैं। विपक्ष का यही रवैया है। इसीलिए, लेकिन इस व्यक्ति या उस व्यक्ति के लिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि राजनीतिज्ञ राज्यपालों के रूप में नियुक्ति के अयोग्य हैं।

वित्तीय क्षेत्र में राज्य अधिक शक्तियों की मांग कर रहे हैं। यह एक चिन्ताजनक प्रवृत्ति है विषमता बढ़ती जा रही है और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। क्या हो रहा है? क्षेत्रीयवाद भी अपना कुरूप सिर उठा रहा है। यह हमारे प्रजातंत्र, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है और इसे काफी सुदृढ़तापूर्वक प्रशासनिक रूप से सुलझाने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक सभी राज्यों के लोगों की आर्थिक आकांक्षाओं को समुचित रूप से पूरा नहीं किया जाता तब तक हम इसे नहीं रोक सकते। इसलिए, राज्यों के लिए अधिक वित्तीय प्रबंन्ध करने होंगे और वह भी राज्यों की, राज्यों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय के रूप में तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। वित्त आयोग के गठन करने और विभिन्न स्तरों पर शक्ति सौंपने के लिए अनुच्छेद 258 में संशोधन करने के सम्बन्ध में भी कुछ अच्छी सिफारिशें की गई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रेषित माल कर। निगमित कर राज्यों को सौंप देना चाहिए और पुन: राज्यों की उनकी अपनी योजना निर्धारित करने तथा उनके अपने संसाधनों को वित्त प्रदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

राजनीति क्षेत्र के सम्बन्ध में, मैं कहूंगा कि अन्तर्राज्यीय परिषद् की आवश्यकता है। यदि राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषद हों तो सरकार को इस प्रश्न की जांच सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। यदि क्षेत्रीय परिषद् समुचित ढंग से कार्य करती है तो मेरी समझ से अन्तर्राज्यीय परिषद् स्थापित करना आवश्यक नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद् को भी समुचित ढंग से कार्य करना चाहिए और उसकी बैठक बार-बार बुलाई जानी चाहिए। निश्चय ही अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन शक्तियां होनी चाहिए और इसका प्रावधान संविधान में किया गया है ताकि जब कभी भी आवश्यक हो अंतिम अवस्था में ही उसका प्रयोग केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सरकार से इन प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रजातंत्र में आत्मविश्वास और शक्ति का द्योतक है कि हम सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद कर रहे हैं। जैसा कि इकबाल ने कहा था :

[हिन्दी]

"सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा
हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा।
यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गये जहां से
मगर अब तक है बाकी नामो निशां हमारा।"

سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا
ہم بلبلیں ہیں اسکی یہ گلستاں ہمارا
یونان مصر اور روما سب مٹ گئے جہاں سے
مگر اب تک ہے باقی نام و نشاں ہمارا

[अनुवाद]

इकबाल ने इस बात पर बल दिया कि भारत सभी प्रकार के सांस्कृतिक आक्रमणों के बावजूद भी शिला की भांति अडिग रहा है और यह इसकी अपनी आंतरिक शक्ति है जिसे मिटाया नहीं जा सका। जिसका दमन नहीं हो सका। यह एक गुलिस्तां है।

गुलिस्तां का अर्थ है कि इसकी सांस्कृतिक एकता की एक अलग पहचान है। महोदय, यदि हम उन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जो देश की एकता के लिए हानिकारक नहीं है। संवर्धित नहीं करते तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। महोदय, दुर्भाग्यवश इस बड़े देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो प्रजातंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं।

ये काली प्रतिक्रियावादी ताकतें साम्प्रदायिक और जातीय आधार पर बहुसंख्यकों के वोट जोतने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार एक ओर वे प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि वे भारत की एकता और अखण्डता चाहते है, लेकिन दूसरी ओर व्यावहारिक रूप से वे लोग देश को विभाजित और नष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। भिन्न भिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय होते हुए भी हमारा संविधान हमारे लोगों के लिए कल्याणकारी है। भारतीय संविधान के निर्माता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वातावरण तथा हमारे लोगों की संवेदनशीलताओं के परिणित थे। वे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जानते थे और इस संदर्भ में जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 दिया गया। इसमें समुचित वचन है। भारत संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के व्यक्ति तथा इस देश के सैकड़ों महान तेजस्वी व्यक्ति थे जिन्होंने गहन चिंतन के पश्चात् जम्मू और कश्मीर की जनता को उनकी पुरातन विरासत एवं विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हुए उन्हें अनुच्छेद 370 दिया। एक दल जो कि पूरे देश में कार्य कर रहा है कहता है कि यह अनुच्छेद कश्मीर को अलग कर देगा। इस अलगाववादी शक्ति का कहना है कि हम इस अनुच्छेद को संविधान से समाप्त कर दें। इसके द्वारा वे लाभ तथा और वोट पकड़ना चाहते हैं। किस तरह हम लोग भारत में इस प्रकार की शक्तियों को सहन करते आ रहे हैं। क्या इस

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

विचार विकृति से भारत की एकता बनाए रखने में सहायक होगी ?

आर० एस०एस० समर्थित बी०जे०पी० कभी दक्षिण में तो कभी उत्तर में अपनी बैठक बुलाती है। जिस समय वे चर्चा करते हैं उस समय वे लोगों को अलग करने की इस तरह कोशिश करते हैं मानो यह हिन्दू और मुस्लिम एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच एक समस्या है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें सावधान रहना चाहिए। अनुच्छेद 370 एक उपहार है। यह जम्मू और कश्मीर के लोगों की लड़ाई की पहचान है जिन्होंने सामन्तवादी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने महान बलिदान का परिचय दिया। यह मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय ही था जो दो-राष्ट्र सिद्धान्त के खिलाफ पत्थर के समान अडिग रहा और भारत की एकता का समर्थन किया तथा बलिदान दिया। साम्प्रदायिक संगठनों की ये कोशिशें प्रति-फलोत्पादक सिद्ध हुई हैं। ये संगठन सहायक सिद्ध नहीं होंगे। ये लोगों और धर्मों के बीच खाई उत्पन्न कर रहे हैं।

मुझे स्मरण है कि 1947 में जब शेख मुहम्मद अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने देश के साथ जम्मू और कश्मीर के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय हित के लिए कार्य किया और कष्ट झेला। उनके प्रधान मंत्री बनने के तुरन्त बाद जम्मू के जनसंघ ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अनुच्छेद 370 की आवश्यकता पर संदेह व्यक्त किया? उन्होंने कहा इस अनुच्छेद ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच एक झगड़ा खड़ा कर दिया है। इसका परित्याग किया जाना चाहिए। इस संगठन ने कश्मीर के संवेदनशील प्रश्नों के साथ विप्लव उत्पन्न कर दिया था और उसके दुष्परिणाम हम लोग आज भोग रहे हैं। वहां हमेशा तनाव बना रहा है। कश्मीर की नई पीढ़ी को विश्वास है कि वे लोग देश में गुलाम बनाए जा रहे हैं। उनके अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है। लेकिन मैं भारत के प्रगतिशील धर्म निर्पेक्ष प्रजातांत्रिक शक्तियों, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनों से जो कि मूल कारण जानते हैं कि क्यों और किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कश्मीर को यह अधिकार दिया गया था, आग्रह करता हूं कि सतर्क रहें। यह केवल कश्मीर की ही बात नहीं है। नेफा और नागालैंड के लोगों को भी विशेषाधिकार दिए गए थे। संविधान ने इन क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं पर कतिपय विचार किया है। एक साम्प्रदायिक दल अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की मांग करते हुए हर जगह सभाएं कर रहा है और कोई व्यक्ति नहीं है जो साम्प्रदायिकतावादियों के इस प्रकार के कार्यकलापों को रोक सके। हम इस मानसिकता का समर्थन न करें यदि हम वास्तव में देश में एकता चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वही कहा जो हम चाहते हैं कि भारत राष्ट्र में अनेकता में एकता है। निश्चय ही हमारे पास विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं। हमारे पास मलयालम जैसी महान और सुन्दर संस्कृति है। हमारे पास उड़िया संस्कृति, बंगाली संस्कृति, पंजाबी संस्कृति तथा ये सभी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस तरह देश को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती हैं। आपकी अनुमति से मैं अंत में एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। निश्चय ही कुछ लोगों ने कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों ने पंजाब की शुद्ध भाषाई समस्या में हस्तक्षेप किया। पंजाब में हिन्दुओं के एक भाग से एक बात पूछी गई। हिन्दुओं को जनगणना में अपनी मातृभाषा हिन्दी बोलने को कहा गया जबकि वे पंजाबी बोलते थे। अलगाववादी और पृथकवादी शक्तियां हिन्दुओं को अपनी भाषा हिन्दी लिखने पर सहमत करवाकर सफल हो गई। इस प्रकार इन शक्तियों ने पंजाब में हिन्दुओं और सिखों के बीच मतभेद उत्पन्न कर दिया। इसका दुष्परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। भारत एक संयुक्त देश बना रहे जैसा कि इकबाल ने कहा है :

[अनुवाद]

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।
हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा
यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से
मगर अब तक है बाकी नामोनिशां हमारा"

سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا
ہم بلبلیں ہیں اسکی یہ گلستاں ہمارا
یونان مصر اور روما سب مٹ گئے جہاں سے
مگر اب تک ہے باقی نام ونشاں ہمارا

[अनुवाद]

हम जानते हैं कि रोमन साम्राज्य का उदय हुआ और अन्त में ध्वस्त कर दिया गया। उसी तरह मिस्र की सभ्यता का भी अन्त हो गया। लेकिन भारत के पास अक्षुन्न और जीवन्त बने रहने की आन्तरिक क्षमता है। इसके पास आन्तरिक शक्ति-अक्षय क्षमता है। यह सभी प्रकार की पृथकवादी शक्तियों से लड़ सकती है। कोई भी बाहरी शक्ति हम से मुकाबला नहीं कर सकती। कोई भी बाहरी शक्ति हमें पृथक नहीं कर सकती और कोई बाहरी शक्ति हमें नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन देश के अन्दर कुछ आपराधिक और पृथकवादी शक्तियां हैं और सदन को इन शक्तियों की आवाज को आपराधिक घोषित करना चाहिए। हम इस प्रकार की शक्तियों को कभी भी देश में काम करने या एक दूसरे को प्रभावित करने की अनुमति न दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर कल देंगे। सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे म०प० तक के लिए स्थगित होती है।

7.52 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 5 अप्रैल, 1989/15 चैत्र, 1911 (शक)
के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53